राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 3] पंचम् विधान सभा के तृतीय सत्र का 42वां दिवस [संख्या 29

बृहस्पतिवार,

दिनांक 29 मार्च, 1973

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.10 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[कृषि, वित्त, समाज कल्याण, उद्योग, नगर आयोजना, खाद्य, जन-स्वास्थ्य, राजकीय उपक्रम, अकाल सहायता, गृह, कृषि, पशुपालन, शिक्षा एवं योजना विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न !

बीकानेर में ऊन पर निर्धारित उद्योग लगाने की योजना

838. श्री गोपाल जोशी (बीकानेर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर भारत की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है ? यदि हां, तो ऊन पर आधारित कौन-कौन से उद्योग बीकानेर में लगाने की योजना है ?

(2) क्या यह सही है कि वूल कॉम्बिग के लिये कोई कॉम्बिग प्लान्ट बीकानेर में नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कदम उठा रही है ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी हां। राज्य सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र में फिलहाल ऊन पर आधारित उद्योग लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री गोपाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर एक ऐसी मंडी है जहां भारत को 45 पर्सेन्ट से ज्यादा ऊन पैदा होती है। वहां पर 40 हजार गांठें हर साल प्रेस होकर तैयार होती हैं जिनकी कीमत करीब-करीब 8-10 करोड़ रुपया होती है और वहां पर जहां 8-10 करोड़ की साल भर में गांठें बाहर चली जाती हैं, कलकत्ता, देहरादून, चण्डीगढ़ तो वहां पर बीकानेर में कॉम्बिग प्लान्ट नहीं लगाने का क्या कारण है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : वहां पर ऊन पर आधारित उद्योग प्राइवेट सेक्टर में चले

Page No 2

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

हुए हैं वे करीब 48 के करीब वहां पर काम कर रहे हैं और इस क्षेत्र में इस विशेष प्लान्ट लाने के लिए यदि कोई प्राइवेट एन्टरप्रेन्योर एप्लाई करेगा तो राज्य सरकार पूरी तरह पर सहायता करने को तैयार है।

श्री गोपाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय..

श्री उपाध्यक्ष : जवाब आ चुका है।

श्री गोपाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम 3 प्रश्न पूछने का आदेश मिला हुआ है।

पहले बीकानेर में एक कॉटेज इन्डस्ट्रीज ट्रेनिंग सेन्टर चलता था जो ऊन पर आधारित विभिन्न धन्धे लोगों को सिखाता था और वहां पर ऊन की ज्यादा प्रोडक्शन होने के कारण उसको सीखते थे। इसलिए कई धन्धे वहां पर चला करते थे ऊन पर आधारित, उसको क्यों बन्द कर दिया गया? क्या उसको फिर से चलाने की योजना है?

श्रीमती कमला बेनीवाल : ट्रेनिंग सेन्टर को चालू करने और बन्द करने के प्रश्न के ऊपर मैं अभी जवाब नहीं दे सकती।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती ऊषा प्रकाश!

भरतपुर नगर सुधार न्यास के विरुद्ध शिकायतों पर की गई जांच

839. **श्रीमती ऊषा प्रकाश** (वैर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर नगर सुधार न्यास के सन् 1967 से 1969 तक के कार्य काल में अध्यक्ष द्वारा की गई भ्रष्ट और गैर-कानूनी कार्यवाहियों के बारे में कोई जांच राज्य सरकार द्वारा की गई थी?

(2) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा और उस पर कितना अमल हुआ?

(3) क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की गई? यदि हां, तो आज उसकी क्या स्थिति है?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त अध्यक्ष ने नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष की हैसियत से जिस कार्यकाल का वेतन लिया है उसी कालावधि का वेतन पंचायत समिति प्रधान की हैसियत से भी लिया है? क्या इस प्रकार दो स्थानों से वेतन लेना नियमित है?

(5) यदि नियमित नहीं है तो राज्य सरकार इस प्रकार की गलत अदायगी की वसूली करेगी?

नगर आयोजना मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित करने का निवेदन किया जा चुका है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया जाता है।

श्रीमती ऊषा प्रकाश : इसका जवाब कब मिलेगा? क्या इसी सत्र में इसका उत्तर आ जायगा? तिथि तो निश्चित करें कि कब तक जवाब मिलेगा।

श्री परसराम मदेरणा : कब प्रश्न रखा जायगा यह चेयर तय करेगी।

श्रीमती ऊषा प्रकाश : इस तरह से प्रश्न का महत्व नहीं रहता है। इसका उत्तर जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए।

Page No 3

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : वह विचार करके जवाब देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : अगली टर्म पर रख लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रावतराम आर्य, श्री मोहरसिंह, श्री लूणाराम !

चूरू जिले के छात्रावास

840. श्री **रावतराम** (छापर सु०), श्री **मोहरसिंह** (चूरू), श्री **लूणाराम** (श्री डूंगरगढ़) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि चूरू जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा कन्या छात्रावास नहीं चलाये जाने से कन्याओं की शिक्षा पर अत्यन्त विपरीत प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार कब तक चूरू जिले में कन्या छात्रावास का निर्माण करवा देगी ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : चूरू जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा कन्या छात्रावास नहीं चलाये जाने से कन्याओं की शिक्षा पर अत्यन्त विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है। प्रावधान के अभाव में चूरू जिले में कन्या छात्रावास का निर्माण करना अभी सम्भव नहीं है।

श्री रावतराम : किस चीज पर आप कह रहे हैं कि प्रभाव नहीं पड़ रहा है ? उस एरिया में लड़कियों का कोई छात्रावास नहीं है इसलिए लड़कियां नहीं पढ़ रही हैं तो क्या उसकी जरूरत नहीं समझते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : क्या इसके लिए शोचनीय नहीं है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : बीकानेर में एक छात्रावास था लेकिन चूंकि वहां पर छात्राओं की संख्या पूरी नहीं हुई और छात्राएं नहीं आईं इसलिए उसको बन्द करना पड़ा कोशिश यह की जा रही है कि अगले सत्र से लड़कियों को वहां पर फिर मौका दिया जाय और बीकानेर में छात्रावास चलाये जाने की कोशिश की जायगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या प्रयत्न किया गया छात्राओं को लाने के लिए ?

श्री रावतराम : उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर लड़कियां नहीं आती हैं वहां पर तो आप इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं। आज आप यह सोचें कि चूरू जिले की 8 लाख के करीब की आबादी है उसमें 2 लाख के करीब शेड्यूल्ड कास्ट के लोग वहां पर रहते हैं उनकी लड़कियों के लिए छात्रावास नहीं हैं। आपने कहा है कि लड़कियां नहीं आती हैं तो वहां पर लड़कियां आयेंगी। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिले में अगले साल से लड़कियों का होस्टल चालू करने का प्रयत्न करेंगे क्या ?

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय उपाध्यक्ष, चूरू में चालू करने की सम्भावना नहीं है। जैसी वित्तीय स्थिति राज्य सरकार की है उसके अनुसार चूरू जिले में खोलना सम्भव नहीं है, लेकिन बीकानेर में अवश्य ही अगले सत्र से छात्रावास के चलाये जाने की कोशिश करेंगे।

श्री रावतराम : हमें एतराज नहीं है यदि बीकानेर में खोलें तो, लेकिन मेरा

Page No 4

(श्री रावतराम)

निवेदन है कि आपके द्वारा कम से कम एक होस्टल तो वहां पर चलाया जाना चाहिए। वह 25 साल की आजादी के बाद भी नहीं हो रहा है।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, लड़कियों के कितने होस्टल राजस्थान में चलाने का आपका इरादा है ?

श्री रोशनलाल शर्मा : चूरू में जन संख्या शेड्यूल्ड कास्ट की ज्यादा है या बीकानेर में ज्यादा है ? यह मन्त्री महोदय बताने की कृपा करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा मन्त्री महोदय, से इसी सम्बन्ध में यह प्रश्न है कि आपका आधार क्या है ? जहां जन-संख्या सबसे ज्यादा है वहां पर प्रायोरिटी देना चाहते हैं या किसी राजनैतिक आधार पर प्रायोरिटी देना चाहते हैं या हर जिले में खोलना चाहते हैं ?

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय उपाध्यक्ष जी, चूरू जिले का जहां तक प्रश्न है जैसा कि मैंने निवेदन किया कि चूंकि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वह चूरू जिले में होस्टल स्थापित कर सके। वैसे कोशिश यही रहती है कि जहां पर भी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पापुलेशन अधिक हो वहां पर इस प्रकार के छात्रावास चलाये जायें। जब वित्तीय स्थिति इसको स्वीकार नहीं करती है ऐसी परिस्थिति के अन्दर छात्रावास खोलना सम्भव नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बीकानेर में कैसे कर रहे हैं ?

श्री ओंकारलाल चौहान : बीकानेर डिविजन का हैडक्वार्टर है और सभी डिवीजनल हैडक्वार्टर्स पर एक-एक छात्रावास चलाया जा रहा है और कोशिश भी यही रहती है कि दूसरी अन्य जगहों पर भी इस प्रकार के छात्रावास चलाये जायें और वहां की छात्राओं की शिक्षा में प्रगति हो। जैसा कि मैंने निवेदन किया है वित्तीय स्थिति के कारण यह सम्भव नहीं हो पा रहा है। वित्तीय स्थिति अच्छी होते ही हम इस सुझाव पर विचार करके छात्रावास चलायेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : वित्तीय स्थिति का प्रश्न तो ठीक है। आपका यह कहना कि डिवीजनल हैडक्वार्टर पर चलायेंगे लेकिन अब तो आपका एक ही आधार हो सकता है कि जिस जगह पर आदिवासी या हरिजनों की संख्या सबसे अधिक हो वहां पर खोलना चाहिए। वहां पर 52 से पार्लियामेंट के लिए सीट रिजर्व चली आ रही है, आदिवासी और शिड्यूल्ड कास्ट्स की रिजर्व सीट चली आ रही है वहां पर ध्यान नहीं दें होस्टल खोलने का और डिविजन की बात करें यह क्या बात है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : मैंने यह कहा कि वित्तीय स्थिति अच्छी होने के बाद शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का जहां पर कन्सेन्ट्रेशन है उन सारे स्थानों पर छात्रावास खोले जायेंगे लेकिन छात्राओं की उपलब्धि होना आवश्यक है। अगर छात्राओं की उपलब्धि होती है तो जरूर करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपलब्धि के लिए तो आपके सामाजिक कार्यकर्ता जा सकते हैं, सोशल वर्कर्स जा सकते हैं, हमारे सोशल वर्कर्स जा सकते हैं।

Page No 5

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक प्रश्न सिद्धान्त का है। मैं समझता हूं कि समाजवादी व्यवस्था के अन्दर कन्या शिक्षा का बहुत महत्व है, और सिद्धान्ततः सरकार को इस संबंध में इस बात को मानना पड़ेगा–चाहे सरकार इस बात को न माने सिद्धान्ततः कि हरेक जिले के हैडक्वार्टर पर कन्या छात्रावास होना चाहिए, अनिवार्यरूपेण परमावश्यक है।

श्री मुन्शीलाल महावर (बस्सी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है कि आपकी चूरू जिले में होस्टल खोलने के बारे में वित्तीय स्थिति कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। आपकी कभी भी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। शिड्यूल्ड कास्ट्स के लड़कों के होस्टल चल रहे हैं उनमें आप कमी कर सकते हैं लेकिन लड़कियों के होस्टल नहीं खोलना यह अच्छी बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन यह करना है कि माननीय मंत्री महोदय आदिवासी छात्रावास खोलें उसके लिए...

श्री उपाध्यक्ष : क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

श्री मुंशीलाल महावर : क्या सरकार की यह नीति है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रों और छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए छात्रावास खोले जायें या सरकार इसको एवाइड करना चाहती है ? क्या चूरू जिले में छात्राओं के लिये छात्रावास खोलने पर राजस्थान सरकार इतने वित्तीय संकट में आ जायेगी ? क्या वजह है कि जिसकी वजह से छात्राओं के लिए एक होस्टल नहीं खोलना चाहती है ? वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है लेकिन आपके दूसरे अन्य काम हो रहे हैं।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर में 50 पर्सेन्ट पापुलेशन शिड्यूल्ड कास्ट्स की है और यह कहना चाहते हैं कि बीकानेर में छात्रावास नहीं खोला जाय और चूरू में खोला जाय। लेकिन आर्थिक हालत दयनीय है तो क्या शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को प्रोत्साहन देना आवश्यक नहीं है ? बीकानेर से चूरू दूर है।

श्री रावतराम : सबसे ज्यादा पापुलेशन वहां पर है, बीकानेर से ज्यादा है तो कम से कम आपको सहयोग करना चाहिए एक होस्टल के लिए।

श्री शंकरलाल : चूरू और बीकानेर का झगड़ा है तो आप पाली में खोल दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अकाल हो या जमाना हो हरिजनों और आदिवासियों के लिए तो सदा ही अकाल है। प्रश्न यह है कि चूरू और बीकानेर को लड़ाकर आप मजा ले रहे हैं मंत्री महोदय, इस मजे को बन्द करें। प्रश्न यह है सिद्धान्त का कि जहां पर सबसे ज्यादा आबादी हो आदिवासी और हरिजनों की वहां पर खोले जायें, और जहां तक आदिवासी और हरिजनों का संबंध है वित्त के प्रश्न को सामने न लायें। सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर उनको मिलना चाहिए, यह स्टेट ने माना है। यहां पर वित्त की बात करते हैं तो वित्त मंत्री को समझाइये कि वे पूरे पानी में डूब गये हैं अगर यहां वित्त की बात करते हैं तो वित्त मन्त्रीजी पूरे

Page No 6

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

पानी में डूब गये। कम से कम शराबबन्दी नहीं करके जो 12 करोड़ रुपया बचाया है, वह 12 करोड़ तो उसमें लगायें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य भाषण फरमा रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मन्त्री महोदय को कमिटमेण्ट देना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : जवाब तो आने दीजिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : जवाब नहीं देना होता है, तभी तो ऐसा होता है।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या मन्त्री महोदय को आश्वासन देने का और पूरा करने का अधिकार है या नहीं ?

श्री लूणाराम : डिवीजनल हैडक्वार्टर पर कन्याशाला खोल रखी है और जगह नहीं खोली गई है।

(11-22 म० पू०)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तो क्या शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की प्राथमिकता के आधार पर नहीं खोले जायेंगे ?

श्री ओंकारलाल चौहान : मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता का कारण समझता हूं। माननीय सदस्य महारावल साहब ने जो कहा है, मैं मानता हूं कि प्रत्येक जिले में होना चाहिए। शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। लेकिन बहरहाल छात्रावास खोलने के लिए पैसा चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अन्न चाहिए, मन चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी मनः स्थिति भी चाहिए।

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय सदस्य जब बोल रहे थे तो मैं चुप बैठा था।

श्री केशरनाथ : आप क्लेम तो मानते हैं ?

श्री ओंकारलाल चौहान : जहां शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, वहां खोले जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वरलाल चौधरी !

मारोठ के चीनी विक्रेता के विरुद्ध शिकायत

841. श्री **रामेश्वरलाल चौधरी** (नावां) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसीलदार नावां, जिला नागौर द्वारा मारोठ के चीनी विक्रेता द्वारा जनता मारोठ से रेट से अधिक कीमत लेने की जांच की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि मारोठ चीनी विक्रेता ने कीमत ज्यादा लेने की शिकायत को मंजूर किया है ? अगर हां, तो जिलाधीश नागौर द्वारा चीनी विक्रेता के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त विक्रेता को ही मारोठ में वापस विक्रेता जिलाधीश द्वारा नियुक्त किया गया है ? अगर हां, तो क्यों ? तथा किस कारण से ?

खाद्य मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा): (1) जी हां।

(2) जी नहीं।

चीनी विक्रेता ने कीमत ज्यादा लेने *की शिकायत को मन्जूर नहीं किया। जांच* के दौरान चीनी विक्रेता को अधिक कीमत लेने के लिये दोषी नहीं पाया गया। अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) मारोठ के चीनी विक्रेता को हटाया ही नहीं गया था। अतः उक्त विक्रेता को वापस नियुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मन्त्री महोदय ने सदन को अवगत कराया है, मैं निवेदन करूं कि मैं लिखित में प्रमाण बता दूं। उसने ज्यादा रुपये ले लिये हैं। उसने लिखा है कि मैं वापस जमा कराऊंगा। वह चाहे इन्क्वायरी में यह कहे कि उसने नहीं लिये। लेकिन उसको सस्पेण्ड किया गया है फिर वापस उसको मुकर्रर किया है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, उसने जो ज्यादा चार्जेज किये थे, वह परिवहन चार्जेज थे। वह तहसील को देना चाहिये था। इसलिये परिवहन चार्जेज वापस करने के आदेश दे दिये गये थे।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : उसके बाद में उसने पैसे ज्यादा लिये हैं। परिवहन चार्जेज के अलावा उसकी शिकायत हुई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : फिर से जांच करली जायेगी।

श्री शंकरलाल : परिवहन चार्जेज तो गवर्नमेन्ट देती है।

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, उसके बाद परिवहन चार्जेज के बिल बनाये जाते थे।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय ..

श्री परसराम मदेरणा : आप मेरी बात सुनिये, रिटेलर को रेट तय करदी है। तो बिल बनाकर पेश नहीं करने पड़ेंगे। उनके बिल आफिस में रुके रहते हैं। वह रकम जमा करायेगा। चीनी का है, अनाज का है। होलसेलर का पूरा एफ. सी. आई. को दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल !

जवाई बांध की नहर से पानी

842. **श्री शंकरलाल (पाली) :** क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली तहसील के गांवों में जवाई बांध की नहर से पाइप लाइन द्वारा पानी पहुँचाने की योजना के तहत भारत सरकार से 67 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो इन योजनाओं के तहत किन-किन गांवों में पानी पहुँचाया जायेगा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस योजना का प्रारम्भ कब किया जायेगा और कब तक पूरी सम्पन्न कर दी जायेगी ?

जन-स्वास्थ्य मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जी हां, सूची संलग्न है।

(श्री चन्दनमल वैद)

(2) योजना का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। आवश्यक सामग्री की उपलब्धि पर इस योजना का कार्य वित्तीय वर्ष 1973-74 के अन्त तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री शंकरलाल : मंजूरी कब आई ?

श्री चन्दनमल वैद : फरवरी, 73 में।

श्री सज्जनसिंह : क्या मन्त्री महोदय, यह बतायेंगे कि पाली जिले की बाली तहसील के किन-किन गांवों को इस योजना में लिया गया है ?

श्री चन्दनमल वैद : आप कहें तो मैं गांवों के नाम पढ़कर सुना दूं ?

श्री सज्जनसिंह : जी, फरमा दीजिये।

श्री चन्दनमल वैद : इस स्कीम के दो जोन हैं-जोन नम्बर एक में ये गांव हैं:-डिगाई, गुड़ा सोनगढ़, सेतपुर, जूनी खण्डला, बारवा, गुडा एन्दला, कानेलाव, वाला, कुरला, पादरला, सेली, गिरवर, डेडा, हेमावास, रामा वासिया, माडी खुर्द, कटघरा, गुरडाई, भानपुरा, मोडिया, पुनायता, गिरधरा, सेवरिया, रूपवास, दयालपुर, मूलियाबास, गुरडाई, कुरला, घमदारी, चाटेलाव, सुरावास, मालवा, गिरोलिया, उन्दारी, सुकरलाई, सेतपुरा, गरवाड़ा, बादोरी ये 38 गांव पहले जोन में हैं।

जोन नम्बर 2 में 20 गांव हैं:-खेरला कानावासिया, चोटीला, बण्डाई, बागड़िया, बीमू, मोरिया, निम्बाड़ा, भालेलाव, निम्बरी दरा, डाबर कलां, डाबर खुर्द, दूधिया, जोगाजी की ढ़ाणी, बुद्धाजी की ढाणी, बारो की ढ़ाणी, आलस की ढ़ाणी, काला पीपलू की ढ़ाणी, माडली दजिया, भाखरीवाला गांव ये दूसरे जोन के 20 गांव हैं।

श्री सज्जनसिंह : इस लिस्ट में बाली तहसील का एक भी गांव नहीं है मन्त्री महोदय ! पिछले अकाल में जवाई बांध से पीने के लिए पानी दिया गया है।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, यह अलग से सवाल है। आपने तो बाली और दूसरी तहसीलों के बारे में पूछा है।

श्री सज्जनसिंह : माननीय मन्त्री महोदय का उत्तर सन्तोषजनक नहीं माना जा सकता है।

श्री चन्दनमल वैद : सम्भव तो हर चीज है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया !

उद्योगों को बिना यूटिलाइजेशन रिपोर्ट के कच्चे माल का अलॉटमेन्ट

843. **श्री मूलचन्द सामरिया** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उद्योगों को कच्चा माल अलाट करने से पूर्व सम्बन्धित उद्योग की बाबत पूर्व में लिये गये कच्चे माल की यूटिलाइजेशन रिपोर्ट लेना आवश्यक है ? यदि हां तो 300 टन माल फर्नीचर व अलमारी आदि बनाने वाले उद्योगों को बिना उक्त रिपोर्ट के क्यों दिया गया ?

(श्री मूलचन्द सामरिया)

(2) उक्त कितना-कितना माल किस-किस उद्योग को कब कब बिना यूटिलाइ-जैशन रिपोर्ट के अलॉट किया गया ? कृपया विवरण दें।

राज्य मन्त्री उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदया से निवेदन करूंगा कि प्रश्न संख्या 2 के भाग 2 में, यह स्पष्ट पूछा है कि कितना-कितना माल किस-किस उद्योग को बिना यूटीलाइ-जैशन रिपोर्ट के अलॉट किया गया है। इसका भी जवाब दिया है, प्रश्न नहीं उठता है। यह जवाब बिल्कुल नाकाफी है। तथ्यों को छुपाने के लिए है। इसका क्या अर्थ निकला है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : क्योंकि अभी यूटीलाइजैशन सर्टिफिकेट के आधार पर माल एलॉट करने की प्रथा ही चालू नहीं हुई है इसलिए किसको बिना यूटीलाइ-जेशन सर्टिफिकेट के माल दिया, यह सवाल ही नहीं है। सभी को दिया गया, यह समझ लिया जाए।

श्री मूलचंद सामरिया : मैंने पूछा है नाम बता दो या, तो मैं बता दूं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिससे यूटीलाइजैशन सर्टिफिकेट लिया जा कर फिर माल दिया गया हो। वर्तमान पद्धति यह है कि जो पार्टी उद्योग चलाती है उसकी क्षमता देखकर आम तौर पर एलॉट किया जाता है, उनके लिए न पहले ही यूटीलाइजैशन सर्टिफिकेट लेने की प्रथा थी न बाद में। इसकी व्यवस्था करने पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

श्री मूलचंद सामरिया : मैं मात्रा जानना चाहता था। अलग अलग उद्योगों के लिए कितना कितना दिया गया। अगर यह भी नहीं बता सकतीं तो फिर कम से कम मात्रा तो आनी चाहिए अलग अलग।

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसलिए उल्लेख नहीं किया क्योंकि आपने बिना यूटीलाइजैशन सर्टिफिकेट शब्द लिखा है इससे तात्पर्य सीमित हो जाता है। इसलिए तमाम जो एलाटमेंट्स हुए हैं उनकी लिस्ट देने की जरूरत नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जाने दीजिए। यूटीलाइजैशन सर्टिफिकेट आवश्यक नहीं है लेकिन इस पार्टी को जो माल दिया गया वह तो बता दो, विश्लेषण....

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय सदस्य ने विशेष पार्टी का नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है कि किस किस पार्टी को बिना यूटीलाइजैशन के माल दिया गया ? कब से कब तक किन किन पार्टीज को, यह नहीं पूछा गया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपकी जानकारी में तो है। मेहरबानी करके अगर बता दें तो माननीय सदस्य और सभी को संतोष हो जाएगा। आप छिपाती क्यों हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : नाम नहीं है। माननीय सदस्य ने फरमाया है किस-किस पार्टी को। नाम नहीं है।

श्री मूलचंद सामरिया : मैंने पूछा है कि लिस्ट मिले। अगर लिस्ट आएगी तो साफ तौर पर जाहिर होगा कि वित्त मंत्री के पुत्रों को सबसे ज्यादा माल दिया गया। यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट की बात नहीं है। जानकारी नहीं दी गई। ब्लैक में जाता है अथवा उद्योग में जाता है अथवा करोड़ों रुपए के माल का क्या होता है। उसका जवाब गोलमाल दिया गया, टाला गया। कई करोड़ों का गबन हुआ है और ब्लैक में माल जाता है, उस संबंध में प्रश्न पूछा है। अगर सूची सदन की मेज पर रखी जाए तो माननीय सदस्यों को पता चलेगा कि कितना नाजायज फायदा....

श्री निरंजननाथ आचार्य : कृषि निगम में भी ऐसा ही हुआ है। दूसरों को नहीं तो माननीय सदस्य को ही अगर दे देते तो पता चलता।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय सदस्य अगर खास उद्योगों के बारे में रुचि रखते हैं तो प्रश्न भी उसी ढंग से पूछना चाहिए था, गोल प्रश्न पूछा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह तो गल्ती हो गई....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ! श्री यशवन्तसिंह नाहर !

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्त्ता के प्रश्न में कुछ खामी है, मैं स्वयं अनुभव करता हूं किन्तु माननीय सदस्य प्रश्नकर्ता ने जो गम्भीर आरोप लगाए हैं अनियमितताओं व घोटालों के संबंध में, मैं जान सकता हूं कि मंत्री महोदया को उन घोटालों का कुछ पता है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्षजी, इस प्रकार के घोटाले मेरे सामने नहीं आए हैं और बिना किसी आधार के तथ्य के, माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाए हैं उनको मैं गलत समझती हूं।

श्री मूलचंद सामरिया : घोटाला हुआ है, जांच करें।

श्रीमती कमला बेनीवाल : आप अलग से प्रश्न करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : घोटाले पर घोटाला हो गया।

श्री मूलचंद सामरिया : मेरे पास तो चपरासी भी नहीं है कि जिसको भेजकर जानकारी करूं...

(शोर-गुल)

श्री प्रद्युम्नसिंह : बेबुनियाद प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 844।

विदेश यात्रा के लिए स्वीकृत राशि

844. **श्री यशवन्तसिंह नाहर** (बनेड़ा), **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल बाजार, जयपुर), **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवा महल, जयपुर) **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान शिक्षा आयुक्त श्री महेन्द्रसिंह अपना इलाज कराने के लिए विदेश गए थे ? यदि हां, तो उन्हें कितनी विदेशी मुद्रा स्वीकृत की गई थी ?

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

(2) क्या यह भी सही है कि श्री महेन्द्रसिंह अपनी पत्नी को भी साथ लेकर गए थे ?

(3) यदि कोई अधिकारी अपना इलाज कराने विदेश जाए तो उसका व्यय कौन बरदाश्त करता है और इसके लिए क्या नियम हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(4) क्या यह सही है कि विदेश से वापस लौटकर आने के बाद श्री महेन्द्रसिंह ने विदेशी मुद्रा का हिसाब दिया था ? यदि हां, तो वह कितनी रकम का तथा बकाया रकम का क्या हुआ ?

(5) क्या रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने राज्य सरकार से इस संबंध में कोई पत्र-व्यवहार किया है ? यदि हां, तो उसका राज्य सरकार की तरफ से कोई उत्तर दिया गया हो तो उत्तर की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(6) क्या यह सही है कि श्री महेन्द्रसिंह ने खर्चे का जो हिसाब प्रस्तुत किया उसमें उनकी पत्नी के खर्चे का हिसाब भी शामिल है ? यदि हां, तो क्या यह कानून से ठीक है ? क्या राज्य सरकार ने उनकी पत्नी का व्यय भी उन्हें दिया है ?

राज्य मंत्री (श्रीमती कमला बेनीवाल): (1) जी हां, उन्हें 13,000) रु. विदेशी मुद्रा स्वीकृत की गई थी ।

(2) जी हां ।

(3) अखिल भारतीय सेवा (मेडीकल अटेन्डेन्ट्स) नियम, 1954 के नियम 14 (ii) एवं भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 8(62)(62) ए.आई. एस (iii) दिनांक 29-8-62 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत राज्य सरकार ने उक्त अधिकारी को सरकारी खर्च पर अपना इलाज कराने हेतु विदेश जाने की अनुमति दी थी । उपरोक्त नियम तथा भारत सरकार के पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(4) जी हां, विदेशी मुद्रा का हिसाब अधिकारी द्वारा सीधे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उनके विदेश से वापस आने पर दे दिया था ।

(5) जी नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार से इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया ।

(6) जी हां, उनकी पत्नी एक अटेन्डेन्ट के रूप में उनके साथ विदेश गई थीं । अखिल भारतीय सेवा (मेडीकल अटेन्डेन्ट्स नियम के अन्तर्गत राज्य सरकार ने उनकी पत्नी का व्यय (यात्रा भत्ता) भी उन्हें दिया था ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये) ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आपने तीसरे प्रश्न के उत्तर में बताया कि अधिकारी द्वारा सीधे ही रिजर्व बैंक को उनके विदेश यात्रा का हिसाब दिया गया । क्या हिसाब दिया ? दूसरी बात, पत्नी को जो एलाउन्स दिया गया, कौनसे कानून में है ? अधिकारी को तो दे दिया लेकिन उनकी पत्नी को भी दिया गया वह कौनसे कानून से ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इनके और इनकी पत्नी के डेली एलाउन्स पर आपत्ति हुई थी, इसलिए वापस रिकवर कर लिया गया है ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : ऐसा ही एक मामला था टी० एन० चतुर्वेदी का....

श्री अध्यक्ष : पहले प्रश्नकर्त्ता को पूछने दीजिए।

श्री यशवंतसिंह नाहर : कब वसूल हुआ, कितना वसूल हुआ ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : डेली एलाउन्स का जितना खर्चा बताया था, राज्य सरकार ने वापस ले लिया है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : कब लिया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : कुल कितनी रकम उनको दी गई थी, वह बता दी है। जन-लेखा समिति ने आपत्ति की उस आब्जैक्शन के इम्प्लीमेंटेशन में राज्य सरकार ने डी० ए० का पैसा जो दोनों ने ड्रा किया था वह सारा रिकवर किया।

श्री यशवंतसिंह नाहर : कब ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : तारीख नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या सरकार का फर्ज नहीं था वसूल करना और खास तौर से शिक्षा आयुक्त और उनकी पत्नी का सवाल, क्या यह फ्राड नहीं है ? क्या डिसिप्लीनरी एक्शन लिया आपने इस पाइंट पर है

श्रीमती कमला बेनीवाल : सुना नहीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उन्होंने डेली एलाउन्स लिया और ऐसे बड़े आदमी की पत्नी ने भी लिया। अपनी पत्नी के कहने से लिया और फ्राड प्ले किया, सरकार द्वारा रिकवरी रेमिडी नहीं है। फ्राड प्ले किया गया, उस संबंध में क्या डिसिप्लीनरी एक्शन लिया है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : क्या जानकारी उनको नहीं थी इसलिए ड्रॉ कर लिया या दूसरी गल्ती थी, मेरे पास...

(शोर-गुल) (कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : शिक्षा आयुक्त को जानकारी नहीं होगी तो और किसको होगी ?

श्री अध्यक्ष : मैं सबको सप्लीमेंटरी का मौका दूंगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप उनको बचाने का प्रयत्न न करें। प्रश्न यह है कि एजूकेशन कमिश्नर व उनकी पत्नी ने डेली एलाउन्स ले लिया। एजूकेशन का प्रश्न है, बहुत डेलीकेट प्रश्न है, उनकी पत्नी ने ले लिया उसके बाद आप कहती हैं कि पी. ए. सी. ने आपत्ति की, उसके बाद आपने रिकवर किया। इतने लम्बे समय तक यह पैसा उनके पास में पड़ा रहा और उनका इन्टरेस्ट भी आया, ये सारी परिस्थितियां बताती हैं कि फ्राड था। जब फ्राड था तो आप अपना डिफेंस मत दीजिए, आगे चलकर सदन चाहेगा कि फ्राड के लिए उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। इसलिए जानकारी थी या नहीं, इसका डिफेंस न देकर आप कहिए कि आप इस सम्बन्ध में जांच कराने के लिए तैयार हैं या नहीं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मुझे इसमें कोई एतराज नहीं।

(शोर-गुल)

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने फरमाया है कि जांच करायेंगी ?

श्री अध्यक्ष : कोई पद्धति तो अख्तियार होनी चाहिए, दो रास्ते हैं। एक तो यह है कि माननीय सदस्य पूछते जायं और जवाब आता जाए दूसरा रास्ता है सब पूछ लें और एक साथ जवाब आ जाए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने कहा है जांच करायेंगी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने निवेदन किया कि आपने जो मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों के अनुसार क्या मामला बनता है, इसकी जांच कराई जाएगी।

श्री शंकरसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जब श्री महिन्द्रसिंह को यह पता था कि उनका अपनी पत्नी को साथ ले जाना नियमानुसार नहीं है तो वे अपनी पत्नी को साथ क्यों ले गये और जब वे नियमों के विरुद्ध अपनी पत्नी को अपने साथ फोरिन ले गये तो इनके खिलाफ में राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की और नहीं की तो आगे अब भविष्य में उनके खिलाफ में क्या कार्यवाही राज्य सरकार करने जा रही है ? यह मैं जानकारी मन्त्री महोदया से करना चाहता हूं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, एटेन्डेन्ट को साथ ले जाने का नियमों में प्रावधान है और उन्होंने जाने से पहले राज्य सरकार से स्वीकृति ले ली थी उन्होंने यह स्वीकृति मांगी थी कि मैं मेरी पत्नी को साथ ले जाना चाहता हूं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, अभी थोड़ी देर पहले राज्य सरकार के मन्त्री महोदया ने यह कहा था कि इन्हें जो 13 हजार रुपये फोरिन एक्सचेन्ज के रूप में दिया उसके बारे में राज्य सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया के बीच में कोई पत्रव्यवहार नहीं हुआ यह बात गलत कह रहे हैं। मैं आपको उसकी प्रतिलिपि पढ़ कर सुना सकता हूं जिसमें ऑडिटर ने राज्य सरकार को भेजा उसमें साफ-साफ लिखा है कि :

"I am directed to invite a reference to the correspondence resting with this office letter dated the 12th July, 1967 and A.G s.' letter No. regarding un-utilised foreign exchange valued at Rs. 5652 — was requjred to be surrendered by Shri Mohinder Singh on his return to India, whereas, as intimated by the Manager Reserve Bank of India vide his letter No. (Copy enclosed)...."

श्री रामसिंहजी को चिट्ठी लिखी गई है और वह ऑडिटर जनरल ने लिखी है उसमें यह बताया गया है कि जो पैसा उन्हें दिया गया था उसका यूटिलाइजैशन ठीक तरह से नहीं हुआ है और उस फोरिन एक्सचेन्ज को मिसयूटिलाइजेशन किया है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या मोहिन्द्रसिंह जी ने हिसाब पेश किये वो सही नहीं थे और उन्होंने फोरिन एक्सचेन्ज के जो यूटिलाइजैशन सर्टिफिकेट दिये हैं, जो हिसाब दिये हैं, वे क्या क्या दिये

Page No 14

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

और उन्होंने क्या-क्या खर्चा किया और कहां-कहां किया और किस-किस के लिये यह आप बताने का कष्ट करें।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्षजी, मैंने जो जवाब दिया है, उसके पार्ट पांच में मैंने साफ दिया है कि जी नहीं, रिजर्व बैंक ग्राफ इण्डिया ने राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार नहीं किया, दूसरी बात यह है कि अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट ने उनके रेफरेन्स में अगर राज्य सरकार से पत्राचार किया हो तो वह अलग बात है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में फोरिन एक्सचेन्ज का मिसयूटिलाइजेशन हुआ है।

(एक साथ कई माननीय सदस्यों के बोलने पर अश्रव्य)

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहती हूं कि आप लोग तसल्ली रखें। मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दे रही हूं। उनको....

एक माननीय सदस्य : उनको तीस हजार रुपये का फोरिन एक्सचेन्ज मिला....

श्रीमती कमला बेनीवाल : उनको तीस हजार नहीं तेरह हजार रुपये का फोरिन एक्सचेन्ज दिया गया था और रिजर्व बैंक की प्रतिलिपि भी मेरे पास है कि उन्होंने क्या-क्या हिसाब दिया वह किस किस के लिये खर्च किया। वह अगर आप लोग चाहें तो मैं पढ़ कर सुना दूं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : हां, पढ़ कर सुना दें आप।

श्रीमती कमला बेनीवाल :

"From Shri Mohinder Singh.

To-Assistant Controller,
Reserve Bank of India (Exchange Control Department),
New Delhi.

Sub : Release of foreign exchange for medical treatment.

Dear Sir,

Please refer to your letter wherein I was authorised sterling foreign exchange of Rs. 9000/- for the medical treatment and Rs. 4000/-foreign exchange for my wife who accompanied me as an attendant. The account for this foreign exchange is given as below:

Total sterling purchased ... 675.00

Expenses incurred towards fees (copy of receipt enclosed the original is put up to the Government for re-imbursement of expenses) 210.00

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

Hospital charges (copy of receipt is enclosed. Original is put up to the Government for re-imbursement of expenses) ... 191.19

Ambulance charges from London Airport to Moor Hill Eye Hospital ... 10.10

Cost of two pairs of spectacles as advised by the doctor ... 15.10

Stay of two weeks in London from 14.1.66 to 25-1-66 after discharge from the Hospital under Doctor's orders (copy of Doctor's advice enclosed) 60.00

Transport in London in visiting Doctor's and nurses tips etc. 25.00

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह टिप्स जो दी गयी उसमें पोण्ड और स्टर्लिंग का मिसयुटिलाइजेशन किया गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लिपस्टिक भी खरीदा है क्या ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : "Purchase of cloth and some other things, toilet items, as it was terribly (these items were not available with me as I had to leave in hurry) 20.00

My wife's account—

Expenses for boarding and lodging 200.00

Expenses on cables and trunk-calls 19.00

Woollens purchased for her 30.00

Transportation charges when she used to visit me in the Hospital) ... 20.00

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये खरगोश थे क्या।

श्रीमती कमला बेनीवाल : आप जरा सुन लीजिये। आप पढ़ने के लिये कह रहे थे इसलिये पढ़ रही थी।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह रनिंग कमेन्ट्री है साहब।

श्रीमती कमला बेनीवाल :

"Encashed in India (receipt enclosed) 3.00

Transfer from London to my account in India 150.00

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह कौनसी तारीख को दिया यह बतावें ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बड़ी चालाकी से हिसाब पेश किया है और स्टेट गवर्नमेन्ट ने इनको जो 13 हजार रुपये का फोरिन एक्सचेन्ज दिया व सात हजार रुपये इन्डियन करेन्सी के दिये इसका मिस-युटिलाइजेशन किया गया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री मोहम्मद गफ्फार श्रला : अध्यक्ष महोदय....

(शोर-गुल)

नहीं अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि ऐसे इनकोम्पीटेन्ट और डिसआॅनेस्ट आदमी को आपने एजूकेशन कमिश्नर कैसे बनाया है यह मेरी समझ में नहीं आता और इसने जो गलत हिसाबात पेश किये हैं उसके बारे में उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये।

दूसरा मेरा निवेदन है कि इन्होंने जो चीजें खरीदी हैं कुछ आइटम्स ऐसे खरीदे हैं जिससे यह मालूम होता है कि इन्होंने फोरिन एक्सचेन्ज का दुरुपयोग किया है और इन्होंने फाल्स एण्ड फ्राडल्स आइटम्स बता कर गवर्नमेन्ट को धोखा देने की कोशिश की है। इस प्रकार के डिसआनेस्ट व्यक्ति को तुरन्त एजूकेशन कमिश्नर की पोस्ट से हटाया जाना चाहिये। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह वह एजूकेशन कमिश्नर है जिसने हमारे शिक्षा मन्त्री के आॅर्डर्स को तीन मरतबा फ्लाट किया है और उनके आॅर्डर्स रद्दी की टोकरी में डाल दिया ऐसे आदमी को तुरन्त वहां से हटाकर उसके खिलाफ में एक्शन लेना चाहिये।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : एक एक आदमी बोलें तो ठीक रहेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्त्ता ने जो प्रश्न किया है उसमें उसका ध्येय यह था कि इन्होंने फोरन एक्सचेन्ज जो लिया था उसका मिसयूटिलाइजेशन किया है-जैसे टिप्स वगैरह देना, अपनी बीबी के लिये कपड़े खरीदना, गरम कपड़े लेना, टेलीफोन के बिल्स वगैरह पेमेन्ट करना इस प्रकार के आइटम्स हैं जिनके बारे में जो खर्चा बताया गया है वह हिसाब एक तरह से ...

श्री भानुकुमार शास्त्री : फेब्रिकेटेड तो पेश किया....

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं फेब्रिकेटेड नहीं कहता क्योंकि कुछ खर्च खाने पीने के लिये तो होता है लेकिन कुछ बातें जो बतायी गयी हैं जिससे यह साबित होता है कि राज्य सरकार के धन का दुरुपयोग हुआ है। मैं माननीय मन्त्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार जो एकाउन्ट श्री मोहिन्द्रसिंह ने दिया है उसको वाजिब खर्च मानती है या नहीं अगर मानती है तो किन कारणों से और नहीं मानती है तो श्री मोहिन्द्रसिंह के खिलाफ में क्या एक्शन गवर्नमेन्ट लेने जा रही है। क्या सरकार उनके खिलाफ में कोई जांच करायेगी या नहीं? नहीं तो क्यों?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि इन्होंने जो टिप्स् वगैरह दी, टेलीफोन्स के बिल वगैरह दिये बीबी के गरम कपड़े, लिपस्टिक वगैरह खरीदने के लिये टेन्टेंड एकाउन्ट पेश किया है क्या? उन्होंने मिसएप्रोप्रियेशन आॅफ दी गवर्नमेन्ट मनी नहीं किया और अगर किया है तो क्या राज्य सरकार उनके इस प्रकार के टेन्टेड एकाउन्ट पेश करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार कोई जांच उनके खिलाफ करने को तैयार है या नहीं? मैं इसका जवाब चाहता हूं और अगर नहीं तो क्यों?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मेरा एक प्रश्न है, तीन चीजें हैं ...

श्री अध्यक्ष : श्रीफली।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : तीन चीजें हैं..

श्री श्रीराम गोटेवाला : हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : आपके पार्टनर समय ले लेते हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न है, जो प्रश्नों की मात्रा है उनसे इसे अमहत्त्वपूर्ण नहीं देखा जाय।

श्री अध्यक्ष : इसलिए ही मौका दिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : तीन चीजों को कैसे जस्टीफाई करती हैं मंत्राणी महोदया, एक तो कास्मेटिक्स....

श्रीमती कमला बेनीवाल : आप अच्छी तरह बोलिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : और साफ्ट लैंग्वेज में कह देता हूं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मंत्राणी क्यों कहा।

श्री अध्यक्ष : आप बेटर लैंग्वेज में बोल लीजिये।

श्री मनोहरलाल : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न को ही इतना टाइम नहीं देना चाहिए, वूलन गारमेन्ट्स, ट्रान्सपोर्टेशन और पांचवां फूड स्टफ–जो हयूज एक्सपेंडिचर किया है इन पांच आइटम्स पर, फारिन एक्सचेंज उसको आप कैसे जस्टीफाई करती हैं क्लीयर कट ? नम्बर एक। नम्बर दो, एक-एक सीनियर ग्रेड के आई० ए० एस० ऑफिसर को आप कैसे प्राटेक्ट करती हैं, इस बिहाफ पर कि कानून नहीं है ? नम्बर तीन, सेक्रेटरी के लिए आप एक मिनिस्टर, एक मिनिस्टर जो ऑनेस्ट और स्टेट फारवर्ड हैं, उन मिनिस्टर का पोर्टफोलियो छीन सकती हैं लेकिन एक सीनियर आई. ए. एस. ऑफिसर को प्रोटेक्ट करती हैं प्रोटेक्ट क्यों किया डेमोक्रेसी को स्क्रेम्बल और क्रश करते हुए, उस आई. ए. एस. ऑफिसर को जो कि ब्रिटिश एम्पायर का प्रतीक है। मैं यह समझ नहीं पाता हूं। हाउस उसे कैसे प्रोटेक्ट करता है। ही मस्ट बी इमीजियेटली रिमूव्ड। उसको फौरन हटा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आपके सवाल का नुकसान हो रहा है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं जवाब दे दूं तो आपको प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : आप जवाब दे दीजिये।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहती हूं, इस प्रश्न के जरिये किसी भी गलत हरकत को किसी प्रकार से भी छिपाने का न प्रयास है, न प्रयास किया जायगा।

दूसरी बात यह है, इन्होंने जो भी हिसाब दिया, जिन नियम के तहत इन्हें जाने की इजाजत मिली अथवा राज्य सरकार ने जाने की इजाजत प्रदान की है, वह किन टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स के साथ में थी, और यह राशि किस प्रकार क्लेम की

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

हुई है-उसके संदर्भ में यह सही है या नहीं, इसकी विस्तृत जानकारी और जांच करने के लिए मैं तुरन्त कार्यवाही करूंगी और उसके उपरान्त जो व्यवस्था या कार्यवाही की आवश्यकता पड़ेगी, वह की जायगी।

श्री मोहनलाल छंगाणी : एक प्रश्न हैं। बहुत आवश्यक प्रश्न है....

(शोर-गुल)

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक सप्लीमेन्ट्री रह गया है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एक सप्लीमेन्ट्री मैं पूछना चाहता हूं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : इसको आधे घण्टे की चर्चा का विषय बना दिया जाय।

श्री रोशनलाल शर्मा : इसको आधे घण्टे की चर्चा के लिए प्रश्न बना दीजिये, काफी महत्त्वपूर्ण हैं।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पर इतना समय ले लिया है....

(शोर-गुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इसको फौरन हटा देना चाहिए।

श्री मोहनलाल छंगाणी : हमारे आरोप प्रमाणित हो गये हैं। इसको आधे घन्टे की चर्चा का विषय बनाया जाय।

(शोर-गुल)

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरे खयाल में इस पर आधे घण्टे की चर्चा कर ली जाय।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : इसको आधे घण्टे की चर्चा का प्रश्न बना दिया जाय।

श्री मनोहरलाल : यह कोई इतना महत्त्वपूर्ण प्रश्न नहीं है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : क्या मन्त्री महोदया इस पर विचार करेंगी....

श्री मीठालाल : क्या हो गया अगर कुछ पैसे खा गये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसमें जो फारिन एक्सचेंज का सवाल पेश हुआ है....

(शोर-गुल)

श्री मनोहरलाल : प्रश्न छोटा सा है, उसको तूल देकर दूसरे प्रश्नों को टालना चाहते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : प्रश्न छोटा नहीं है, प्रश्न महत्त्वपूर्ण है।

श्री मनोहरलाल : हजारों रुपये खा जाते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं।

(शोर-गुल)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न है....

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण नहीं है, यह आप कैसे समझते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : एक जनसंघ अधिकारी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जनसंघ का आफिसर है, यह क्लीअर है, इसलिए एक जनसंघ के माननीय सदस्य जनसंघ के ऑफिसर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं।

श्री मनोहरलाल : तीन चार हजार खा गये तो क्या हुआ। सड़क पर मिट्टी डालने के काम में तीस लाख खा गये। आप छोटे से मामले पर चिल्ला रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आई. ए. एस. ऑफिसर जनसंघी हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं।

(शोर-गुल)

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्री मनोहरलाल : एक छोटा सा प्रश्न है दो चार हजार रुपये खा गये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं।

(शोर-गुल)

श्री अध्यक्ष : जीरो आवर ज्यादा देर नहीं चलता है। लम्बे समय तक अनियंत्रित चलता है तो अनियंत्रित चलने के क्या परिणाम होते हैं आप जानते हैं।

श्री पूनमचन्द्र बिश्नोई : एक बहुत रेलेवेन्ट प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : इतना महत्व-पूर्ण प्रश्न है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आधे घन्टे की चर्चा का प्रश्न बनाना चाहिए।

(शोर-गुल)

श्री अध्यक्ष : क्या आपका इरादा है कि सारे क्वेश्चन हैं, उन्हें इस क्वेश्चन को अर्पित कर दिया जाय।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आधे घन्टे की चर्चा का प्रश्न इसे बनाना चाहिए।

श्री रोशनलाल शर्मा : इतने बड़े ऑफिसर के खिलाफ आप कार्यवाही नहीं करते हैं....

(शोर-गुल)

श्री अध्यक्ष : आप जो कुछ कहते हैं वह न तो लिखा जाता है, न ठीक से सुना जाता है। उसका परिणाम कुछ नहीं निकलता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा निवेदन था, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री मनोहरलाल : बिल्कुल नहीं है महत्वपूर्ण प्रश्न।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय मंत्री ने स्टेटमेंट दिया है ...

श्री मनोहरलाल : छोटा सा प्रश्न है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जो अकाउन्ट बताया है उसमें गड़बड़ी हुई है।

श्री अध्यक्ष : आपने फरमाया कि जांच करा ली जायगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जांच किसकी करेंगे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह फेक्ट है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जांच किसकी करेंगे। ही मस्ट बी डिस्मिस्ड इमी-जियेटली।

श्री रोशनलाल शर्मा : एकाउन्ट में गड़बड़ी है....

श्री मनोहरलाल : कुछ हजार की गड़बड़ी है तो क्या हुआ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस आर. एस. एस. सपोर्टर को सस्पेन्ड कीजिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आर. एस. एस. सपोर्टर है इसलिये मनोहरलालजी बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : कौन जांच करेगा–इस बात को स्पष्ट कर दें। विजिलेंस कमीशन से करायेंगे....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सी. बी. आई. से जांच करायेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हर एक चीज प्रमाणित है, फिर किसकी जांच करेंगे।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : इसमें जांच करने की विशेष आवश्यकता नहीं है, सदन में आधे घण्टे की चर्चा करायें, यह मेरा सुझाव है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : इस मामले में इन्हें मोअत्तिल किया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मनोहरलालजी वकालत कर रहे हैं क्योंकि यह आर. एस. एस. सपोर्टर है।

श्री मनोहरलाल : आप जान बूझकर जो छोटासा सवाल है उसमें समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप उसकी वकालत करना चाहते हैं।

श्री मीठालाल : जांच का सब्जैक्ट नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जनसंघ दल के हैं इसलिये सपोर्ट कर रहे हैं।

(शोर-गुल)

श्री मनोहरलाल : लाखों खा जाते हैं और हजारों की बात करते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह हजारों की बात नहीं है, लाखों की बात है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मुझे यह कहना पड़ेगा कि....

श्री मनोहरलाल : इसमें इन्क्वायरी का प्रश्न नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : गिरधारीलालजी आप इन्हें समझाइये, इस तरह भावना में न बहें।

(शोर-गुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक प्रश्न पर इतने सप्लीमेन्ट्री पूछने की जरूरत नहीं है, सब माननीय सदस्यों के सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है। आपकी मर्जी होती है वैसे प्रश्न पूछते हैं। मैं देखता रहता हूं। कब तक मैं चुप रहूं। यह अफसोस की बात है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मोहिन्द्रसिंह मोअत्तिल न हो जाय तब तक आप देखें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : सारी बातें प्रमाणित हैं।

श्री अध्यक्ष : अफसोस है कि इतने कहने के बाद भी एक साथ फरमाते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप एक-एक को मौका दे दीजिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सदन के सारे सदस्य सप्लीमेन्ट्री पूछना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक-एक को बोलने का मौका दिया जाय। इस प्रेक्टिस को आप रेस्पेक्ट करते हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपका आदेश होगा तो पालन करेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं, आप मेरी भावना समझ जायेंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरा निवेदन है कि इस पर आधे घन्टे की चर्चा अलाऊ करदी जाय।

श्री मोहनलाल छंगाणी : That is our request, आधे घन्टे की चर्चा की इजाजत दी जाय।

श्री मनोहरलाल : हमारे प्रश्न पहले आ जायें, फिर आप इसे ले लीजिये। हम भी आपके साथ हैं।

श्री अध्यक्ष : हॉफ-एन-आवर डिस्कशन का प्रासीजर है, उस प्रासीजर को एडाप्ट करना चाहिये। मैं ना नहीं कहता हूं, लेकिन आप प्रासीजर को पूरा नहीं करें और नहीं कहें तो कैसे कह दूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हम मूव कर देते हैं, आप इजाजत फरमा दीजिये।

प्रश्न संख्या 845

श्री अध्यक्ष : श्री भगराज !

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री यशवन्तसिंह नाहर : एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आगे का प्रश्न ले लिया गया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : प्रश्नकर्त्ता हैं वह बात करलें मिल कर।

श्री अध्यक्ष : I do not require any guidance.

श्रीमती मदन कौर !

पचपदरा नमक क्षेत्र को विकसित करने की योजना

846. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पचपदरा नमक क्षेत्र से गत दस वर्षों में सरकार को कितना लाभ हुआ ? वर्षवार आंकड़े उपलब्ध करावें।

(2) इन्हीं गत दस वर्षों में सरकार ने इस उद्योग के विकास के क्या-क्या कदम उठाये ?

(3) इन विकास कार्यों के फलस्वरूप इस उद्योग के नमक के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा ?

(4) भविष्य में इस उद्योग को विकसित करने की सरकार के पास क्या योजना है ?

राज्य मंत्री, राजकीय उपक्रम (श्रीमती कमला बेनीवाल) :

(1) पचपदरा नमक क्षेत्र से गत दस

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

वर्षों में सरकार को कितना लाभ व हानि हुई उसके वर्षवार आंकड़े निम्न प्रकार हैं:—

वर्ष	लाभ रु.	हानि रु.
1962-63	4,63,198	—
1963-64	1 23,833	—
1964-65	18,449	—
1965-66	51,513	—
1966-67	—	57,015
1967-68	94,918	—
1968-69	2,88,328	—
1969-70	11,21,280	—
1970-71	1,07,719	—
1971-72	1,06,712	—

(2) इन्हीं गत दस वर्षों में सरकार ने इस उद्योग के विकास के लिये क्या-क्या कदम उठाये उसका विवरण निम्न प्रकार है:—

1. पचपदरा सिटी से पचपदरा साल्ट तक का सड़क का निर्माण कार्य सरकार ने शुरू किया व 12 किलोमीटर सड़क बनाई गयी।

2. पचपदरा सिटी से पचपदरा साल्ट (टीबा) तक पानी की पाइप लाइन सरकार द्वारा बिछाई गई।

3. क्यारे प्रणाली से नमक उत्पादन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 16 बड़े क्यारे 110×160 फीट व 10 छोटे क्यारे 50×50 फीट के बनाये गये जिनके द्वारा नमक उत्पादन कार्य प्रारम्भ किया गया है।

4. टेलीफोन की सुविधा पचपदरा साल्ट क्षेत्र पर उपलब्ध कराई गई है।

5. पुरानी नमक की खानों की खुदाई कराई गई जिससे नमक की किस्म में सुधार हुआ।

6. नमक क्षेत्र पचपदरा में नमक पिसाई की सुविधा उपलब्ध की गई।

(3) जैसा कि नं. 2 में उद्योग के विकास के बारे में वर्णन किया गया है उसका नमक उत्पादन पर बहुत प्रभाव पड़ा है। सड़क बनने से पहिले नमक की निकासी केवल रेल द्वारा ही होती थी जबकि सड़क बनने के बाद नमक की निकासी सड़क द्वारा होने लगी है। इससे नमक उत्पादकों को काफी उत्साह मिला है और उत्पादन में वृद्धि के पर्याप्त साधन उपलब्ध हुए हैं।

लवण क्षेत्र में पाइप लाइन आने से पानी की सुविधा हुई और इससे नमक उत्पादन में कार्य करने वालों को सुविधायें उपलब्ध हुईं। क्यारे प्रणाली चालू करने से नमक का उत्पादन उन क्षेत्रों में होने लगा और आने वाले वर्षों में और भी अधिक होगा जिनमें अभी तक नमक उत्पादन नहीं होता था। क्यारे प्रणाली से उत्पादित नमक की किस्म पिटों द्वारा उत्पादित नमक से अच्छी है।

टेलीफोन की सुविधा होने से उत्पादित नमक के बेचान में सहायता मिलती है। पुरानी खानों की खुदाई कराने से उन खानों से नमक का उत्पादन हो सका जिनसे अगर खुदाई नहीं होती तो नमक उत्पादन सम्भव नहीं था। नमक पिसाई

Page No 23

(श्रीमती कमला बेनीवाल):

की सुविधा उपलब्ध कराने से उत्पादित नमक की पिसाई जरूरत के अनुसार नमक उत्पादन के स्थान पर ही हो जाती है।

(4) भविष्य में इस उद्योग को विकसित करने की सरकार के पास निम्न योजना विचाराधीन है:—

1. लवण क्षेत्र में बिजली पहुँचाकर उद्योगों को विकसित करना।
2. क्यारे प्रणाली से नमक बनाने की योजना का विस्तार करना।
3. वर्तमान पाइप लाइन का रेल्वे स्टेशन व अन्य बस्तियों तक विस्तार करना।
4. वर्तमान सड़क का विस्तार करना।
5. आयोडाइज्ड प्लान्ट लगा कर नमक उत्पादित करना जो कि पहाड़ी इलाकों में भेजा जा सके।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इतने विस्तार से उत्तर दिया है यह गलतफहमी न हो जाय कि नमक उद्योग का वाकई विकास हो रहा है। मैं दो सप्लीमेन्टरी पूछूंगी। क्या पचपदरा नमक उद्योग का निरन्तर विकास हो रहा है, उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है और सालाना नमक का उत्पादन होता है उसका उपयोग सालाना हो जाता है क्या?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसका जवाब मेरे पास नहीं है।

श्रीमती मदन कौर : फिर विकास क्या हुआ?

श्री लक्ष्मणसिंह : खास मुद्दे प्रश्न के ये ही हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : कितना वहां उत्पादन होता है नमक का और कितनी खपत होती है व आमदनी होती है उनके आंकड़े जो मैंने बताये उनके देखने से अन्दाज लगा सकते हैं कि लाभ होता है या हानि। एक आइटम में हानि बताई गयी है। बाकी सब में लाभ दिखाया गया। इससे प्रगति ही हुई है कि कितना उत्पादन होता है और कितनी खपत होती है।

श्री लक्ष्मणसिंह : एक बार फिर पूछ लीजिये।

श्रीमती मदन कौर : मैंने प्रश्न के भाग 3 में स्पष्ट पूछा है कि ये जो विकास कार्य किये गये हैं उनके फलस्वरूप इस उद्योग के नमक के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह डिटेल्स में जवाब दिया है कि क्या प्रभाव पड़ा है?

श्रीमती मदन कौर : मंत्री महोदया के पास जवाब ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस क्षेत्र का विकास ही नहीं हो रहा है। जबरदस्ती इस उद्योग को लिये बैठे हैं। इसकी तरक्की नहीं हो रही है बल्कि ह्रास हो रहा है।

एक माननीय सदस्य : इनके हाथ में आने से विनाश ही होगा।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 1-3-73)

प्रश्न संख्या 223

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 9-3-73)

प्रश्न संख्या 408

श्री मोहनलाल छंगाणी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 847

श्री देवीलाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

अकाल राहत कार्यों पर चिकित्सा सुविधा

848. **श्री विजयसिंह** (मांडल) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार सस्ता अनाज वितरण करने में प्राथमिकता उन लोगों को देगी जो राहत कार्यों पर कार्यरत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्यों पर कार्य करने वाले कई लोग अधिक भूखे रहने के कारण कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं किन्तु अब तक उनको किसी भी प्रकार की चिकित्सा उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे बीमारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

अकाल राहत मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) राजस्थान को जितने खाद्यान्न का आवंटन केन्द्रीय सरकार से होता है वह विभिन्न जिलों में अभावग्रस्त क्षेत्र की जनसंख्या को ध्यान में रख कर आवंटित कर दिया जाता है। अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिये सम्बन्धित जिलाधीश अपने स्तर पर इस खाद्यान्न का स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टि में रख कर आगे आवंटन करते हैं। राज्य सरकार ने राहत कार्यों पर लगे हुए श्रमिकों के लिये कोई प्राथमिकता राज्य स्तर पर तय नहीं की है। जिलाधीश इस बारे में जो आवश्यक कार्यवाही समझें कर सकते हैं।

(2) जहां तक अकाल राहत कार्यों पर लगे हुए श्रमिकों के लिये चिकित्सा सुविधा का सम्बन्ध है, चिकित्सा निदेशालय ने यह आदेश जारी किये हैं कि जिन अकाल राहत कार्यों पर एक स्थान पर 500 से अधिक श्रमिक कार्य करते हों वहां एक कम्पाउन्डर नियुक्त रहेगा एवं जहां एक हजार से अधिक व्यक्तियों का एक कैम्प है वहां डाक्टर नियुक्त रहेगा। इनको निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करने के आदेश हैं।

श्री विजयसिंह : यह आर्डर कब किये हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : तारीख तो नहीं बता सकता। (विराम) पहला आर्डर तो उन्होंने किया है 10-1-73 को। दूसरा आर्डर किया उन्होंने फरवरी 73 में और तीसरा आर्डर किया है उन्होंने 5-3-73 को।

श्री विजयसिंह : इसका मतलब है कि पहले और दूसरे आर्डर का पालन नहीं हुआ।

श्री परसराम मदेरणा : 1 और 2 के बारे में अलग-अलग बात कही गयी है।

(श्री परसराम मदेरणा)

तीसरा जो है वह डिटेल्स में आर्डर दिया है। एक्स्प्लेनेटरी नेचर का है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न-काल समाप्त हुआ।

श्री हाजी जान मोहम्मद : मेरा प्रश्न नहीं आया है, अध्यक्ष महोदय !

(अन्य तारांकित प्रश्नों के लिये परिशिष्ट 3 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

भीनमाल तहसील के गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था

845. **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाड़ा) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले की तहसील भीनमाल के गांव मोखातरा, कोटड़ा, करवाड़ा, सेवाड़ा, कूड़ा, सांतरू एवं हरसवाड़ा में पीने के पानी की विकट समस्या है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त गांवों में मीठे पानी की व्यवस्था हेतु सरकार ने योजनाएं बनायी हैं ? यदि हां, तो उन्हें कब तक स्वीकृत कर दिया जायगा ?

उत्तर

(1) कूड़ा ग्राम में मीठा पानी उपलब्ध है। बाकी के ग्रामों में पानी की समस्या है।

(2) कोटड़ा, करवाड़ा ग्रामों की क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना करवाड़ा, दांतीवाड़ा में सम्मिलित किया गया है व योजना की तकनीकी जांच की जा रही है। धनराशि की उपलब्धि पर स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी। बाकी के ग्रामों की सर्वे करने की कार्यवाही की जा रही है।

स्थगित-प्रश्न

(दिनांक 1-3-73)

हाउसिंग बोर्ड द्वारा अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों को ब्याज माफ करने का प्रस्ताव

223. **श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि राजस्थान हाउसिंग फाइनेन्स को-ऑपरेटिव सोसाइटीज में अनुसूचित और अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों को लॉन मिलता है उसमें सरकार अपनी ओर से इनको ब्याज देती है ? यदि हां, तो हाउसिंग बोर्ड से जो मकान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों को मिलते है, का ब्याज अपनी ओर से क्यों नहीं देती ?

(2) क्या सरकार उक्त जाति के व्यक्तियों का ब्याज माफ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य के हाउसिंग बोर्ड ने सरकार के पास इन लोगों का ब्याज माफ करने का प्रस्ताव भेजा है ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

उत्तर

(1) दी राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसायटी लिमिटेड, जयपुर द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित

(समाज कल्याण मंत्री)

जन-जातियों की बस्तियों को कोई लोन नहीं दिया जाता है। हाउसिंग बोर्ड द्वारा अनुसूचित जाति व जन-जाति के व्यक्तियों को मिलने वाले मकानों का समाज कल्याण विभाग द्वारा चुकाने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

(2) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) समाज कल्याण विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

स्थगित-प्रश्न

(दिनांक 9-3-73)

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्यों पर व्यय की गई राशि

408. **श्री मोहनलाल छंगाणी** (फलोदी): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वित्तीय वर्ष 1968-69, 1969-70 व 1970-71 में राज्य सरकार द्वारा अकाल राहत कार्यों पर व्यय की गई राशि में से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कितनी राशि सड़क निर्माण व अन्य कार्यों के लिये व्यय की गई ?

(2) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से व्यय की गई राशि के दुरुपयोग के सम्बन्ध में राज्य सरकार को शिकायत प्राप्त हुई थी, विशेषत: सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त शिकायतों की जांच का मामला मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपा गया था ? यदि हां, तो किस दिन शिकायत प्राप्त हुई व राज्य सरकार ने किस दिन मामला जांच हेतु सौंपा ?

(4) उक्त जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को किस दिन प्राप्त हुई व किस-किस अधिकारी को दोषी पाया गया ? अधिकारी-गण के नाम मय पद के बताने का कष्ट करें।

(5) जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने दोषी पाये गये कर्मचारी, अधिकारी को क्या क्या दण्ड दिया व किस किस को ? विगत बताने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

सवीना कॉलोनी की नल योजना

847. **श्री देवीलाल** (सराड़ा): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि उदयपुर में सवीना नई कॉलोनी की आबादी को पीने का पानी देने के लिये नल योजना बनाई गई है? यदि हां, तो उक्त कॉलोनी में पानी कब तक दे दिया जायगा ?

उत्तर

जी हां। पानी सन् 1970 से चालू है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सहायक निदेशक, नियोजन सेवा निदेशालय द्वारा कार्यालयों का निरीक्षण

493. **श्री मुन्शीलाल महावर** (दौसा) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सहायक निदेशक, नियोजन सेवा निदेशालय, राज्य सरकार

(श्री मुंशीलाल महावर)

की घोषित नीति व आदेशों के विपरीत निरीक्षण प्रतिवेदन अंग्रेजी में प्रस्तुत करते हैं तथा जो नियोजन अधिकारी राष्ट्र भाषा हिन्दी में प्रतिवेदन व टिप्पणी प्रस्तुत करते हैं उन्हें वे अयोग्य समझते हैं तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की धमकी देते हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि सहायक निदेशक, नियोजन सेवा निदेशालय, श्री आर. एन. भण्डारी कार्यालयों का निरीक्षण करने के दो-दो माह तक निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करते हैं जबकि इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा बनी नियम संहिता के अनुसार प्रत्येक निरीक्षण के तीन दिनों के भीतर-भीतर निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करनी होती है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा सहायक निदेशक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं की जा रही है, तो क्यों नहीं की जा रही है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि सहायक निदेशक, नियोजन सेवा निदेशालय निरीक्षण प्रतिवेदन अंग्रेजी मे प्रस्तुत करते हैं। परन्तु यह सही नहीं है की जो नियोजन अधिकारी हिन्दी में प्रतिवेदन व टिप्पणी प्रस्तुत करते है, उन्हें वे अयोग्य समझते हैं तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की धमकी देते हैं।

(2) सहायक निदेशक महोदय द्वारा औसतन एक माह में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये परन्तु केवल एक प्रतिवेदन निरीक्षणों के दो माह बाद भी प्रस्तुत किया गया था। भारत सरकार द्वारा बनी नियम संहिता में निरीक्षण समाप्त होने के तीन दिन के भीतर भीतर निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के सुझाव हैं। परन्तु कार्य की अधिकता तथा प्रतिवेदनों के आकार को देखते हुए यह संभव नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के मोहल्लों में फ्री नल की व्यवस्था

494. श्री नानालाल (राजसमन्द) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व जन-जाति के मोहल्लों में फ्री नल की व्यवस्था की जा रही है, किन्तु प्रति टेप 30 रुपया नगरपालिका से वसूल होता है ? यदि हां, तो यह फ्री व्यवस्था कैसे है तथा इसकी फ्री व्यवस्था हेतु क्या विचार किया जा रहा है ?

उत्तर

जी हां, यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व जन-जाति के मोहल्लों में निःशुल्क नल की व्यवस्था की जा रही है। जन-स्वास्थ्य एवं जलप्रदाय विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर राजस्थान सरकार द्वारा सार्वजनिक नलों से नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जो जल वितरित किया जाता है, उसके लिये कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इसमें हरिजन मोहल्लों में स्थित सार्वजनिक नल भी शामिल हैं।

शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार

495. श्री शंकरलाल (पाली): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कुल कितने बेरोजगार शिक्षित और अशिक्षित अलग-अलग जिलों में 1 मार्च, 1973 तक पंजीकृत रहे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन बेरोजगारों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के कितने-कितने हैं ?

(3) इन बेरोजगारों में दो साल से अधिक समय से पंजीकृत व एक साल से अधिक समय से पंजीकृत कितने हैं ?

(4) क्या जिला स्तर पर नियोजन कार्यालयों के संचालन की देख-रेख के लिए जिलाधीश की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया हुआ है ? यदि हां, तो क्या ये समितियां प्रत्येक जिले में कार्य कर रही हैं ?

उत्तर

(1) मार्च, सन् 1973 के प्रारम्भ में राजस्थान राज्य के नियोजन कार्यालयों की जीवित पंजीका पर 1,19,526 शिक्षित तथा 55,315 अशिक्षित बेरोजगार पंजीकृत रहे। जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) इन बेरोजगारों में 9,941 शिक्षित, 11,908 अशिक्षित व अनुसूचित जाति तथा 2,499 शिक्षित व 3,973 अशिक्षित अनुसूचित जन-जाति के आशार्थी पंजीकृत थे।

(3) इन बेरोजगारों में 2 साल से अधिक 16,489 तथा एक साल से अधिक 34,788 आशार्थी पंजीकृत हैं।

(4) ऐसी समितियां पहले बनी हुई थीं परन्तु उनकी अवधि समाप्त हो गई थी; 23 जिलों की समितियों के पुनर्गठन के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

विशारद ट्रेन्ड अध्यापक

496. श्री रामलाल (बाडी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने विशारद ट्रेन्ड को मैट्रिक ट्रेन्ड के समकक्ष मान्यता दी है ? यदि हां, तो ऐसे अध्यापकों को लाभ से वंचित क्यों रखा जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि सन् 1961 के पूर्व या पीछे के मैट्रिक ट्रेन्ड अध्यापकों को दो अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ सन् 1966 तक मिला है जबकि उसी समकक्ष योग्यता विशारद ट्रेन्ड को लाभ नहीं मिल पाया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि विशारद ट्रेन्ड अध्यापक राणावत वेतन 1968 के लाभ से वंचित रहे हैं और अब तक उनको इसका लाभ नहीं मिला है तो किस-किस को ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा विशारद को यू० पी० एस० 50 के नियमों में हिन्दी मैट्रिक के स्तर के लिये माना गया था तथा

(शिक्षा मंत्री)

ऐसे अध्यापकों को मैट्रिक प्रशिक्षित वेतन शृंखला देना स्वीकार किया था। विशारद योग्यता धारण यदि प्रशिक्षण भी प्राप्त किये हुए हैं तो उनको मैट्रिक प्रशिक्षित माना गया है। इन अध्यापकों को मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान में पदोन्नति का लाभ भी दिया गया है।

(2) पुनरीक्षित वेतनमान 1961 के नियमों में केवल मैट्रिक प्रशिक्षित अध्यापकों को दो अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया है जो अप्रशिक्षित मैट्रिक वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे थे। क्योंकि नियमों में अन्य योग्यताओं को मैट्रिक के समतुल्य मानकर अग्रिम वेतन वृद्धि देने का प्रावधान नहीं है। अतः विभाग द्वारा विशारद प्रशिक्षित व्यक्तियों को लाभ नहीं दिया गया है।

(3) राणावत वेतनमान, 1968 में विशारद प्रशिक्षित समस्त अध्यापकों को साधारण नियमों के अन्तर्गत मैट्रिक प्रशिक्षित मान कर वेतन स्थिरीकरण का लाभ दिया जा चुका है तथा ऐसी योग्यता धारण व्यक्तियों के स्थिरीकरण नहीं रोके गये हैं।

शाखा शालाओं को एक अध्यापकीय शाखा खोलने के निर्देश

497. **श्री सूणाराम** (डूंगरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिले में पंचायत समितियों में अधिकांश गांवों में शिक्षा की आवश्यकता व गांव वालों की मांग को मद्दे नजर रखते हुए शाखा-शालायें खोल रखी हैं? यदि हां, तो ऐसी शाखा शालाओं की सूची समितिवार सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या दो साल पूर्व सरकार ने ऐसा परिपत्र जारी किया था कि ऐसी शाखा शालाओं को अध्यापकीय शालाओं के रूप में राज्याधीन ले लिया जावे? यदि हां, तो ऐसी शालाओं को राज्याधीन न लेने का क्या कारण रहा?

(3) क्या यह सही है कि गत वर्ष इस ओर गठित जिला स्तरीय समितियों को ऐसी शाखा शालाओं को प्राथमिकता के तौर पर एक अध्यापकीय शाला खोलने का निर्देश दिया था? यदि हां, तो इन शालाओं को क्यों नहीं दिया गया?

(4) क्या न लेने का यह भी कारण रहा है कि जिले में प्राथमिक शालाओं का कोटा कम था और ऐसी शालाएं अधिक थीं?

(5) यदि हां, तो क्या सरकार इस वर्ष इन शाखा शालाओं को एक अध्यापकीय रूप में मान्यता देने के पश्चात् शेष अन्य गांवों के लिये जिला कमेटी को प्राथमिक शालाओं का अतिरिक्त कोटा देगी ताकि शालाओं के रूप में कार्य कर रही शालाओं के विद्यार्थियों पर कोई विपरीत असर न पड़ सके?

उत्तर

(1) चूरू जिले की कुछ पंचायत समितियों द्वारा शाखा शालायें चलाई जा रही हैं, जिनकी पंचायत समितिवार सूची संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान सरकार के आदेश क्र० एफ. 11 (22) शि० प्र० 68, दि० 25/27-8-70 के द्वारा ये निर्देश दिये गये थे कि जिन शाखा शालाओं में

(शिक्षा मंत्री)

30 या इससे अधिक विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हों उन्हें नियमित प्राथमिक शाला मानली जावे। इसके फलस्वरूप चूरू जिले की पंचायत समितियों द्वारा संचालित 23 शाखा शालाओं को नियमित किया गया।

(3) जी हां। जिला स्तरीय समिति के सदस्यों ने उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए गत वर्ष शालाएँ खोलने में अपने स्तर पर निर्णय लिये।

(4) जी नहीं। गत वर्ष चूरू जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 30 नई प्राथमिक शालायें खोलने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन वहां पर 41 स्थानों पर नई प्राथमिक शालायें खोली गईं।

(5) आगामी वर्ष के बजट में नई प्राथमिक शालाएँ खोलने का प्रावधान रखा गया है। अन्य जिले के साथ चूरू जिले के लक्ष्य निर्धारित करते समय विचार किया जायेगा।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

ग्रामों और नगरों की प्राथमिक शालाएं

498. श्री मानालाल (राजसमन्द) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के गांवों में जो प्राथमिक शालाएं चलती हैं तथा नगरों में जो प्राथमिक शालाएं चलती हैं उनकी सुविधाओं में काफी अन्तर है ? यदि हां, तो इसमें कौन दोषी है तथा कब तक यह सौतेला व्यवहार मिट जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य के पंचायत समितियों के अन्तर्गत पाठशालाओं में पढ़ाने वाले अध्यापक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत जाने की काफी इच्छा रखते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। साधारण रूप में उनकी सुविधाओं में कोई अन्तर नहीं है।

(2) शिक्षा विभाग के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी अध्यापकों के जिलेवार रिक्त पदों के 75 प्रतिशत पद पंचायत समितियों के अध्यापकों को स्थानान्तरित करके भरे जावेंगे। कुछ अंशों में यह सही है कि पंचायत समितियों के अध्यापक शिक्षा विभाग में आने के इच्छुक हैं, परन्तु कई विद्यालय निरीक्षकों ने सूचित किया है कि उनके जिले में वांछित संख्या में पंचायत समितियों के अध्यापकों के आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुए थे।

बिक्री-कर की बकाया राशि

499. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या आबकारी व कर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में बिक्री-कर की कितनी राशि बकाया है तथा यह राशि कितने वर्षों से बकाया चली आ रही है ? यह राशि अब तक बकाया क्यों चली आ रही है और सरकार इसकी वसूली के लिये क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

राज्य में बिक्री कर की राशि रुपया 3,92,86,660 दिनांक 1-10-72

(आबकारी मंत्री)

की बकाया थी। यह राशि निम्नलिखित वर्षों की बकाया है:—

वर्ष	बकाया राशि
1964-65 तक	23,90,444.00
1965-66	9,34,154.00
1966-67	27,59,647.00
1967-68	19,41,307.00
1968-69	17,01,618.00
1969-70	18,38,875.00
1970-71	20,14,802.00
1971-72	1,39,09,506.00
1972-73 (1-4-72 से 30-9-72 तक किये गये कर नर्धारण से उत्पन्न बकाया)	1,17,96,307.00
योग....	3,92,86,660.00

कुल बकाया में से रुपया 1,26,78,922 के वसूली के मामलों में या तो स्थगन आदेश हैं या फर्में अवसायन में चली गई हैं। कुछ बकाया ऐसे व्यापारियों में हैं, जिनका कारोबार काफी अर्से पहले से बन्द हो चुका है और उन व्यापारियों का पता नहीं लग रहा है। इस प्रकार की बकाया राशि की वसूली में कठिनाई आ रही है। रु. 75,69,424/- के मामलों में भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है। इस प्रकार के मामलों में सम्बन्धित पार्टियों की अचल सम्पत्ति मालूम कर उनको कुर्क कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है। शेष राशि के लिये वसूली की कार्यवाही अधिकारियों द्वारा की जा रही है। इसके लिये सम्बन्धित पार्टियों से सम्पर्क स्थापित कर उनके बैंक के खाते व चल सम्पत्ति कुर्क कर वसूली के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

विद्यालय निरीक्षक, सीकर के कार्यालय में नियुक्तियां

500. श्री केशरदेव (लक्ष्मणगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विद्यालय निरीक्षक, सीकर के कार्यालय द्वारा अपनी निर्धारित स्ट्रेन्थ में वर्ष 1960 से 1972 तक कितने कितने चपरासी, अध्यापक, कनिष्ठ लिपिक एवं वरिष्ठ लिपिक नियुक्त किये गये तथा इनमें अनुसूचित जाति एवं जन-जाति में से कितने-कितने नियुक्त किये गये हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग में रोस्टर रजिस्टर खोल रखा है ? अगर हां तो कब से किन-किन की नियुक्तियां हुई हैं ? उनके नाम व पते सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी हां। विद्यालय निरीक्षक, सीकर के कार्यालय में रोस्टर रजिस्टर है सत्र 1972 से खोल रखा है। जिन अनुसूचित जाति एवं जन-जाति की नियुक्तियां हुई हैं उनकी सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

केन्द्रीय सरकार के शिक्षा विभाग के अधीन कार्य कर रहे एन. डी. एस. आई. टीचर

501. श्री **उम्मेदीलाल** (हिन्डौन) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार के शिक्षा विभाग के अधीन सन् 1954 से कार्य कर रहे एन. डी. एस. आई. टीचर की संख्या राजस्थान में 556 है? यदि हां, तो इन्हें राजस्थान सरकार अपने अधीन कब ले रही है तथा किन टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स पर लेगी ?

(2) क्या उनकी सर्विसेज कन्टीन्यू मानी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इन्हीं के समान अजमेर राज्य के कर्मचारियों को जब राजस्थान सरकार में लिया गया था तब उनकी सर्विसेज को लगातार मानकर उनको वे सभी लाभ दिये गये जो कि राजस्थान के कर्मचारियों को दिये जाते थे ?

उत्तर

(1) वर्त्तमान में एन.डी.एस. इन्सट्रक्टर्स की संख्या 539 है। केन्द्रीय सरकार के सुझाव के अनुसार दिनांक 1-3-73 से इनका प्रशासनिक अधिकार (Administrative Control) राज्य सरकार द्वारा ग्रहण कर लिया गया है। इनके राज्य सेवा के अन्तर्गत "एब्जोर्पशन" (विलीनीकरण) की तिथि अभी निश्चित नहीं की गई है। इनके एब्जोर्पशन की टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स की प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) जी हां। उन्हें केवल केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत की गई सेवा का वरिष्ठता लाभ प्रदान नहीं किया जावेगा।

(3) इनकी एब्जोर्पशन की टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स भारत सरकार के सुझाव के अनुसार निश्चित की गई हैं।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

निजी उच्च प्राथमिक शालाएं

502. श्री **विजयसिंह** (मांडल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कितनी निजी उच्च प्राथमिक शालाएं हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या सरकार ऐसी शालाओं को मान्यता प्रदान करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) विभाग में ऐसी सूचियां नहीं साधी जाती हैं।

(2) विभाग के पास जो भी संस्थाएं मान्यता के लिये निवेदन करती हैं उन्हें नियमानुसार मान्यता देने की कार्यवाही की जाती है।

शराब के ठेकेदारों पर बकाया राशि

503. **श्रीमती भगवती देवी** (भिनाय): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिछले पांच वर्षों से राज्य के शराब के ठेकेदारों में कितनी रकम बकाया है ? वर्षवार बकाया रकम के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्रीमती भगवती देवी)

(2) सरकार ने बकाया रकम की वसूली के लिये क्या कार्यवाही की है ?

(3) क्या यह सही है कि कई ठेकेदारों के खिलाफ बकाया राशि होने के बावजूद भी उनके ठेके का नवीनीकरण किया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा सरकार इस नीति में परिवर्तन करने को तैयार है ?

उत्तर

(1) पिछले पांच वर्षों के दिनांक 1-1-73 को शराब की बकाया के आंकड़े निम्न प्रकार हैं:—

वर्ष	बकाया रकम शराब
1967–68	1,92,000
1968–69	52,41,238
1969–70	29,94,712
1970–71	25,84,365
1971–72	2,04,750

(2) गारन्टी प्रणाली के विरुद्ध ठेकेदारों ने राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में सरकार के विरुद्ध याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें सिंगल बेंच द्वारा सरकार के विरुद्ध निर्णय लिया गया, जिसकी अपील डबल बेंच के समक्ष विचाराधीन है। उक्त अपील का निर्णय होने तक देशी मदिरा की समस्त बकाया की वसूली की कार्यवाही उच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्थगित है।

(3) उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि जब तक "सरकार बरसेस बालमुकुन्द" की अपील का निर्णय न हो जाय, बाकीदारों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डिफाल्टर न माना जाय। इस निर्देश को ध्यान में रखकर सरकार ने आदेश जारी कर दिये हैं कि जो बाकीदार उक्त मामले से प्रभावित हों उनको ठेकों के लिये डिफाल्टर न माना जाय।

कोटपूतली तहसील में भू-जल मण्डल द्वारा सर्वे

504. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटपूतली तहसील में ए.आर.सी. स्कीम कब तक बनाई जावेगी तथा अब तक इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि इस तहसील में भू-जल मण्डल द्वारा सर्वे किया जा चुका है जिसकी रिपोर्ट के अनुसार यहां पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है ?

उत्तर

(1) कोटपूतली तहसील की ए.आर.सी. स्कीम पंचायत समिति का पूर्ण सर्वे होने के बाद ही बनाई जावेगी। अत: कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(2) जी हां, तहसील का सर्वे भू-जल मण्डल द्वारा वर्ष 1971-72 में किया जा चुका है। सर्वे रिपोर्ट तैयार की जा रही है उसके प्राप्त होने पर ही कुछ कहा जा सकेगा।

अकाल पर काबू पाने हेतु मास्टर प्लान

505. श्रीमती भगवती देवी (भिनाय) क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में प्राय: प्रति पांच वर्षों में 3 वर्ष तो

(श्रीमती भगवती देवी)

भयानक अकाल, 1 वर्ष अच्छा तथा 1 वर्ष साधारण समय रहता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने अकाल पर काबू पाने के लिये कोई मास्टर प्लान बनाया है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष अकाल राहत कार्य उक्त मास्टर प्लान के अनुसार ही चल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान के निर्माण से अब तक लगभग प्रत्येक वर्ष किसी न किसी भाग में अकाल पड़ता रहा है । वर्ष 68-69, 69-70 एवं चालू वर्ष काफी खराब रहे हैं। अकाल पर काबू पाने के लिये अभी कोई मास्टर प्लान सारे राज्य के लिये नहीं बनाया गया।

(2) उपरोक्त को देखते हुये प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अजमेर जिले में कुवों को गहरा कराने का कार्य

506. श्री **केशरीमल** (ब्यावर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार द्वारा अजमेर जिले की 8 पंचायत समितियों में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत पानी की समस्या को हल करने के लिए कितने-कितने कुवों को गहरा करने का कार्य अभी शुरू कराया गया है ?

(2) उक्त पंचायत समितियों में कितने कुवे ऐसे हैं जिन्हें गहरा कराने से पानी उपलब्ध हो सकता है ? क्या राज्य सरकार बाकी रहे ऐसे कुवों को भी गहरा कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले की आठ पंचायत समितियों में अकाल राहत व्यवस्था के अन्तर्गत पानी की समस्या का हल करने के लिये 178 कुओं को गहरा कराने की स्वीकृति दी गई है । इनमें से 31 कुओं को गहरा कराने का कार्य आरम्भ हो चुका है।

(2) कुओं को गहरा कराने का प्रश्न केवल उन ग्रामों के लिये ही उत्पन्न होता है जहां पानी की कमी पड़ गई है अथवा पानी सूख गया है । जिन ग्रामों में पेयजल की कठिनाई आयेगी उनके कुओं को जरूरत के अनुसार गहरा कराने की व्यवस्था की जा रही है ।

झालरापाटन नगरपालिका में ठेकेदारों के बकाया बिलों एवं सिक्योरिटी की राशि

507. श्री **रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालरापाटन नगरपालिका (जिला झालावाड़) में ऐसे कितने ठेकेदारों के बकाया बिलों एवं सिक्योरिटी की राशि देनी बाकी है जो आज तक नहीं दी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि इन ठेकेदारों के बिल फाइनल किये जा चुके हैं

Page No 35

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

फिर भी रकम नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

खाद की बकाया राशि की वसूली

508. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि श्री मनमोहनसिंह, 33 जी. जी.. तहसील पदमपुर, सरपंच ग्राम पंचायत दूधवाला के जिम्मे बतौर प्राइवेट डीलर खाद का 40772 रु. 41 पैसे की बकाया है ? यदि हां, तो कबसे ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त रकम की वसूली आज तक न किये जाने के क्या कारण हैं और यह रकम कब तक वसूल की जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 30-11-62 से खाद के बकाया का रु० 22,424-50 तथा 15-1-73 तक का 18,347-91 ब्याज का बकाया है।

(2) रुपया 40,772-42 की वसूली हेतु दिनांक 13-12-72 को राजस्व अधिकारी के पास डिमान्ड पंचायत समिति द्वारा भेजी जा चुकी है तथा कुर्की द्वारा वसूली के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

नगरपालिका, गंगापुरसिटी द्वारा भूमि का बेचान

509. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

नगरपालिका, गंगापुर सिटी द्वारा 1 अप्रेल, 1970 से 31 जनवरी, 1973 तक किस-किस व्यक्ति को कितनी-कितनी वर्ग-गज भूमि किस दर से बेची गई तथा कितना रुपया कब-कब जमा हुआ ?

उत्तर

सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

तहसील, लुणकरणसर में अनाज व चीनी का वितरण

510. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र खानीसर, जैतपुर व राम बाग, तहसील लूणकरणसर के सस्ते अनाज एवं चीनी के कोटे को जनता में वितरण नहीं करके ब्लेक मार्केट में बेचने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो इस पर जांच कब तक पूरी हो जायगी ?

(2) उपरोक्त पंचायत क्षेत्रों का कोटा चीनी पर कन्ट्रोल की तारीख से माह दिसम्बर, 1972 तक एवं सस्ता अनाज कब-

(श्री भीमसेन)

कब कितना-कितना किस-किस व्यक्ति द्वारा उठाया गया ?

उत्तर

(1) जी हां, खानीसर व रामबाग की जांच की जाकर दोनों पंचायतों के डिपो होल्डरों के प्रति पुलिस में केस दर्ज करा दिये गये हैं। जैतपुर की शिकायत की जांच की जा रही है। शीघ्र ही जांच समाप्त होने पर इसके प्रति भी कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

(2) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

जिला बांसवाड़ा में अकाल राहत कार्य

511. **श्री जीथिग भाई** (कुशलगढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा-कुशलगढ़ क्षेत्र में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किए गये हैं ? यदि हां, तो पंचायत समिति, कुशलगढ़, सज्जनगढ़ एवं बागीडोरा के किन-किन स्थानों पर राहत कार्य चलाये जा रहे हैं ? पृथक्-पृथक् सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सच है कि चलाये जाने वाले अकाल राहत कार्यों का सर्वे व एस्टीमेट तैयार किया गया है ? यदि हां, तो प्रत्येक कार्य के नाम के आगे रकम भी दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त पंचायत समिति के माध्यम से चालू कार्यों के अलावा अन्य कार्यों के प्रपोजल जिलाधीश कार्यालय में भेजे हैं ? यदि हां, तो किन-किन पंचायत समिति ने किन-किन कार्यों के प्रपोजल भेजे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति, कुशलगढ़, सज्जनगढ़ एवं बागीडोरा के राहत कार्यों की सूची सदन की मेज पर प्रेषित कर दी गई है जो 'क' है।

(2) जिन कार्यों के सर्वे एवं एस्टीमेट तैयार कराये गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है सूची 'ख' है।

(3) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है जो सूची 'ग' है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

चित्तौड़गढ़ जिले में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत सिचाई कार्य

512. **श्रीमती निर्मलाकुमारी** (चित्तौड़गढ़) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में 1968 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कितने सिंचाई के कार्य शुरू किये गये थे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से कितने कार्य पूरे हो गये तथा कितने अधूरे पड़े हैं ?

(3) इस बार यदि वह क्षेत्र अकालग्रस्त क्षेत्र में नहीं आया तो उन अधूरे कार्यों

(श्रीमती निर्मलाकुमारी)

को पूरा करने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी तथा वे अधूरे कार्य कब तक पूरे कर दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में सन् 1968 में सिंचाई के 200 राहत कार्य शुरू किये गये थे। सूची सदन को मेज पर प्रस्तुत है।

(2) इन 200 कार्यों में से 168 कार्य पूरे हो चुके है। 32 अधूरे रह गये थे उनकी सूची सदन की मेज पर पेश कर दी गई है।

(3) ऐसे अधूरे कार्यों को जो इस वर्ष अभावग्रस्त क्षेत्र में नहीं हैं, सहायता व्यवस्था के अन्तर्गत पूरा नहीं कराया जा सकता।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

विभागीय पदोन्नति चयन समिति

513. श्री करनसिंह (डीग) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1971-72 की विभागीय पदोन्नति चयन समिति द्वारा सचिवालय में अनुभाग अधिकारी एवं सहायकों की पदोन्नति देते समय सेवा-मुक्त अधिकारियों को भी पदोन्नति एवं स्थाई बनाया गया जिसके कारण अन्य कर्मचारियों की हानि हुई ?

(2) क्या यह सही है कि विभागीय पदोन्नति चयन समिति द्वारा सचिवालय में अनुभाग अधिकारी एवं सहायकों में से ऐसे व्यक्तियों को भी पदोन्नति की गई है जो उस तारीख से पूर्व मर चुका था ? अब उसके स्थान पर बिना चयन समिति गठित किये हुए दूसरे कर्मचारियों को पदोन्नत कर दिया गया।

उत्तर

(1) जी हां, पर इससे किसी कर्मचारी को हानि नहीं हुई।

(2) जी नहीं।

निजी मकान होते हुए सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले कर्मचारी

514. श्री करनसिंह (डीग) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सचिवालय में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनके निजी मकान होते हुए भी वे सरकारी क्वार्टरों में रहते हैं या राज्य सरकार से गृह किराया भत्ता प्राप्त करते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सरकारी कर्मचारियों के आवेदन-पत्र जो सरकारी क्वार्टरों के लेने के हेतु दिये गये हैं उनमें से बहुतसों का रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में अंग्रेजी विषय को हटाया जाना

515. श्री मनफूलराम (केशरीसिंहपुरा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ली जाने

(श्री मनफूलराम)

वाली स्टेट व सबोर्डिनेट सेवाओं की परीक्षाओं में अंग्रेजी का विषय जरूरी है ?

(2) क्या यह सही है कि गत माह मध्यप्रदेश सरकार ने अपने राज्य में राज्य स्तरीय सेवाओं के लिये अंग्रेजी विषय को समाप्त कर दिया है ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान भी एक हिन्दी भाषी राज्य है ? यदि हां, तो क्या मध्यप्रदेश की तरह राज्य सरकार सर्विस कमीशन द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में अंग्रेजी विषय को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इसकी जानकारी राज्य सरकार को नहीं है।

(3) जी हां,
जी नहीं।

बीकानेर जिप्सम लिमिटेड

516. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिप्सम लिमिटेड को 40 लाख रुपये की डेफर्स पेमेन्ट की गारन्टी दी हुई है ? यदि हां, तो कब, क्यों और किन शर्तों पर ?

(2) उपरोक्त गारन्टी के सम्बन्ध में बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में कब निर्णय लिया गया ? कृपया उस निर्णय की एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 8-12-71 के गारन्टी डीड द्वारा जिसमें पत्र दिनांक 5-6-72, 15-9-72 तथा 4-10-72 द्वारा आंशिक संशोधन किया गया। गारन्टी डीड व उपरोक्त पत्रों की प्रतिलिपियां जिनमें शर्तों का उल्लेख है, सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) कम्पनी के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की दिनांक 24-5-71 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था। उक्त निर्णय का उद्धरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बूंदी में चोरियां, लूटमार व हत्याएं

517. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी में कुछ वर्षों से काफी चोरियां, लूटमार व हत्यायें होती आ रही हैं ?

(2) यदि हां, तो 1971 से अब तक बून्दी के कौन-कौन से थानों में इस प्रकार की कितनी रिपोर्टें दर्ज कराई गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि आज से दो माह पूर्व बून्दी में कोतवाली के पास व लाखेरी में विजय गेट के पास आम बाजार में बड़ी चोरियां हुई थीं और अब तक पुलिस चोरियों का पता लगाने में असमर्थ रही है ? यदि हां तो क्यों ?

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

(4) बून्दी में 1971 से अब तक कितनी चोरियों का माल बरामद किया जा सका है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इन अपराधों के आंकड़ों के अवलोकन से पाया जाता है कि सन् 1971 में इस तरह कुल 202 अपराध घटित हुये थे, जबकि 1972 में केवल 184 अपराध हो घटित हुये हैं।

(2) सूची संलग्न है।

(3) जी हां। बून्दी के सदर बाजार में हुई चोरी का अभी तक कोई पता नहीं लगा है लेकिन विजय गेट, लाखेरी में हुई चोरी का कपड़ा पुलिस ने बरामद कर लिया है।

(4) सूची 'क' संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

बीकानेर जिप्सम लिमिटेड को राज्य सरकार द्वारा संचालन के संबंध में दिये गये निर्देश

518. **श्री अजीतसिंह** (टोंक) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि बीकानेर जिप्सम लिमिटेड में राज्य सरकार के आधे से अधिक शेयर हैं ? यदि हां, तो कम्पनी के संचालन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सरकारी प्रतिनिधियों को क्या-क्या डायरेक्शन्स दिये गये और डायरेक्टर द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर को क्या-क्या निर्देश दिये गये ? कृपया ऐसे निर्देश यदि लिखित में हों तो उनकी प्रतियां और निर्देश मौखिक हों तो उनका विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

जी हां। कम्पनी का संचालन राज्य सरकार के हाथ में नहीं है क्योंकि उसके लिए 51 प्रतिशत शेयर होना आवश्यक है, जबकि राज्य सरकार के 50.04 प्रतिशत ही शेयर हैं। ऐसी स्थिति में मैनेजिंग डाइरेक्टर एवम् सरकारी प्रतिनिधियों को कोई औपचारिक आदेश देने का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है। सरकारी प्रतिनिधियों से राज्य सरकार की नीति के अनुसार बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर में निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है।

रॉक फास्फेट खाते में कम्पनी के एसेट्स और रिटन डाउन वेल्यू

519. **श्री गुमानमल लोढ़ा** (जोधपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिप्सम लिमिटेड के कम्पनी के 1969-70, 70-71 व 71-72 के वार्षिक लेखों के आधार पर कितने-कितने मुख्य एसेट्स हैं और उनकी रिटन डाउन वेल्यू कितनी-कितनी है ?

(2) रॉक फास्फेट खाते में कम्पनी के एसेट्स का कितना-कितना मूल्य है और उनकी रिटन डाउन वेल्यू कितनी है ?

(3) क्या कम्पनी द्वारा रॉक फास्फेट खाते में कोई मशीनरी खरीदने का ऑर्डर दिया जा चुका है ? यदि हां, तो कब

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
किस मूल्य की और किस प्रकार की मशीनरी के लिये ?

(4) इस मशीनरी के क्रय हेतु किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई, इसका अंतिम निर्णय कब लिया गया ?

(5) कम्पनी के अंतिम वार्षिक लेखों के आधार पर कम्पनी पर किस-किस की किस-किस प्रकार की कितनी-कितनी देनदारी है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) वांछित सूचना उपरोक्त सूची में अंकित कर दी गई है ।

(3) इसकी जानकारी उद्योग विभाग में उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह कम्पनी का आंतरिक मामला है ।

(4) इसकी जानकारी उद्योग विभाग में उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह उनका आंतरिक मामला है ।

(5) कम्पनी के अन्तिम वार्षिक लेखे 1971-72 के अनुसार कम्पनी की देनदारी निम्न प्रकार है:—

सिक्योर्ड लोन्स	रु०
1. टर्म लोन	3,75,000
2. ओवरड्राफ्ट	19,41,784
3. उक्त पर ब्याज	14,084

अनसिक्योर्ड लोन्स	रु०
1. सिक्योरिटी डिपोजिट कान्ट्रेक्टर्स	56,418
2. एड्वान्स फोम कस्टमर्स एण्ड अदर्स	3,93,667
3. शेयर डिपोजिट	12,18,000
4. लइबिलिटी फोर क्रशिंग प्लान्ट	1,01,640
5. लाइबिलिटी अन्डर आई० डी० बी० आई० रीडिस काउन्टिग स्कीम	8,86,906

(गारन्टेड बाई बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड एण्ड काउन्टर गारन्टेड बाई गवर्नमेन्ट ऑफ राजस्थान)

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि—

(1) सर्वश्री केसरीमल, मोहम्मद गफ्फारअली, भानुकुमार शास्त्री, मनोहरलाल, गिरधारीलाल भार्गव, केदारनाथ व अजीतसिंह, सदस्य, विधान सभा ने राजकीय मुद्रणालयों में चल रही हड़ताल और कर्मचारियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है । इस विषय में पूर्व में भी कुछ स्थगन प्रस्ताव आये थे और मैं चाहूंगा कि इस पर राज्य सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया जाय । मैं इन सब स्थगन प्रस्तावों की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

(2) श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य, विधान सभा ने राजस्थान नहर पर अकालग्रस्त क्षेत्रों में लगाये जा रहे शिविरों में मजदूरी का चुकारा न होने, अनाज वितरण

(श्री अध्यक्ष)

का प्रबन्ध तथा आवास व्यवस्था आदि का न होने से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य, विधान सभा, द्वारा जिला भरतपुर के कस्बा भुसावरा में ग्राम पंचायत के सरपंच रमनलाल द्वारा एक मस्जिद को मंदिर में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई है।

(4) सर्वश्री गिरधारीलाल भार्गव, मनोहरलाल, भानुकुमार शास्त्री और अजीतसिंह, सदस्य, विधान सभा ने रायसिंह नगर में एक मन्दिर में सोते हुए वृद्ध साधु पर किन्हीं अज्ञात लोगों द्वारा हमला करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इन तीनों स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(5) सर्वश्री गिरधारीलाल भार्गव, भानुकुमार शास्त्री, मनोहरलाल और अजीतसिंह, सदस्य, विधान सभा ने पाली जिले में पुलिस द्वारा गत 25 मार्च, 1973 को किये गये लाठी चार्ज के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह प्रश्न सदन में पहले भी उठाया जा चुका है और एक स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किया जा चुका है। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(6) सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा, गिरधारीलाल भार्गव, भानुकुमार शास्त्री व मनोहरलाल, सदस्य, विधान सभा ने रूस व फ्रांस द्वारा पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह प्रश्न राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज वैसे नियमानुसार सदन की कार्यवाही प्रातः 11 बजे शुरू न होकर लगभग दस मिनिट विलम्ब से प्रारम्भ हुई। मैं जानना चाहूंगा कि इसका क्या कारण है। क्या इसका कारण एक माननीय सदस्य द्वारा विधान सभा सचिवालय के एक कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार थप्पड़ मारना....

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को इस सदन में नहीं उठाना है। यह हमारी परम्परा रही है। हमारी केन्द्रीय धारा सभा की भी और सभी स्टेटों की धारा सभाओं की भी। इस घटना के बारे में अगर माननीय सदस्य को जानकारी करनी हो तो मेरे चेम्बर में आ सकते हैं। इतना मैं कह सकता हूं कि सभी कुछ ठीक हो गया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : किसी भी सचिवालय के कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करना...

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रश्न को उठाने की आज्ञा नहीं दूंगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अगर इस सम्बन्ध की शिकायत हम इस सदन में नहीं लावेंगे तो और कौन कहां लावेगा?

Page No 42

श्री अध्यक्ष : मेरे लिये माननीय सदस्य जो सदन के अन्दर चुन कर आये हैं और यहां बैठे हैं और वे सदस्य भी जो इस सचिवालय के सदस्य हैं, पर यहां नहीं बैठे हैं कार्यालय में बैठे हैं, दोनों से ही मेरा सम्बन्ध है। दोनों के एक-दूसरे के भी साथ नजदीक के ताल्लुक हैं। रोज एक दूसरे से आपस में काम पड़ता है। मुझे दोनों की समस्याएं देखनी पड़ती हैं। इसलिये इस दुर्घटना के बारे में जिसका उल्लेख यहां करना चाहते हैं, मैंने कार्यवाही की है और जो मुझे करना था वह मैंने किया है। वह शायद आप जानना चाहेंगे तो आपको मालूम हो जायगा कि मैंने इस बारे में क्या क्या किया है। पर यह एक परम्परा रही है कि सेक्रेट्री या इस सचिवालय के सम्बन्ध में जो धारा सभा के होते हैं उनके सम्बन्ध में यहां सदन में कोई बात डिसकस नहीं होती। कोई प्रश्न यहां आता नहीं है। इस सम्बन्ध में न कोई काल अटेन्शन नोटिस आता है, न एडजोर्नमेन्ट मोशन आता है। इसलिये मैं नम्रतापूर्वक माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वे इस बारे में सदन में कोई निवेदन न करके मेरे पास आ जावें। मैं उन्हें सारी जानकारी और सन्तोष दूंगा।

इतनी जानकारी फिर भी मैं आपको यहां दे दूं कि जिस प्रश्न को आपने यहां उठाया है वह प्रश्न तय हो चुका है। सम्बन्धित सदस्य ने इसके लिये माफी मांग ली है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो भावना व्यक्त की है और जो परम्पराओं की बात कही है, वह सर्वमान्य है। किन्तु प्रेस में जो सूचना प्रकाशित हुई है इसलिये यह प्रश्न जानकारी का बन जाता है।

श्री अध्यक्ष : फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि मैंने सारे मामले को देखा है। बातें भी की हैं। आप चाहें तो वह सारी जानकारी मैं आपको दे सकूंगा आप मेरे से मिल लें। फिर भी इससे ज्यादा तो इजाजत दूंगा नहीं बोलने की इस सदन में। मैं जानकारी के लिये इतना निवेदन कर चुका हूं कि माननीय सम्बन्धित सदस्य ने अपनी गलती के लिये माफी मांग ली है। इस सम्बन्ध में अधिक बहस की यहां मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने जो यह किया है....

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में आप कुछ नहीं कहेंगे। I shall not allow. माननीय सदस्य, मैं जितनी जानकारी दे सकता था दे चुका हूं। सम्बन्धित सदस्य ने बिना शर्त अपनी इस गलती के लिये माफी मांग ली है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। सचिवालय के बारे मे आप यहां कुछ बता नहीं सकते। इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव भी एक था।

श्री अध्यक्ष : I am strict in this respect. सचिवालय के कर्मचारियों के सम्बन्धित मामला सदन में उठावेंगे तो मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : पर अध्यक्ष महोदय यह एक गम्भीर मामला है। सभी इससे चिन्तित हैं। उनकी हिफाजत का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : ये जो कुछ कहें लिखा नहीं जावे।

उनकी हिफाजत करना मेरा काम है। आपकी भी हिफाजत करना मेरा काम है और वह मैं करूंगा। इस बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिये मेरे चेम्बर में आप मुझ से ले सकते हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : +++

श्री अध्यक्ष : I take it very seriously.

श्री भानुकुमार शास्त्री : +++

(शोर-गुल, अश्रव्य)

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे, शोर-गुल, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : Not to be recorded.

हाउस की परम्परा को आप तोड़ना चाहते हैं इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सख्ती से कभी कहता नहीं हूं और जब कहता हूं तो सख्ती के साथ उस पर अमल करता हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : +++

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता कि इस सदन की परम्परा को तोड़ा जाय। परम्पराएं सदन के माननीय सदस्य ने इस सचिवालय के एक कर्मचारी के साथ अत्यन्त अभद्र व्यवहार करके तोड़ी हैं। उसके लिये कांग्रेस पार्टी की तरफ से खेद प्रकट किया जाना चाहिये और सम्बन्धित सदस्य को सदन में माफी मांगनी चाहिये ताकि सदन के सदस्यों में और सचिवालय के कर्मचारियों में आपस में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण का निर्माण किया जा सके और कर्मचारी भी अपना काम सदन में बैठकर निर्भीकता से कर सकें।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में आप बात करना चाहें तो मेरे से चेम्बर में कर लें।

(शोर-गुल-अश्रव्य)

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव राजकीय मुद्रणालय के कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी है और वह यह है कि कल पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है जो अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर अपना आन्दोलन शान्तिपूर्वक चला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में सरकार से जानकारी मांगी है। वक्तव्य देने के लिये भी कहा है। रिप्लाई में यह भी आ जावेगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आज यह घटना घटी है कि वे कर्मचारी शान्त प्रदर्शन करते हुए लॉन में बाहर बैठे थे।

+++ माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिलिखित नहीं की गई।

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

पुलिस उनका तम्बू उठाकर ले गई और रात को उनके घरों में जाकर परिवार वालों को, महिलाओं को, बाल-बच्चों को डरा धमका कर, पेटियां खोल कर, तलाशियां लेकर जबर्दस्ती उनको घसीट कर राजकीय मुद्रणालय में डाल आये। यह नागरिक के मूल अधिकारों का भी हनन है। यह पुलिस का जघन्य अपराध है। राज्य सरकार के इन कार्यों ने सारी सीमाओं को पार कर दिया है।

आज सवेरे मैं और एक माननीय सदस्य वहां गये थे और वहां जाकर अधिकारियों से जानकारी चाही तो उन्होंने यहां तक बताने से इन्कार कर दिया मानो वे कर्मचारी कोई डकैत हों और हम उन डाकुओं की मदद के लिये गये हों। उन लोगों से मिलने तक की भी इजाजत हमें नहीं दी गई। टेलीफोन भी किये। उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई। राज्य सरकार का क्या रवैया है। शान्त प्रदर्शन और शान्त आन्दोलन चलाने वालों के लिये बड़ी बड़ी बातें हैं और उनको पैरों तले कुचलने की बात करते हैं। मैं निवेदन करूंगा राज्य कर्मचारियों की मांगों को बैठकर बातचीत द्वारा तय करें न कि साजिश से।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी प्रेस के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया है। आपने स्टेटमेंट के लिये डाइरेक्शन दिया है। गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है 275 गिरफ्तारी हो चुकी है। या तो आज आफ्टर नून में या ज्यादा से ज्यादा कल इस विषय पर स्टेटमेंट दे दिया जाय वरना स्थिति खराब होगी और तमाम काम बन्द होगा तो बड़ी मुश्किल होगी। आप डाइरेक्शन फरमा दें आज ही स्टेटमेंट हो जाय या ज्यादा से ज्यादा कल, जो गवर्नमेंट का दृष्टिकोण हो।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय से बातचीत करके।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में आज से 6-7 दिन पहले मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था और मैंने आने वाली स्थिति के सम्बन्ध में स्पष्ट संकेत उस स्थगन प्रस्ताव में किया था और यह भी कहा था...

श्री अध्यक्ष : आपकी तामील हो रही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही कहना चाहता हूं स्थिति गंभीर हो जायगी। कर्मचारी हड़ताल पर चले जायेंगे। इस विधान सभा का कार्य रुक जायगा, गवर्नमेन्ट का कार्य रुक जायगा और उसी स्थिति में आज 275 कर्मचारी जेल के सींखचों में हैं। गवर्नमेन्ट कोई कारण नहीं समझती है–सात दिन का समय इतना समय दिया जबकि गवर्नमेंट अपनी पालिसी के सम्बन्ध में एक स्टेटमेंट दे सकती थी। हर कर्मचारियों और हर मजदूरों के प्रश्न पर सरकार इस प्रकार की स्थिति बनाती जा रही है। कर्मचारी नोटिस देते हैं, एक स्थिति स्पष्ट होकर सामने आती है, सरकार कदम नहीं उठाती है और फिर स्थिति गंभीर हो जाती है। मैं नहीं समझता सरकार आज ही क्यों नहीं स्टेटमेंट देती है। उन कर्मचारियों को पुलिस घेरे हुये बैठी है। रात को सोये हुये कर्मचारियों

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

को उठाया जा रहा है । थाने पर अत्याचार हो रहा है । आज स्टेटमेंट आ जाय कि प्रेस कर्मचारियों की मांगें पूरी करने के सम्बन्ध में क्या स्थिति है तो यह दशा सम्भाली जा सकती है । मैं सदन में कहना चाहता हूं यह स्थिति और गंभीर हो जायगी अगर सरकार फौरन कोई कन्ट्रोल नहीं करती है तो....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री केदारनाथ : मेरा सुझाव है केवल गिरफ्तारी के सम्बन्ध में स्टेटमेंट न हो । मांगों के सम्बन्ध में स्टेटमेंट हो ताकि समझौता हो सके ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : स्ट्राइक किन कारणों से इल्लीगल करार की गई है ।

एक माननीय सदस्य : एडजोर्नमेंट मोशन में यह लिखा है क्या ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : लिखा है । एक स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय, रूस द्वारा पाकिस्तान को युद्ध की सामग्री मदद के रूप में देने के लिये किया है । आपने यह निर्णय लिया है कि यह प्रश्न हमसे संबंधित नहीं है, केन्द्र से सम्बन्धित है । यह तो उचित है कि जहां तक सीधे तौर से पाकिस्तान को रूस, अमेरिका, फ्रान्स द्वारा इमदाद दी जाकर भारत के विरुद्ध युद्ध करवाते हैं, युद्ध करने के लिये प्रोत्साहन देते हैं अथवा इस प्रकार के षड़यन्त्र में शामिल होते हैं तो यह प्रश्न केन्द्र का है लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सीमा के प्रहरी हैं, पाकिस्तान से हमारी सीमा लगी हुई है । यदि भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो सेना यहां से जाती है । बमबारी जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में होती है और सारे देश पर सुरक्षा का उत्तरदायित्व आता है । हमने पहले भी अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में वियतनाम के प्रश्न पर सब लोगों ने मिलकर संकल्प प्रस्तुत किया था । मैं समझता हूं चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रान्स हो, चाहे रूस हो और चाहे कोई दूसरे देश हों अगर वे हमारी भारत की जनता को चुनौती देते हैं वह कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है । एक तरफ दुनियां को दिखाते हैं शांति पसन्द करना चाहते हैं । दुनियां के मजदूरों पर हावी हैं । रूस जंगखोर पाकिस्तान को हथियार देकर भारत में आग लगाना चाहते हैं । अध्यक्ष महोदय, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि राजस्थान सीमा का प्रहरी है, हमारी बहुत बड़ी सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है । यह हमारे देश का प्रश्न है, देश की अखण्डता का प्रश्न है, देश के जीवन-मरण का प्रश्न है इसलिये चाहे अमेरिका हो चाहे फ्रान्स हो और चाहे रूस जंगखोर हो अगर शांतिप्रिय हिन्दुस्तान पर हमला करवाना चाहते हैं, हिन्दुस्तान में खून खराबा करवाना चाहते हैं तो सदन के सब सदस्य मिलकर एक प्रस्ताव पास करें । यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देश की अखण्डता का प्रश्न है, देश के जीवन-मरण का प्रश्न है राष्ट्रीय अस्तित्व का प्रश्न है । इसलिये अध्यक्ष महोदय, हमें इस पर विचार करना चाहिये ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्षजी मेरे 4-5 स्थगन प्रस्ताव थे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो इकलौता स्थगन प्रस्ताव है । इसका और कोई सरा मालिक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आप तो कुछ फरमा चुके हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था और वह यह दिया था कि राजस्थान नहर पर काम करने वाले अकालग्रस्त श्रमिक....

श्री अध्यक्ष : जानकारी चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है...

श्री अध्यक्ष : फिर भी जरूरत है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हमारे मंत्री महोदय अकाल के इन्चार्ज हैं और अब केवल जानकारी पर बात अटक जाय तो स्थिति कैसे ठीक हो। 40 हजार अकाल-ग्रस्त क्षेत्र के श्रमिक जो नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं राज्यपाल महोदय आंखों से देखकर आये हैं। राजस्थान नहर पर काम करने वाले श्रमिकों को पानी का प्रबन्ध नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एक महिना गुजर गया। उनको उनकी वेजेज नहीं मिली। 40 हजार श्रमिक भयंकर शीत लहर से त्रस्त हैं और अनेक श्रमिक निमोनिया और इन्फ्लूएन्जा के शिकार हुये है। वहां उनको देखने वाला कोई डॉक्टर नहीं है। अगर नरक का दृश्य देखना हो तो इन शिविरों में जाकर देखिये।

श्री अध्यक्ष : जानकारी चाहिये ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाईजेशन की तरफ से दूध, अनाज, घी वितरित होता है जो सारा बाजार में बेच दिया जाता है। एक भी श्रमिक को वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाईजेशन को तरफ से घी, दूध व अनाज नहीं मिलता है और जो आर्गेनाईजेशन है वह 50 मील दूर है। वे आशा करते हैं भूखे श्रमिक को सब चीजें उपलब्ध कराई जायें और उनको 50 मील दूर जाकर अनाज, घी नहीं लाना पड़े....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : वे जितना अनाज, घी, दूध सोयाबीन आदि जो कुछ दे रहे हैं वह खुले आम बेच रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा इस नरक से मुक्ति दिलाने के लिये कृपया आज ही स्टेटमेंट दिलाने को कहें। मंत्री महोदय स्टेटमेंट दें। राज्यपाल महोदय खेद व्यक्त कर चुके हैं। स्वयं वहां अकाल इन्चार्ज मंत्री चौधरी साहब दो बार तशरीफ ले जा चुके हैं। अकाल में लोगों की हालत गिरती जा रही है। आज नहीं तो कल इस सम्बन्ध में स्टेटमेंट इश्यू करें नहीं तो भूख से मृत्यु होगी नान पेमेन्ट आफ वेजेज।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्षजी, मेरा पहला स्थगन प्रस्ताव प्रेस कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में था उसमें जल्दी ही स्टेटमेंट दिलवा दें। उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उसको रोकें।

दूसरा मेरा स्टेटमेन्ट आपने जिसको अस्वीकार कर दिया वह यह था कि रूस और फ्रांस....

श्री अध्यक्ष : वह कब हुआ ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह स्टेटमेन्ट देंवे इस बारे में।

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेन्ट नहीं है एडजोर्नमेन्ट मोशन है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हां, एडजोर्नमेन्ट मोशन ही है। वह जब दें तो जल्दी दें और प्रेस कर्मचारियों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, आज उनको जेल में डाला जा रहा है या उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उसको रोका जाना चाहिए, यह मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है।

दूसरी मेरी आपसे प्रार्थना यह है कि जिस स्थगन प्रस्ताव को आपने अस्वीकार कर दिया वह यह था कि रूस हमारा पड़ोसी राज्य है और हमारा मित्र राष्ट्र है और फ्रांस और अमेरिका उसको (पाकिस्तान) को हथियार दे रहे हैं आप यह कह कर कि राज्य सरकार से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है। माननीय अध्यक्षजी, मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान एक बोर्डर प्रदेश है और इस कारण से हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज पाकिस्तान को फ्रांस और रूस भी हथियार दे रहे हैं और इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती कि यह तीनों राष्ट्र पाकिस्तान को हथियार देते चले जायें। इसलिए यह बहुत अच्छा प्रश्न है कि इस पर सदन में विचार किया जाना चाहिए। राजस्थान एक सीमावर्ती प्रान्त होने के नाते इस प्रश्न की बहुत महत्ता है इसलिए इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि इस पर पहले विचार प्रकट करने का कोई अवसर दें।

अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गंगानगर जिले में विदेशी तत्वों द्वारा जो आतंक मचाया जा रहा है और हथोड़ा मारकर हत्यायें की जा रही हैं ....

श्री अध्यक्ष: इसमें भी जानकारी चाही है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पुलिस इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार वक्तव्य देगी। अन्त में निवेदन करूंगा कि कर्मचारियों के बारे में जो मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया और जिसको आपने अस्वीकार कर दिया उसके बारे में न्यायोचित व्यवस्था करेंगे।

विद्युत् संकट पर भी मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था और...

श्री अध्यक्ष : आप फिर उसी बात को रिपीट कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो स्थगन प्रस्ताव दिया था उसके लिए निवेदन है कि आज लघु उद्योगों की हालत खराब है....

श्री अध्यक्ष : विद्युत् का एडजोर्नमेन्ट मोशन नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : है, मैंने परसों दिया था।

श्री अध्यक्ष : आज तो नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ....और उस सम्बन्ध में आपने राज्य सरकार से जानकारी चाही है। मैं उसी के बारे में कह रहा हूं। लोगों के मकानों के कनेक्शन कट जायेंगे ....

श्री अध्यक्ष : मेरा निवेदन भी सुनलें।

(शोर-गुल)

श्री दीपंकर : यह विधान सभा है। यह जनसंघ सभा समझ बैठे हैं।

(शोर-गुल)

श्री अध्यक्ष : एक बात मैं बहुत तकलीफ के साथ निवेदन कर रहा हूं। वह यह है कि मैंने बारबार अर्ज किया है कि माननीय सदस्यों की भावनाओं को जितना कार्यान्वित करने की कोशिश कर सकता हूं वह करता हूं और सदस्यों का भी सहयोग बराबर मिलता है। उसमें कोई शिकायत नहीं है लेकिन कभी माननीय सदस्य इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि जो कुछ मैं निवेदन कर रहा हूं वह भूल जाते हैं और घंटियां बजती रहती हैं, कहता रहता हूं फिर भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं समझता कि मैं आपको केवल अपील ही कर सकता हूं। यह अच्छी परम्परा नहीं है और जो एडजोर्नमेन्ट मोशन आज नहीं है पहले किसी रोज आया था उसका भी तीस्करा होना चाहिए ....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने सरकार से जानकारी प्राप्त की थी। विद्युत् का पहले स्थगन प्रस्ताव दिया था और यह बड़ा अहम प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आखिर आप खामोशी अख्तियार कर ही नहीं सकते। मैं जिसको कह रहा हूं उसी को कान्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं। मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य से भी और सभी साथियों से कि इस सदन के अन्दर कार्यवाही को ठीक तरह से चलायें। कोई शिकायत हो तो आप मुझ से पूछ लें। तीन दिन पहले एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया था तो उसका भी जिक्र अभी करें तो यह कैसे चलेगा? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने भी कुछ तय किया है और उसके बावजूद भी भाषण भी वैसे के वैसे ही हो रहे हैं। मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जो फैसला हमने किया है एडजोर्नमेंट मोशन कम लाना और लाना है तो कम से कम बोलना इसका पालन करें और मैं निवेदन कर दूं उस पर थोड़ा वजन भी दे दें कभी कभी तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा और अच्छी प्रणाली आप डालेंगे। उसके लिए बहुत अहसानमन्द होऊंगा।

श्री मनोहरलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा सम्मानपूर्वक....

श्री अध्यक्ष : एडजोर्नमेन्ट मोशन है?

श्री मनोहरलाल : जी हां। मैं सम्मानपूर्वक एक बात माननीय अध्यक्ष महोदय, से पूछना चाहूंगा कि कौन सा ऐसा विषय है जिस पर स्थगन प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष महोदय स्वीकार कर सकते हैं?

श्री अध्यक्ष : मैं इसका उत्तर भी दे दूंगा। उत्तर अभी चाहें तो अर्ज कर दूं।

श्री मनोहरलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार अपनी ओर से हिंसा को बढ़ावा दे रही है ....

श्री दीक्षित : कहां दे रही है?

श्री मनोहरलाल : माननीय शंकरलालजी वहां मौजूद थे और 200 आदमियों के चोटें आई हैं और आप कह रहे हैं कि कहां दे रही है? 200 आदमियों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ और निवाई में सरदारजी के बाल खींचे गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद जयपुर में हुआ, भरतपुर में हुआ और रोजाना यह सरकार हिंसा को बढ़ावा दे रही है और पुलिस अधिकारियों का समर्थन कर रही है और उसके

(श्री मनोहरलाल)

साथ ही साथ छोटे-छोटे सिपाहियों को जनता से लड़ाती है और अपना उल्लू सीधा करती है। जिस हिंसा को सरकार भड़काती है, वही हिंसा आप को खायगी....

(शोर-गुल-अश्रव्य)

आपकी हिंसा आपको ही खायेगी। आपकी बढ़ाई हुई हिंसा आपको खायेगी और आप इसके शिकार होंगे।

श्री अध्यक्ष : आपने यह बात कही और कहते-कहते ना जाने कहां चले गए। जितनी रिलेवेन्ट बात है वह यह है कि एडजोर्नमेन्ट मोशन को किस हालत में एक्सेप्ट किया जाये। इसके लिए हमारे नियम हैं और उसके माफिक मामले उठाये जाते हैं। आपका ध्यान इतना ही आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर इस बारे में कुछ जानना हो तो कई किताबें हैं, मेज़ पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस है और कई किताबें हैं जिन के अध्ययन से मालूम होगा कि कौन-कौन से विषय पर एडजोर्नमेन्ट मोशन आते हैं पार्लियामेन्ट में भी कितने एक्सेप्ट होते हैं और उनका आल्टरनेटिव क्या है।

श्री मनोहरलाल : आपके कार्यकाल में एक चमत्कार हो गया।

श्री अध्यक्ष : मैं चमत्कारिक पुरुष कभी रहा नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह क्या चमत्कार है कि माननीय सदस्य यहां हैं भी और नहीं भी है।

श्री अध्यक्ष : [illegible] ों के प्रतिवेदन का उपस[illegible]!

समितियों के प्रतिवेदन

जन-लेखा समिति व राजकीय उपक्रम समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री हीरालाल देवपुरा (सभापति, जन-लेखा समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं जन-लेखा समिति, 1972-73 के तीसरे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री बी. एन. जोशी (सभापति, राजकीय उपक्रम समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय उपक्रम समिति, 1972-73 समिति के सातवें, आठवें, नवें, दसवें, ग्यारहवें, बारहवें, तेरहवें, चौदहवें और पन्द्रहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जितनी सन्तानें हैं उतने ही प्रतिवेदन हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : पाइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन सर। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कुछ कहेंगे इस बारे में कि इतने सारे आपने उपस्थापन किये इसके क्या कारण हैं ? इतने पेन्डिग थे सब ?

श्री बी. एन. जोशी : ऐसा था कि वर्ष 1968-69 और 1969-70 तक की रिपोर्ट्स बहुत से विभागों की उपक्रमों की तैयार नहीं हुई थीं और दो-तीन साल की रिपोर्ट्स एरियर में थीं उनको हमारी कमेटी ने क्लियर किया है।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य !

श्री लक्ष्मणसिंह : इसके लिए मैं बधाई देता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य !

Page No 50

विधायी कार्य

विधेयक का पुरःस्थापन

राज्य मंत्री, गृह (श्रीमती कमला बेनीवाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान निवारक निरोध (निरसन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं राजस्थान निवारक निरोध (निरसन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करती हूं !

श्री अध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

अनुदानों की मांग संख्या 22, 24 एवं 45 का प्रस्तुतिकरण

श्री परसराम मदेरणा (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–124 सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,15,20,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 67,97,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री ओंकारलाल चौहान (श्रम मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38-श्रम और नियोजन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 1,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : तीनों मांगें प्रस्तुत हुयीं।

मांग सं० 22, 24 व 45 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर):

1. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षित बेरोजगारों की सहायतार्थ अपनाये गये कार्यक्रमों के अंतर्गत राजस्थान वित्तीय निगम को दी जाने वाली सहायता को अपर्याप्तता पर चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की सहायता बन्द कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अखिल भारतीय प्रदर्शनी, 1971 जो दिल्ली में हुई उसके

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

लिये राजस्थान लघु उद्योग निगम को दी जाने वाली अर्थ सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम को दी जाने वाली हिस्से पूंजी तथा ऋण को अर्थ सहायता हेतु समायोजित करने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

5. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38-श्रम और नियोजन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रादेशिक रोजगार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्य पर चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि को कृषि-योग्य बनाने में वर्ते जाने वाले भेदभाव पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खाद्य की खरीद एवं वितरण में हुए घोटालों पर चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर दुग्ध वितरण योजना में कार्यरत दुग्ध वितरण निरीक्षकों की कार्य अकुशलता पर चर्चा के लिये)।

श्री नानालाल (राजसमन्द) :

9. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति व जन-जाति के शिक्षित व्यक्तियों को भी उद्योग लगाने में वित्तीय निगम द्वारा प्रोत्साहन दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

10. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति व जन-जाति के शिक्षित व्यक्तियों को भी उद्योग लगाने में वित्तीय निगम द्वारा प्रोत्साहन दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

11. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनू जिले में खादी बोर्ड द्वारा कोई कार्य नहीं किए जाने पर चर्चा के लिये)।

12. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनू जिले में लघु उद्योगों की स्थापना में असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

13. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनू जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित होते हुए भी राज्य सरकार ने झुंझुनू जिले में कोई उद्योग स्थापित करने हेतु खर्च नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

14. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38-श्रम और नियोजन के अंतर्गत मांग में से

(श्री रामनारायण चौधरी)

100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के नियोजन कार्यालयों में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर दुग्ध वितरण योजना में की जाने वाली अनियमित कार्यवाहियों पर चर्चा के लिये)।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) :

16. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम को राज्य सरकार राज्य में (Industrial base) इन्डस्ट्रियल बेस बनाने हेतु सहायता न देने पर चर्चा के लिये)।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) :

17. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान उद्योग तथा खनिज विकास निगम द्वारा जयपुर में mini स्टील प्लान्ट लगाने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

18. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर को पिछड़ा जिला मानकर विशेष उद्योग इकाइयां स्थापित कराने हेतु चर्चा के लिये)।

19 मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा जालोर के ग्रेनाइट पत्थर उद्योग के विकास हेतु कोई योजना न बनाने पर चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु उद्योग निगम द्वारा कुटीर उद्योगों के स्कोप के बारे में जिला जालोर के सर्वेक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38-श्रम और नियोजन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में नियोजन कार्यालय, सिरोही, जालोर की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में रासायनिक खाद का रबी फसल में कालाबाजारी की एवं भविष्य में पर्याप्त खाद के वितरण में व्यवस्था हेतु चर्चा के लिये)।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :

23 मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 53-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों को उद्योग विकास दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने में उपेक्षा की नीति अपनाने पर चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

100 रुपया कम कर दिया जाय (खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में ऊन की कताई एव बुनाई के धन्धे और लघु उद्योगों के विकास एवं विस्तार पर बल पर चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक35-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर नगर के खतरियों की रंगाई, छपाई की इकाइयां स्थापित करने में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर):

26. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक35-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान औद्योगिक एवं विकास निगम के दिये गये ऋण को अर्थ सहायता देकर उसे पंगु बनाने पर चर्चा के लिये)।

27. मांग संख्या 22,मुख्य शीर्षक35-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की खादी पर छूट के प्रतिशोधन हेतु देय राशि का उचित हिसाब न रखे जाने पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 22,मुख्य शीर्षक35-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान लघु उद्योग निगम को अखिल भारतीय प्रदर्शनी के सम्बन्ध में देय राशि में हुए घोटालों पर चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक38-श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निजी क्षेत्र के उद्योगों में नियोजन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के मेज से अपने व्यक्तियों को ही नौकर कराने तथा अभ्यर्थियों की सूचियां नहीं भेजने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक38-श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नियोजन कार्यालय,जयपुर के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 24,मुख्य शीर्षक38–श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नियोजन कार्यालय, जयपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

32. मांग संख्या 24,मुख्य शीर्षक38–श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर स्थित नियोजन कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा अभ्यर्थियों को परेशान करने पर चर्चा के लिये)।

33. मांगसंख्या 24, मुख्य शीर्षक38-श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रोजगार अधिकारियों द्वारा विभिन्न विभागों मे अभ्यर्थियों के नाम भजने में की जाने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

34. मांग संख्या45,मुख्य शीर्षक124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर दुग्ध वितरण योजना के निरीक्षकों द्वारा मिल्क बूथ पर प्रदाय किये जाने वाले दूध की बिक्री होते समय कोई चैकिंग नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

35 मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु भारी मशीनों के प्रशिक्षण की योजना की असफलता पर चर्चा के लिये)।

36. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खाद वितरण में विभाग के कर्मचारियों द्वारा की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती निर्मलाकुमारी (चित्तौड़गढ़):

37. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38-श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नियोजन विभाग में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़):

38. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (1971 में दिल्ली में आयोजित प्रदर्शनी हेतु राजस्थान लघु उद्योग निगम को देय सहायता के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

39. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम तथा राजस्थान वित्तीय निगम को शिक्षित बेरोजगारों के लिये दी जाने वाली राशि की अपर्याप्तता पर चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को छूट के प्रतिशोधन हेतु देय राशि के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में औद्योगिक इकाइयों की कमी पर चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38-श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रोजगार अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी पर चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38-श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू के नियोजन कार्यालय में अभ्यर्थियों के नामों की सूची भेजने में की जाने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

44. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले के भूमि को कृषि योग्य बनाने के प्रति उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) :

45. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभिन्न विभागों में नियुक्तियों हेतु भेजे जाने वाले नामों में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग सं० 22, 24 व 45 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव !

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल): अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में शिक्षक इंजीनियर्स....

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेंट्री ग्रान्ट पर साढ़े चार बजे मुखबन्द होगा, बुलेटिन होगा।

(12. 4 म. प.)

(श्री रामसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : आज राजस्थान में शिक्षक इंजीनियर्स, डॉक्टर, वैद्य, डिप्लोमा होल्डर्स और शिक्षा क्षेत्र के मैट्रिक से लेकर एम. ए. तक के लोग रोजगार के अभाव में सड़क पर घूम रहे हैं और उनको रोजगार मिले इसकी व्यवस्था इस सरकार द्वारा नहीं हो सकी और उसका परिणाम यह है कि प्रति वर्ष बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। बेरोजगारों के साथ-साथ इन बेरोजगारों को काम मिलना चाहिए, इसके लिए मैं आपसे कहता हूं कि बेरोजगार आए दिन आन्दोलन करते हैं, बेकारी का भत्ता उनको मिलना चाहिए, इसके लिए विधान सभा के सामने भी कई प्रकार के प्रदर्शन बेरोजगारों के हुए हैं। लेकिन सरकार की अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं है कि जिस योजना के आधार पर बेरोजगारों को काम दिया जा सके। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक यह पुस्तक जो एम्प्लायमेंट एण्ड अनएम्प्लायमेंट सिचुएशन इन राजस्थान Methodical Analysis and Estimates जो कि डायरेक्टर आफ इकोनोमिक्स एण्ड स्टेटिस्टिक्स, राजस्थान द्वारा प्रकाशित हुई है, इसके पेज संख्या 37 पर मेग्नीट्यूड आफ अनएम्प्लायमेन्ट है। इसमें सारी बातों का चित्रण किया हुआ है। राज्य सरकार किस प्रकार से इन बेरोजगारों को, शिक्षकों को रोजगार नहीं दे सकी, उनको रोजगार देने के लिए सरकार को कितने करोड़ों रुपये की आवश्यकता है उस ओर भी उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

दूसरा, मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि राज्य सरकार की दूसरी पुस्तक अप्रोच टू दी फिफ्थ फाइव ईयर प्लान, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की जुलाई, 1972 की है, इसमें भी यह कहा गया है कि अभी तक हम बेरोजगार, जो शिक्षित लोग हैं उनको काम नहीं दे सके हैं और उनके आंकड़ों के अनुसार इस समय 15,73,000 शिक्षित बेरोजगार हैं और इस सारी प्लानिंग की योजना में यह कहा गया है कि राज्य सरकार सारे अपने साधन जुटा ले और सब प्रकार से राज्य सरकार प्रयास कर ले तब भी राज्य सरकार आगामी पांच

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

वर्षों में केवल 5 लाख लोगों को बहुत कठिनाइयों के साथ काम दे सकती है। आज ये राजस्थान सरकार की दोनों रिपोर्ट्स हैं, मेरे घर की रिपोर्ट नहीं है और उनके आधार पर यह बात रख रहा हूं।

मैं निवेदन करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि एक बेकारों का महकमा है जिसमें बेरोजगारों के नाम लिखे जाते हैं लेकिन शहरों में कई ऐसे बेरोजगार लोग हैं जिनके नाम इसमें लिखे हुए नहीं हैं। इसी प्रकार से गांवों में भी कई शिक्षित लोग बेरोजगार हैं। जो आपका बेकारी मिटाने वाला महकमा है, वे लोग उस तक एप्रोच कर नहीं पाते। वे जानते नहीं हैं कि बेकारी का महकमा कहां पर है। इसलिए मेरा इस सरकार पर आरोप है कि राज्य सरकार के पास आज ये आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि आज इस राजस्थान में कितने शिक्षित बेरोजगार हैं। जब राज्य सरकार को यह मालूम ही नहीं है कि राज्य में कितने शिक्षित बेरोजगार हैं तो फिर रोजगार किनको दिला सकेंगे। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम इस प्रकार के आंकड़े उपलब्ध करें।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो नियोजन विभाग है, इस नियोजन विभाग में आज यदि कोई पढ़ा-लिखा व्यक्ति नाम लिखाने के लिए जाय तो बगैर रिश्वत लिए हुए उस आदमी का नाम लिखा नहीं जा सकता। झुंझुनू इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। झुंझुनू में वहां के बेरोजगार महकमे में कई लोगों ने अपने नाम लिखाये, रिश्वत देकर नाम लिखाये और रिश्वत देकर नाम इसलिए लिखाये कि उनको खेतड़ी ताम्बा प्रोजेक्ट में भेजा जायेगा और दूसरे कामों में लगाया जाएगा लेकिन लोग नहीं लगाए गए और जो रिश्वत दी वह भी बेकार गई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि इन बेरोजगार लोगों को नौकरी तो नहीं मिली पर उन गरीबों ने जो अपनी जैब से पैसे दिए और इन भ्रष्ट अधिकारियों को पैसे देकर अपने नाम लिखाये, उनको कम से कम नौकरी नहीं दे सके तो कम से कम उनके पैसे तो वापस कर देना चाहिए। आज एक ओर तो उनके नाम नहीं लिखे जायेंगे, दूसरी ओर इस विभाग द्वारा जिस जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती हैं तो इस विभाग द्वारा इन अच्छे-अच्छे लोगों के नाम वहां पर आज नहीं भेजे जाते हैं। और उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आजकल उन दस्तखत करने वालों की ट्रू कापी कराने वालों को भीड़ लगी रहती है। कहीं पर आज अमुक नौकरी के लिए एप्लाई करना है, विद्युत मन्डल, ए. जी. आफिस कहीं पर भी वैकेंसी निकलती है तो वहां पर उनके नाम नहीं भेजे जाते हैं। वे कहते हैं कि वहां तक हमारे नाम नहीं पहुंचते। नाम उनके भेजे जाते हैं, जो पैसा देते हैं। बड़े-बड़े अधिकारियों द्वारा जिस व्यक्ति के लिए फोन कर दिया जाता है, उनको सिफारिश से ले लेते हैं। कोई गरीब आदमी है तो उसका नाम नहीं भिजवाया जाएगा। जिसकी सिफारिश है उसका नाम भिजवा देंगे बाकी सारे लोगों के नाम नहीं भिजवायेंगे। यह नियोजन विभाग सिफारिश का विभाग है और या तो

Page No 57

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

सिफारिश कराओ या पैसे दो तो नाम नौकरी के लिए सम्बन्धित विभागों को भिजवाये जाते हैं। तो इस प्रकार से यह विभाग भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाला विभाग है राज्य सरकार का जिसके पास आज तक आंकड़े भी इकट्ठे नहीं हैं । इस विभाग से कोई लाभ नहीं है।

अब मैं खादी बोर्ड की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा। खादी बोर्ड के बारे में आज यह शिकायत हो रही है कि उस खादी में मिल का सूत मिला हुआ है, इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं। और खादी की जो रिबेट देते हैं उसका लाभ बुनकरों को नहीं मिलता है। खादी बोर्ड के बारे में इस प्रकार की मांग है कि वहां के बोर्ड की प्रबन्ध समिति के अन्दर आधे से अधिक स्थान बुनकर को दिया जाना चाहिये और खादी विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके कल्याण के लिये, उनकी सुविधाओं के लिये कुछ नहीं है। कोई नियम नहीं हैं। न उनके प्रोविडेन्ट फण्ड लागू हैं और न जी. एस. आई. नियम ही लागू हैं। खादी बोर्ड के व्यक्तियों ने कौनसी इस प्रकार की कार्यवाही की है जिसके आधार पर उनको सुविधायें प्राप्त नहीं होतीं । दूसरी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज खादी बोर्ड में ऐसे कार्यकर्त्ता होंगे जो कांग्रेस को चुनाव लड़ाने में कांग्रेस को वोट डलवाने में मदद करें। इस प्रकार की वहां पर व्यवस्था कर रखी है कि कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं को उनके प्रचारकों को काम मिले, वहां पर हमारे प्रचारकों को खादी बोर्ड में काम मिले और उनको पैसा मिले और वक्त आवे तब कांग्रेस के चुनाव प्रचार का काम करें। इस प्रकार से खादी बोर्ड में राजनीति व्याप्त हो गई है। मैं निवेदन करता हूं कि वर्त्तमान में जो सारा का सारा खादी बोर्ड का स्वरूप है वह राजनैतिक बुनियाद पर खड़ा है। आज यह केवल कांग्रेस के लोग ही खादी पहनते हों, ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी खादी पहनते हैं, मेरे पास भी कई कुर्ते खादी के हैं, खादी से लोगों को काम मिलता है। गांधीजी के द्वारा यह परिपाटी चलाई गई और इसलिए चलाई गई कि खादी का कपड़ा पहनने से दो हाथों को काम मिलता है। भारतीय जनसंघ भी इस पद्धति के आधार पर चलता है कि दो हाथों को काम मिले और खादी का काम बहुत बढ़े लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज राजस्थान में सत्तारूढ़ दल ने खादी बोर्ड के काम को भी खराब कर दिया। इसलिए मेरी मांग है कि खादी बोर्ड को भंग करके स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन को सौंप दिया जाना चाहिये और उसके तहत इस प्रकार का काम चल सकता है।

खनिज विभाग की ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रॉक फास्फेट का काम यदि मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन को दे दिया जाता या दे दिया जाना चाहिए तो मैं समझता हूं कि जो लाखों रुपयों का नुकसान इसमें हो रहा है वह नहीं होता। राज्य सरकार को लाखों रुपयों का लाभ इस काम में हो सकता है।

"सीखो और कमाओ" योजना के बारे में भी कहा जा सकता है। चौड़ा रास्ता में लड़कियों का एक स्कूल है। वहां पर यह 'सीखो और कमाओ' की योजना चल रही है। इस स्कूल में बाजार से सामान लाकर और

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

उसमें थोड़ा हेर-फेर करके उनको बाजार भाव से ऊंची दर पर बेच दिया जाता है। इस प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, यह योजना नहीं चल सकती है। परन्तु इसका प्रचार बहुत है। सीखो और कमाओ योजना के अन्तर्गत जितना लोन दिया जाना चाहिए, बेरोजगार लोगों को काम दिया जाना चाहिए, बेकारों में काम करने की क्षमता पैदा करनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, ऋण देकर भी राज्य सरकार इस योजना के अन्तर्गत कोई विकास का कार्य नहीं कर पाई है।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र की बात कही जाती है। जिस समय बंगला देश की लड़ाई प्रारंभ हुई थी तो कई व्यापारी बंगाल से इधर आ गए थे और वे हमारे राजस्थान में, विशेषकर जयपुर में उद्योग की स्थापना करना चाहते थे। ये सभी छोटे और बड़े व्यापारी विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करना चाहते थे। इन उद्योगपतियों को वहां पर बिठा दिया गया है किन्तु कोई उद्योग वहां पर अभी तक नहीं लग पाया है और ये सारे व्यापारी वापस चले गये। क्यों चले गए और विकास क्यों नहीं हो पाया इसका राज्य सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा जिस प्रकार से इन उद्योगपतियों को सुविधा देनी चाहिए थी वह सुविधा नहीं दी गई है। सेल्स टैक्स, पानी, बिजली और जमीन की भी पूरी सुविधा उनको नहीं दी गई है। उद्योग स्थापित कराने के लिए जो लाइसेन्स मिलने चाहियें, जिनके लिए राज्य सरकार को भारत सरकार को एप्रोच करना चाहिए, ये उद्योग राजस्थान में स्थापित किये जाने चाहियें और इनके लिए लाइसेन्स दिये जाने चाहिए, वे लाइसेन्स भी राज्य सरकार भारत सरकार पर दबाव डालकर नहीं दिला पाई है। यह राजस्थान की ढीली-ढाली सरकार एक प्रकार से राजस्थान के विधायकों पर थोपी गयी है और यह सरकार इन्दिराजी के सामने, केन्द्रीय सरकार के सामने अपनी कोई बात नहीं रख सकी है। राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान का जो हिस्सा केन्द्र से मिलना चाहिए, उसकी मांग यह सरकार केन्द्रीय सरकार से नहीं कर सकती। उद्योगों की स्थापना के लाइसेन्स नहीं मिलने के कारण, नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण बड़े-बड़े व्यापारी जो विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करना चाहते थे, वे बंगला देश की लड़ाई समाप्त होते ही वापस चले गए और राजस्थान में उद्योगों का जो विकास होना चाहिए था वह नहीं हो सका। इसका भी मैं उदाहरण देना चाहूँगा। टौंक में चमड़े का कारखाना खोलने की बात कही जा रही है, अलवर में स्कूटर का कारखाना खोलने की बात कही जा रही है, अलवर में सूअर पाले जायेंगे उनको एयरकन्डीशन में रखा जाएगा। और इधर गरीबों को खाने के लिए अन्न नहीं मिल रहा है। चमड़े का कारखाना खोल देने से राजस्थान का बड़ा विकास होगा, सूअरों को एयर कन्डीशन में रख देने से राजस्थान का विकास होगा लेकिन यहां पर सवाईमाधपुर में तेलशोधक कारखाना स्थापित करने की बात कही गई थी वह कैसे मथुरा में चला गया है। मुझे यह जानकारी मिली है कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री इस विषय

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

में चुप बैठे रहे। भारत सरकार के विरुद्ध वे नहीं बोल सके। भारत सरकार पर वे यह दबाव नहीं डाल सके कि यह कारखाना राजस्थान में ही स्थापित होना चाहिये। राज्य सरकार अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखती। इसके अलावा हमारे यहां पर अन्य कई प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं उनके आधार पर कारखाने खोले जाने चाहिएं। परन्तु हमारे मुख्य मन्त्री यह नहीं कर सकते हैं क्योंकि मुख्य मन्त्री ऊपर से थोपे हुए हैं। इस मांग को वे केन्द्रीय सरकार के सामने नहीं रख सकते हैं। सारा प्रान्त और सदन के सभी सदस्य उनके साथ हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी) इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, ताम्बे का कारखाना भी हमारे यहां से चला गया। राजस्थान में खनिज पर आधारित उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए और उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। केवल घोषणा करके ही हमारे मुख्य मन्त्री जी न रह जाएं। मैंने बजट भाषण देखा है। उसमें यह घोषणा की गई है कि राजस्थान में दो सौ के लगभग उद्योग स्थापित कीये जा रहे हैं, परन्तु सत्तारूढ़ दल द्वारा बारबार घोषणा करने के बावजूद भी उद्योग स्थापित नहीं हो पाये हैं, राजस्थान का औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। दो सौ में से केवल सात उद्योग ही अब तक लग पाये (अनवरत घन्टी) उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में ही लकड़ी का काम, हाथी दांत का काम, मीनाकारी का काम, मूर्ती का काम छपाई का काम सारे हिन्दुस्तान से बढ़िया होता है। इसकी सारे हिन्दुस्तान में मांग होती है। इन सारी चीजों के विकास के लिए राजस्थान में, जयपुर में उद्योगों की, कारखानों की स्थापना की जानी चाहिए, इसकी मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा ताकि सारी चीजें एक ही स्थान पर मिल जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, कृषि योग्य भूमि को समतल बनाने में भेदभाव किया जा रहा है। आज कितने ही लोगों को खाद नहीं मिल पा रहा है और किसानों को ऊंची कीमत पर खाद खरीद कर अपने-अपने खेतों में देना पड़ रहा है। किसान को मजबूर होकर यह खरीदना पड़ रहा है। आज उसको यूरिया खाद नहीं मिल पा रहा है। यूरिया खाद के अभाव में उसकी जो उपज बढ़ना चाहिए वह नहीं बढ़ पा रही है इसलिए मैं यह मांग करूंगा कि एक-एक पंचायत के अन्दर इसके केन्द्र खोले जाएं और लोगों को, किसानों को सस्ता खाद दिलाने की पूरी व्यवस्था कराई जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा जो व्यापार किया जाता है उसमें भी घोटाला है (अनवरत समय-समाप्ति सूचक-घन्टी) जो दुग्ध वितरण केन्द्र है उसके बूथ पर दूध नहीं मिलता है, छाछ नहीं मिलती है, घी नहीं मिलता है। एक बूथ पर क्या कीमत है, और दूसरे बूथ पर क्या कीमत है इसको कोई नहीं देख रहा है। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो टाइम आपको दिया जाए उसके अन्दर ही अपना भाषण समाप्त कर देने का कष्ट करें। इसके लिए आसन की तरफ से

(श्री उपाध्यक्ष)

बार-बार घन्टी देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यदि आपके चीफ व्हिप समय का बटवारा करने देते हैं तो उसका आपको पालन करना चाहिये। इसके लिये दुबारा, तिबारा घन्टी बजाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय एक दो घन्टे के लिए बढ़ाया जाता है। यदि पार्टी ने 35 मिनिट का समय दिया है और मैंने दो चार मिनिट ज्यादा ले लिए इसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : समय बढ़ाने का प्रश्न नहीं है। अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट कहा है कि 4-30 बजे मुखबन्दी का प्रयोग किया जायगा इसलिए समय बढ़ाने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नानाराम !

श्री नानाराम (राजसमन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और जन-जाति के व्यक्तियों को उद्योगों में लगाने के सम्बन्ध में, उनको प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में मैंने कटमोशन दिया है। उसी सन्दर्भ में मैं अपना वक्तव्य देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज उद्योगों के बारे में सोचा जाए तो राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। आज दिन तक इन लोगों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिला है। इस सन्दर्भ में कुछ निवेदन करना चाहता हूं यह है कि भीलवाड़ा में अनुसूचित एक व्यक्ति को उद्योग लगाने के लिए लोन दिया गया था, स्वीकृत किया गया था, किन्तु पता नहीं क्या अधिकारी वर्ग के विभाग में यह बात पैदा हो गई कि ऐसे व्यक्तियों को उद्योगों में प्रोत्साहन मिल जायगा तो शायद हमारे नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी। शायद इसी कारण इस उद्योग को कोई आज तक बढ़ावा नहीं मिला है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदयजी, एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भीलवाड़ा में 80 हजार के लोन की स्वीकृति हुई और 20 हजार की किश्त उसको मिल गई। इस व्यक्ति ने कई रुपयों का सामान खरीदा और उसके लिए एडवान्स दे दिया और वहां पर उद्योग लगाने के लिए फाउन्डेशन वगैरह भी तैयार किया। किन्तु बदकिस्मती उस व्यक्ति की भी हो सकती है कि उसका लोन कैन्सिल कर दिया गया। दुर्भाग्य की बात है। यह शोचनीय बात है कि राजस्थान में शायद किसी ऐसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति के व्यक्ति को लोन इन्डस्ट्रीज के लिए नहीं मिला, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से किसी प्रकार से यह हांसिल किया। उसका यह नतीजा हुआ कि उसका लोन कैन्सिल करके 20 हजार जो मिला है एक किश्त का वह तुरन्त मय ब्याज के अदा करने का नोटिस मिला। उपाध्यक्ष महोदय, अब आप विचार करेंगे कि उस व्यक्ति की क्या दशा हुई होगी जिसको लोन कैन्सिल होने के बाद किश्त देनी पड़ी। उसको अपना मकान बेचना पड़ा, जमीन जायदाद बेचनी पड़ी। यह है राजस्थान सरकार की मन्शा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों के प्रति। आज इस व्यक्ति को अपने मकान से विमुक्त

(श्री नानाराम)

होना पड़ा, जमीन-जायदाद बेचनी पड़ी। क्या यही सरकार की मन्शा है ? मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ आपके द्वारा उपाध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकार का व्यवहार न किया जाय। अधिक से अधिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोग बेकार हैं उनको रोजगार दिलाना है तो अधिक से अधिक उनको इन्डस्ट्रीज के अन्दर प्रोत्साहित करें ताकि वे अपने रोजगार को बढ़ा सकें।

साथ ही साथ मैं कालीन उद्योग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मैं बार-बार निवेदन कर चुका हूं कि राजस्थान में पूरे भारतवर्ष की 45 पर्सेन्ट ऊन पैदा होती है। हम यह जानते हैं कि विदेशों में जब मांग बन्द हो जाती है तो प्रोडक्शन बन्द कर देते हैं तो उसकी क्या हालत होती है यह शायद माननीय सदस्यों को मालूम नहीं हो सकती है क्योंकि आप लोग उस धन्धे को नहीं करते हैं। मुझे मालूम है कि ऊन के सड़ने के बाद उसको खेतों में खाद की जगह डाला गया था। ऐसी भी हालत है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि कालीन उद्योग राजस्थान में स्थापित हो सकते हैं। तो राज्य सरकार इस पर ध्यान दें कि वह विदेशों से ऑर्डर प्राप्त करा कर अपने विशेषज्ञों द्वारा इस उद्योग को कराये तो मैं यह मानता हूं कि अधिक भेड़ों के ऊन का उपयोग हो सकता है। राजस्थान के कोने-कोने में इसको स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि कारखाना लगाने में न तो पैसा लगता है। इसमें तो सिर्फ ऊन कातना, बुनना और कालीन बुनना पड़ता है। यह काम सरकार अपने हाथ में ले लेगी तो यह सब काम हो सकता है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि खाद के उद्योग की कमी राजस्थान में बहुत बढ़ी है। आज राजस्थान में किस किस के लिए सुविधाएं दी जाती हैं, खेती को बढ़ावा दिया जाता है लेकिन खाद नहीं मिल पाता है तो बड़ी गम्भीर समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक खाद उद्योग को बढ़ाया जाय ताकि हमारी जो समस्या है, वह सुलझ सके।

इसके साथ-साथ मैं और भी अन्य उद्योगों की ओर राजस्थान सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिससे हमारी समस्याएं पूरी हो सकें, हमारी बेरोजगारी दूर हो सकती है। अतः उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को इन्हीं शब्दों में निवेदन करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी !

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ प्रदेश है। राजस्थान में योजनाबद्ध तरीके से उद्योगों की स्थापना की तरफ कारगर कदम अभी तक नहीं बढ़ाये गये हैं, जिनकी वजह से राजस्थान इन्डस्ट्रियली बेकवर्ड रहा। राजस्थान में और विशेष तौर से उन जिलों में जहां कि उद्योगों की कमी है और मैनपावर और दूसरे इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हैं उन जिलों की तरफ राज्य सरकार को उद्योगों की स्थापना के लिए ध्यान देना चाहिए। राजस्थान सरकार ने यद्यपि कुछ जिलों को इन्डस्ट्रियली बेकवर्ड घोषित किया है

(श्री रामनारायण चौधरी)

जिनमें अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर, नागौर आदि ये 6 जिले हैं जहां पर 15 पर्सेन्ट भारत सरकार उद्योगों की स्थापना करने के लिए रिबेट देती है, सबसिडी देती है। लेकिन देखने में यह आया है कि अलवर में किसी उद्योग की स्थापना नहीं हुई, नागौर में कुछ नहीं हुआ, जोधपुर में कोई स्थापना मेरे खयाल से उद्योग की हुई नहीं, भीलवाड़ा पहले से ही इन्डस्ट्रियेलाइज है उदयपुर के टाइम से, लेकिन जो कारगर कदम उठाये जाने चाहिएं वे नहीं उठाये गये हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने कुछ जिलों को बेकवर्ड घोषित किया है। वहां पर सबसिडी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन लोन की व्यवस्था की गई है। अब जो बेकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें झुन्झुनू जिला भी है, सीकर जिला भी है लेकिन झुंझुनूं जिले में, मान्यवर, आज तक इन्डस्ट्रीज के नाम से एक जुलाहे को भी प्रोत्साहन नहीं दिया गया है कि वह परम्परागत जो धन्धा करता आ रहा था वह भी उसको मजबूरन बन्द करना पड़ा। उसका कारोबार जम नहीं सका। मार्केट के अन्दर दूसरी प्रकार से बुना हुआ कपड़ा आने की वजह से जुलाहों के द्वारा तैयार किया हुआ कपड़ा उसके सामने टिक नहीं सकता इसलिए वह बाजार में नहीं बिक सकता। तो जो छोटे-छोटे उद्योग हमारे देश में पहले थे जिनके आधार पर गांव के लोगों की इकोनामी निर्भर करती थी, और उससे इकोनामी देश और प्रदेश की जैनेरेट होती थी वे उद्योग-धन्धे जुलाहों के कपड़ों के थे, कारपेन्ट्री के थे, कुम्हारों के पोट्री के धन्धे थे। इस प्रकार के धन्धे थे वे सब के सब बन्द हो गये। अब एक ही चीज उनके सामने रहती है कृषि, एग्रीकल्चर। तो इस कारण से एग्रीकल्चर पर दबाव जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है। इसके बढ़ने का कारण एग्रीकल्चर लैण्ड की प्राइसेज का बढ़ना, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वहां के मार्केट के अन्दर भाव बढ़ना आदि ऐसी चीजें हुई हैं जिससे लोगों का ध्यान एग्रीकल्चर की तरफ हुआ है, जिसकी वजह से छोटे उद्योग-धन्धे जो सरकार के पेट्रोनाइज होने की वजह से टिक सकते थे वह नहीं हुआ। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे उद्योगों को जब तक हम प्रोत्साहन नहीं देंगे तब तक बेरोजगारी कभी भी हल नहीं हो सकती। मैं मानता हूं कि बड़े उद्योग-धन्धे देश के अन्दर बहुत जरूरी हैं, लेकिन बड़े उद्योगों से बेकारी समस्या कभी भी दूर नहीं हो सकती। जब तक हम छोटी छोटी इण्डिस्ट्रीज नहीं खोलेंगे तब तक यह बेकारी की समस्या हल नहीं होगी।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि झुन्झुनू जिले में आज तक किसी भी व्यक्ति को एक भी पावरलूम पूरे जिले के अन्दर नहीं दिया गया जब कि सैंकड़ों दरख्वास्तें लोगों की झुन्झुनू के लिए पेंडिंग हैं। तो आप आश्चर्य करेंगे कि झुन्झुनू जिला उद्योग की दृष्टि से राजस्थान के रेकार्ड के अन्दर बेकवर्ड घोषित है लेकिन जिले को एक भी पावरलूम एलॉट नहीं हुआ। इस तरह की औद्योगिक नीति राजस्थान सरकार की नहीं है कि मनमाने तरीके से अधिकारियों के पास आवेदन-पत्र दे देते हैं तो उन पर विचार हो जाता है, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से जो जिले के लिए उद्योग लगने चाहिएं उन उद्योगों को

(श्री रामनारायण चौधरी)

प्रोत्साहन न मिले इस प्रकार की नीति राजस्थान की नहीं बनाई गई है। उसकी योजना बनाना जरूरी है ताकि सब जिलों को मदद मिले।

इन्डस्ट्रीज के अन्दर पावरलूम और दूसरे प्रकार की युनिट्स हैं वे उन लोगों को मिलने चाहिएं जिनका परम्परागत और पीढ़ियों से यह धन्धा है। जो अपने हाथ से काम करने वाले हैं उन लोगों को इस प्रकार प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर पावरलूम उन लोगों को मिलने चाहिएं जो कि स्वयं कपड़ा बुनना जानते हैं। उन लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आरा मशीन उन लोगों को देना चाहिए जो कारपेन्ट्री का काम जानते हों, हाथ से काम करते हों और बढ़ई का काम करते हों। इस प्रकार के आदमियों को आरा मशीन देना चाहिए। यदि वे आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं तो वर्किंग केपिटल के लिऐ सरकार को गारन्टी देना चाहिए ताकि बैंक उनको लोन एडवान्स करे ताकि वे अपने कारोबार चला सकें। एक मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योगों के अन्दर किसी भी एक वर्ग की कोई मोनोपोली नहीं है। इसलिए यह जरूरी है कि आज के युवकों में, जो स्कूल और कॉलेजों से निकले हैं, विशेषकर शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के, विशेषकर वीकर सेक्शन से होते हैं उनके लिए कोई इन्डस्ट्रियल इन्स्टीट्यूशन राजस्थान स्तर पर होना चाहिए, जिससे कि निजी इण्डस्ट्रीज में उनको लगाया जाये। राजस्थान सरकार कैपिटल का व्यय करे। रनिंग कैपिटल का व्यय करे। तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर इण्डस्ट्रीज में जो प्रवासी राजस्थानी हैं, जो उद्योग लगाना चाहते हैं, उनको हम प्रोत्साहन दें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो व्यवसायी बम्बई और कलकत्ता में रहते हैं, वे इधर आते रहते हैं। वे यह कहते हैं कि राजस्थान में हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। सबसे पहले उनका यह प्रश्न होता है कि जहां हम जमीन तलाश करते हैं, वहां हमको जमीन नहीं मिलती है। उदाहरण के तौर पर हरियाणा का उदाहरण देते हैं। उनका कहना है कि हरियाणा में 15 दिन में जो काम हो जाता है, वह यहां राजस्थान में महीनों में नहीं होता है। तो हमें यह सोचना चाहिए कि उद्योग लगाने के लिए राजस्थान की तरफ लोग जायें और राजस्थान में अपना केपिटल इनवेस्ट करें; उनका जो टैक्निकल अनुभव है, उसका उपयोग हमें राजस्थान में मिल सके। इसके लिए उपाध्यक्ष महोदय, हम उनको उद्योग लगाने के लिए सुविधाएं दें। जो काम होने वाला है उसके अन्दर उनको सुविधाएं दें ताकि देश और प्रदेश के लोग उसमें लगें। मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं। जिन 6 जिलों को राजस्थान लेविल पर 15% सब्सीडी रिकमेण्ड की है, उनमें झुन्झुनूं और सीकर ये दो जिले नहीं हैं। मैं आपके आधार पर निवेदन करना चाहता हूं, इन दोनों जिलों में उद्योगों को स्थापित किया जायें। मैं देखता हूं कि दोनों जिलों को उद्योगों की दृष्टि से बेकवर्ड घोषित किया जाये और 15% को जो सब्सीडी है वह उनको दी जाये ताकि अनएम्प्लायमेण्ट का दबाव खत्म हो सके। शिक्षा का प्रचार सीकर और झुन्झुनूं में अधिक होने से शिक्षित बेरोजगारों की समस्या बढ़ती

(श्री रामनारायण चौधरी)

जा रही है। आबादी अधिक है और जमीन की कमी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं निवेदन करूंगा कि छोटे-छोटे उद्योगों को लगाया जाये, जिसमें शिक्षित नवयुवकों को भी स्थान दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदार !

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी !

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जयपुर जिले के सम्बन्ध में कहना है। उपाध्यक्ष महोदय, यह खेद की बात है कि राजस्थान बनने के बाद जयपुर में कोई बड़ा उद्योग लगा नहीं है न तो प्राइवेट सेक्टर में और न ही पब्लिक सेक्टर में। स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स हैं, कमानी इण्डस्ट्रीज हैं, ये तो जयपुर में स्टेट के समय से लगे हुए हैं। राजस्थान बनने के बाद कोई उद्योग लगा नहीं है, न तो पब्लिक सेक्टर में और न प्राइवेट सेक्टर में। पूरे जयपुर सम्भाग में नहीं लगा है। राजस्थान बनने के बाद कोई उद्योग लगा नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार ऐसा चाहती नहीं है। वह कैसा है, वह मैं समझाना चाहता हूं। जहां पर इण्डस्ट्रीज के लिये सारी सुविधाएं मौजूद हैं, वहां कोई कोशिश नहीं की जाती है। जहां पर नहीं है, वहां पर बिजली की लाइन डालेंगे। पानी का इन्तजाम करेंगे। कोशिश करते हैं, तब जाकर एस्टेब्लिश हो सकती हैं। दूसरी बात, इस एरिया में ट्रेण्ड लेबर है, वह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। क्योंकि उद्योग के लिए यह जरूरी है कि ट्रेण्ड लेबर उपलब्ध हो। उसमें भी सरकार ने प्रयास नहीं किया है। दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, हम यह मानकर चलते हैं, इस एरिया की पापुलेशन ज्यादा है। प्रेशर आफ पापुलेशन ज्यादा है। डेंसिटी आफ पापुलेशन की जमीन कम है। बेकार ज्यादा हैं। यह सब कोई जानते हैं कि दिल्ली में लाखों की तादाद में, बिल्डिंग के जो लेबर हैं, सड़क पर काम करने वाले लेबर हैं, वे सारे के सारे जयपुर और जयपुर डिस्ट्रिक्ट और जयपुर सम्भाग के लाखों आदमी काम करते हैं। वह इसीलिए उपाध्यक्ष महोदय करते हैं कि उनको कोई एम्प्लायमेन्ट की अपर्चुनिटी नहीं है। न उसके लिए सरकार ने कोई प्रयास किया है। मैं बराबर कहता हूं, इस इलाके को, इस इलाके के सम्भाग को इसके डेवलपमेण्ट की तरफ आज तक सरकार ने उपेक्षा पूर्ण नीति सरकार ने अपनाई है और अब भी अपनाती जा रही है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। आखिर एक पर्टीक्यूलर एरिया को मानकर यहां पानी नजदीक है, खेती अच्छी होती है इसलिए यहां पर कुछ करना नहीं है, ऐसा सरकार ने मान लिया है। तो इसका रिपरकशन्स होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं सरकार को कहूंगा यहां वेजीटेबल कारखाना लगा दिया है। लेकिन इससे कोई एम्प्लायमेण्ट की समस्या हल नहीं होती है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस सम्भाग को इस प्रकार से करना, इरिगेशन पर और जगह 22 करोड़ हुआ है। इस पूरे सम्भाग में सब कुल मिला कर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं हुआ, जब कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस सम्भाग में रहते हैं, दो करोड़ 50 लाख लोगों में से एक करोड़ लोग इस सम्भाग में रहते है। 250 करोड़ खर्चा हुआ है जहां

(श्री पी. के. चौधरी)

पर 5% भी खर्चा नहीं हुआ है। यहां पर इरिगेशन को देखो। यहां सड़कों को देखो। यहां पर पर्याप्त खर्चा नहीं किया गया है। इस सम्भाग की जनता यह कब तक बर्दाश्त करेगी। इसका रिएक्शन होता है। इसलिए सरकार से निवेदन करना है कि सरकार इण्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने के लिए, सरकार को कदम उठाने चाहिएं। चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे पब्लिक सेक्टर में हो, चाहे ज्वाइण्ट सेक्टर में हो, राजस्थान इण्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन है। अलवर में एक स्कूटर की फैक्ट्री लगाने का काम किया है। आज तक उसने क्या काम किया है। किसके साथ में क्या तय हुआ है। किसी बात का पता है नहीं। न सरकार को पता है। उसका पता नहीं, क्या हो रहा है। यह बताया, चार लेटर ऑफ इन्डेन्ट और मिले हैं, इस प्रकार दस लेटर ऑफ इन्डेन्ट मिले हैं जोइन्ट सेक्टर में, उनमें, से एक के लिए बताया कि अलवर में स्कूटर का कारखाना होगा और बाकी के लिए सरकार बताने की स्थिति में नहीं है। मेरा निवेदन है, इस बात के ऊपर सरकार को सोचना चाहिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट की इरिगेशन, पावर, एग्रीकल्चर, रोड्स, कम्युनिकेशन-इन सब बातों में उपेक्षा करते जायेंगे तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई !

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्षजी, जालोर, जो भी दृष्टि हो उस दृष्टि से राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। यह जान कर आपको आश्चर्य होगा कि अभी तक जिला जालोर की ओर राज्य सरकार ने ध्यान कुछ नहीं दिया है। कुछ छोटी-मोटी इन्डस्ट्रीज वहां पर पहले चालू की गईं लेकिन कोटा न मिलने के कारण और सरकार का सहयोग न होने के कारण वे खत्म हो चुकी हैं, इसलिए जालोर जिले को औद्योगिक दृष्टि से बेकवर्ड जिला घोषित किया जा सकता है। इन्डस्ट्री के लिए मेरा निवेदन है कि भीनमाल और जालोर में इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स कायम की जायें।

उपाध्यक्षजी, इसके अलावा जालोर में ग्रेनाइट पत्थर के बहुत अच्छे डिपॉजिट हैं, बहुत अच्छी खाने हैं, जिनमें कई तरह के कलर्ड पत्थर निकलते हैं, जिनकी सारे देश में मांग है, परन्तु वह पत्थर महंगा है क्योंकि हाथ से खुदाई होती है और हाथ से कारीगरी होती है, इस वजह से वह महंगा पड़ता है। इस पत्थर को महंगा होने की वजह से खपत कम है। इस ओर मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, स्पेशल मशीनरी लगा कर सस्ता पत्थर निकलवा कर इसे बाहर एक्सपोर्ट किया जाय, ताकि इसकी जो इन्डस्ट्रीज हैं वे वहां स्थापित हो सकें।

इसके अलावा, उपाध्यक्षजी, जिला जालोर का सर्वे किया जाय स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन की तरफ से, वहां पर चटाई की इन्डस्ट्रीज और छोटी-मोटी इन्डस्ट्रीज का स्कोप है। जालोर में खादी की पट्टियों और बड़े शीट्स का काफी स्कोप है। इसलिए वहां हैंडलूम और पावर लूम लगाये जाएं। स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन को इस ओर ध्यान

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

देना चाहिए जिससे वहां पर उद्योग पनप सके ।

इसके अलावा जिला जालोर के अन्दर इन्डस्ट्रीज का काफी स्कोप है, इसलिए वहां इन्डस्ट्रीज लगाने के लिहाज से सरकार इस ओर ध्यान दे ।

इसके अलावा मैंने कट मोशन नियोजन के बारे में दिया है । जिला जालोर के अन्दर शिक्षित लोग हैं, उनको एम्प्लायमेंट के लिए एम्प्लायमेंट एक्सचेंज पहले सिरोही में था, जालोर में नहीं था । अब जालोर में स्थापित किया है, परन्तु एम्पलायमेंट एक्सचेंज, लोगों को मालूम नहीं होने की वजह से उन्हें एम्प्लायमेंट दिलाने में नाकामयाब रहा है । इसलिए इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जालोर में एम्प्लायमेंट एक्सचेंज स्थापित हो गया है । विगत में सिरोही में होने की वजह से लोग बेकार घूमते रहते थे । सिरोही जिले से जालोर जिले की जनसंख्या ज्यादा होने के बावजूद भी सिरोही में एम्प्लायमेंट एक्सचेंज होने से वह लोगों को एम्प्लायमेंट दिलाने में नाकामयाब रहा है । इसके लिए जालोर में दफ्तर व मकान की व्यवस्था की जाय ।

उपाध्यक्षजी, फर्टीलाइजर, रासायनिक खाद की काफी मांग है । रबी सीजन में इसका भयंकर रूप से ब्लेक हुआ था । श्रीराम फर्टीलाइजर के बोर्ड देखे गये, लेकिन रबी सीजन में एक बेग भी प्राप्त नहीं हुआ और ब्लेक से काश्तकारों को धानेरा और पालनपुर से लाना पड़ा । भविष्य के लिए मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । फर्टीलाइजर की पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर सब जगह एजेंसी दें या मार्केटिंग सोसायटी को दें, जैसा कि पहले था ताकि भविष्य में उचित व्यवस्था की जा सके और फसल की सीजन में फर्टीलाइजर की कमी नहीं रहे और काश्तकारों को ब्लेक से फर्टीलाइजर नहीं लेना पड़ेगा । इस विषय में राज्य सरकार को भविष्य में ध्यान रखने की आवश्यकता है ।

इन शब्दों के साथ जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उनकी ओर मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुपूरक अनुदान की मांगें प्रस्तुत हुई हैं उनके ऊपर मैंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं । अभी मैं उद्योग के बारे में, जिस पर मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है, मेरे विचार रखना चाहूंगा । राजस्थान प्रान्त उद्योग की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ प्रान्त है । राजस्थान प्रान्त की इकानामी कृषि, पशुपालन के ऊपर विशेष निर्भर है । और उद्योगों से आय होती है, 4.5 पर्सेन्ट उसका कन्ट्रीब्यूशन है, जब कि औसत दूसरे जो स्टेट्स का आया है उद्योग से वह 13 पर्सेन्ट है । राजस्थान की उद्योगों से आय 4.5 पर्सेन्ट है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थान उद्योग की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ प्रान्त है । प्रश्न यह उठता है कि राजस्थान के लोग उद्योगपति हैं, उन्होंने अपने उद्योग बंगाल में फैलाये हैं, उन्होंने अपने उद्योग बंबई में फैलाये हैं और उन्होंने अपने उद्योग मद्रास में फैलाये हैं । परन्तु राजस्थान प्रान्त में उद्योगों की

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

स्थापना में सफलता क्यों नहीं मिली है यह प्रश्न स्वाभाविक ही उठ जाता है। इसका कारण यह है कि राजस्थान का 55 पर्सेन्ट क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र है, इसके अधिकांश लोग, शेखावाटी के, मारवाड़ के, बीकानेर के यह सभी लोग बंगाल में, बम्बई में, मद्रास में गये और वहां जाकर उन्होंने अपने उद्योग स्थापित किये और वहां उद्योगों में सफल हुए। परन्तु सफलता के बाद में जब कि दूसरे प्रान्त औद्योगिक प्रगति कर रहे हैं, तब राजस्थान के प्रान्त को भी देखना है कि हमारे यहां भी औद्योगिक विकास हो। हमारे से लगता हुआ हरियाणा प्रान्त है, वहां औद्योगिक प्रगति हो रही है परन्तु राजस्थान के अन्दर राजस्थान के ही उद्योगपति हैं जो दूसरे प्रान्तों में हैं, क्यों नहीं आकर्षित होते हैं। हम जब गुजरात प्रान्त में गये, हम जब बम्बई में गये, मैसूर में गये और वहां व्यापारियों से मिलना हुआ तब उन्होंने कहा कि हम राजस्थान में आकर करें क्या, हमको कोई सुविधायें प्राप्त नहीं होती हैं। हमें कोई गवर्नमेंट मशीनरी की ओर से और मंत्रिमंडल की ओर से कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता है। अगर हम कोई एस्टेब्लिशमेंट स्थापित करें तो हमको एक-एक साल तक उनके पीछे फिरना पड़ता है और तब भी यह स्थिति होती है कि हम कोई एस्टेब्लिशमेंट जमा सकते हैं या नहीं जमा सकते हैं; हमें सुविधा प्राप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है, हमें विद्युत् प्राप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है इसका पता नहीं होता। इन परिस्थितियों के अन्दर हम किस प्रकार एस्टेब्लिशमेंट स्थापित करें। राजस्थान गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी जाते हैं, चीफ मिनिस्टर भी जाते हैं, उनके सामने भी यह प्रश्न रखा जाता है। एम० एल० ए० जाते हैं, कमेटी के मेम्बर जाते हैं, उनके सामने भी यह प्रश्न रखा जाता है उसी समय हम उनको पूरी आशा बंधा देते हैं लेकिन जो उद्योगपति यहां आकर अपना उद्योग जमाना चाहते हैं और जमने का प्रयास करते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती है। मुझे राजस्थान गवर्नमेंट को कहना है और उद्योग के मिनिस्टर हैं उनको यह कहना है, और खास तौर पर मुख्य मंत्री को कहना है कि वाकई में इन उद्योगपतियों को विशेष प्रोत्साहन देना चाहते हैं और अपने प्रान्त में उद्योग स्थापित कराना चाहते हैं तो इस पर गहराई से सोचना होगा, गहराई से सोच कर जो भी इण्डस्ट्री या उद्योग स्थापित करना चाहते हैं उनको मदद देनी होगी।

अब मैं मेरे जिले बाड़मेर की ओर आता हूं। अब राजस्थान राज्य में दूसरे जिलों का तो औद्योगिक विकास हुआ नहीं, बाड़मेर और जैसलमेर की हालत बहुत ही खराब है। बाड़मेर जिले में ठीक है, अपने परिश्रम से बालोतरा में रंगाई-छपाई का कार्य बहुत बढ़िया चल रहा है। दो करोड़ की आय वहां के जो व्यापारी हैं, जो उद्योगपति हैं, वे दो करोड़ का सेल कर रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं। परन्तु राज्य सरकार की ओर से उनको भी जो सहायता मिलनी चाहिए वह प्राप्त नहीं हुई। बाड़मेर जिले में जूट का उद्योग स्थापित किया गया है मैं चाहता हूं कि राजस्थान

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

का खादी बोर्ड जूट के उद्योग को अपने हाथ में ले। जूट का निर्यात होता है सउदी ऐरेबिया और दूसरे देशों को, उससे विदेशी मुद्रा मिलती है। इसलिए खादी बोर्ड को यह उद्योग अपने हाथ में लेना चाहिए क्योंकि वहां बहुत गुंजाइश है। इसका कारण यह है कि राजस्थान में विशेष तौर से बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में ऊंट ज्यादा मिलते हैं और उनसे जूट की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ऊंट, बकरी और जानवर अधिक उपलब्ध होते हैं। इसलिए इसमें गुंजाइश है। अतः जूट के व्यवसाय की उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए।

खादी कमीशन और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जो उन जिलों में कार्य कर रहे हैं, उनसे वहां के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरी है। अनुसूचित जाति के लोगों की हालत सुधरी है। ऊन को कताई और बुनाई के केंद्र सीमावर्ती क्षेत्रों में खुले हैं और उनकी आर्थिक स्थिति को बड़ा लाभ पहुँचा है। परन्तु राज्य सरकार की ओर से खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को बहुत कम सहायता मिलती है। खादी कमीशन से कुछ सहायता मिलती है, राज्य सरकार की तरफ से जो मदद मिल रही है वह कम है। अभी हाल ही में अकाल के बारे में राज्य सरकार ने कोशिश की और केन्द्रीय सरकार से जब कोशिश की तब 10 लाख रुपए उनको प्राप्त हुए, 8 लाख तो लोन के रूप में और 2 लाख अनुदान के रूप में। हम इस अकाल में सड़कों के कार्य कर रहे हैं और बहुतसे अन्य कार्य कर रहे हैं परन्तु ये कार्य इतने उपयोगी नहीं हैं। उनसे खादी का कार्य बहुत उपयोगी है और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने योजना प्रस्तुत की है सरकार के सामने और सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि वह स्कीम जो पहले एक करोड़ की थी अब 50 लाख रुपए की प्रस्तुत की है, उसके लिए सरकार का अकाल विभाग केन्द्रीय सरकार से कोशिश करे कि 50 लाख या एक करोड़ की उपलब्धि हो, वह अगर कार्य कराया जाता है तो एक तो वह उपयोगी कार्य होता है और दूसरे वह खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के स्थायी असेट्स हो जाते हैं। एक करोड़ के असेट्स होने से उसमें किसी तरीके से नुकसान नहीं हो सकता और बहुतसे लोगों को रोजगार मिल जाता है। अभी भी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जो काम कर रहा है उसमें 88,000 व्यक्ति एम्प्लाईड हैं। यह सही है कि उसमें स्थाई प्रकार के लोग कम हैं परन्तु पार्ट-टाइम जोब बहुत से लोगों को मिलती है। बुनाई का कार्य औरतें घर बैठे करती हैं और उनको 20–25 रुपए प्रति मास मिल जाते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सहायता मिल जाती है। तो इन क्षेत्रों में जिनमें ऊन की कताई और बुनाई का ज्यादा स्कोप है बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में और इन क्षेत्रों में विशेष तौर से राजस्थान में जो ऊन प्राप्त होती है, वह हिन्दुस्तान की 40 प्रतिशत है और बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में राजस्थान में जो ऊन प्राप्त होती है, उसका आधा उन दो जिलों में है। इसलिए ऊन के धंधे का स्कोप है और राजस्थान ग्रामोद्योग बोर्ड सरकार से मदद लेकर इस धंधे को प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे इन जिलों के बहुत से गांवों को पूरी तरह से धंधा मिल सकेगा और यह भारी उपलब्धि हो सकेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

दूसरी बात खत्रियों का रंगाई-छपाई का कार्य था, वह कपड़ा अधिकांश मुसलमान पहनते थे और वह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान में जाने से अब उनके सामने समस्या है। औद्योगिक सहकारी समिति बनाई, बड़ी कठिनाई आई लोन की। मार्केटिंग फैसिलिटीज के बारे में कठिनाई आई और मैं कहता हूं जितनी सहकारी समितियां हैं रंगाई-छपाई की हों, चर्म उद्योग की हों, राज्य सरकार की औद्योगिक नीति स्पष्ट न होने के कारण बाड़मेर जिले में असफल हुई हैं और राजस्थान में असफल हुई हैं। सहकारिता विभाग व उद्योग विभाग दोनों का कोआर्डीनेशन नहीं है। इस कारण यह स्थिति हुई है कि जितनी औद्योगिक सहकारी समितियां बाड़मेर जिले में हैं. वे सफल नहीं हुई हैं। राज्य सरकार को देखना है कि जो सहकारी समितियां हैं, जिनके द्वारा हमारे उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए और वे सफल नहीं हो रही हैं। इसलिए राज्य सरकार और इन दोनों विभागों को सोचना चाहिए कि किस तरह से ये औद्योगिक सहकारी समितियां सफल हों और राजस्थान में सहकारिता मूवमेंट के द्वारा ये उद्योग सफल हो सकें।

राजस्थान में 11 औद्योगिक वस्तियां हैं। मैं चाहता हूं कि बालोतरा में औद्योगिक बस्ती कायम हो और वहां रंगाई-छपाई के बारे में जो मैंने जिक्र किया उस उद्योग का काफी विकास हो रहा है और काफी गुंजाईश है। इसलिए वहां पर औद्योगिक बस्ती कायम करना आवश्यक है।

जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं और इंजीनियर्स हैं उनको राजस्थान वित्त आयोग मदद दे रहा है, लोन दे रहा है, परन्तु मेरे बाड़मेर जिले में जिन लोगों ने, डिप्लोमा होल्डर्स या इंजीनियर्स ने एप्लाई किया, किसी तरीके से उनको राशि उपलब्ध नहीं हुई। यद्यपि सरकार ने बताया है कि इस मामले में 76 लाख रुपए राजस्थान वित्त आयोग ने 60 इंजीनियर्स और डिप्लोमा होल्डर्स को दिए हैं परन्तु हमारा बाड़मेर जिला इसका लाभ नहीं उठा सका। दूसरे जिले 15 प्रतिशत सबसीडी देकर उद्योगों को विकास करना चाहते हैं, हमारे बाड़मेर जिले को भी लिया जाना चाहिए और बाड़मेर व जैसलमेर दोनों सीमावर्ती क्षेत्र हैं, इनका औद्योगिक विकास होना बहुत आवश्यक है। खनिज सम्पदा का डेयरी उद्योग का स्कोप है उसका विकास करें, जिप्सम की संभावना है, जिप्सम बेस्ड उद्योग कायम करके विकास करें। वहां अधिक जानवर हैं इसलिए हड्डियों का क्रशिंग मशीन लगाकर कारखाना स्थापित करें। तूम्बे मतीरे बहुत ज्यादा हैं. वे गुजरात व बम्बई में जाते हैं उनसे तेल बनता है, उनका प्रयोग करके इस उद्योग को स्थापित करें।

इस प्रकार इस क्षेत्र में बहुत ही स्कोप है, दूसरी इन्डस्ट्रीज लगाने का और जिप्सम बेस्ड इन्डस्ट्रीज लगाने का। उसमें हम ऊन की कताई व बुनाई तथा ग्वार के सम्बन्ध में हम गम की इन्डस्ट्री लगा सकते हैं तथा मतीरे व तूम्बे के तेल का उद्योग लगा सकते हैं। इसी प्रकार हम डेयरी का उद्योग भी वहां पर लगा सकते हैं। वहां पर चर्म उद्योग लगाने की काफी गुन्जायश है और उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन भी आपके

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

मारफत राज्य सरकार से करना चाहूंगा कि राजस्थान का यह क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है, इसके अन्दर विकास करने की काफी गुन्जायश है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र का विकास करना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, यह रेगिस्तानी इलाका है अगर इसका हम विकास कर देते हैं तो इससे हमें बहुत फायदे होंगे। यह सीमा क्षेत्र है, अगर सीमा क्षेत्र हमारा मजबूत हो जायेगा तो जो लोग वहां पर रहते हैं उनका मोरल बहुत हाई हो जायगा और अगर कभी भारत-पाकिस्तान का युद्ध हो तो वहां के लोग अच्छी तरह से उसका मुकाबला कर सकते हैं। वहां के लोग हिम्मत से मुकाबला कर सकते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र का विकास किया जाय। राजस्थान का यह इलाका औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इसका विकास किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती निर्मला-कुमारी।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग, श्रम नियोजन आदि जो अनुपूरक मांगों पर बहस चल रही है उस पर अपना विचार प्रकट करना चाहती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानती हूं कि राजस्थान प्रान्त वास्तव में एक कृषि प्रधान प्रान्त है। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या की कृषि आवश्यकता के लिये कृषि भूमि को हम खींच कर नहीं बढ़ा सकते हैं और हमारे यहां पर इतनी कृषि नहीं होती है कि यहां के रहने वालों को सभी को रोटी रोजी मिल सके। लेकिन यह बात है कि अगर हम कृषि के साथ-साथ दूसरे उद्योगों की स्थापना कर दें तो लोगों को काफी फायदा हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, हम कृषि पर आधारित जो भी उद्योग हों उन्हें यहां पर खोलें तो काफी विकास हमारे यहां हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल ऐसा है कि राज्य सरकार ने इस ओर कोई खास कदम नहीं उठाये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि राजस्थान में खनिज सम्पदा की बहुतायत है। यहां पर इतना अधिक खनिज सम्पदा होते हुए भी यहां बहुत अधिक उद्योगों का विकास नहीं हुआ है। वैसे कुछ कार्य हुए हैं लेकिन इस तरफ बहुत अधिक सराहनीय कार्य नहीं हुए हैं। और मैं समझती हूं कि इस ओर राज्य सरकार अपना ध्यान दे तो काफी विकास हो सकता है। यह बात जरूर है कि राजस्थान के कुछ इलाकों में उद्योगों के भविष्य की सम्भावाओं के लिये सर्वे हुआ है लेकिन वह सर्वे कार्य भी विस्तृत रूप से नहीं हुआ। राजस्थान में केवल चार जिले ऐसे हैं जहां पर राजस्थान सरकार ने उद्योग लगाने के लिये सर्वे कार्य किया है जिसमें चूरू, बांसवाड़ा, नागौर और टोंक हैं। लेकिन अभी तक औद्योगिक विकास के लिये राजस्थान के भविष्य को उज्ज्वल करने के लिए सरकार ने पूरे राजस्थान को टच नहीं किया है। और यही कारण है कि राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से हिन्दुस्तान के और प्रान्तों से काफी पिछड़ा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, औद्योगिक विकास के बारे में चित्तौड़गढ़ का इलाका काफी विकसित होने लायक है। इसलिये मेरा निवेदन है कि चित्तौड़गढ़ के

(श्रीमती निर्मलाकुमारी-शक्तावत)

क्षेत्र में काफी औद्योगिक विकास आप कर सकते हैं। अगर हम चितौड़गढ़ के इलाके का औद्योगिक विकास करते हैं तो यह जो इलाका काफी अभावग्रस्त और यहां पर काफी लोग बेरोजगार हैं उनकी ये कठिनाइयां समाप्त हो सकती हैं। आज जो यहां पर बेरोजगारी की समस्या है उसे समाप्त किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि राजस्थान में जो भी उद्योग स्थापित किये गये हैं वे सभी बड़े-बड़े शहरों में किये गये हैं। मेरा राजस्थान सरकार से यह निवेदन है कि जो भी उद्योग स्थापित किये जायें उनको विकेन्द्रीकृत किया जाना चाहिये और उद्योग वहीं स्थापित किये जाने चाहियें जहां उद्योगों से संबंधित कच्चा माल पाया जाता है। तभी उन जगहों का विकास हो सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि इसके लिये ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे कि राजस्थान के अन्दर या राजस्थान के बाहर के साहसी लोग वहां पर उद्योग स्थापित करने का साहस कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, काफी लोग राजस्थान में उद्योग लगाने का साहस कर सकते हैं लेकिन राज्य सरकार ने इस ओर कोई विशेष कारगर कदम नहीं उठाये हैं। इसलिये मेरा राज्य सरकार को यह सुझाव है कि राज्य सरकार समय-समय पर जन-सम्पर्क निदेशालय द्वारा इसके लिये एडवरटाइजमेन्ट दिलावे, उसमें यह बताया जाना चाहिये कि राजस्थान सरकार इस प्रकार की सहूलियतें देने जा रही है। और उसके लिये वे लोग जाकर उद्योग निदेशालय से सम्पर्क स्थापित करें तो हो सकता है कि लोग वहां पर उद्योग लगाने का साहस कर सकते हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, लोगों को इस समय राज्य सरकार द्वारा सुविधायें नहीं मिलने के कारण आज तक इस ओर कोई विशेष विकास का काम नहीं हो सका है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगी कि अगर राज्य सरकार बेरोजगारी को समाप्त करना चाहती है और राजस्थान का विकास करना चाहती है तो हमें राजस्थान के अन्दर स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन देना चाहिये। क्योंकि लघु उद्योग के माध्यम से और कुटीर उद्योगों के माध्यम से हम अभावग्रस्त क्षेत्रों का और बेरोजगारी को तो समाप्त कर ही देंगे पर इसके साथ-साथ राजस्थान का विकास भी कर सकते हैं। इसके लिये मैं यह सुझाव दूंगी कि राजस्थान सरकार इन उद्योगों को सबसीडी दे या राजस्थान वित्त निगम उनको सबसीडी दे अथवा इन उद्योगों को बिना ब्याज के रकम दे ताकि लोग इन उद्योगों की स्थापना कर सकें। लेकिन अभी तक राजस्थान वित निगम द्वारा या स्माल स्केल इन्डस्ट्री द्वारा कोई सराहनीय कार्य इस ओर नहीं किये गये हैं। आज राजस्थान के अलावा दूसरे प्रान्तों में लोगों को काफी सुविधाएं दी जा रही हैं, इसलिये मैं राज्य सरकार को यह सुझाव देना चाहती हूं कि आज राजस्थान के पश्चिमी इलाके और पहाड़ी इलाके में जहां पर कि लोग काफी गरीब हैं और यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़े हुए हैं वहां पर बहुत अधिक कुटीर उद्योग स्थापित हो सकते हैं। इसलिये राज्य सरकार को इन इलाकों में किस-किस प्रकार के कुटीर उद्योग या लघु उद्योग स्थापित हो सकते हैं, इस ओर ध्यान देना चाहिये।

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

इन अभावग्रस्त क्षेत्रों में कई उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं, जैसे चर्म उद्योग, ऊन कताई व बुनाई उद्योग, डेरी उद्योग वगैरह-वगैरह ऐसे बहुत से उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार ने इन पिछड़े क्षेत्रों में अभी तक कोई उद्योग स्थापित नहीं किये हैं। अगर उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे तो मैं निश्चित रूप से कह सकती हूं कि हमारा जो प्रान्त आज पिछड़ा हुआ है वह विकसित हो जायगा और वहां के लोगों में आज बेरोजगारी की समस्या है वह समस्या हम मिटा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चित्तौड़गढ़ के बारे में निवेदन करना चाहती हूं वहां पर बहुत से कुटीर उद्योगों की स्थापना की जा सकती है, उन्हें बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है। मैं मेरे क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के बारे में निवेदन करना चाहती हूं वहां पर रंगाई-छपाई उद्योग का काफी विकास होने की गुन्जाइश है। इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ जिले में बस्सी गांव है यहां लकड़ी के खिलौने बहुत ही अच्छे बनते हैं। वहां पर यह परम्परागत उद्योग है लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है। अगर राज्य सरकार वहां के उद्योग को प्रोत्साहन दे तो मैं आपसे निश्चित कह सकती हूं कि वहां के खिलौने अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में आगे आ सकते हैं। लेकिन उस ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है, मैं तो कहना चाहूंगी कि जो ध्यान दिया गया है वह नगण्य है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि राज्य सरकार को चाहिये कि इन इन्डस्ट्रीज को सबसीडी दे। ऐसा नहीं करने से आज इन उद्योगों में कई प्रकार की कठिनाइयां पैदा हो गई हैं और ये धीरे-धीरे समाप्त से हो रहे हैं। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह सुझाव है कि राज्य सरकार को इन कुटीर उद्योगों में काम करने वाले व्यक्तियों को जो कि बहुत ही गरीब हैं और पिछड़े हुए हैं उन्हें अनुदान देना चाहिये। अगर हम इन्हें अनुदान देंगे तो ही हम इनका विकास कर सकते हैं और जब इन उद्योगों का विकास हो जायगा तो अपने आप ही ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो जायगा। नहीं तो आज हम कृषि पर निर्भर रहते हैं और पूरी कोशिश करने के बाद भी इतनी पैदावार नहीं होती कि हमारा काम चल सके। इसलिये मेरा निवेदन है कि राजस्थान में कृषि से सम्बन्धित उद्योगों की स्थापना यहां पर की जा सकती है। जैसे ट्रेक्टर का उद्योग अभी हमारे यहां सिर्फ दो जगह ही लाइसेन्स दिये हुए हैं, लेकिन हमारे राजस्थान में आज करीब तीस हजार ट्रेक्टर्स की जरूरत है। निकट भविष्य में राजस्थान कैनाल बनने पर 48 हजार ट्रेक्टर्स की आवश्यकता होगी। इसलिये राज्य सरकार को चाहिये कि ट्रेक्टर उद्योग की स्थापना के लिये और लाइसेन्स दिये जायं। इसी प्रकार डीजल इन्जन के भी कारखाने लग सकते हैं क्योंकि आज इनकी डिमान्ड्स ज्यादा है। इसलिये राज्य सरकार को चाहिये कि इन उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाय। इन्हें आर्थिक मदद दी जाय ताकि हम आगे बढ़ सकें। उपाध्यक्ष महोदय, सीसा और जस्ता की भी राजस्थान में बहुतायत है उस पर आधारित

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)

उद्योग का भी काफी विकास होने की गुन्जाइश है लेकिन राज्य सरकार पता नहीं क्यों इस ओर उदासीन है। मैं राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगी कि श्रम एवं नियोजन क्षेत्र में इसके लिये विचार करना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में श्रम कल्याण का बहुत ही कम काम हमारी सरकार द्वारा किया गया है। मैं चाहती हूं कि राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे। उपाध्यक्ष महोदय, आज चित्तौड़गढ़ के अन्दर एक बिड़ला सीमेंट फैक्ट्री है। वहां पर सीमेन्ट के कारखाने से काफी डस्ट उड़ती और वह डस्ट जमीन पर जम जाती है जिससे कि कृषि जमीन का उपजाऊपन समाप्त हो रहा है इसके अलावा जो सीमेन्ट की डस्ट जो है वह वहां काम करने वाले मजदूरों के लिये भी स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। पर आज भी उस ओर राज्य सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि इस डस्ट को रोकने के लिये राज्य सरकार को चाहिये कि वहां पर एक प्लान्ट लगाया जाय। मैंने कई बार राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया, सदन में प्रश्न भी उठाये लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने इस डस्ट को रोकने के लिये कोई प्लान्ट नहीं लगाया है, इसलिये वहां पर श्रमिकों की हालत खराब है। मेरा राज्य सरकार को यह सुझाव है कि वहां पर डस्ट रोकने के लिये व श्रमिकों की हालत सुधारने के लिये एक प्लान्ट लगाया जाय। इनके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि उद्योगों के विकास के लिये यह जरूरी है कि उद्योग वहीं पर ही स्थापित किये जाने चाहियें जहां पर उन उद्योगों के लिये भौगोलिक और बाज़ार की कन्डीशन्स फेवरेबल हों। और मेरे ख्याल से माननीय सदस्यों को पता होगा कि मैंने चित्तौड़गढ़ में खाद के कारखाने को स्थापित करने की मांग की थी यह मेरी चिरप्रतीक्षित मांग है। मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगी इसका सर्वेक्षण भी किया जा चुका है और सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार खाद का कारखाना चित्तौड़गढ़ में लगना चाहिये क्योंकि उसके लिये चित्तौड़गढ़ की भौगोलिक परिस्थिति अनुकूल है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि चित्तौड़गढ़ को खाद के कारखाने के लिये प्राथमिकता दी जाय यही एकमात्र स्थान है जहां पर कि खाद का कारखाना स्थापित किया जा सकता है। वहां पर रॉकफास्फेट का कारखाना झामरकोटड़ा में है वहां पर पानी की सुविधायें ही हैं। अगर वहां पर हम खाद का कारखाना खोल देते हैं तो वहां पर मध्यप्रदेश भी पास ही चित्तौड़गढ़ के लगा हुआ है वहां पर हम खाद को एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से भेज सकते हैं लेकिन पता नहीं राज्य सरकार इस पर क्यों मौन है। अभी तक उन्होंने केन्द्रीय सरकार से बातचीत करके इसे लगाने की ओर कोई कारगर कदम नहीं उठाया है, जिससे यह मामला अभी तक खटाई में पड़ा हुआ है। अगर राज्य सरकार खाद का कारखाना वहां पर लगाती है तो लोगों को काम भी अच्छा मिल सकता है और आज जो अकाल की स्थिति वहां पर खाद समय पर न मिलने से पैदा हुई है वह भी वहां पर नहीं होगी क्योंकि लोगों को काम

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)

मिल जायगा और वहां उद्योग की स्थापना भी हो जायगी। मैं इस सदन में यह मांग बार-बार दोहरा रही हूं और आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी और निवेदन करूंगी कि राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

श्रम के सम्बन्ध में एक बात निवेदन करना चाहूंगी। श्रमिक महिलाओं के बच्चों की देखरेख के लिये किसी जगह क्रेचेज की व्यवस्था नहीं है। यदि ऐसी व्यवस्था हो तो माताएं अपने बच्चों को वहां रख कर सुचारुरूप से काम कर सकती हैं। माताएं काम पर जाती हैं तो बच्चों को या तो गोदी में उठा कर ले जाती हैं या ऐसा नशीला पदार्थ खिला देती हैं कि जिससे बच्चा अधिक देर तक सोता रहता है। यह भावी पीढ़ी के मानसिक विकास के लिये बहुत बड़ा आघात है। इसलिये श्रम आयुक्त हैं उनको यह चाहिये कि क्रेचेज की व्यवस्था करें। इसकी व्यवस्था स्थान-स्थान पर होना चाहिये खास कर उस स्थान पर जहां 40 से अधिक महिलाएं काम करती हों। उनके लिये इस प्रकार की व्यवस्था हो जाने से भावी पीढ़ी के मानसिक विकास में बाधा नहीं आवेगी और उनकी उन्नति के लिये भी बाधक नहीं होगी।

इन्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल्स में श्रमिक आते हैं। लम्बे अर्से तक केसेज रहते हैं और चलते रहते हैं। श्रमिक जो उन स्थानों पर आते हैं उनको परेशानी उठानी पड़ती है। इन्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल्स की गति को तेज करनी चाहिये जिससे सस्ता न्याय मिले।

कृषि के सम्बन्ध में भी बहुत सारे श्रमिक लगे हुए हैं परन्तु श्रम कल्याण विभाग उस पर मौन है। उस बारे में कुछ कारगर कदम नहीं उठाये गये हैं यद्यपि मजदूरों को निम्न वेतन मान से भी निम्न स्तर की मजदूरी भी नहीं मिलती है और उनका पूरी तरह से शोषण किया जाता है। सरकार ने उस ओर कोई कार्य नहीं किया है।

नियोजन विभाग के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगी। राष्ट्रीय नियोजन सेवा केन्द्रों द्वारा जन-सेवा का अच्छा कार्य किया जा सकता है। जो कार्य उनके द्वारा किये गये हैं, उनको भुलाया नहीं जा सकता है परन्तु कार्यों में गति की आवश्यकता है। व्यावसायिक क्षेत्रों में नियोजन कार्यालयों द्वारा कार्य नहीं किया गया है। यद्यपि रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्य किया है। वास्तविक रूप से देखें तो प्रगति नहीं हुई है। कार्यालयों का कार्यभार केवल चाहर दिवारी में ही सीमित है। नौकरी के लिये कार्ड दे देना और नौकरियों के लिये डिमान्ड होने पर इन्टरव्यू के लिये भिजवा देना। भविष्य के लिये जो गाइडेन्स मिलनी चाहिये वह इन कार्यालयों से प्राप्त नहीं होती।

राजस्थान विश्वविद्यालय प्रांगण में एक नियोजन कार्यालय द्वारा इस ओर मार्गदर्शन कराया जाता है लेकिन उसके द्वारा नौकरी दिलाने के बारे में विशेष कार्य नहीं किया गया है। मेरा सुझाव है कि डिवीजनल हैडक्वार्टर्स पर सब ही महाविद्यालयों में मार्गदर्शक केन्द्र खुलने चाहियें ताकि भावी पीढ़ी को मार्गदर्शन मिल

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)

सके और अपना भविष्य वे निर्धारित कर सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनिट से ही कम समय में समाप्त करती हूं।

इस प्रकार के केन्द्रों के अभाव में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं यह कहूंगी कि नियोजन के कार्यालय प्री. कॉलेज के विद्यार्थियों के लिये, जो हजारों की संख्या में हायर सैकेण्डरी से निकलते हैं, आगे के लिये वे किस प्रकार की शिक्षा ले सकें उसके लिये उनको मार्गदर्शन मिलना चाहिये और वह इन मार्गदर्शन केन्द्रों से उनको उपलब्ध हो सकता है। यह तब ही हो सकता है कि जब कि भविष्य के बारे में सर्वेक्षण किया जाय कि भविष्य में किन-किन व्यवसायों में आवश्यकता होगी। इस नियोजन विभाग के द्वारा इस दिशा में कार्य नहीं किया गया है इसी कारण आज डॉक्टर बेकार हैं, इन्जीनियर बेकार हैं। कला और विज्ञान के स्नातकों के लिये तो कहना ही नहीं है, उनकी तो आज बाढ़ लगी हुई है और उनको भविष्य के लिये मार्गदर्शन नहीं मिल सका उसी का परिणाम है कि आज उनका भविष्य भी अन्धकारमय बना हुआ है। इसलिये नियोजन पर जोर देना है तब ही राजस्थान की प्रगति का स्वप्न साकार होते देख सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया !

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उद्योगों के बारे में जो कुछ भी निवेदन किया जाय वह इस संदर्भ में हो कि आज भारत के जितने भी प्रान्त हैं उनमें ज्यादातर राजस्थान प्रान्त आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। किसी भी काम के विकास में, पिछड़ेपन में मापदंड मुख्यतया उद्योग ही होते हैं। आज किसी भी क्षेत्र में लें, बेरोजगारी के बारे में, भुखमरियों के बारे में और किन्हीं के बारे में हम नाम लेते हैं तो सरकार के सामने सबसे सस्ते और सुलभप्रिय ऐसे लोग रहते हैं असंगठित हैं-वे हैं काश्तकार। उनकी जमीन के माध्यम से हर समस्या का समाधान यह सरकार ढूंढना चाहती है जब कि राजस्थान में 8031 करोड़ के खनिज दबे हुए हैं। एक तरफ विपुल मात्रा में खनिज हों और दूसरी तरफ अनगिनत शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों की बाढ हो, आये साल उनकी वृद्धि होती हो, यह एक प्रान्त के लिये बहुत बड़ी चुनौती है। समाजवाद के लिये बहुत बड़ी चुनौती का रूप धारण करके ये बेरोजगार खड़े होते हैं और यह सरकार हमारे प्रान्त में उद्योग-धन्धों को उपेक्षा की दृष्टि से देखती है अथवा जो उद्योग-धन्धे स्थापित किये-जायें उनमें प्रान्त का और जनता का हित न देख कर किन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों के स्वार्थों की रक्षा के लिये परमिट दिये जायें इस प्रकार से हमारे प्रान्त का पिछड़ापन दूर नहीं हो सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मिसाल दे सकता हूं। दौसा के पास नीमला ऐसा स्थान है जिसमें लोहा बहुत अच्छी किस्म का मिलता है और उस लोहे में 55 या 60 पर्सेन्ट शुद्ध लोहा प्राप्त होता है। सरकार की ओर से किसी को लीज दी गयी। वेतन आदि के बारे में आन्दोलन हुआ। सरकार ने एक का साथ दिया।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

मार-पीट हुई, 107 के केसेज बनाये गये, बाल उखाड़ लिये गये। महिलाओं के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ। सेंथल गांव में नदी है, तालाब है और काफी बेरोजगार हैं लोग। यदि ऐसे क्षेत्र के लिये सरकार ध्यान दे तो वहां पर उद्योग लग सकते हैं। वहां पर छोटे उद्योग, लघु उद्योग विकसित किये जा सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है इन सब बातों का फैसला भी इन उद्योग-धन्धों में भी यह सरकार राजनैतिक दृष्टि से करती है। इनमें भी राजनीति इसने फैला रखी है। आज मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं। मेरी निगाह में जितने भी मामले आये उसमें अधिकांश ऐसे हैं जिनमें राजनैतिक दबाव से फैसले हुए हैं।

दौसा की शिव टिन इण्डस्ट्रीज के बारे में मैंने निवेदन किया इसके लिये जो चद्दरें 211 दी गई वे अधिकांश में ब्लेक में बिकीं। उद्योग मंत्रीजी ने पहले तो इन्कार ही कर दिया कि ये शीटें उन्होंने उठाई ही नहीं। पर प्रश्न के उत्तर में जो लिखित में सूची उन्होंने मुझे दी उसमें लिखा है कि 211 शीटें चद्दरों की उन्होंने उठाईं, जो ब्लेक में बिकीं। चूंकि यह मामला कांग्रेस के बड़े कहलाने वाले नेताओं में से एक का है, कांग्रेस के एम. पी. का है उनके दो बच्चों द्वारा खड़े किये जा रहे कारखाने का है। उनके बच्चों में एक तो अभी स्कूल में पढ़ता है, दूसरा दुकान करता है। उनके नाम से इण्डस्ट्री चालू की। अब ब्लेक की बात को दबाने के लिये जवाब दे दिया कि माल ही नहीं उठाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय ने जो इस तरह की गलत सूचना दी है और गलत सूचना देकर सदन को गुमराह किया है इससे सरकार की भ्रष्टाचार से भिन्न तस्वीर हमारे सामने आती है, इसकी सही इमेज सामने आती है। किस तरह से यह कांग्रेसी सरकार एक तरफ गलत बयानी करती है, ब्लेक करवाती है चन्दा लेने के लिये और दूसरी तरफ समाजवाद का नारा लगाती है। समाजवाद का नारा लगाने वाले समाजवादी फोरम के कर्त्ताधर्त्ता नवलकिशोर शर्मा उद्योग विभाग से किस तरह से नाजायज फायदा उठाते हैं। इससे सरकार की समाजवादी नीतियों का परदाफाश होता है।

वास्तव में जो उद्योग-धन्धा लगाना चाहता है जिसके पास टेक्निकल नॉलेज है, जिनके पास उत्साह है, उमंग है और जो वास्तव में उद्योग-धन्धों की नींव डालकर प्रदेश को समृद्धि की ओर ले जाने की तमन्ना रखते हैं उन लोगों को मुश्किल से इनके लिये इजाजत मिलती है। मिलती भी है तो कदम-कदम पर उनके रास्ते में रोड़े अटकाये जाते हैं क्योंकि वे भ्रष्टाचार के रास्ते पर जाना पसन्द नहीं करते। आज परमिट लेने की योग्यता यही रह गई है कि वह कांग्रेसी नेता हो या एम. पी. हो या एम. एल. ए. उनकी पार्टी का हो। फिर वे चाहें तो कोटे को ब्लेक में बेचें कुछ भी करें। उनको सब छूट है। मिनिस्टर हो तो चाहे उस कोटे का फर्नीचर बनावे या नहीं बनावे उस स्टील के कोटे को ब्लेक में बेच दे। आइरन और स्टील कम्पनी का करोड़ों रुपयों का कोटा मिला चन्दनमलजी वैद के बड़े भाई भंवरलालजी वैद को इण्डस्ट्री विभाग के मारफत। पूरा का पूरा ब्लेक में बेच दिया।

Page No 77

(श्री मूलचन्द सामरिया)

जब इस बाबत जानकारी चाहें तो उनको शील्ड करते हुए यहां कह देते हैं कि प्रश्न नहीं उठता। गलत है। इस तरह के कारनामों से उपाध्यक्ष महोदय, ये अपनी सरकार की इमेज को इससे भी अधिक बिगाड़ेंगे। आज ये समझते हैं भले ही सत्ता उनके हाथ में है, जब तक है तब तक नाजायज, जायज सब तरह से फायदा उठा लो। इस तरह के जो मसले हैं ये इस बात को पुष्ट करने के लिये काफी हैं।

अगर वास्तविक लगन से हमने काम किया और इस अन्दरूनी भ्रष्टाचार को छोड़ सकेंगे तभी हम उद्योग-धन्धों में पनप सकेंगे, लोगों को रोजगार दे पावेंगे। बेरोजगारी भुखमरी की समस्या को दूर किया जा सकेगा और ईमानदारी के दृष्टिकोण से हमने काम किया तो मैं समझता हूं कि किसी हद तक हमारा पिछड़ापन दूर हो सकेगा और भूखे लोगों को खाने को कुछ मिल सकेगा।

पर अगर इसके बदले यह सोचें कि बड़ी कठिनाई से यह अवसर मिला है, भ्रष्टा तरीकों से जिस किसी तरह से हो अपना घर भरो, और वास्तविक उद्योग-धन्धों को नेग्लेक्ट करो तो हमारी हालत नहीं सुधरने वाली है। और आज तक के इस कांग्रेस के कारनामों से अब इस वृत्ति में बदलाव भी आने वाला नहीं है। इसमें रद्दोबदल नहीं होने वाला है। आज इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है।

हमारे प्रान्त में उद्योग-धन्धों का जहां तक सवाल है मैं निवेदन करूं कि आज यह सरकार समाजवाद का नारा देती है, इसका मतलब साफ-साफ यह है कि किसान, मजदूर और जो गरीब तबका है जो आज इनके शब्दों में "हैव नाट्स" है उनकी ये हिमायत करते हैं। पर जहां जहां भी इन हैव नाट्स किसान मजदूरों में और उद्योगपतियों में, पूंजीपतियों में संघर्ष की स्थिति आवेगी तो इस सरकार की पॉलिसी इस सरकार के सारे विभागों की पॉलिसी इनके सारे वैलफेयर लेबर ऑफिसर हैं उनकी पालिसी एक ही होगी। वे एक तरह से इन उद्योगपतियों के पूंजीपतियों के दलाल की तरह से, उनके मुनीमों की तरह से, नौकरों की तरह से उनकी सहायता करेंगे और उन हैव नोट्स को मजदूरों को और किसानों को दबावेंगे। उन पर गोलियां-लाठियां चलावेंगे। उनका हर तरह से दमन करेंगे। अगर इन मामलों में मानवता के नाम पर पुलिस वाले कभी निष्पक्षता भी धारण करना चाहते हैं तो बड़े बड़े लोग उन पर दबाव डालकर उद्योगपतियों का उन पूंजीपतियों का धन्धा रोजगार बरकरार रखने के लिये वे जघन्य तरीके से इन हैव नोट्स को एवं मजदूरों को दबाने के लिये मजबूर करेंगे। जो कानून मजदूरों की सुरक्षा के लिये, मजदूरों की हितों की रक्षा के लिये उनके उत्थान के लिये बनाये गये हैं, उनको पैरों तले रोंदने में भी यह सरकार संकोच नहीं करती है। उनकी कितनी ही वाजिब मांग हो उसको भी इनके दबाव में आकर वे दबा देते हैं। यह इस समाजवादी कहलाने वाली इस सरकार के लिये बहुत शर्म की बात है। यह उनके लिये कलंक की बात है कि उनकी स्टेट में मजदूर गैर-कानूनी तरीके से पीटा जावे। उनके साथ ज्यादती की जावे और उनके कानों पर जूं भी नहीं रेंगे। इससे ज्यादा बेशर्मी की बात इस

(श्री मूलचन्द सामरिया)

सरकार के लिये और नहीं हो सकती जो उनके हितैषी होने का दावा करती है और समाजवाद का नारा लगाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज मिनिमम वेजेज एक्ट बना। उसके अनुसार एक मजदूर को आज जो दैनिक मजदूरी मिलती है वह आज के एक मिनिस्टर के पान खाकर थूंक देने के बराबर भी नहीं हो सकती। दिन भर में वे जितने पान खा जाते हैं उन पानों की कीमत एक मजदूर की दैनिक आमदनी से ज्यादा है। एक मिनिस्टर या पूंजीपति, उद्योगपति का सुबह का नाश्ता जितने का होता है वह मजदूर की दिन भर की कमाई से कई गुना ज्यादा होता है। उनके एक टाइम के छोटे से नाश्ते जितना पैसा भी एक मजदूर को दिन भर की मजदूरी के रूप में नहीं मिलता। इससे आप सहज कल्पना कर सकते हैं कि एक मजदूर जिसके पांच बच्चे हैं, पत्नी है पूरा घरबार का गृहस्थी का बोझा जिसके सिर पर है तो कैसे उसका खर्चा चलता होगा आज के इस महंगाई के जमाने में। आज वह मिनिमम वेजेज के अनुसार दिन भर में ढाई-तीन रुपया पाता है और इसी में अपने परिवार का वहन करता है, भरण-पोषण करता है, खाने पीने का भी प्रबन्ध करता है, रहने के लिये मकान का प्रबन्ध भी इसी में से करता है। आज जितना पैसा एक मिनिस्टर के स्नान में, तेल साबुन में खर्च हो जाता है उससे कम पैसे में एक मजदूर अपने परिवार के खान पान, मकान, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, चिकित्सा सुविधा आदि की व्यवस्था करता है।

इसके बावजूद भी ये मन्त्री और इनके बड़े-बड़े नेता साथी यह कहें कि वे समाजवादी हैं और देश में वे समाजवाद लाकर रहेंगे। चाहे कोई कुछ भी कहे, प्रतिक्रियावादी लोगों के विरोध की उनको परवाह नहीं। उनको वे समाजद्रोही की उपाधि से विभूषित करते हैं, गरीबों के दुश्मन कहते हैं। पर मैं निवेदन करूंगा कि उनको दूसरों को बुरा भला कहने की आवश्यकता क्यों है। अगर वे समाजवाद लाना चाहते हैं तो उनके रास्ते में क्या कठिनाई है, आज सदन में सब जगह केन्द्र में भी इतना बड़ा बहुमत उनके साथ है। वे जैसा, जितना जिस तरह चाहें मजदूरों का पूरा का पूरा भला कर सकते हैं। आज उनके रास्ते में रोड़े अटकाने वाला कोई तबका नहीं बचा है। कोई प्रतिक्रियावादी, सामन्त, भूतपूर्व राजे-महाराजे, जागीरदार उनके रास्ते में नहीं हैं। आज विरोधी पक्ष में भी वह दम नहीं कि आपके 155 के बहुमत का सामना कर सके। फिर मेरी समझ में नहीं आता कौन आपको रोकता है, इन मजदूरों का, गरीबों का हैव नोट्स का भला करने से। आपको मजदूर, गरीबों के हित में काम करने से कौन रोकता है। कानून आज आपके हाथ में है, आप जिस तरह का कानून चाहें बनाएं, बनाते ही हैं। फिर आप इनका भला करते क्यों नहीं हैं? दोष किसको देते हैं आज आप? आज आपके विभाग पर कौन हावी है? आप स्वतन्त्र हैं, जो चाहें करने के लिये, कुछ करें तो सही।

पर उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आज इस समाजवादी कहलाने वाली कांग्रेस के अन्दर जो छद्मवेष में प्रगतिशीलता और समाजवाद की नकाब लगाकर बैठे हैं, उनकी नकाब को हटाया जाय। तब

(श्री मूलचन्द सामरिया)

आपको इस नकाब में बैठे हुए मिलेंगे सेठ, पूंजीपति और उद्योगपति के रूप में भेड़िये जो आज अन्दर से मन से मजदूरों को खा जाना चाहते हैं। मजदूरों का, गरीबों का हित आज ये छद्मवेषधारी समाजवाद की नकाब लगाये हुए पूंजीपति भेड़िये कैसे कर सकेंगे जिनके चन्दों पर या जिनके पैसे पर ये मिनिस्टर लोग भी पलते हैं, जिनके पैसे के बल पर ये बेचारे इलेक्शन जीत कर इस सत्ता पर आते हैं। अपने बंगलों में भांति-भांति के शानदार फर्नीचर लगाते हैं। सरकार से परमिट लेकर लाखों का आयरन और स्टील का कोटा लेकर उसे ब्लेक में बेच कर करोड़ों कमाते हैं। ब्लेक में धड़ल्ले से माल बेचते हैं और करोड़ों कमाते हैं। तो इन पर जो नकाब पड़ी है वह नकाब हटाने से इनकी साफ सूरतें नजर आवेंगी। इस तरह से ये नकाब में छीपे पूंजीपति, उद्योगपति, मजदूरों के दुश्मन ऊपर से समाजवाद की दुहाई दे सकते हैं. झूठे नारे लगा सकते हैं, गरीबी हटाओ की बातों में लोगों को भ्रम में डाल सकते हैं पर सही तरीके से मजदूरों के हित में इनके कदम नहीं उठ सकते हैं। इनके कदम डगमगाते हैं गरीबों के हितों की बात करते हैं तो उन सेठों का स्वरूप सामने आता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा आप इन मजदूरों के लिये, आप इन गरीबों के लिये स्थान उपलब्ध कराने में जितना पैसा खर्च करते हैं उतना उन गरीबों की रोजी-रोटी के लिये नहीं दिया फिर समाजवाद की बात करते हैं। या तो समाजवाद की बात कहना छोड़ दीजिये या फिर गरीबों के हित में कुछ काम करिये। आज गरीबों को रहने के लिये टूटी झोंपड़ी भी नसीब नहीं है। जब उस टूटी झोंपड़ी पर बरसात का पानी पड़ता है और उस छप्पर को पार करता हुआ जाता है तो उसमें रहने वाले गरीब के बाल-बच्चों की क्या स्थिति होती होगी और इसके बावजूद भी आप समाजवाद कहें।

आज किसी मजदूर बच्चे के बीमारी हो टिटेनिस और टी० बी० जैसी भयंकर बीमारी हो जाय तो मैं पूछना चाहता हूं राज्य सरकार के पास उसके लिये क्या व्यवस्था है। गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था के लिये आपके पास कोई साधन नहीं है। क्या आपने गरीबों के इलाज के लिये किसी उद्योगपति को पाबन्द कर रखा है, क्या गरीबों को झोंपड़ी बनाने के लिये आपने किसी उद्योगपति को पाबन्द कर रखा है? क्या किसी उद्योगपति को उनकी निःशुल्क शिक्षा के लिये पाबन्द किया है। उनके छोटे-छोटे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जायगी, क्या ऐसी कोई व्यवस्था किसी उद्योगपति से की है। आपके शासन में इस तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं हैं तो मैं समझता हूं स्वयं सरकार को इस स्तर तक के लिये भोजन, कपड़ा और अच्छा बन्धा हुआ छप्पर, दवा और पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था करनी चाहिये, लेकिन आज सरकार भी उन गरीब, पिछड़े हुये लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है। अगर आप इतना भी कर सकते हैं तो फिर आप बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि समाजवाद ला रहे हैं अन्यथा आपको शर्म आनी चाहिये। आपको अपने आपके गिरहबान में मुंह देखना चाहिये। उद्योगपतियों की गलत करतूतों पर आप पर्दा डालना चाहते हैं।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

उनका रिजल्ट उन्हीं के फेवर में अल्टीमेट जाता है।

जहां तक नियोजन का सवाल है, आज बेरोजगारी कितनी है इसका किसी को पता नहीं। हमारे प्रान्त में कितने लोग ऐसे हैं जो अर्द्ध-बेरोजगार हैं, कितने शिक्षित बेरोजगार हैं, कितने अशिक्षित बेरोजगार हैं इसका किसी को पता नहीं है। इस सरकार को यह पता नहीं है तो यह क्या गरीबी मिटायेगी, क्या भुखमरी मिटायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, डॉक्टर को यह पता नहीं कि मरीज के निमोनिया हो गया है या लकवा होगया है या हैजा हो गया है तो वह क्या मर्ज का इलाज कर पायेगा और इससे ज्यादा निकम्मा डॉक्टर नहीं हो सकता है। आज सरकार को पता नहीं कि हमारे यहां कितने बेरोजगार लोग हैं और उनके लिये किस तरह की व्यवस्था करेंगे, उनके लिये किस तरह का प्लानिंग होगा। इस तरह के आंकड़े उपलब्ध नहीं होंगे तब तक मैं समझता हूं अर्द्ध-रोजगारों को काम दें, अशिक्षित बेरोजगारों को काम दें, ऐसी उम्मीद मैं नहीं कर सकता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप घोषणाएं करते हैं लेकिन मर्ज का आपको पता नहीं और इलाज के लिये आप चल रहे हैं। आपको पहले जानकारी होनी चाहिये फिर उसके मुताबिक प्लानिंग हो और उस प्लानिंग के मुताबिक लोगों को रोजगार दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्द जैन !

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग विभाग की जो अनुपूरक मांगें हैं, उनके बारे में खास तौर से कहना चाहता हूं। हमारा उद्योग विभाग यह कहता है कि राजस्थान के अन्दर औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हमारे वित्त मंत्रीजी का जो भाषण है उसमें भी यह कहा गया है कि हमारे राजस्थान की लघु उद्योग की ओर दूसरे उद्योगों की स्थिति में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मैं यही बताना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि किस प्रकार से हम दफ्तरों के कागज के अन्दर और उनके अन्दर दी जाने वाली संख्याओं के अन्दर उलझ जाते हैं और वस्तुस्थिति की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा पाता है। राजस्थान के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि उल्लेखनीय या महत्वपूर्ण प्रगति का तो अभी प्रश्न ही नहीं है राजस्थान के अन्दर औद्योगीकरण की दृष्टि से अभी कोई समुचित वातावरण ही नहीं बना पाये हैं यह दुर्भाग्य की बात है दर-असल में औद्योगिकरण कैसे हो सकता है। किस तरह अन्य राज्यों ने अपने यहां पर औद्योगीकरण किया है, इस सम्बन्ध में हम गहराई से दूसरे राज्यों की स्थिति का अध्ययन करें तब हमें यह मालूम हो सकता है कि हम इस पिछड़े हुये राजस्थान के अन्दर औद्योगिक क्षेत्र में कहां खड़े हैं। मैं यह मानता हूं जहां राजस्थान पिछड़ा हुआ तो है ही पर इसके साथ या तो यहां पर हम राजस्थान को आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ कृषि की उन्नति द्वारा बना सकते हैं या औद्योगीकरण करके राजस्थान को अधिक आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ बना सकते हैं।

(श्री फूलचन्द जैन)

औद्योगीकरण की दृष्टि से हमारे यहां राजस्थान में इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट काम करता है और एक.आर. आई. एम. डी. सी. (राजस्थान इन्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन) बना हुआ है। इसके अलावा राजस्थान वित्त निगम औद्योगिक संस्थानों को फाइनेन्शियल असिस्टेन्स देता है। मैं यह कहना चाहता हूं राजस्थान का इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट कितना सजग है, कितना सक्रिय है, इसका अन्दाज तो इसी बात से लग सकता है कि इन्डस्ट्रीज अपने आप में एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और हमारे यहां राजस्थान के अन्दर पिछले 5-7 वर्षों के अन्दर इन्डस्ट्रीज के डायरेक्टर हर साल में कितनी बार बदलते हैं और मैं तो यह भी कह सकता हूं जिनको रिटायरमेंट देता है, उनको ही इन्डस्ट्रीज का डायरेक्टर बनाया जाता है ताकि दो-चार महीने रहे और फिर रिटायरमेंट ले ले। वह डाइरेक्टर किस तरह हमारी इन्डस्ट्रियल पॉलिसी गियरअप कर सकता है, किस तरह उस डिपार्टमेंट में असर्ट करके इन्डस्ट्रियल के क्लाइमेट को, इन्डस्ट्रीज के अटमासफियर को बना सकता है।

इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कोई इन्डस्ट्रीज लगाने के लिये उस डिपार्टमेंट में जाता है तो वे यह समझते हैं कि यह कुछ न कुछ हमसे लेने के लिये आया है और उसी दिन से उनकी शक करने की नजर पड़ जाती है। मैं राजस्थान सरकार के लिये कहना चाहता हूं आंकड़े दिये गये हैं कि एक हजार उद्योग राजस्थान में पंजीकृत हुये। उसके बाद गत वर्ष में एक हजार से भी अधिक उद्योग पंजीकृत हुये हैं, उनमें कितने उद्योग पंजीकृत होने के बाद काम कर रहे हैं ये आंकड़े आज तक किसी ने नहीं देखे। यह उद्योग विभाग ने भी नहीं देखा। कितने उद्योग किस स्कीम के अन्तर्गत पंजीकृत हुये हैं उनमें कितने आज फंक्शन कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं ऐसे उद्योग को आप लाइसेन्स देते हैं या कोटा देते हैं और आप कहते हैं उद्योग लगाने वाले वे ही आते हैं जिनको कोटा, परमिट चाहिये तो उनकी तरफ क्या प्रयास राज्य सरकार ने आकर्षित करने के लिये किये हैं और उसके अलावा स्थिति यह है कि जयपुर के लिए आप कहते हैं 16 औद्योगिक क्षेत्र बनाये हैं। 16 औद्योगिक क्षेत्र में एक चूरू जिले में सादुलपुर में भी है। मैं नहीं कहता क्यों बनाया गया लेकिन वहां के अधिकारियों द्वारा पता लगाया गया वह उद्योग कहां पर है। उनको सुविधायें प्रदान करके प्रोत्साहन देना चाहिये और इसी तरह जो औद्योगिक क्षेत्र बनाये गये कितने उद्योग लगे और उनमें कितने काम कर रहे हैं। कहने को तो कह सकते हैं झोटवाड़ा में लगाये हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह विश्वकर्मा उद्योग एरिया है उसकी चार-पांच वर्षों बाद यह स्थिति है कि जिन लोगों ने उद्योग लगाया है, वे रो रहे हैं। उनको पहले तो बिजली नहीं मिलती थी, अब बिजली का प्रबन्ध हुआ तो आज कोई कमरा खड़ा करना चाहे तो वहां पानी नहीं मिलता है। यह तो हमारे राजधानी में विश्वकर्मा उद्योग एरिया का हाल है जहां पर हम पानी उपलब्ध नहीं करा सके। हम दूसरी सुविधायें तो क्या उपलब्ध करायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये कहना चाहता हूं हमने सब प्रोविजन्स इन किताबों में

(श्री फूलचन्द जैन)

लिख रखे हैं कि हम उद्योगों के लिये पानी देते हैं, बिजली देते हैं, ऋण की सुविधायें देते हैं और सब प्रकार की सुविधायें देते हैं....

अगर कोई बदकिस्मती से उन सुविधाओं को देखकर इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट में चला गया तो मैं समझता हूं कि उसको तुरन्त यह ज्ञान हो जायेगा कि यह सब सुविधायें मेरे लिए नहीं हैं बल्कि किताबों में लिखने के लिए हैं और जो अब तक इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट के मंत्री रहे हैं उन सब से कह सकता हूं कि वह मेरी बात को कान्ट्रेडिक्ट कर दें कि राजस्थान के अन्दर एक समय आया था कि जिस समय में हम राजस्थान का तेजी से औद्योगीकरण कर सकते थे और यहां पर जैसा अभी बताया गया कि राजस्थान के ही लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त है कि सारे हिन्दुस्तान के अन्दर भी और हिन्दुस्तान के बाहर भी औद्योगिक दृष्टि से अपना एक विशेष स्थान उन्होंने बना रखा है। वे लोग राजस्थान में आना चाहते हैं। हमारे मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी वहां जाते हैं और जाकर उनको न्यौता भी देते हैं और उसके बाद यदि वे यहां आ गये तो फिर वे अपनी दस, बीस हजार की पूंजी लगाकर वापस चले जाते हैं कि चलो यहां तो देख लिया अपने लिए यहां कोई जगह नहीं है। क्यों ? आखिर आप पूछ सकते हैं कि वापस क्यों जा रहे हो। कितनी एप्लीकेशन्स आईं और उसके बाद कितनी इम्प्लीमेंट हुईं और परश्यू करके कितने उद्योग लगे। इसका एक कारण और भी उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे यहां काम करने का और सोचने का दृष्टिकोण ही अजीब हो गया है।

आज महाराष्ट्र के अन्दर 'सिकोन' के नाम से एक इन्स्टीट्यूशन फंक्शन कर रही है। वह इस तरह की है कि वह उद्योग लगाने वाले की तरफ नजर रखती है और जैसे ही उसकी एप्लीकेशन आती है उसके बाद में वह उसको परश्यू करती है लोन देने में और एक निश्चित अवधि के अन्दर सारी फार्मेलिटीज पूरी करके पूरी मदद करने में वह इन्स्टीट्यूशन मददगार होती है। आज महाराष्ट्र का इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट इस तरह का है।

उपाध्यक्ष महोदय, इण्डियन फाइनेन्शियल कार्पोरेशन के बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी। उसके अन्दर जो हमारी गवर्नमेंट आफ इण्डिया के फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनके जितने भी हैड्स हैं वह उसके अन्दर आये थे। एक उनमें से इन्डियन फाइनेन्शियल कार्पोरेशन के डाइरेक्टर थे उनको मैं यहां के इन्डस्ट्रियल एरिया में घुमाने के लिए ले गया। मैंने बड़े गौरव से कहना चाहा कि हमारे यहां भी विश्वकर्मा इन्डस्ट्रियल एरिया है। उन्होंने पूछा कि यह इन्डस्ट्रियल एरिया कितने साल में बना और यह कितने अरसे की कोशिश है। तो मैंने कहा कि दो साल हुए हैं। उसने कहा दो साल में यह प्रोग्रेस है तो आप महाराष्ट्र में जाइये और वहां देखिये तब आप कह सकेंगे कि हम तो उस गति से चल रहे हैं जैसे कोई मोटर में जाये और कोई पैदल चल रहा हो। उसके बाद सुविधाओं की बात तो छोड़ दीजिए। तो उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर रखी है और गुजरात गवर्नमेंट की यह स्थिति है कि वहां पर 21 दिन के अन्दर-अन्दर एक एप्लीकेशन देने वाले को और उसकी जिनाइन है

(श्री फूलचन्द जैन)

तो उस तरह से और उसके अन्दर खामियां हैं तो उस तरह से उसको सारी स्थिति बताकर और जिनाइन है तो 21 दिन के अन्दर-अन्दर सारी फार्मलिटीज पूरी होकर कह देते हैं कि यह लोन है, यह वाटर है, यह इलेक्ट्रिसिटी है और यह लैण्ड है तुम जा कर अपनी इन्डस्ट्री लगाओ।

यहां उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई 2 करोड़ की भी इन्डस्ट्री लगाने के लिए आयेगा, और उसको जमीन की जरूरत है और गवर्नमेंन्ट के पास में उसके लिए कोई उपयुक्त जमीन नहीं है और उसने एग्रीकल्चरल लैण्ड ले ली और चीफ मिनिस्टर ने भी कह दिया कि आप ले लीजिए हम कन्वर्ट कर देंगे तो दो-दो साल तक उसकी जमीन इन्डस्ट्रीज के लिए कन्वर्ट नहीं हो सकती। वह इन्डस्ट्री लगाने वाला दो साल तक परस्यू करता करता पांच, दस हजार रुपया खर्च करके थक जाता है तो वह अपना बोरियां-बिस्तर लेकर चला जाता है।

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा और पंजाब के अन्दर इन्डस्ट्रीज का डवलपमेंट हो रहा है उसको देखिये। यहां क्यों नहीं हो सकता? यहां इसलिए नहीं हो सकता कि मैं आपको बताऊँ कि यहां हमारे राज्य में राजस्थान इन्डस्ट्रियल मिनरल एण्ड डवलपमेंट कार्पोरेशन में हमारे भूतपूर्व मुख्य सचिव श्री भगवतसिंहजी मेहता को चेयरमैन बनाया गया था। गवर्नमेंट ने उनको बनाया। कैसे थे, कैसे नहीं थे, मैं कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि श्री भगवतसिंहजी मेहता को यह क्रेडिट जरूर जायेगा कि उन्होंने जयपुर और उसके अलावा भी आर० एम० डी० सी० को इफेक्टिव बॉडी बनाने के लिए अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स किये। उसके बाद में उनको रिटायर कर दिया गया और वह 50 साल के थे, 55 साल के थे या 60 साल के थे पता नहीं लेकिन उनकी जगह पर एक 75 वर्ष के श्री पी० एन० काटजू को लाकर चेयरमैन बना दिया। श्री भगवतसिंहजी मेहता जो यहां पर राजस्थान के अन्दर इस दृष्टि से अपनी उपयोगिता बता चुके उनकी सर्विसेज की राजस्थान को जरूरत नहीं है। मैं उनकी वकालत नहीं करना चाहता। मैं उनका कोई समर्थक नहीं हूं लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि एक आदमी को हटाकर श्री पी. एन. काटजू को जो 75 वर्ष के होने के बाद भी वहां रिजैक्ट हो गए और जिनको कोई इन्डस्ट्रीज का एक्सपीरियेन्स नहीं, ठीक है कभी साल्ट के एडवाइजर और कभी किसी के एडवाइजर बनाकर भारत सरकार ने मुआवजा दिया होगा लेकिन आर. आई. एम. डी. सी. में उनको लाकर बैठा दिया और उन्होंने कहा कि अब तो मेरे चहेते ही यहां रहने चाहिए। तो उसका यह हाल है और इस कार्पोरेशन से जो थोड़ी आशा थी वह भी चौपट हो गयी।

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के वित्त निगम को लीजिए। इसके अन्दर यह स्थिति है कि अगर वह कहता है कि हम किसी भी इन्डस्ट्री को 75 पर्सेन्ट लोन देते हैं, मैंने उनको कहा कि आप केलकुलेट करके बताइये कि कितना पर्सेन्ट देते हैं। छोटी सी बात है और सब रियेलाइज करते हैं। वे कहते हैं कि पी. डब्ल्यू. डी. की शिड्यूल से जो असेसमेंट होगा उसके मुताबिक 75 पर्सेन्ट देंगे। उपाध्यक्ष

(श्री फूलचन्द जैन)

महोदय, पी. डब्ल्यू. डी. का शिड्यूल सन् 58 में बना था और उसके बाद दस, पन्द्रह साल में कोई शिड्यूल नहीं बना। उसके बाद उस शिड्यूल के मुताबिक उसका असेसमेन्ट होगा तो अगर वह 4 लाख हुआ है तो वह अपने आप 2 या 2॥ लाख पर आ जायेंगे। पी. डब्ल्यू. डी. वाले खुद कहते हैं कि हम शिड्यूल से 40 पर्सेन्ट, 50 पर्सेन्ट अबव काम कर रहे हैं लेकिन वह लिख देने के लिए तैयार नहीं हैं कि हम अब शिड्यूल इतना कम कर रहे हैं और उसके बाद यानी 1958 के बाद रिवीजन हुआ और उसके बाद कोई रिवीजन नहीं हुआ। उससे अगर होता है तो रियल अमाउन्ट जो वित्त निगम देता है वह 40-45 पर्सेन्ट के बीच में आता है। पहले ही कह देते हैं कि 45 पर्सेन्ट देंगे, छुट्टी हुई। आप 75 पर्सेन्ट की बात करके आदमी को कहते हैं तुम चोरी करके गलत असेसमेन्ट कराओ, अबव असेसमेन्ट कराओ। यह क्या तरीका है? और फिर उसके अलावा भी वित्त निगम के अन्दर कौन व्यक्ति हमारा फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन जो राजस्थान का है उसके अन्दर हमारे इन्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट की दृष्टि से योग्य क्षमता वाले या अनुभवी या केपेबल हो सकते हैं यह देखने की आवश्यकता नहीं। वहां भी चेयरमेन या डाइरेक्टर बनाया जायेगा तो कुछ चन्द लोग हैं उस सूची में से उनको रख दिया जायेगा। इन्डस्ट्रीज डवलपमेन्ट कार्पोरेशन बनेगा तो उसके अन्दर भी इन्डस्ट्रीज के टाप इन्डस्ट्रियेलिस्ट्स हैं और जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन्स लगी हुई हैं कि ये अब अपना इन्डस्ट्रियल एक्सपान्शन नहीं कर सकते उन्हीं को चेयरमेन बनाया जायेगा। वह कभी नहीं पनपने देंगे। बड़े इन्डस्ट्रियेलिस्ट छोटों को कभी नहीं पनपने देते हैं इसलिए वह छोटी इन्डस्ट्रीज के बारे में अपना दृष्टिकोण बना कर काम करेंगे लेकिन हमारी गवर्नमेन्ट उन्हीं को रखेगी। फिर हम कहेंगे तो कहेंगे कि क्वालिफिकेशन्स की जरूरत नहीं है, हमने हमारी मर्जी से कर दिया। और ऐसी ही बात है तो फिर आप कागजों में लिख दो और सोच लो कि इन्डस्ट्रियेलाइजेशन हो गया। इस तरह से उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट को जब तक हम एक इन्डस्ट्रियल क्लाइमेट राजस्थान में और राजस्थान के बाहर बनाने की दृष्टि से कान्क्रीट और डेफीनेट स्टेप्स नहीं लेंगे तब तक हमारा इन्डस्ट्रियेलाइजेशन नहीं हो सकता।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पांच मिनट और लूंगा उपाध्यक्ष महोदय, तो उपाध्यक्ष महोदय, कार्पोरेशन में जब तक हम इन्डस्ट्रीज के आउटलुक के लोगों को नहीं बैठायेंगे, टैक्निकल आदमियों को नहीं बैठायेंगे तब तक हमको सही गाइडेन्स नहीं मिल सकती। आज अगर मैं यह पूछूं कि मुझे यह इन्डस्ट्री लगाने के लिये कितनी के० वी० की लाइन चाहिये और कितनी पावर चाहिये तो यहां का आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वह नहीं बता सकता। मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि केवल घोषणाओं से यह काम होने वाला नहीं है। अगर सही माने में इण्डस्ट्रियलाइजेशन इस देश में हम करना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि चूरू और नागौर जिले में आपने ग्रामीण परियोजनाओं को लिया हुआ है और दो जिले और लेने की बात करते हैं और 16 जिले अभी बैकवर्ड

(श्री फूलचन्द जैन)

डिस्ट्रिक्ट में लिये हुए हैं, इनमें दो जिले अलवर और जोधपुर वहां पर दस पर्सेंट का अनुदान गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने घोषित किया है और इनमें यह भी लिखा है कि दो ग्रामीण परियोजनाओं को और बढ़ायेंगे। आपने अभी जो जिले लिये हैं ग्रामीण परियोजनाओं में उनमें क्या स्पेशलिटी है, क्या विशेषता है कि जिससे रूरल इण्डस्ट्रीज मोडल-पैटर्न तैयार करके बढ़ा देंगे। क्या इण्डस्ट्रीज आपने वहां पर बढ़ा दी है। वही रूटिन तौर पर इन्डस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर आपने वहां पर बैठा दिये जिनके पास प्रिन्टेड पुस्तकें हैं, वह लेलें और अपना दिमाग अपनी सूझबूझ है तो उसके आधार पर अपनी इण्डस्ट्रीज का एक्सपान्शन करलें। लेकिन यह रूरल इण्डस्ट्रियलाईजेशन में क्या स्पेशल बात है कि जिसके अन्दर हम दो जिले और लेंगे। क्या फैसिलिटी देते हैं वहां पर। क्या कुटीर उद्योगों को स्पान्शल फैसिलिटी दे रहे हैं। कौन से एक्सपर्ट वहां पर बैठा रखे हैं जो इस काम को कर रहे हैं। बाकी तो गांवों में डवलपमेंट प्रोसेस में जो नार्मल कोर्स में डवलपमेंट होता है उसी तरह से वहां पर भी डवलपमेंट हो रहा है और उसको क्रेडिट अपने पर खींच रहे हैं कि हमने इतना इण्डस्ट्रिअलाइजेशन कर दिया। हमारी तो समझ में, उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं आता है।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारी जो स्टेट इण्टरप्राईजेज हैं —गंगानगर शुगर मिल है, हाईटेक है, दूसरे हैं उनका जो भी प्रगति विवरण दिया गया है, उसमें यह तो सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि यह घाटे में चल रहा है। एक तरफ तो हमारी यह स्थिति है। एक तरफ प्राइवेट इन्टरप्रिन्योर आते हैं और दूसरी तरफ स्टेट एण्टरप्राईजेज हैं जिसके अन्दर 64 पर्सेन्ट के ऊपर हमारा इण्डस्ट्रियलाइजेशन वेस्ड है जिनकी स्थिति यह है कि वे घाटे में चल रही हैं। कभी कहते हैं कि गन्ना नहीं मिला। इण्डो-पाकिस्तान की वार हो गई जिससे गन्ने की फसल नहीं हो सकी, हमारे यहां पर गन्ना नहीं मिला इसलिये घाटे में चले गये। 20-22 लाख का इसमें घाटा है। बाद में बिक्री की व्यवस्था ठीक नहीं हो सकी जिससे घाटा हो गया। इतने दिन तक आप आखिर क्या करते रहे कि बिक्री की व्यवस्था ठीक नहीं कर सके, आपकी वर्किंग एफीशियेंसी को नहीं सुधार सके। आज हम यह चाहते हैं कि हमारी स्टेट एण्टरप्राईजेज जो भी हैं वे ठीक तरह से फंक्शन करें। अगर हम लोगों को यह बता सकें कि पब्लिक अण्डरटेकिंग के द्वारा नया इण्डस्ट्रियल आउट-लुक कण्ट्री में हम पैदा करना चाहते हैं तो भी एक तरफ संतोष मिलेगा। लेकिन इधर तो इन्डस्ट्रीज का पता नहीं और जो भी चल रही हैं उनकी व्यवस्था भी ठीक नहीं, वे भी घाटे में चल रही हैं, इससे हमारा भविष्य अंधकार में है, यह मैं कहना चाहता हूं।

एक बात मैं खाद के बारे में कहना चाहूंगा। माननीय मंत्री यहां पर नहीं हैं और यहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, कई बार यह सवाल आया कि हमारे कृषि के प्रोडक्शन में उसकी वजह से गड़बड़ होती है, खाद टाइम पर नहीं मिलता। खाद के बारे में हमारी राज्य सरकार उसकी उपलब्धि के बारे में जिम्मेदारी वहन नहीं करती। उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति क्या है ? हमारा जो कृषि निगम है उसको

(श्री फूलचन्द जैन)

एक सरटेन परसेंटेज दिया हुआ है जो खाद फर्टीलाईजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया से लेते हैं और उसके अलावा हमने अलग-अलग जिलों में यह व्यवस्था कर रखी है कि वह जिलेवार फर्टीलाईजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया से जितना कोटा निर्धारित है उससे अधिक लेने की छूट नहीं है। हमारे राजस्थान के अन्दर जितना कोटा हमको मिलना चाहिये, जितना हमें इश्यू करते हैं कि भाई तुम इतना ले लो लेकिन हमारा कृषि निगम ले पाता नहीं। हमने जो डिस्ट्रिक्टवाइज व्यवस्था कर रखी है वह हमारे वहां से उसकी डिलिवरी ले पाते हैं या नहीं। फर्टीलाईजर कार्पोरेशन ऑफ इन्डिया अगर राजस्थान के लिये जो निर्धारित कोटा है, वह कोटा हमको मिलना चाहिये और अगर हमको डिलिवरी नहीं दे पाते हैं तो भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार को बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं हमको डिलिवरी दी। राज्य सरकार यह व्यवस्था क्यों नहीं कर पाई कि वह खाद हमको टाइम पर मिल जाना चाहिये था। हमें इस बारे में ध्यान देना चाहिये।

मैं यह मानता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि कई प्राइवेट तौर पर लेने को तैयार रहते हैं। मैं यह भी जानता हूं कि प्राइवेट लोगों को ब्लेक करने का मौका मिलता है इसलिये उनको इन्टरेस्ट रहता है। मैं उनके बारे में यह नहीं कहता कि प्राइवेट लोगों को लेने की इजाजत दी जावे पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि फर्टीलाईजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया के द्वारा जो हमारी स्टेट के हिसाब से कृषि निगम को कोटा मिलना चाहिये, उतना हमको मिलना चाहिये। अगर फर्टीलाईजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया नहीं देती है तो इसके बारे में राज्य सरकार को ऊंचे लेवल पर टेकअप करना चाहिये।

अन्त में एक बात और इसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा, लाइसेंसेज के बारे में हमने गवर्नमेंट आफ इण्डिया को रिकमण्ड किया और उसके आधार पर कई इण्डस्ट्रीज को लाइसेन्स मिल गए और वे काम कर रही हैं। मैं यह कहना हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि हकीकत में अगर जायें तो स्थिति यह है कि अगर किसी इण्डस्ट्रियलिस्ट को राज्य सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को रिकमण्डरी लेटर लिख दिया कि हम चाहते हैं कि अगर हो सकता हो तो राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए इसको लाइसेन्स दे दिया जाय। राजस्थान गवर्नमेंट अगर यह कह दे कि हमने अपने लेवल पर इन लाइसेन्सों को जो कि राजस्थान को मिल सके इसलिए कोई इफर्ट किए हों तो मुझे बता दें। इण्डस्ट्रियलिस्ट अपने भगवान भरोसे पर ऊपर जाता है, अपनी तरह से मायाफोड़ी करता है, डिपार्टमेंटों के चक्कर लगाता है, वहां पर किसी न किसी तरह से मेन्यूपलेशन करके अगर लाइसेन्स ले आए तो आपने कह दिया कि हमने राजस्थान में इतनी इण्डस्ट्री लगवा दी। लेकिन यहां के इण्डस्ट्रियलाइजेशन के लिए आपकी क्या जिम्मेदारी है और उस दिशा में आपने कितना सहयोग दिया है। आपके सेक्रेट्री इन्डस्ट्रीज और इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट का क्या सहयोग रहा है। इस बारे में हम सीरियसली नहीं सोचेंगे तब तक इण्डस्ट्रियलाइजेशन में जो हमारा पिछड़ापन है, उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए

(श्री फूलचन्द जैन)

गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। अगर इन कागजों की संस्थाओं के मायाजाल में उलझ गए तो राजस्थान में इण्डस्ट्रीज की जो हालत अब तक 25 वर्षों में रही है, व्यवहारिक तौर पर वह पिछड़ेपन की हालत दूर होने वाली नहीं है। जो नोर्मल कोर्स में इन्डस्ट्रीज लगे उनको जोड़ कर हम यह कहें कि पांच हजार यहां पर लघु उद्योगों के प्रोजेक्ट स्थापित हुए हैं और उनमें 50 हजार आदमी एम्प्लायमेंट ले रहे हैं। ढ़ाई करोड़ की आबादी में लघु उद्योगों के अन्दर पचास हजार लोगों का एम्प्लायमेंट और 45 करोड़ रुपया उसके अन्दर लगा हुआ है, 45 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 50 हजार लोगों को एम्प्लायमेंट मिला है यह बेरोजगारी की स्थिति है। किस तरह का उद्योगीकरण करना चाहते हैं। कोटेज इण्डस्ट्रीज में क्या करें, स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज में क्या करें, और मीडियम इण्डस्ट्रीज में क्या करें इसका जब तक सिस्टेमेटिक प्लान नहीं बनायेंगे और प्लान बना कर इण्डस्ट्रियल एम्प्लायमेंटो के बेसिस पर, हमारी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से हमारे सोर्सेज के हिसाब, से इनको बढ़ावा देने के हिसाब से अगर हमने नहीं सोचा तो हमारे यहाँ पर अनसाइंटिफिक और अनबेलेन्स्ड तौर पर जो इन्डस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है वह और भी खतरा पैदा कर देगा। बस इतना ही निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा ! (अनुपस्थित)

श्री केसरीमल !

श्री केसरीमल (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें श्रम के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। मेरा यह निवेदन करना है उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे इस प्रान्त की श्रम नीति है उसमें यह नहीं झलकता कि वह वास्तव में श्रमिकों के हित में कुछ कार्य करने वाली है और सरकार की नीति श्रमिकों के हित में जाती है। मेरा यह निवेदन है उपाध्यक्ष महोदय, कि आज चाहे वह पी० डब्ल्यू० डी० विभाग हो, चाहे,

(2-40 म० प०)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

वह राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो या कोई और विभाग हो, उन तमाम विभागों में हजारों लोग ऐसे हैं जो वर्कचार्ज्ड कर्मचारियों के नाम से पुकारे जाते हैं। यहां पर काम करते हैं माननीय सभापति महोदय, इस तरह से जो वर्क चार्ज में काम कर रहे हैं उनको कई कई वर्ष हो गए हैं लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे श्रम विभाग ने इस बात की कोशिश नहीं कि की इन वर्कचार्ज कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा करें। इनके सब प्रकार के हितों की रक्षा करें। इस पर यह सरकार बिल्कुल नाकामयाब रही है। बल्कि उसने नीति ऐसी बना ली है चाहे पी० डब्ल्यू० डी० के बीस हजार कर्मचारी, चाहे राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बीस हजार मजदूर हो इन तमाम मजदूरों को वर्कचार्ज पर ले रखा है जिससे कि उनको तनख्वाएं कम मिले। एकसा काम करते हुए भी उनको अधिक नहीं मिले। दूसरे लोगों को जो सहूलियतें मिली हुई है, वह इनको नहीं मिला हैं इस प्रकार से बचत करना चाहते हैं। परन्तु यह बचत नहीं है बल्कि उनके वाजिब हकों को काटना है। माननीय सभापति महोदय, अगर

(श्री केसरीमल)

हमारी सरकार की श्रम नीति ठीक होती तो आज ऐसे हजारों मजदूरों, कर्मचारियों को जो कि पी० डब्ल्यू० डी० और आर० एस०ई०बी० में काम करते हैं उनको स्थायी करने के अधिकार देते। सभापति महोदय, हमारे इन तमाम सरकारी कर्मचारियों को जो कि सरकारी उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके साथ वैसे ही ज्यादती होती है। इन कर्मचारियों को 8/10 साल तक वर्कचार्ज पर रखकर टेम्परेरी में चलाया जाता है और जिस दिन इनको परमानेन्ट करने की बात की जाती है उसी दिन से करेंगे जिस दिन कि इनको परमानेन्ट का आॅर्डर दिया जाता है। सभापति महोदय, दस दस साल से जो कर्मचारी हैं किसी राजकीय उद्योग में काम कर रहे हैं, किसी विभाग में काम कर रहे हैं, उन्हें स्थायी करने की बात करेंगे तो उनको आज से ही स्थायी माना जायगा और इस प्रकार उनके सारे अधिकार मारे जाते हैं जबकि सभापति महोदय, इस सरकार ने नियम बनाया है कि जिस दिन कर्मचारी काम पर आए हैं उसी दिन से उनको स्थायी माना जाएगा लेकिन हमारे श्रम विभाग की नीति अजीब है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनकी पूरी छुट्टियां नहीं मिलती हैं, उनका फिक्सेशन नहीं होता है। उनके इस तरह के कई मामले हैं। ये कई विभागों से पीछे हैं, असमानता है। उनकी असमानता को दूर करने के लिए राज्य सरकार का श्रम विभाग कोशिश नहीं करता है। यही नहीं वर्षों तक उनके फिक्सेशन नही होते हैं, उनको अच्छा ग्रेड नहीं दिया जाता है। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं। सभापति महोदय, जो लोग 60 से सर्विस में हैं उनको आज तक वार्षिक तरक्की नहीं मिली है। न स्थायी किए गए हैं और न उनका फिक्सेशन ही किया गया है और दस साल से बराबर वही तनख्वाह मिल रही है, जो काम पर लगने के वक्त उनको मिलती थी। वही 60/- रुपया आज भी उसको मिल रहा है। यह आज श्रम विभाग की नीति है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज हम कहां जा रहे हैं। हमारे राज्य के कर्मचारियों के साथ किस तरह का व्यवहार हम कर रहे हैं। मेरा निवेदन करना है कि ग्राम सेवक को ले लीजिए। जो ग्राम सेवक आज 15 साल से काम कर रहा है उसके पास एक ही प्रकार का काम है। उसको कहीं तरक्की करने का मौका नहीं है। कहीं जाने की जगह नहीं है। उसके विकास के लिए कोई स्थान नहीं है। कहीं भी उसके लिए जगह नहीं है सिवाय इसके कि वह उम्र भर ग्राम सेवक का काम करता रहे। सभापति महोदय, इसी तरह से म्युनिसिपल के कर्मचारियों को लें। म्युनिसिपल कर्मचारियों की तनख्वाह का मामला लम्बे अर्से से चल रहा है। राणावत वेतन आयोग की रिपोर्ट आज तक वहां पर लागू नहीं की गयी है। यह प्रश्न अभी तक असुलझा हुआ पड़ा है जिसको सरकार ने सुलझाने की कोई कोशिश नहीं की है। समय समय पर इसकी हड़ताल होती है और कहीं कहीं म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा यह बात मान ली जाती है। मुझे यह निवेदन करना है कि म्युनिसिपल बोर्डों में काम करने वाले कर्मचारियों की नाना प्रकार की तनख्वाएं हैं। एक म्युनिसिपल

(श्री केशरीमल)

बोर्ड सफाई कर्मचारी से आठ घंटे काम करवाती है । जयपुर, अजमेर, ब्यावर और अन्य ऐसे गांवों में सफाई कर्मचारियों से 8 घंटे तक काम लिया जाता है, परन्तु उसका न्यूनतम वेतन क्या है ? अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरीकों से यह तय किया जाता है। एक-सा वेतन कहीं नहीं है । दूसरे इनके फिक्सेशन के मामले को आज तक सुलझाने की कोशिश नहीं की गई है यहां तक कि लोग भर्ती होने की तारीख से लेकर रिटायर होने की तारीख तक काम करते रहे, लेकिन उनको परमानेन्ट नहीं किया गया है और वे रिटायर हो गए । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि इस तरह से सरकार की श्रम नीति बिल्कुल ऐसी नीति होती जा रही है जो कि मजदूरों के पक्ष में नहीं है । आप आज श्रम नीति का ऐसा रूप देखना चाहते हैं तो हमारे यहां पर श्रम न्यायालय, है, जो अदालतें हैं उनमें हजार डेढ़ हजार मुकद्दमे पड़े हुए हैं । ये मुकदमे सन् 55,56 से चले आ रहे हैं । सभापति महोदय, अगर कोई मजदूर अपनी कोई तकलीफ रखे तो उसके लिए यह व्यवस्था की गयी है कि वह हड़ताल पर न जाए और अपनी तकलीफ इन न्यायालयों में रखे परन्तु उस मजदूर का 15 साल तक तो इन अदालतों में मामला नहीं निपटता है, उसके वेतन का झगड़ा है, उसकी ग्रेड का झगड़ा है । कोई शिकायत है तो वह भी 15 साल तक नहीं निपट पाती है तब यह श्रम न्यायालय क्या काम करेगा ? 15 साल बाद उसका फैसला होता है तो इसका मतलब है बाप ने मुकदमा दायर किया और बेटे को फैसला मिला । ऐसी स्थिति आज श्रम न्यायालयों को बनी हुई है । इसका मतलब सीधा है कि श्रमिक को न्याय नहीं मिलता है और इससे सीधे-सीधे मालिकों को फायदा होता है । सस्पेन्ड मजदूर घर पर बैठा रहेगा तो यह निश्चित बात है कि उसका दूसरे मजदूरों पर प्रभाव पड़ेगा । वह सोचेगा कि यह मजदूर पांच साल से बैठा हुआ है । इसका अप्रत्यक्ष रूप से मालिकों को फायदा मिलेगा । आज हमारा श्रम विभाग और हमारी सरकार किस तरह से सोचती है ? आज इन अदालतों में मुकदमों की संख्या बढ़ती हो जा रही है जिससे मजदूर दुःखी होते जा रहे हैं । इसका नतीजा यह निकलता है, सभापति महोदय, कि मजदूरों को अपनी तकलीफें इन अदालतों में नहीं ले जानी चाहिए । उन्हें अपनी मांगों के लिए सीधा ही संघर्ष करना चाहिए । इस तरह मैं यह सोचता हूं कि यह सरकार वास्तव में मजदूरों को न्याय नहीं दिलवाना चाहती है । न्यायालयों में इन समस्याओं को रखे रखना चाहती है । उसको कहना चाहती है कि तुम अपनी बात के लिए सीधी लड़ाई करो । मैं निवेदन करूंगा कि सरकार की नीति मजदूरों के विरुद्ध है और मालिकों के पक्ष में है । यह कहा जाता है कि हमारा श्रम विभाग और लेबर कोर्ट आर्थिक दृष्टि से कमजोर है । तो क्या आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जो दूसरी अदालतें हैं उनको भी आज बन्द कर देंगे । सरकार के पास पैसे की कमी है इसलिए इन न्यायालयों को काम करना बन्द कर देना चाहिए और मामलों में कितना पैसा खर्च किया जाता है । क्या सरकार न्याय दिलाने के लिए

(श्री केशरीमल)

और अदालतें स्थापित नहीं करना चाहती है ? यदि और कोर्ट्स स्थापित न करें तो राज्य सरकार का श्रम विभाग यह करे कि अलग अलग इलाकों में जो आपकी ये जिला अदालतें हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनको ये मामले निपटाने का अधिकार दिया जाए ताकि ये मामले जल्दी से निपटाए जा सकें। आज मजदूरों के मुकदमे 15-15 साल से पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ मजदूरों के मामले रेफर किए जाते हैं तो श्रम विभाग दो-दो साल तक कागज नहीं निकालता है। दस साल अदालत से फैसला होने में लग जाए, फिर हाईकोर्ट में तीन साल और तीन साल सुप्रीम कोर्ट में लग जाएं तो सभापति महोदय, एक मुकद्दमे में 18 साल में फैसला होता है। तो आप सोचिए उस मजदूर को क्या न्याय मिलेगा ? सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज की इस व्यवस्था को बदलना जरूरी है और मैं यह पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि श्रम मंत्री इस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जजों को यह अधिकार देकर इन मामलों को शीघ्र निपटाने की कार्यवाही कर सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं श्रम मंत्री महोदय की याद दिलाना चाहता हूं कि जब श्रम अदालतें नहीं थीं तब किस तरह से जजेज की ट्रिब्यूनल मुकर्रर करके फैसला कराया जाता था और उससे मजदूरों को कितनी राहत मिलती थी ? सभापति महोदय, मैं आपके जरिये मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी इस सरकार का ढांचा अजीब है। मेरे ख्याल में जब राजस्थान में फैक्ट्री कानून बना था तब दस-दस घंटे फैक्ट्रियां चलती थीं।

और उस समय भी अंग्रेजों के जमाने में फैक्ट्री कानून बनाने की उन्होंने बात की उन्होंने इसकी व्यवस्था की थी और उसके बाद तो थोड़ा विकास होता गया और काम के आठ घंटे हो गये। अब तो हालत कुछ बदली हुई है, लेकिन बड़े दुःख के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान फैक्ट्री एक्ट की पालना कराने में श्रम विभाग बिल्कुल असफल रहा है। जहां पर पावरलूम और दूसरी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं वहां पर 12-12 घंटे मजदूर काम करता है। आज के जमाने में 12 घंटे काम करके जब कि मजदूर को खाने को नहीं मिलता है और उसके खाने में कोई ताकत की चीज नहीं है, वह चटनी और रोटी खाकर काम पर जाता है उसके बाद सुबह और शाम रोटी बनाने की व्यवस्था करेगा तो उसके जीवन में क्या रहेगा ? यह राजस्थान के श्रम विभाग के अधिकारी कुछ भी नहीं देखते हैं।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

थोड़ा मैं एक दो मुद्दों पर कहना चाहता हूं क्योंकि श्रम विभाग के बारे में कोई बोला नहीं है इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ निवेदन कर दूं।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जितनी मशीनें एक फैक्ट्री में चलती हैं उन मशीनों पर पैसा अधिकारियों का बन्धा हुआ है। इसके हिसाब से उनको पैसा दे देते हैं चाहे कितने घंटे कारखाना चले। यह बात साबित की जा सकती

(श्री केशरीमल)

है। पैसे देने की बात तो साबित नहीं हो सकती है लेकिन आप यह देख सकते हैं फैक्ट्री 12 घन्टे खुले आम चल रही है।

माननीय सभापति महोदय, यही बात नहीं है कि फैक्ट्री 12 घन्टे चलती हो लेकिन वह फैक्ट्री लगातार महीने भर तक चलती है और बीच में आॅफ नहीं आता है। 12 घन्टे तक काम करें और साप्ताहिक अवकाश न मिले यह बारहवीं शताब्दी के गये-गुजरे जमाने की बात है। यह श्रम विभाग की आँखों के नीचे काम हो रहा है, क्योंकि हर कारखाने से उनके पैसे बन्धे हुए हैं। यह ऐसा क्यों हो रहा है ? एक तरफ तो हम कहते हैं कि समाजवाद लाना चाहते हैं, समाजवाद की बात करना चाहते हैं और दूसरी तरफ मजदूर के कन्धों पर बहुत बड़ा वजन डालकर चल रहे हैं और मजदूर को मालिक के जरिये पिसवा देना चाहते हैं। यह कैसा समाजवाद है ?

मेरा निवेदन यह है कि न्यूनतम वेतन कानून हमारी सरकार ने बनाया था। 1947 में वह बना था और इसलिए वह बना है कि एक हजार या इससे ज्यादा आदमी के धन्धे में काम करने वाले हों उस प्रान्त में तो उनकी मजदूरी पहले तय कर दी जाय ताकि झगड़े खत्म हो जायें। तो, माननीय सभापतिजी, हमारे यहां ऐसे पचासों धन्धे हैं जिनमें हजारों मजदूर काम करते हैं, लेकिन हमारी सरकार न्यूनतम वेतन निर्धारित करने में नाकामयाब रही, चाहे वह सिनेमा वाले हों, चाहे वह होटल वाले हों, चाहे वह एस्बेस्टस सीमेंट पाइप वाले हों। ऐसे अनेकों धन्धे मैं गिना सकता हूं जिनमें कोई मिनिमम वैज फिक्स्ड नहीं है। जहां पर मिनिमम वेजेज फिक्स्ड किये हैं वहां पर छोटे उद्योग वालों को मारने की कोशिश की गई है और उन बड़े पैसे वालों को छोड़ा है। बड़े पैसे वालों को छोड़कर छोटे आदमियों के ऊपर न्यूनतम वेतन लागू करने की बात की है। मैं कहता हूं कि पहले उन पर लागू करना चाहिए जो कि बड़े उद्योग वाले हैं। पत्थर तोड़ने वाले मजदूर का न्यूनतम वेतन 3 रु० 25 पैसे श्रम विभाग तय करता है, लेकिन मारबल छीलने वाले कई मजदूर हैं, क्योंकि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा संगमरमर हमारे यहां निकलता है, कुछ वैराइटीज तो ऐसी निकलती हैं जो कि एशिया में नहीं हैं। राजस्थान में हमारे इलाके के पास भी संगमरमर निकलता है, उनके लिए हम कहते हैं कि इनके मजदूरों का न्यूनतम वेतन तय किया जाय, क्योंकि जब पत्थर तोड़ने वाले को 3·25 रु० मिलता है और मारबल के तोड़ने वाले को 2 रुपया मिलता है जब कि वह हार्ड स्टोन है और हार्ड स्टोन की परिभाषा भी कहीं कुछ कर दी और कहीं कुछ, तो वह कहते हैं कि इनका न्यूनतम वेतन हम तय नहीं करेंगे, यह साफ श्रम मंत्रीजी ने बताया था, इनका न्यूनतम वेतन केन्द्रीय सरकार करेगी और केन्द्रीय सरकार से कहते हैं तो वह कहती है कि इनका न्यूनतम वेतन हम तय नहीं करेंगे क्योंकि राज्य सरकार को अधिकार दे दिया है। क्या यही हम समाजवाद की ओर आगे बढ़े हैं कि साहू/जैन कम्पनी के द्वारा मजदूरों का शोषण हो और हमारी सरकार चुपचाप देखती रहे। क्या

Page No 92

(श्री केशरीमल)

बढ़िया समाजवाद आ रहा है ? मैं फिर से श्रम मन्त्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि यह न्यूनतम वेतन उनको दिया जाय। ऐसे और भी कई धन्धे हैं जिनका न्यूनतम वेतन उनको तय करना है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं श्रम मन्त्रीजी से कि मालिकों के खिलाफ यदि मुकदमे फैसल हो जाते हैं मालिक मानने को तैयार नहीं हैं। मैं एक मिल के मजदूर रामदयाल की घटना का जिक्र करना चाहता हूं। मैं और भी कई मजदूरों का हवाला दे सकता हूं। उस मजदूर का मामला लेबर कोर्ट में गया। किसी तरह से वह मजदूर लेबर कोर्ट में जीत गया तो उस मामले को हाई कोर्ट में मालिक ले गया लेकिन वहां भी मजदूर जीत गया सिंगल बैंच में। फिर मालिक ने देखा कि वह सिंगल बैंच में जीत गया तो वह डबल बैंच में मुकद्दमा ले गया। वहां से भी मजदूर जीत गया तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट में पहुचने के बाद भी वह मजदूर जीत गया, लेकिन वह मालिक कहता है कि किसी भी हालत में वह उसको रखने को तैयार नहीं है। उसका कहना है चाहे कितना ही पैसा ले लो लेकिन इस मजदूर को काम पर नहीं रखूंगा। इसका मतलब यह है कि जिसको काम पर चाहा रख लिया और जिसको चाहा निकाल दिया। सभापति महोदय, फैसला अमल में नहीं लाया गया। मैं कहता हूं कि इससे ज्यादा दकियानूसी तरीका और क्या हो सकता है? न्यायालय से जो फैसला हो गया उसको सरकार अमल में नहीं लिवा रही है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)। इससे ज्यादा अराजकता की ओर धकेलने वाली क्या बात हो सकती है ?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आई. टी. आई. के विद्यार्थी एक प्रकार के मजदूर हैं, चाहे वह प्राईमरी स्कूल के मास्टर हों, चाहे पंचायतों के अन्दर ग्राम सेवक हों इनके लिए तनख्वाहें, छुट्टियां और इनके टी. ए. डी. ए. के और दूसरे मामले छोटे कर्मचारियों के हों उनका जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि जो छोटे कर्मचारी, जो चौथी श्रेणी के कर्मचारी हैं, छोटे अधिकारी हैं इन सबकी हालत राज्य सरकार ने खराब कर रखी है। पुलिस कि हालत तो और भी बदतर है उनको 50-60 रुपये में भर्ती करके आप यह चाहते हैं कि पुलिस के कर्मचारी न्यायसंगत तरीके से चलेंगे, एक अच्छी मिसाल पेश करेंगे। वह क्या अच्छी मिसाल पेश करेंगे जिसके पास दो टाइम का भोजन नहीं है और रहने के लिए जगह नहीं है उनको ऐसी जगहों पर रखा जाता है उनको अगर मुर्गी के दड़बे कहें तो कोई बात नहीं है। इस प्रकार आज श्रम विभाग की नीति है वह मालिकों को खुलकर खेलने देने की नीति है। मालिकों को उन्होंने छूट दे दी है। उनकी श्रमिकों के खिलाफ जाने वाली नीति है।

सरकार की नीति का एक और जिक्र करके मैं अपनी बात रखूंगा। आज सरकार ने अपनी एक अजीब सी नीति बनाई है कि आज एक तरफ तो मजदूरों के मामले अदालतों में 20-20 साल से पड़े हुए हैं, मजदूर कानून जरिये से कोई नोटिस देता है और मजदूर यह उम्मीद करता है कि यह सरकार के मामले को निपटाने की कोशिश करेगी। सभापति महोदय, एक

(श्री केशरीमल)

जमाना था कि लेबर ऑफिसर और लेबर कमिश्नर ऐसे स्थानों पर पहुंच जाते थे और उनके बीच-बचाव का प्रयास करते थे कि मामला सुलझ जाय, लेकिन आज कांग्रेस सरकार के अधिकारियों की ओर कांग्रेस सरकार की शायद नीति बन गई है कि किसी मामले के बीच में न पड़ें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किशनगढ़ स्टोन फैक्ट्री में दो महीने हड़ताल चली और श्रम विभाग का एक भी आदमी उसके अन्दर बीच में नहीं आया। आज हमारे यहां माइन्स के अन्दर तीन महीने तक हड़ताल चली और श्रम विभाग एक भी दिन के लिए बीच में नहीं आया। लक्ष्मी मिल में मजदूरों ने अपनी तनख्वाहें तय कराने के लिए 3 महीने तक आन्दोलन चलाया और एक हजार के करीब आदमी जेल में गये लेकिन श्रम विभाग का एक भी आदमी बीच में नहीं आया। एक नहीं मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं कि जहां पर हड़ताल चल रही है लेकिन श्रम विभाग के किसी आदमी ने बीच में दखल नहीं किया। इसका मतलब यह है कि श्रम विभाग की नीति यह है कि मजदूर इस प्रकार से लम्बी हड़ताल पर चल कर अपने आप खत्म हो जायें। मजदूरों को डूब जाने देने की और मालिकों को खुला छोड़ देने की नीति है तो यह समाजवाद की ओर जानेकी बात है? माननीय सभापति महोदय, आपके जरिये से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्रम मंत्रीजी की यह नीति उचित नहीं है। यह नीति मजदूरों को धकेल देने की है कि मजदूर हर बात के लिए लड़ें। श्रम विभाग के मन में यह है कि छोटे से छोटे मामले के लिए वह गेट पर लड़ें और वहां पर हम बीच में आने वाले नहीं हैं। हम तो मालिक का जिस तरह से फायदा होगा उस तरह से चलेंगे ऐसी नीति श्रम विभाग में बरती जाती है। यह नीति बहुत खतरनाक होगी देश के लिए। कहते हैं कि मजदूरों को न्याय पाने का अधिकार होना चाहिये, सरकार को अपने आपको पंच मानना चाहिए। सरकार का विभाग यह कोशिश कर रहा है कि मजदूर लोग गेट पर लड़ें और वहीं पर अपनी बात को समाप्त करलें। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि हड़तालों को सुलझाने का काम नहीं किया है लेकिन मजदूरों ने उनको झुकाया है। 2, 3 और 4 महीने तक हड़ताल हो, सरकार चुप बैठी रहे इसका मतलब यह है कि ऐसा सरकार चाहती है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो जितनी मजदूरों को शिकायतें हैं उनको सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है, मैं श्रम मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप बीच में पड़ें और शिकायतों को सुलझाएं। लेकिन दो महीने तक श्रम मंत्री को कोई मौका नहीं मिला। मैं कहूंगा कि यह उनकी नीति खतरनाक नीति है। यह नीति मजदूरों का हित करने वाली नीति नहीं है। मैं आशा करूंगा कि मंत्रीजी इस पर जरूर ध्यान देंगे।

श्री सभापति : श्री लूणाराम !

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : सभापति महोदय, हमारे देश में मुख्य व्यवसाय कृषि है। इसकी कितनी प्रगति हुई है, इस ओर ध्यान न देकर मैं दूसरे नम्बर पर जो लोगों का पेशा है जो कुटीर उद्योग है, उनके बारे में निवेदन करूंगा। बहुत से हमारे लोग पुराने समय से कुटीर उद्योगों से

(श्री लूणाराम)

सम्बन्धित हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे जूता है, चमड़े की रंगाई है, कपड़ा है, मूंज है, बान है ये सारे काम हमारे गांव में होते थे पर आज देखा जाय तो उनको शिक्षित करने के बजाय, उनको समाप्त किया गया है। उनको किसी भी प्रकार का बढ़ावा नहीं दिया गया है। एक प्रकार से इन धंधों के कारीगरों को बेकार बना दिया गया है। जो छोटे-छोटे लोग उद्योग करते थे, उनको उन उद्योगों से हटा कर न तो किसी और काम के अन्दर लगाया गया है। जो उनके उद्योग-धन्धे थे, वह भी आज समाप्त हो गये हैं। सभापति महोदय, इस बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार से जो छोटे-छोटे उद्योग थे, जो गांवों के उद्योग थे उनको तोड़ा गया है, उन उद्योगों और व्यवसायों पर कुप्रभाव पड़ा है। हम लोगों को जो ग्रामों में सही समय पर सही चीज उपलब्ध होती थी वह अब नहीं उपलब्ध होती है। आज हम शहरों के बड़े कारखानों में जायेंगे तो जो चीज हमारे गांवों में एक रुपये में मिलती थी, वह चीज 30 रुपये में भी नहीं मिलती है। उसकी उम्र भी इतनी नहीं होती है। जो हमारे गांव के उद्योग हमारे गांवों में चलते थे, उनका ह्रास हुआ है। उनकी बढ़ोतरी नहीं होगी। इसी प्रकार से चूरू जिले में सभापति महोदय, मैं उद्योगों का जिक्र करना चाहता हूं, चूरू जिले को औद्योगिक परियोजना में शामिल कर रखा है। तो हमने सोचा था निश्चित तौर से जो बेकार लोग हैं उन बेकार लोगों को राहत मिलेगी। पर अगर देखा जाए तो उनको किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है। मैं निवेदन करूं कि जो चूरू जिले में उद्योग लगाये गये हैं उससे एक भी ग्रामीण को आज तक किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है। सभापति महोदय, हकीकत यह है कि जो औद्योगिक परियोजना है, तो ऐसे लोगों को जो शहरी हैं उन लोगों को कहा जाता है कि आप किसी गांव के नाम से पट्टा बना लो आप को कर्जा दे देंगे।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, सदन का कोरम पूरा नहीं है।

(गणा भाव घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री सभापति : माननीय सदस्य !

श्री लूणाराम : आज हो यह रहा है, सभापति महोदय, उन गांवों में रहने वाले लोगों को किसी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचाया गया है। किसी भी औद्योगिक परियोजना के द्वारा लाभ नहीं पहुंचाया गया है। औद्योगिक परियोजना को चूरू जिले में 8 साल हो गये हैं। एक भी परियोजना अधिकारी को हमने वहां किसी पंचायत समिति की मीटिंग में भाग लेते नहीं देखा है। जहां सारे क्षेत्र के लोग आते हों, गांवों का औद्योगिक सम्बन्ध हो, वहां इस प्रकार की हालत हो, तो किस प्रकार से सोच सकते हैं। आज कहीं उद्योगों में लोगों को शामिल नहीं किया गया है। आज उद्योग की हमारे क्षेत्र में लोगों को आवश्यकता है। जिनके पास जमीन नहीं है, किसी भी प्रकार के रोजगार का साधन नहीं है, जो अपने पुरखों के समय से कई पुश्तों से उस उद्योग में लगे हुये हैं-जैसे सुनार, लुहार का काम है। पर आज उनको मौका नहीं मिलने से, किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिलने से, सभापति महोदय, देखा जाये तो मेरे क्षेत्र में भी

(श्री लूणाराम)

काफी छोटे उद्योगों पर खास तौर से ध्यान दिया जाय तो बेकारी दूर हो सकती है। देखा जाये तो कागज के कारखाने का काम है, कागज के कारखाने के काम के लिए, देशी कागज के कारखाने के लिए चूरू जिले में अच्छे ढंग से कारखाना चालू हो सकता है। लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकता है। दूसरा बड़े उद्योगों पर वि . र किया जाये। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि पश्चिमी राजस्थान में फौजियों के लिए कम्बलों का कारखाना स्थापित किया जायेगा। मैं निवेदन करूंगा कि उस कारखाने को चूरू जिले के सूडसर मेरे क्षेत्र में कायम किया जाये।

अगर उस क्षेत्र में कायम किया जायेगा तो पास में बीकानेर जिला है। बीकानेर व चूरू जिले से ऊन की जो सुविधा है, वह सारी उपलब्ध हो सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : इसके बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया जायगा। आप जल्दी समाप्त करें।

श्री लूणाराम : इसी प्रकार से यह देखना है कि कम से कम उन लोगों को, जिनके पास कोई साधन जीविका का नहीं है, उनको अधिक से अधिक रोजगार मिले। इस दृष्टि से हमारे क्षेत्र के अन्दर पहाड़ तो नहीं हैं, एक दो, पहाड़ी हैं, गोपालपुरा व बीरमसर की, उनका सरकार खनन करवाती है, लेकिन वहां पर खनन सरकार उस समय करवाती है जिस समय सरकार आवश्यक समझती है, उस समय रोड़ी तोड़ने वालों को रोजगार देती है, लेकिन रोड़ी तोड़ने वाले लोग नहीं मिलते हैं। इसका कारण यह है कि वह काम स्थाई रूप से नहीं होता है। रोड़ी की हर क्षेत्र के अन्दर मांग है, उसको पूरा करने के लिए और इस दृष्टि से कि सबको रोटी समय पर मिल सके, सरकार की ओर से हर किस्म की रोड़ी तैयार करने का वहां उद्योग स्थापित किया जाय, इससे बेकार मजदूरों को मजदूरी मिल सकेगी।

इसी प्रकार से गांव गांव के अन्दर बुनकर मौजूद हैं। आज हर गांव के अन्दर जुलाहे मौजूद हैं। सरकार ने यह शर्त लगा रखी है कि वह एक-दो औजार लेंगे तो उनको ऋण की सुविधा मिलेगी। अगर वह नहीं लेते हैं तो उनको ऋण की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की पाबन्दी न लगा कर जिस ढंग से वे काम करना चाहें, अपने काम को चालू रखना चाहें, उनको करने के लिए ऋण की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वे अपना पेट भर सकें। इस रूप में उन्हें लोन की सहायता पहुँचा दी जाय तो गांवों के बुनकर अच्छा काम कर सकते हैं।

इसी प्रकार दरी-गलीचे का काम इस क्षेत्र में अच्छा हो सकता है। इस क्षेत्र में जुलाहे, चमड़े के सामान बनाने का, रंगाई का, मूंज बनाने का, बान बनाने का काम होता है, सीमेन्ट के जाली बनाने का और ईंट बनाने का काम भी होता है। इस प्रकार से गांवों के अन्दर अनेक छोटे-छोटे उद्योग हैं इन उद्योगों में काम करने वालों

(श्री लूणाराम)

को सहायता न मिलने के कारण जो लोग मजदूरी पर काम करवाते हैं, उन पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो पत्थर निकालने का काम है, जिसमें हजारों मजदूर लगे रहे हैं, उन मजदूरों को सहायता पहुँचायी जाय, तो बहुत कुछ काम हो सकता है। इसी प्रकार से....

श्री सभापति : माननीय सदस्य !

श्री लूणाराम : कई काम हैं तो बहुत अच्छी तरह से हो सकते हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, औद्योगिक योजनायें नाम मात्र की हैं, वे ढकोसले के रूप में हैं। अगर सरकार छोटे-छोटे उद्योगों की तरफ ध्यान देगी तो हमारे क्षेत्र के अन्दर बहुत कुछ सुधार हो सकता है, अन्यथा वह नहीं होगा....

श्री सभापति : माननीय सदस्य ! मैं निवेदन कर चुका हूं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया जायगा। आप समाप्त कर दें।

श्री लूणाराम : मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : पहले ही ज्यादा समय दे चुका हूं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया जाना है इसलिए आप बन्द कर दें।

श्री सभापति : मैं बन्द कर रहा हूं जल्दी।

श्री सभापति : फिर समय मिलेगा, फिर कह लेना।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

स्वर्णकारों से ऋण की वसूली सम्बन्धी

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत स्वर्णकारों से ऋण की वसूली किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री रामचन्द्र चौधरी (राजस्व मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, श्री गुमानमल लोढ़ा, श्री भानुकुमार शास्त्री और श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने स्वर्णकारों से पुनर्स्थापन ऋण की वसूली स्थगित न किये जाने के सम्बन्ध में जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसके सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति के अनुसार अब इस विभाग से आदेश संख्या 2 प 2(4) जी. सी./70 दिनांक 26-3-73 जारी किये जा चुके हैं, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। इन आदेशों के जारी हो जाने से अब स्वर्णकारों से उन्हें दिये गये ऋण की वसूली अन्य वसूली सम्बन्धी मामलों की भांति स्थगित कर दी गई है।

जहां तक ऋण को अनुदान के रूप में परिवर्तित करने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में भारत सरकार जो भी नीति अपनायेगी, उसी के अनुसार राज्य में कार्यवाही की जायेगी क्योंकि यह ऋण भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत प्राप्त होते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहूंगा, यह तो विदित ही है कि स्वर्ण नियंत्रण कानून, जो वास्तव में स्वर्ण नियंत्रण कानून नहीं है, बल्कि स्वर्णकार जो यहां के पुश्तैनी काम करते थे, उनके पुश्तैनी काम को समाप्त करने के लिए स्वर्णकार भक्षक कानून देश में आया, उसके कारण राजस्थान में भी लाखों स्वर्णकार बेजरोगार हो गये। माननीय सभापति महोदय, इस

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

सम्बन्ध में 1963 से लेकर अब तक उनको ऋण के रूप में, कुछ लोगों को दो हजार, कुछ को तीन हजार रुपये, कुछ को चार पांच हजार रुपये दिये गये। लेकिन माननीय मंत्री इस बात से भली प्रकार परिचित हैं कि इस युग के अन्दर एक व्यक्ति के लिए नये सिरे से अपने कार्य को या अपने प्रोफेशन को या नये व्यवसाय को लगाना कितना दुष्कर है। इस कारण से अधिकतर स्वर्णकार, यह भी आपको विदित है, कई तो उनमें से खुदकशी करके समाप्त हो चुके हैं, कुछ छोटे मोटे धन्धों में लगने का प्रयास करके उनमें असफल हो गये हैं। स्वर्णकार संघ ने यहां पर प्रदर्शन किया था ....

श्री सभापति : मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मंत्री के ऊपर आप स्पष्टीकरण क्या चाहते हैं वह पूछ लें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : लम्बा न करें क्योंकि और लोग बोलना चाहते हैं दूसरे इश्यूज पर।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सभापति महोदय, यह राजस्थान के सब स्वर्णकारों का प्रश्न है। मैं यह स्पष्टीकरण चाहूंगा, उनका एक डेपूटेशन माननीय मंत्री हरिदेव जोशी के पास गया था और उसके बाद उनका डेपूटेशन मुख्य मंत्री से मिला था। मैं माननीय मंत्री का पॉइन्टेडली, स्पेसिफिकली इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री से राजस्थान स्वर्णकार संघ का डेपूटेशन, जो उसके अध्यक्ष हैं, सत्यनारायण सोनी, उनके नेतृत्व में मिला था, उनके सामने तीन तारीख को यह आज्ञा प्रसारित की कि एक वर्ष के लिए उनसे वसूली बन्द की जाती है। माननीय सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा, माननीय राजस्व मंत्री से अपेक्षा तो यह थी कि एक वर्ष के लिए उस ऋण की वसूली बन्द की जाती है। उसके बाद में जिस प्रकार से छोटे छोटे व्यक्तियों की अर्थ व्यवस्था ठीक करने के लिए, उन्हें राहत पहुँचाने के लिए उनके ऋण को अनुदान में परिणत कर देते हैं, उसी प्रकार से केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके इस ऋण को अनुदान में परिवर्तित कर दिया जाय। लेकिन माननीय राजस्व मंत्री ने वक्तव्य दिया कि 26 मार्च को एक आज्ञा निकली है राजस्थान सरकार की, उस आज्ञा की प्रतिलिपि, आपने बताया, रखी गई है, उसमें यह लिखा गया है कि प्रचलित आदेशों में अंकित अवधि तक स्थगित रखे जाने के आदेश प्रसारित किये थे, उसी भांति राजस्थान के स्वर्णकारों को पुनर्स्थापन हेतु दिये गये ऋण की वसूली 30-9-1973 तक स्थगित रखे जाने के राज्य सरकार के आदेश निदेशानुसार प्रसारित किये जाते हैं। मैं यह स्पष्टीकरण चाहूंगा माननीय राजस्व मंत्री से कि जब मुख्य मंत्री ने यह आज्ञा सब स्वर्णकारों के डेपूटेशन के सामने दी, उन्होंने कहा, इस आज्ञा को कैसे इम्प्लीमेंट किया जायगा, इसके लिए सेक्रेटेरियट द्वारा स्पेशल सेक्रेटरी के आर्डर भेज दिये जायेंगे कलेक्टर्स के पास में। मैं निवेदन करना चाहूंगा, उस आज्ञा के अन्दर एक वर्ष का समय था ऋण वसूली को स्थगित रखने के लिए, उस समय में कटौती करके छः मास, लगभग छः माह 30-9-1973 तक क्यों कर दिया गया है? क्या माननीय मंत्री इस पर पुनः विचार करेंगे। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

करना चाहूंगा, जहां अकाल से सम्बन्धित आर्थिक व्यवस्था पर असर पड़ने का प्रश्न है, उसके लिए आपने एक आज्ञा प्रसारित की है, उसमें लिखा है, अभावग्रस्त क्षेत्रों में राज्य सरकार ने भू-राजस्व, तकाबी आदि की वसूली राजस्थान टेनेन्सी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रचलित आदेशों में अंकित अवधि तक स्थगित रखे जाने के आदेश प्रसारित किये थे। उसमें वर्ष भर के लिए कहा है। उसमें यह है, आर्थिक स्थिति के कारण, यानी अगले वर्ष जब तक स्थिति सुदृढ़ नहीं होती तब तक के लिए एक वर्ष के लिए तकावी की वसूली स्थगित की गई है। मैं राजस्व मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री ने स्वीकार किया था, उसमें अधिक नहीं कर सके और ऋण को अनुदान में परिवर्तित नहीं कर सके तो एक वर्ष के लिए वसूली को स्थगित रख दें। मैं राजस्व मंत्री से कहना चाहूंगा, कृपया वे स्पष्टीकरण करें, और स्पष्टीकरण ही नहीं करें, घोषणा करें। सेक्रेटेरिएट में किसी कारण से हो सकता है, किसी नुक्ताचीनी टेक्निकल ऑब्जेक्शन की वजह से या राजस्व माइन्डेड ऑफिसर ने इसे कम करने का प्रयास किया हो लेकिन ....

श्री सभापति : आपकी भावना आ गई।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह उचित नहीं है कि मुख्य मंत्री के आदेशों का पालन न हो। उनकी आज्ञा का पालन किया जाना आप और हम सबके लिए उचित है। मैं चाहूंगा आप घोषणा करें, तीन तारीख को मुख्य मंत्री ने आदेश दिये, उनके अनुसार इसे मोडीफाई कर लेंगे और छः माह की अवधि को एक वर्ष कर दिया जायगा।

इसके साथ उनको मदद देने की बात है, तो केन्द्रीय सरकार से विचार-विमर्श करके जो उनको पुनर्स्थापन के लिए ऋण दिया गया है, उनको अनुदान में परिवर्तित करने में आपत्ति कुछ हो सकती है। लेकिन उस पर विचार करें। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा, उनकी स्थिति दयनीय है, सब स्थानों पर, इसलिए वास्तव में ऋण का चुकारा करना उनके लिए सम्भव नहीं है। अतः राज्य सरकार मानवीय दृष्टिकोण से और जिस कानून के कारण बेरोजगार हुए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो उनका पुश्तैनी धन्धा था, वह खत्म होने से उनके परिवार परेशान हो गये हैं, इसलिए ऋण को अनुदान में परिवर्तित करने के लिए सक्रिय कदम उठायें। मैं समझता हूं राजस्व मंत्री आश्वासन देंगे और इन दोनों बातों का स्पष्टीकरण चाहा उसका स्पष्टीकरण करेंगे, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह घोषणा कर दें....

श्री रामचन्द्र चौधरी : अकाल के कारण जो भी वसूली स्थगित की गई है, हर किस्म की वह भी 30 सितम्बर, 1973 तक की गई है, उससे ज्यादा नहीं की गई है। इसी के अनुसार इसमें भी सितम्बर, 1973 तक स्थगित की गई है तो जितनी आपकी मांग थी, वह पूरी की गई है, उसके बाद भी बोलें तो दूसरी बात है।

अनुदान के बारे में भारत सरकार से निश्चय होता है, वह जो कदम उठाएगी, उसके अनुसार हम भी उठायेंगे। भारत

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

सरकार अनुदान को माफ करेगी तो हम भी करेंगे। अगर नहीं करेगी तो उनके जो निर्देश हैं, उसके अनुसार हम काम करते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री महोदय ने तीन तारीख को आज्ञा दी थी कि एक वर्ष के लिए वसूली स्थगित की जाए ?

श्री रामचन्द्र चौधरी: मुझे मालूम नहीं, वसूली जो स्थगित की गई है राजस्थान में वह 30 सितम्बर, 1973 तक की गयी है। उसके अलावा मेरे ख्याल से नहीं हो सकती। वैसी हालत फिर रहेगी....

श्री गुमानमल लोढ़ा : यदि मुख्य मंत्री की आज्ञा है कि एक साल तक स्थगित की जाए तो मैं प्रार्थना करूंगा कि इसमें उदारता से कार्यवाही की जाए और उस आज्ञा के अनुसार घोषणा की जाए। आप और जानकारी कर लें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : कर लूंगा।

श्री सभापति : मोहम्मद गफ्फार अली !
(अनुपस्थित)

श्री प्रतापसिंह !

मांग सं० 22, 24 व 45 पर विचार एवं पारण

श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) : सभापति महोदय, मैं उद्योगों के विषय में निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो औद्योगीकरण हो रहा है वह शहरों तक सीमित है और एक योजनाबद्ध तरीके से हम इसको नहीं कर पा रहे हैं। शहरों के अंदर जो आपका औद्योगीकरण केन्द्रित हो रहा है, इससे आपकी अनेक प्रकार की समस्यायें बढ़ती जा रही हैं—जैसे आवास की, पानी की। इससे लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचूएशन भी आपके सामने पैदा हो जाती है और जो उद्योगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए वह भी झगड़े में पूरा नहीं मिल पाता है। दूसरी ओर जब हम गावों को देखते हैं तो वे उजड़ने की स्थिति में आ रहे हैं। केवल वहां पर मछली का ही एक ऐसा व्यवसाय रह जाता है जिस पर गांव की जनता निर्भर रहती है। इस दृष्टिकोण से ग्रामीण उद्योगों की तरफ भी हमें पूर्ण ध्यान देना आवश्यक है। ग्रामीण उद्योगों के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ग्रामों में प्राय: जो उद्योग लगाये जायं वे सीजनल उद्योग होने चाहिए, सीजनल से मेरा अभिप्राय यह है कि खेती के समय किसान अपनी खेती का काम करता रहे और जब ऑफ सीजन रहती है, उसके अंदर ग्रामीण मजदूर और काश्तकार बेरोजगार रहता है, उनको रोजगार मिल सके, ऐसे उद्योग हम ग्रामों में स्थापित करें तो वह लाभप्रद बात होगी और इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण उद्योगों के संबंध में यदि हम खनिज उद्योगों की ओर विशेष ध्यान दें तो और ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि खनिज उद्योग प्राय: काश्त के समय बंद हो जाता है, वर्षा में बंद हो जाता है, जबकि काश्तकार का पूरा सीजन रहता है।

खनिज का जो राजस्थान में स्कोप है, वह काफी अच्छा स्कोप मालूम पड़ता है और उसको प्रोत्साहन देने के लिए भी यह आवश्यक हो जाता है कि हम इस ओर पूरा ध्यान दें और जो खनिज से हमारे

(श्री प्रतापसिंह)

राज्य को लाभ मिलना चाहिए उसकी ओर कुछ कदम उठाकर वह लाभ अर्जित कर लें।

इसी प्रकार ग्रामों में डेयरी के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी पशुधन की उपज है वह है दूध, वह करीब 63 लाख लिटर प्रति दिन के हिसाब से हमें बताई जाती है और उसका जो कन्जम्पशन है, वह प्रति दिन 23 लाख लिटर तब हम कन्ज्यूम कर पायेंगे और मार्केट अवेलेबुल तब कर पायेंगे कि जो अभी डेयरीज स्थापित की जा रही हैं, अजमेर, अलवर, जयपुर व मालपुरा में वे पूरी तरह से कार्य करने लग जायेंगी उस समय हम 23 लाख लिटर दूध का सही ढंग से उपयोग कर पायेंगे जबकि 23 लाख लिटर दूध तो हमारे पास वर्त्तमान में है। तो ऐसी हालत में डेयरीज का जो विकास होना चाहिए और प्रसार होना चाहिए उस ओर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर पूरा ध्यान देकर, इस पर उचित कदम उठायें और विकास करें ताकि जो ग्रामीण जनता है और पशुपालन में है उनको पूरा लाभ मिल सके और बेरोजगारी की समस्या किन्हीं अंशों तक दूर हो सके।

अब मैं कुछ मदनगंज और किशनगढ़ के उद्योगों के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। वहां लगभग 400 उद्योग अभी भी स्थापित हैं और वहां अभी जो बिजली की कटौती की गई है इससे उन उद्योगों पर जो प्रभाव पड़ा है वह सीधा मजदूरों से ताल्लुक रखता है और वही बिजली की इस कटौती के फलस्वरूप जो मजदूरों की छंटनी की जा रही है, उससे मजदूर दिन प्रति दिन बेकार होते जा रहे हैं और उनके लिये जीवन निर्वाह के साधन नहीं रहे और लॉ एण्ड आर्डर सिचूएशन उनके सामने बन जाती है क्योंकि आए दिन मजदूर हड़ताल पर रहते हैं और अपने रोजगार के लिये मांग करते हैं। ऐसी हालत में सरकार बिजली और पानी की जो वहां कमी है उसको मीट करने के लिये उचित कदम उठाये। जब इतनी संख्या में वहां वर्त्तमान में जो उद्योग कार्य कर रहे हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए वहां उन उद्योगों के विकास के लिये एक योजना होनी चाहिये और उस ढंग से वहां की जो औद्योगिक बस्ती है, औद्योगीकरण का जो विकास है, उसी के अनुरूप होना चाहिये यह नहीं कि हैपजर्ड वे में वहां की जो आबादी है उसको भी एक तरह से स्लम बना दें, ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिये, इस कारण से आपका औद्योगीकरण इतना बिगड़ चुका है कि वहां जो छोटा सा तालाब है उसमें सारे के सारे उद्योगों का वेस्ट जाकर एकत्रित हो जाता है और वहां के जन-जीवन पर एक तरह से बाधा बन जाती है। इसलिये ड्रेनेज व्यवस्था के लिये मैं निवेदन करूंगा कि जो उद्योगों की वेस्ट का पानी है उसको ड्रेनेज व्यवस्था के लिये सरकार उचित कदम उठा कर उसको ठीक कराये ताकि वहां के जन स्वास्थ्य को हानि न हो। सभापति महोदय, जहां तक मजदूरों का प्रश्न है मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मजदूरों की मजदूरी समय पर मिलती रहे। उनको काम मिलता रहे। सभापति महोदय, मजदूरों को समय पर मजदूरी मिलती रहना आवश्यक है। इसके अलावा मजदूरों

(श्री प्रतापसिंह)

और मजदूर मालिकों के बीच में सम्बन्ध जो हैं वह ठीक तरह से रहने चाहियें। उनमें ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिये कि जिससे कि उनके आपस में किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिये। ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होनी चाहिये कि जिससे मजदूरों और मालिकों में कोई प्रकार झगड़ा हो। इस बात की ओर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये। इसके अलावा सभापति महोदय, जो मजदूरों और मजदूर मालिकों के बीच में झगड़े हैं उन्हें तुरन्त निबटाया जाना चाहिये। राज्य सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिये कि जिससे मजदूरों को न्याय मिलने में लम्बा समय नहीं लगे और आज जो भी मजदूरों और मालिकों के बीच में झगड़े चल रहे हैं उन्हें तत्काल निबटाने के लिये व्यवस्था की जानी चाहिये। उन्हें सस्ता न्याय मिलना चाहिये। तथा वह न्याय भी समय पर मिलता रहना चाहिये। ऐसा नहीं हो कि उन्हें समय पर मजदूरी नहीं मिले और ऐसे उपाय किये जाने चाहिये कि मजदूरों और मालिकों के बीच झगड़ों को हमेशा के लिये समाप्त कर दिये जाने चाहिये। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा हमें ऐसे न्यायालय स्थापित करने आवश्यक हो जाते हैं कि जिससे मजदूरों और मालिकों के बीच जो झगड़े हों, उन्हें तुरन्त निबटाया जा सके। उनमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होनी चाहिये इस दृष्टिकोण से हमें न्यायालय स्थापित करने चाहिये। इस ओर भी मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अन्त में सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है उसके अनुपात में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि उन मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ाई जाय। उन्हें इतनी मजदूरी मिलती रहना चाहिये जिससे वे अपना जीविकोपार्जन अच्छी तरह से कर सकें। इस संबंध में भी राज्य सरकार को उचित व्यवस्था करनी चाहिये। और महंगाई के अनुपात से मजदूरों को मजदूरी मिले ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये।

श्री सभापति : श्री हनुमान सहाय!

(अनुपस्थित)

श्री मनोहरलाल!

श्री मनोहरलाल (कामां) : सभापति महोदय, हमारे उधर एक बड़ी पुरानी कहावत है कि एक छिनकता ढोलों के साथ चल रहा था वह बात है। सभापति, महोदय, आज यहां पर सदन में और सदन के बाहर मजदूरों के हितों की बातें की जाती हैं उनके लिये नारे लगाये जाते हैं। आज कांग्रेस की तरफ से भी और कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से भी यह नारा लगाया जाता है कि मजदूरों का शोषण नहीं होना चाहिये, मजदूरों को सेठों के चंगुल से छुड़ाओ लेकिन सभापति महोदय, आज सभी जगह पर इसके विपरीत काम हो रहा है। आज कांग्रेस वाले और कम्युनिस्ट पार्टी वाले अमीरों से नोट लेते हैं। और मजदूरों से भी नोट लिये जाते हैं। मैं स्पष्टतया सभापति महोदय, यह कह देना चाहता हूं कि आज यह सरकार मजदूरों का खुले रूप से शोषण कर रही है। आज जो माननीय सदस्य मजदूरों के हितों की बात करते हैं वह उनका शोषण करवा रहे हैं। इसलिये सभापति महोदय, अगर मजदूरों को इनसे बचाना चाहते हैं अगर

(श्री मनोहरलाल)

आप मजदूरों और मालिकों के बीच संघर्ष को खत्म करना चाहते हैं, मालिकों और मजदूरों के बीच में विवाद को हटाना चाहते हैं तो आपको इनके लिये श्रमीकरण करना होगा। इनके किये बिना मजदूरों और मालिकों का झगड़ा कभी नहीं मिट सकता। इसके लिये मेरा निवेदन है कि अगर एक परिवार किसी उद्योग को चला रहा है तो उसको उसी का मालिक बना दो इसके अलावा अगर किसी कारखाने के अन्दर 40 मजदूर काम करते हों तो आपको चाहिये कि उन चालीस मजदूरों को उसका मालिक बना दो, ताकि कोई विवाद नहीं हो। इस प्रकार अगर किसी कारखाने में एक हजार मजदूर काम करते हों तो आप उस कारखाने का मालिक उन हजार मजदूरों को ही बना दो ताकि कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा।

सभापति महोदय, आज वह नहीं हो रहा है और यह कांग्रेस की सरकार और कम्युनिस्ट मिलकर इन मजदूरों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वह यह साजिश है कि जो आज तक कम्युनिस्ट कभी भी टाटा, बिरलाओं के पक्ष में नहीं थे उनके साथ साजिश करके यह कांग्रेस सरकार जौइन्ट सेक्टर खोल रही है जो समाजवाद के नाम पर वोट लेती है वह आज इन बड़े-बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट के साथ उद्योग लगा रही है।

श्री केशरीमल : कम्युनिस्ट पार्टी इसमें सम्मिलित नहीं है।

श्री मनोहरलाल : सम्मिलित कैसे नहीं है चुनावों में आप दोनों ने गठबन्धन किया एक दूसरे को नीतियों को अच्छा बताया वह आपने दोनों ने मिलकर चुनाव साथ लड़ा। और आज आप लोग जो सेठों को गालियां देते थे वह ही जौइन्ट सेक्टर के नाम से आप इन सेठों के साथ कारखाना चला रहे हैं। जो सरकार मजदूरों की हितों की बात करती है जो गरीब और अमीर को एक करना चाहती है जो समाजवाद लाना चाहती है वही सरकार आज सेठों से गठबन्धन कर रही है और कम्युनिस्ट पार्टी उनका साथ दे रही है। सभापति महोदय, जब से यह गिरी साहब का चुनाव प्रेसीडेन्ट के लिये हुआ है तब से यह कांग्रेस दो घोड़ों पर सवार होकर चल रही है। इन्होंने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की है। और इन टाटा बिरलाज के साथ आपने जौइन्ट सेक्टर खोलने की बात की तब से आप देख लीजिये इन्होंने क्या किया है। मैं सभापति महोदय, आपके पास इनके समाजवाद का कच्चा चिट्ठा खोल कर रखना चाहता हूं। जिन मजदूरों को 4.11 पैसे मिलता था उन्हें उसी काम का आज 3 रुपये 31 पैसे और 2 रुपये मिलते हैं। यह है समाजवाद कहने को तो इन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हमने आपको प्रगतिशील बताया लेकिन सभापति महोदय, मैं आपके सामने मोनोपोली रिपोर्ट में दिया है वह पढ़कर सुना रहा हूं मोनोपोली कमीशन को रिपोर्ट में लिखा है कि आज से तीन साल पहले जो टाटा और बिरलाज को इन्कम होती थी उसमें और अब में कितना फर्क है। आज से तीन साल पहले बिरला को रोजाना 10 लाख रुपये की आमदनी होती थी और वह अब बढ़ कर साढ़े चौदह लाख रुपये रोज हो गई है और टाटा को जो 9 लाख रुपये रोज इन्कम होती थी वह

(श्री मनोहरलाल)

अब बढ़ कर साढ़े तेरह लाख रुपये रोजाना हो गई है सभापति महोदय, यह है गरीबों को ऊंचा उठाने की नीति और अमीरो को नीचा लाने की नीति । सभापति महोदय, आज गरीब ज्यादा गरीब हो रहा है और अमीर ज्यादा अमीर होता जा रहा है । सभापति महोदय, आज अगर आप मजदूरों और शोषित वर्ग को ऊपर उठाना चाहते हैं तो उसका एकमात्र इलाज है कि आप इन उद्योगों का श्रमीकरण कर लें आप मजदूरों का कल्याण करना चाहते हैं तो आप इनका श्रमीकरण कर दें। इसके अलावा सभापति महोदय, मैं कुछ श्रमिकों और मालिकों के बीच जो झगड़े होते हैं, उनके बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिये आपको अधिक श्रम न्यायालय खोलने चाहियें ताकि उन्हें सस्ता और समय पर न्याय मिल जाय । मैं इसके बारे में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो श्रम न्यायालय में मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है उसका कारण यह है कि वहां पर पक्षपात छाया हुआ है। भ्रष्टाचार का बोलवाला है। मालिक लोग पैसा देकर केस जीत जाते हैं और मजदूरों को न्याय नहीं मिल रहा है। आज मालिक लोग अच्छे वकील कर लेते हैं । इसके लिये गरीब मजदूर जिसके कोई भी सोर्स नहीं होते हैं उनके साथ अन्याय होता है इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप उनके लिये ऐसी व्यवस्था करें ताकि उन्हें भी अपने केस लड़ने के लिए अच्छे वकील मिल सकें। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि व्यवस्था ऐसी की जानी चाहिये कि तहसीलदार और एस० डी० ओ० को भी श्रम न्यायालय के केस के फैसले करने के अधिकार दिये जाने चाहिये । इसमें आपका कोई विशेष खर्च भी नहीं होगा और उन लोगों को सस्ता न्याय भी मिल जायेगा। लेकिन सभापति महोदय, यह लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं अपनी मोनोपोली बनाना चाहते हैं, आज अगर एक व्यक्ति मिनिस्टर बन गया तो वह कुर्सी के चिपका रहना चाहेगा। कोई दस साल तक मिनिस्टर है तो कोई पचीस साल तक मिनिस्टरी कर रहा है उसी प्रकार आज गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरीज हैं, कई विभागों के डायरेक्टर हैं वह उसी महकमे में कुर्सी पर जमे हुए हैं उनकी वहां से हटने की तबियत नहीं करती और राज्य सरकार उनको हटाना नहीं चाहती । आज जो मिनिस्टर हैं वह चाहेगा कि मेरा यही सेक्रेटरी रहे । आज एक सरकारी ऑफिसर चाहेगा कि मैं तीस साल, चालीस साल और उनका बस चले तो पचास साल तक हुकूमत कर लूं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जन सम्पर्क विभाग के जो डायरेक्टर हैं श्री राजेन्द्रसिंह भट्ट, वे बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत होशियार हैं । मैं कहना चाहूंगा कि अगर वह बहुत ही अच्छे और काबिल हैं तो उन्हें दूसरे पद पर क्यों नहीं लगाया जाता है। उनका काम सिर्फ एक ही है कि दो चार मिनिस्टर्स के भाषण छाप दिये या उनकी तस्वीरें छाप दी, उनकी तारीफ कर दी लेकिन मैं उससे यह कहना चाहूंगा कि आप विधायकों के बारे में क्यों नहीं लिखते हैं, विधायकों ने आपकी कौनसी भैंस चोरी की है। भट्टजी महाराज आपका विधायकों से क्या बैर है। सभापति महोदय, इन भट्टजी के लिये पत्रकार संघ ने कई इनकी अनियमिततायें मुख्य मन्त्री

(श्री मनोहरलाल)

और मुख्य सचिव के पास रखी तो मुख्य मन्त्री और मुख्य सचिव ने कहा है कि जो आरोप पत्रकार संघ ने लगाये हैं वह सही है उन्हें इस पद से हटाया जाना चाहिये पर आज तक इन्हें पद से नहीं हटाया गया है लेकिन बराबर वे आज भी इस पद पर बैठे हुए हैं। इससे यह जाहिर होता है कि मुख्य सचिव और मुख्य मंत्री उनसे अनुचित लाभ लेते हैं और उसका बदला इस रूप में देते हैं कि भट्टजी महाराज इस विभाग का भट्टा बिठा दें, बेजां काम करें। पत्रकार कहते हैं हमारे मामले में पक्षपात, अखबारों के विज्ञापन में पक्षपात। प्रचार में पक्षपात, मुख्य मंत्री ने कह दिया कि इनको वहां से हटा दिया जाय लेकिन बराबर क्यों वहीं पर लगे हुए हैं ? वहां के कर्मचारियों का वेतन कम है। उन का वेतन बढ़ाया जाना चहिये।

अनाज के राजकीय व्यापार के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं। मैं आरोप लगा रहा हूं। अलवर, भरतपुर से पचासों ट्रक्स चोरी से चने और अनाज के रोज जाते हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। किलाबन्दी की गयी है, प्रान्तबन्दी की गयी है, उसके बाद, क्या हुआ ? उसका नतीजा क्या हुआ। क्या आप अलवर और भरतपुर के लोगों को भूखों मारेंगे ? अनाज के व्यापार के बारे में सरकार के पास कोई स्कीम नहीं है। एक पैसा सरकार और नगरपालिका के पास चुंगी और टैक्स का नहीं आता है। सारा अनाज हरियाणा में निकल गया। 20 तारीख से एक किलो गेहूं मंडी में नहीं आया। नगरपालिकाओं को चुंगी का नुकसान हो रहा है। आंकड़ों से मालूम हुआ है कि राजकीय व्यापार में घाटा है। 25 रुपये क्विन्टल की हानि है। सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगने चाहियें इससे आप काश्तकार को ही 25 रु० का अधिक बढ़ा कर दे दीजिये। सरकार इससे बदनामी से बचेगी। बीच का कमीशन देना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

एक बात निवेदन करना चाहूंगा। सतर्कता आयोग काम क्या करता है ? सतर्क होकर खाइये। प्रेमचन्द नामक एक अध्यापक कार्मा के हैं, भागचन्द अध्यापक डीग में है, उनके बच्चे इतने बड़े हो गये कि वे बी. ए. में पढ़ रहे हैं लेकिन उनका आज तक फिक्सेशन नहीं हुआ, पे का रिवीजन नहीं हुआ और उनके मामले शिक्षा विभाग के अधिकारी के पास दबे पड़े हैं। नतीजा क्या होता है चिट्ठी जाती है और वहां लेटर बक्स में पड़ जाती है। सतर्कता आयोग में जाओ प्रिवेन्स आयोग के पास जावो, कुछ नहीं ये लापरवाही करते रहते हैं और सारी कार्यवाही होती रहती हैं। विकास विभाग के कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर सी. एल. कावड़िया एक काम पर एक हजार रुपया मांगते हैं। भरतपुर के 9 सचिवों, ग्राम पंचायतों के तबादले किये। एक-एक हजार रुपया दीजिये तो ट्रान्सफर रुक जावेंगे। भरतपुर से बाड़मेर। तेरह-तेरह साल से फिक्सेशन नहीं हुआ। एक छोटा सा कर्मचारी आनन्दस्वरूप, उसको कहते हैं एक हजार रुपया दीजिये। बीस-बीस वर्ष से जमे हुए हैं। उनको नहीं हटाया जायगा तब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। उसका कारण यह है कि बड़े-बड़े मंत्री कुर्सियां दबाये बैठे हैं।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने स्वयम् ने जितना समय चाहा उतना मैंने आपको दे दिया।

श्री मनोहरलाल : बहुत अच्छा। मैं क्षमा चाहता हूं सभापति महोदय!

श्री सभापति : श्री दीपंकर!

श्री दीपंकर (लाड़नूं) : सभापति महोदय, उद्योग के बारे में जो विचारणीय विषय है, मेरा निवेदन है, हम उद्योग के बारे में स्पष्टतः अपने सूबे के बारे में सोचें कि जो उद्योग गांवों में छोटी-छोटी आबादी में हैं, वे पनपें। हम प्रथमतः पूर्ण दृष्टि लगा कर, साधन जुटा कर, उनको ऊपर उठाने की चेष्टा नहीं करेंगे तो बड़े उद्योग बड़े शहरों में पनपेंगे और फिर गांवों के बेकार शहरों में आ जावेंगे।

एक वक्त था हमारे यहां अच्छे दस्तकार थे और इतने प्रसिद्ध थे कि ढ़ाका की मलमल के बाद वे भी इतिहास में अमर हो गये। बाहर से कपड़ा मंगवा कर ढ़ाका की मलमल बनाने वाले दस्तकारों के अंगूठे कटवा दिये गये और उस प्रसिद्ध उद्योग को नष्ट कर दिया गया। आज भी हमारे गांवों में हर तरह का काम करने वाले बहुत दस्तकार रहते हैं उनको किस प्रकार पनपायें, यह बड़ी समस्या है। बड़े शहरों में बड़े उद्योग लगें इसमें दो राय नहीं है। उनको एक्सपर्ट राय मिल जाती है। उनको इन्जीनियर्स की सहायता मिल जाती है। उनको बैंकों की सहायता मिल जाती है। गांवों में ऐसे दस्तकार हैं जो वर्षों से, पीढ़ियों से धन्धा करते आये हैं, आगे भी करना चाहते हैं उनको उसी जगह पर रख कर पनपा भी सकते हैं तो उनके लिये कोई उद्योग खोलना चाहिये। सरकार ने रास्ता निकाला है कॉ-आपरेटिव बना कर ऐसा धन्धा करने वाले सामूहिक रूप से पैसा ले लें और उसको चलायें। कॉ-आपरेटिव सोसाइटी तक उनमें एकता रहती है लेकिन उनका विघटन लोन मिलने के बाद शुरू हो जाता है। इस दस्तकारी बढ़ने का सवाल तो तब रहता है जब उनको पैसा बराबर ठीक प्रकार से पहुँचता रहे। इसके लिये ऐसा तरीका निकालें कि दस्तकार सीधा कहां पैसा ले सके। राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोगों को काफी लाभ हुआ है। किस प्रकार से उनको पैसा मिल सकेगा, यह उनको मालूम नहीं। उनके लिए कोई सुगम तरीका हो। पंचायतों में इन्डस्ट्रीज ऑफिसर्स रहते थे। वे हटा दिये। जब उनको मालूम नहीं है कि उनको पैसे मिले तो वे कैसे लें। इसके लिये आप कोई ऐसी एजेन्सी कायम करें कि जिससे धन्धे वाले लोग हैं गांवों में उनको धन्धे के लिये रुपया मिल सके।

पहले यह था कि सब गांव आर्थिक दृष्टि से अपनी इकाई में परिपूर्ण थे। जब तक गांव वालों के काम होते थे गांव में बड़े जो होते थे उनके द्वारा उनकी पूर्ति हो जाती थी। आज हर चीज बाहर जाती है और किसी चीज की कद्र नहीं होती है। यहां तक कि रेजा बनाने का काम है, निवार बनाने का काम है, रंगाई-छपाई का काम है, बढ़ईगिरी का काम है, लोहारगिरी के काम है उनको प्रोत्साहन दें तो अधिक से अधिक बेकारी की समस्या हिन्दुस्तान में गांवों से बढ़ती जा रही है, वह कम हो जावेगी। हमारे पास जमीन कम है, सीलिंग एक्ट से ज्यादा से ज्यादा लोगों को जमीन पर टिकाना चाहते

(श्री दीपंकर)

हैं तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है ? यही है कि बेकार न रहें लोग। जमीन पर आप सब लोगों को टिका नहीं पायेंगे। उद्योग की तरफ ही लोगों को खींचना पड़ेगा। पढ़े-लिखे लोग गांवों में छोटी-छोटी यूनिट्स चलायें वह तब ही संभव है जिस तरह जापान में हर घर में हर व्यक्ति कोई न कोई काम करता है, धन्धा करता है, उसी तरह हम भी हमारी पुरानी आदत के अनुसार यही काम करें। हमारे उद्योग पुनर्जीवित तब ही हो सकते हैं जब आप उनको साधन दें। बड़े उद्योगों में भी दो तरह के उद्योग हैं। बड़े शहरों के उद्योग भी बड़े उद्योग होते हैं। बड़े उद्योगों में यह शर्त लगाई जाती है कि वे छोटे उद्योग स्टार्ट नहीं कर सकेंगे। सीमा के ऊपर आमदनी होती है तो लाइसेंस ले लेते हैं। जयपुर में चार वनस्पति के उद्योगों के लाइसेंस दिये, दो स्टार्ट हुए और दो स्टार्ट नहीं हुए। उद्योग के लाइसेन्स देते समय यह शर्त थी कि आप यह टीन नहीं बना पायेंगे। जैसे ही उद्योग लगे 9-10टीन की फैक्ट्रीज लग गयी। परन्तु उन बड़े उद्योगों को टीन बनाने के लाइसेन्स दे दिये। परिणाम यह हुआ कि कुटीर उद्योगों के आधार पर जिनके छोटे-छोटे उद्योग थे वे बन्द हो गये, कम्पीटीशन में आ नहीं सकते थे। इसलिये आज वे बेकार हो गये हैं। उनका लाखों रुपया इन छोटे कारखानों में ब्लाक हो गया, हजारों की तादाद में बने हुए टीन बेकार बिना बिके पड़े हैं। उनको कैसे बेचा जाय, यह समस्या उनके सामने खड़ी हो गई है। तो इन लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार को इन बड़े उद्योग को इस क्षेत्र में नहीं आने देने की नीति पर अमल करना चाहिये। नहीं तो ये बड़े उद्योग लघु उद्योगों को पनपने नहीं देंगे। हर एक का क्षेत्र बटा हुआ होना चाहिये।

सरकार की नीति इस मामले में स्पष्ट होनी चाहिये और फिर किसी भी कोने से कैसा भी प्रेशर सरकार पर आवे सरकार अपनी नीति पर अडिग रहे, अन्यथा बेकारी बढ़ेगी। अधिक लोग छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों में ही खपाये जा सकते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में बड़े उद्योगों को लाइसेन्स नहीं दिये जावें। छोटे उद्योगों को हर तरह से पनपने के लिये आप प्रोत्साहन देंगे तो निम्न स्तर के लोग लघु उद्योगों की तरफ आकर्षित हो सकेंगे और बहुत अंशों में बेरोजगारी भी मिट सकेगी।

आपका उद्योग विभाग भी उद्योगों में और खास कर लघु उद्योगों में कोई रुचि नहीं लेता। आप लोग बम्बई, मद्रास, कलकत्ता जाते हैं वहां राजस्थानी उद्योगपतियों, उद्यमशीलों को आप राजस्थान में निमन्त्रण भी देते हैं पर यहा आप की कुछ भी तैयारी नहीं होती। यहां आपका उद्योग विभाग रुचि नहीं लेता। उसके पास बनी-बनाई कोई प्रकार की स्कीम उन लोगों को नहीं मिलती। केवल बातें मिलती हैं, छोटे-छोटे पैम्फलेट मिलते हैं, स्कीमों के लिये पूछते हैं तो उनको सन्तोषप्रद उत्तर नहीं मिलते, टाल दिये जाते हैं। तो छोटी-छोटी योजनाओं की पूरी जानकारी आपके विभाग में रहनी चाहिये ताकि आपका निमन्त्रण पाकर आने वाले लोगों को यहां आने के बाद हर दिशा में जानकारी और सहयोग मिल सके। अगर ऐसा नहीं हो पावेगा तो यहां से उल्टी वे गलत धारणा आपके बारे में लेकर लौटेंगे और यह आपकी बदनामी का बायस बनेगा।

(श्री दीपंकर)

आज यह होता है कि एक उद्योगपति यहां आता है और अमुक धन्धे के लिये आपसे स्टील का कोटा मांगता है तो आप इन्कार हो जाते हैं, कह देते हैं यह तो हम नहीं दे सकते। दूसरी चीज बनाओ। जबकि वे ही जब कलकत्ता में जाते हैं, बम्बई या मद्रास में जाते हैं, और स्टील का कोटा मांगते हैं तो तुरन्त उनको वह मिल जाता है। यही नहीं उनको और बनी-बनाई कई स्कीमें मिल जाती हैं और उनको दूसरे-दूसरे कई उद्योग लगाने के लिये प्रोत्साहित भी किया जाता है। हमारे यहां के ही लोगों को हमारे यहां प्रोत्साहन नहीं मिलता। दूसरे प्रदेशों में आशा से अधिक उनको प्रोत्साहन मिलता है। बनी बनाई स्कीमें मिलती हैं। अब इतना स्टील और इतना रा-मेटीरियल वहां की सरकारें के पास कहां से आ जाता है। और आपके पास क्यों नहीं आता। अगर भारत सरकार से यह सब मिलता है तो क्या आप इसके लिये प्रयत्न नहीं कर सकते। कुछ समझ में नहीं आता। तो इस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

हमारे यहां पर कुछ उद्योग पनपे हैं, इसमें शक नहीं। श्रमिकों का सहयोग भी उनको मिला है। यह माना है। फेसिलिटीज भी उनको दी गई है, यह भी माना गया है। श्रमिकों को न्यायालयों से भी काफी सीमा तक न्याय मिला है।

मैं चाहता हूं कि इसी तरह की सहूलियतें छोटे उद्योगों में भी और छोटी-मोटी पत्थर की खानों में काम कर रहे श्रमिकों को उपलब्ध कराई जानी चाहियें। आशा है, सरकार अपनी घोषित नीति पर कायम रहेगी। कारण विशेष से भी इधर-उधर न होने पावेगी। विशेषतः जब कि सरकार को आर्थिक दृष्टि से उठना है हर व्यक्ति की औसत आमदनी बढ़ानी है तो ग्रामीण क्षेत्रों का लघु औद्योगीकरण होना चाहिये, अन्यथा बड़ी जगहों पर इण्डस्ट्री लगने से शहरी लोगों में कुछ की आमदनी बढ़ने से स्टैण्डर्ड का बढ़ना आप मानते हों तो यह फर्जी है। आज हर तरह के आदमी को बढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिये जबकि अधिकांश में लोग आज भी ग्रामों में रहते हैं। उनकी समृद्धि के बिना यह शहरी प्रगति केवल एक थोथी झलक है। आज ग्रामीण दस्तकारों को अवसर दिया जाय। हर आवश्यक हस्तकला की जानकारी उनको है। आज उनको फलने-फूलने का अवसर दिया जाय।

आशा है सरकार के इस दिशा में सही कदम उठेंगे। दृढ़ निश्चय से सरकार काम लेगी और बड़े उद्योगों में आज जो गिरावट की बात आ रही है, जिससे छोटे उद्योगों को इन्ट्रोड्यूस करने लगे हैं तो इससे बड़े उद्योगों को भी सहारा ही मिलेगा। सरकार को इस दिशा में भी निराश नहीं होना चाहिये, छोटे उद्योग अगर समृद्ध हो गये तो बड़े उद्योग भी जड़ जमा लेंगे।

मुझे समय दिया सभापति महोदय, इसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं।

श्री सभापति : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

श्री श्रीराम गोटेवाला : हमारे भी प्रस्ताव हैं। हमें भी बोलने का अवसर मिलना चाहिये।

श्री सभापति : अब इसके बाद आपका नाम लूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गोटेवाला जी, कभी तो लंगोटे वाला भी को मौका दें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह लंगोटे-वाला भी गोटेवाला से कम नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपको इससे ही काफी राहत हो जावेगी। आप सारे हैड्स पर डिबेट को बुलेटिन करने जा रहे हैं। इस वास्ते समय को देखते हुए मैं केवल तीन हैड्स पर अपने विचार रखूंगा, उद्योग, श्रम और नियोजन और सरकारी व्यापार में पूंजी की लागत। ये तीनों ही पौइन्ट अहम् और राजस्थान के विकास के लिये महत्वपूर्ण हैं।

सभापति महोदय, मैं इन तीनों विभागों में से कुछ अहम मुद्दों पर ही बोलना पसन्द करूंगा।

राजस्थान का दुर्भाग्य है कि हम सेन्टर से मदद प्राप्त करने वाले स्टेटों में से पीछे हैं। चाहे स्कूटर फैक्ट्री हो, ट्रैक्टर फैक्ट्री हो चाहे ऑइल रिफाइनरी का प्रश्न हो।

सवाई माधोपुर और मथुरा में कोई दूरी का प्रश्न नहीं है। पर हमारी सरकार में सूझ-बूझ और व्यक्तित्व का अभाव है कि जिसके कारण ऑइल रिफाइनरी सवाई माधोपुर से निकल कर मथुरा चली गई। इसके कारण न तो सदन में कोई हलचल हुई न मन्त्रिमण्डल में कोई प्रतिक्रिया हुई, न जनता में रोष पैदा हुआ। राजस्थान में इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैं वह दिन नहीं भूल सकता जब आसाम से ऑइल रिफाइनरी हटाली गई थी तो सारे मन्त्रि मण्डल ने भारत सरकार को अपने इस्तिफे सरेण्डर कर दिये थे।

(3.58 म. प.)

(श्री रामसिह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आखिर इस दृढ़ता के अभाव में राजस्थान का विकास कैसे होगा। इण्डस्ट्रियल माइनिंग कार्पोरेशन भी बना दें और पांच करोड़ की पूंजी लगा दें और ट्रैक्टर और स्कूटर के लिये लेटर आफ इण्डेण्ट दे दिया तो क्या इसी से आपने प्रगति समझ ली। श्री टायर टैम्पोज का, स्कूटर का और इसके अलावा दो चार इण्डस्ट्रीज के लेटर ऑफ इण्डेन्ट प्राप्त होने वाले हैं तो भी राजस्थान में कुछ हलचल नहीं नजर आती। अगर जिंक स्मेल्टर फैक्ट्री के लिये हमें परमिशन मिल जावे, मशीनरी के लिये ऑर्डर दे दें और वह मशीनरी बम्बई पोर्ट पर दो साल तक पड़ी रहे और उदयपुर में आकर दो-दो साल तक इन्स्टाल न हो यह सरकार की काम करने की रफ्तार है तो यही रफ्तार इन इण्डस्ट्रीज में नहीं होगी और इनके सम्बन्ध अच्छे होंगे यह कैसे माना जा सकता है। यह आप नहीं भूलें कि हमने यहां वह इण्डस्ट्री डाली थी जो फोरिन एक्सचेन्ज हमें हासिल कराती थी। अपने किस्म की वह एक ही इण्डस्ट्री थी। सोडियम सल्फेट की फैक्टरी आपके सामने है, नमूने के तौर पर। इसको डीडवाणा में लगाया गया। पर रियासतों के वक्त जो मिलता था उससे अधिक आमदनी यह सरकार इससे नहीं प्राप्त कर सकी, आज दिन तक। आज हमारे सोडियम सल्फाइट और सोडियम सल्फेट की कीमतें देश में सबसे कम है। इसका एक कारण है सैद्धान्तिक। जहां तक यह फैक्ट्री इन्स्टाल

(श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा)

करने का सवाल है इसमें क्षेत्रीयता की भावना रखी गई थी । इलाके में पैदा होने वाले रॉ-मेटीरियल और फैक्ट्री साइट के चुनाव में एसोसियेशन नहीं किया गया । उपाध्यक्ष महोदय, हम मालपुरे के अन्दर वूल की रिसर्च लेबोरेट्री एस्टाब्लिश कर सकते हैं लेकिन सारे भारतवर्ष में 44 प्रतिशत अकेला वूल राजस्थान पैदा करे और 44 प्रतिशत का 60 प्रतिशत अकेला बीकानेर डिविजन पैदा करे और वहां के 60 प्रतिशत वूल में 90 प्रतिशत वूल केवल अनूपगढ़ तहसील पैदा करे और हमारी समझ में यह नहीं आता है, रिसर्च लेबोरेट्री कहां स्थापित होती है । सारे इंडिया में बेस्ट वूल बीकानेर डिविजन का होता है और अनूपगढ़ तहसील का वूल सारे राजस्थान में बेस्ट क्वालिटी का होता है । आज हम कोई वूल इन्डस्ट्री एस्टाब्लिश नहीं कर सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज इस अकाल के समय के अन्दर आज तक 30 लाख पशुधन मारे गये । राठी नस्ल की सारी गायें बाहर चली गईं या खत्म हो गईं । उनको बचाने का कोई उपाय राज्य सरकार ने नहीं किया । आज दिल्ली मिल्क सप्लाई स्कीम की गाड़ियां सूरतगढ़ और बीकानेर की तहसीलों में घूमती नजर आती हैं । आज भी इस अकाल के अन्दर वे थोड़ा बहुत दूध प्रदान करते हैं लेकिन हमने यह नहीं सोचा बीकानेर में मिल्क प्रोडक्ट की फैक्ट्री इन्स्टाल कर दें । आज बीकानेर जिला न्यूट्रिसस फूड में सारे भारतवर्ष में स्थान रखता है । ओरेन्ज स्क्वेश ले लीजिये, लेमन स्क्वेश ले लीजिये, आज गंगानगर में स्क्वेश की फैक्ट्री इन्स्टाल करें तो वह फैक्ट्री फोरिन एक्सचेन्ज पैदा करने वाली होगी जब कि गंगानगर में माल्टा दुनियां भर से ज्यादा होता है ।

सन् 1959 में ढेबरभाई की कमेटी बनी थी । उस ढेबरभाई की कमेटी ने यह रिपोर्ट दी थी कि बीकानेर डिविजन एक ऐसा डिविजन है, जहां मिल्क प्रोडक्ट की योजनायें बनाई जा सकती हैं । सन् 1959 से 72 तक अनेक बार चर्चायें हुईं लेकिन उसके अन्दर कन्क्रीट प्रपोजल कोई आज तक सामने नहीं आये ।

आज लिफ्ट इर्रिगेशन को मान लिया और लिफ्ट इर्रिगेशन के अन्दर नोखा में और टीलों को देखते फिर रहे हैं जबकि मोतीराम कमेटी ने साफ कहा है राजस्थान कैनाल जहां-जहां जाती है लिफ्ट इर्रिगेशन मान लिया तो राजस्थान नहर के दोनों तरफ जो एरिया है, उसको इर्रिगेट कीजिये । लिफ्ट इर्रिगेशन कोई सस्ती योजना नहीं है और फिर कोलायत, लूनकरणसर में ले जायेंगे तो वहां 200-150 पर बीघा सिंचित क्षेत्र होगा । अगर इतनी महंगी योजना है तो वह राजस्थान के लिये लाभदायक नहीं होगी ।

आज भी टोडरमल का सिक्का हाथ में है । वही पेशकार, गिरदावर, पटवारी बनाये और वही एक रेवेन्यू सिस्टम बनाया । आज संसार में वही राजा टोडरमल की सेटलमेंट, वही रेवेन्यू वसूल करने का तरीका है ? आज लीबिया जैसे छोटे राज्यों को देखिये जहां कालोनाइजेशन की स्कीम चल रही है । आज मालखाने के लिये वही शेरशाहसूरी की स्कीम है । आपके यहां पाण्डे साहब की

Page No 110

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

रिपोर्ट पढ़ी। आज वर्ल्ड बैंक से दो लाख रुपया वाटर लोगिंग के लिये खर्च किया और दूसरी तरफ राजस्थान नहर के टीलों का चल रहा है लेकिन हमारे फ्यूटल सिस्टम वही लैंड रेवेन्यू की रिकवरी का। लीबिया की सरकार क्राप के ऊपर टैक्स लगाती है। कम क्राप तो कम टैक्स लगाती है और ज्यादा क्राप है तो ज्यादा टैक्स लगाती है। वहां की आप स्टैडी कीजिये।

आज 13 लाख एकड़ भूमि सिंचित कर लेनी थी लेकिन वह 1968 से आज तक नहीं कर पाये। इजिप्ट ने केवल चार वर्षों में 16 हजार क्यूसेक पानी को यूटिलाईज कर लिया जबकि आज हम दो-चार हजार क्यूसेक पानी को यूटिलाईज नहीं करते हैं। जबकि धर साहब यह कहते हैं कि यूटिलाईज निल के बराबर है। इन लैण्ड रिक्लेमेशन का काम, कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस और उस प्रोसेस से पैदा होने वाला कच्चा माल और उससे सम्बन्धित एसोसियेट फैक्टरीज, अगर इस तरह की हमारी इकोनोमिक प्लानिंग हुई तो राजस्थान बहुत बड़ा इण्डस्ट्रियल प्रान्त बन सकता है और सारे देश में आगे बढ़ सकता है....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हम केवल लैंड अलॉटमेंट को मुख्य चीज मानते हैं। अगर आज ग्रेन ग्रोवर्स की, फाइबर प्रोजेक्ट की सीड्सबर की उसी प्रकार की मैचिंग फैक्टरीज नहीं रखते हैं तो न तो आपका कोई काम होने वाला है और न राजस्थान इन्डस्ट्रियली आगे बढ़ सकता है....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : दो मिनिट की क्षमा मांगते हुये एक कोल फैक्टरी की बात रखना चाहता हूं। वैसे गंगानगर में कोल फैक्टरी में बड़े-बड़े दिग्गज उतर आये हैं, मैं केवल पांच भट्टों के बारे में निवेदन करूंगा जो 15 एच० एम० एच० के हैं। एक रामचन्द्र सन ऑफ पेमाराम 15 एकड़ में भट्टा मंजूर हुआ, दूसरा सुरजाराम 15 बीघा में भट्टा मंजूर हुआ जिसका बाकायदा मंजूरी का फार्म है और एक एस० डी० ओ० इरिगेशन जो नहर पर एस० एच० एन० है उसी पर लगा हुआ है, 15 एकड़ उनके नाम है। अब यह रामचन्द्र कौन है। ये रामचन्द्र हमारे मंत्री महोदय रामचन्द्रजी चौधरी हैं।

आज गंगानगर के सारे के सारे भट्टे संकट में हैं। इसी सदन में उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अग्रवाल की अरविन्द कम्पनी को कम से कम 200 फैक्टरीज का कोयला ड्रा करने की है मैंने राजस्व मंत्रीजी को एक पूरी की पूरी लिस्ट प्रस्तुत की थी और चैलेन्ज करके कहा था इस अग्रवाल कम्पनी का सारा का सारा मामला जाली है। 100 कम्पनीज के नाम परमिट लिया है, वह सारा का सारा जाली है। आज गंगानगर में स्थिति यह है कि 50 हजार कोयला फैक्टरी में काम करने वाले मजदूर बेकार है नोहर में कोयला मिलता नहीं, भादरा में कोयला मिलता नहीं, पीलीबंगा में कोयला मिलता नहीं-सारे के सारे मजदूर आज बेकार बैठे हुये हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आज इन एस० डी० ओ० साहब के पास, चौधरी रामचन्द्रजी के पास, सुरजाराम के पास पूरा

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

का पूरा कोल पहुँचता है। आज यह अग्रवाल कम्पनी भेष बदल रही है। वही कुलदीपसिंह जिन्होंने पी० डब्ल्यू० डी० में लाखों रुपयों के घोटाले किये हैं वहां की मोनोपोलिस्ट आज नये नाम से भट्टे ले रहे हैं। आज कोई गुप्ता है उनके नाम से परमिट लाइसेन्स जारी हुये हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में मैं यही कहूँगा उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अधिक समय न लेते हुये और आपको धन्यवाद देते हुये आज के नये ओरिएन्टेशन में नये स्ट्रक्चर को अपनाने में पूरा का पूरा एटीट्यूड बदलना पड़ेगा और जिस राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी केनाल है, सारा का सारा कोलोनाइजेशन बनाना पड़ेगा और यह नया कोलोनाइजेशन साइन्टिफिक तरीके से करना होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा !

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्षजी, पूर्व में जो सभापति थे उन्होंने मुझे कहा था कि इसके बाद आपको मौका दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : समय नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं दो मिनट में ही समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : समय नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्षजी, मेरे एक प्रश्न का उद्योग मंत्री जी जानकारी दे दें कि गत सत्र में घोषणा की गई थी कि इन्डस्ट्रीज को ठीक ढंग से चलाने के लिए मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि एक को-ऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जायेगी तो माननीय मंत्रीजी मेरे और कटौती प्रस्तावों का जवाब देंगे सो तो देंगे ही पर साथ ही मैं जानना चाहता हूं कि उस को-ऑर्डिनेशन कमेटी का क्या हुआ और उसने क्या कार्य किया और उस को-आर्डिनेशन कमेटी के द्वारा जो हम उद्योगों को विकसित करना चाहते थे उस सम्बन्ध में क्या कार्य हुआ ? इस सम्बन्ध में जानकारी दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी !

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 124-- सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के संबध में पांच-छः माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। अभी सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य लैण्ड लेवलिंग की बात कर रहे थे। इस मांग से उसका कोई संबंध नहीं है और वह रेवीन्स के रिक्लेमेशन जो कि कोटा में हो रहा है फोरेस्ट डिपार्टमेंट की मांग है। किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे वह इस मांग के अन्तर्गत न आकर लैण्ड रेवेन्यू में आता है इसलिए मेरी डिमाण्ड्स का जो ज्यूरिस्डिक्शन है उसके अन्दर ही मैं रहूंगा तो ही उचित रहेगा।

यहां पर सुजानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने और सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने खाद के वितरण के सम्बन्ध में अनियमिततायें रहीं, इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किये। खाद की जो कमी रही फर्टीलाइजर की इस साल और खास कर रबी की फसल में वह भी पूर्व में कह चुका हूं क्योंकि मैं एक्सेस डिमाण्ड लेकर सदन में आया हूं और यह एक्सेस

(श्री परसराम मदेरणा)

डिमाण्ड 1 करोड़ 15 लाख रुपये की है। इस साल के बजट में 50 लाख का प्रावधान था और जो अब एक्सेस ग्रान्ट मांगी है वह 1 करोड़ 15 लाख रुपये की है। यह मेरे विभाग से संबंध रखने वाली एक्सेस डिमाण्ड है।

इस साल रबी की फसल के लिए भारत सरकार ने सभी राज्यों के साथ बैठकर जोनल कमेटी में और राष्ट्रीय स्तर पर जो हमें खाद्यान्न आवंटित किया था वह कुल मिलाकर 37,800 न्यूट्रीयन्ट था और जहां तक नाइट्रोजीनस फर्टीलाइजर की बात मैं कर रहा हूं क्योंकि इसी की सारे देश में कमी है। जो नाइट्रोजीनस है इसमें से 19,630 टन तो पूल का है और यह पूरा फर्टीलाइजर विदेश से आता है, और दूसरा 18,170 टन तय किया गया है। 31,154 टन इस साल मिला है इसलिए 16,144 टन का घाटा रहा है। इसका मतलब 34 हजार मेट्रिक टन का, यूरिया का खाद रहा इसलिए शार्ट सप्लाई हुआ और उसकी वजह से यूरिया की मांग ज्यादा आ रही है और इसलिए जो कुछ यूरिया प्राइवेट सेक्टर में या पूल के सेक्टर में वितरित हुआ था उसके संबंध में काफी अनियमितताओं की शिकायत राज्य सरकार के पास भी आई और राज्य सरकार प्रारम्भ से अक्टूबर से लेकर इसको सोचती थी कि पूरे राजस्थान की मांग है उसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी इसलिए बराबर मेरे स्तर पर, सचिव के स्तर पर और डाइरेक्टर के स्तर पर भारत सरकार को लिख रहे हैं और उनसे मांग की है कि पूल से 19,630 टन देने जा रहे हैं तो हमारे यहां जो फैक्टरी प्राडक्शन करती है उसका जो प्राडक्शन है वह तो दूसरी स्टेट को अलॉट कर रहा है और फारिन कन्ट्री से आने वाला हमको अलॉट किया है। तो हमने कहा कि ऐसा कीजिए कि आप गुजरात और महाराष्ट्र जो कि पोर्ट के नजदीक हैं वह इसको ले लें जो कि फोरिन से आता है और राजस्थान में जिसका उत्पादन होता है यह हमारे काम में आ जाये। लेकिन भारत सरकार ने इस बात को नहीं माना। भारत सरकार के कृषि मंत्रीजी का पत्र फरवरी के एण्ड में या मार्च के फर्स्ट वीक में मिला था जो अभी मेरे पास में नहीं है।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि 19,630 टन जो कि पूल से हमको फर्टीलाइजर मिलने वाला था वह पूरा का पूरा भारत सरकार राजस्थान सरकार को देने वाली थी जिसके अगेन्स्ट में हमको 5,272 टन ही मिला है और 14,35 टन की शार्ट सप्लाई रही। उसकी वजह से यूरिया की कमी रही।

दूसरे मैं यह निवेदन कर रहा था कि जहां तक एग्रो-इन्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन का प्रश्न है, सुजानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बारे में कहा, इस संबंध में इतना ही निवेदन चाहता हूं कि फर्टीलाइजर कॉर्पोरेशन आफ इन्डिया ने एग्रो-इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन को फर्टीलाइजर नहीं दिया। एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन को इस साल इसलिए इस फर्टीलाइजर के मामले में इनवाल्व किया था क्योंकि राजस्थान क्रय-विक्रय संघ की एजेन्सी ठीक नहीं थी इसलिए हम चाहते थे कि किसी पब्लिक बाडी को इस बीच में लिया जाय जिससे जो यूरिया मिलने वाला था,

(श्री परसराम मदेरणा)

उसको हमने एग्रो-इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन को दिया था और इसलिए फर्टीलाइजर कार्पोरेशन से इसका कोई संबंध नहीं है, न उन्होंने हमसे लिया है। यह माननीय सदस्यों को जानकारी होगी। मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि पूर्व में जो कुछ पूल से मिला था क्योंकि क्रय-विक्रय संघ को दे रहे थे और वह पूल से दे रहे थे तो क्रय-विक्रय संघ की स्थिति खराब होने से जो पूल में फर्टीलाइजर आ रहा था, इसको आगे वितरित करने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने प्राइवेट डीलर्स को मुकर्रर कर रखा था। उनको उन्होंने आगे वितरण के लिए सर्टिफिकेट्स दे रखे हैं। राज्य सरकार को मालूम हुआ कि बहुत सी को-आॅपरेटिव सोसाइटीज़ इस काम को करना चाहती हैं, साल भर पहले ही को-आॅपरेटिव सोसाइटीज़ को हमने आग्रह किया था कि आप इस काम को कीजिए। को-आॅपरेटिव सोसाइटीज़ के पास में अर्थाभाव होने के कारण हमारी इस रिक्वेस्ट को उन्होंने टर्न डाउन कर दिया क्योंकि यूरिया की ओवरआल शार्टेज थी उस संबंध में काश्तकारों का इन्टरेस्ट था और वितरण के संबंध में अनियमिततायें सामने आई। तो हम चाहते थे कि को-आॅपरेटिव सेक्टर सामने आये और जनवरी में हमने आदेश दिये कि जो भी को-आॅपरेटिव सोसाइटीज़ इस काम को करना चाहती हैं और फर्टीलाइजर के वितरण संबंध में आगे आना चाहती हैं तो हम प्रिफरेन्स उनको देंगे और राज्य सरकार की नीति थी पूर्व में और आगे भी मैं सदन को एश्योर करना चाहता हूं और माननीय सदस्यों को भी मैं निवेदन करूंगा कि को-आॅपरेटिव सेक्टर में कोई भी वायेबल इकोनामिकल यूनिट अगर इस काम को लेना चाहती है तो राज्य सरकार के पास में जो पूल से फर्टीलाइजर आ रहा है उसका वितरण का काम हम को-आॅपरेटिव सैक्टर को देंगे। नॉन-पूल के संबंध में राज्य सरकार पाबन्दी नहीं लगा सकती। नॉन-पूल के अन्दर 18170 टन यूरिया मिलने वाला था, इसके अगेन्स्ट में श्रीराम-फर्टीलाइजर को 11 हजार टन मिला, जबकि 13,170 टन देना था और भी दूसरी जगह से नॉन-पूल में मिलने वाला था और उसके अन्दर जो भी पूल से मुकर्रर करते हैं उसके लिए तो डीलर मुकर्रर कर सकते हैं लेकिन नॉन-पूल के लिए हम पाबन्दी नहीं लगा सकते। फर्टीलाइजर कन्ट्रोल आॅर्डर के तहत अनियमिततायें करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आॅफिसर और जो फर्टीलाइजर इन्सपेक्टर मुकर्रर किये हुए हैं, वह इसको देखते हैं क्योंकि यह एसेन्शियल कमोडिटीज एक्ट में आता है और कोई अनियमितता होती है तो एक्शन ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कैंसिल कर सकते हैं और चालान भी कर सकते हैं।

पूल फर्टीलाइजर में जो अनियमिततायें हुई उसमें 31 केसेज पकड़े हैं, उनमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स भी कैंसिल हुए हैं और उनका कोर्ट में चालान भी हुआ है। उनमें अभी कोर्ट्स से फैसले नहीं हुए हैं। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहूँगा कि जोनल मीटिंग बम्बई में हुई थी उसके अन्दर सभी स्टेट्स के रिप्रेजेन्टेटिव्ज थे और एग्रीकल्चर प्राडक्शन सेक्रेटरी, डाइरेक्टर और दूसरे लोग—इस सदन को जानकर प्रसन्नता होगी कि राजस्थान के अन्दर सबसे ज्यादा केसेज हमने बनाये और दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में। हमने भारत सरकार को बारबार यह

(श्री परसराम मदेरणा)

लिखा कि जो श्रीराम फर्टीलाईजर यूरिया फैक्ट्री राजस्थान स्टेट में है तो इसका कोटा हमको मिलना चाहिए और जो फोरिन से फर्टीलाईजर आता है वह जो पोर्ट के पास की स्टेट्स हैं उनको मिल जाना चाहिए। मैंने चिट्ठी में यह भी लिखा है कि सेंट्रल पूल के अन्दर जो फर्टीलाईजर आने वाला था उसके अन्दर शार्टफाल रहा है और उस बारे में यह बताया गया कि जो फर्टीलाईजर विदेशों से आता है उसमें कमी का कारण यह रहा कि जिन कण्ट्रीज से फर्टीलाईजर आता है वहां पर भी दुबारा फर्टीलाईजर यूज किया गया, वहां पर भी मानसून फैल हो गया और दुबारा सोईंग करने के कारण वहां पर भी फर्टीलाईजर की कमी रही और पूरा माल नहीं आ सका, जिसकी वजह से यहां पर भी कमी रही है। इसलिए भारत सरकार ने लिखा है कि जो पूल का कोटा निर्धारित किया था आपके टार्जेट में जो कमी रही है उसको पूरा करने में हम असमर्थ हैं। यह सब फरवरी के एण्ड मे लिखा है मैंने और भी समय-समय पर चिट्ठी लिखी है और इस बीच में मुझ से माननीय सदस्य, प्रधान और दूसरे काश्तकार भी समय-समय पर मिलते रहे हैं और मुझे पूरी जानकारी रही है कि यूरिया की इस साल में कमी रही है। इस कमी की वजह से इसमें अव्यवस्था बर्ती गई है। इस बारे में कई दफा मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर मीटिंग बुला कर इस बात की कोशिश की कि डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर को फर्टीलाईजर कण्ट्रोल आर्डर के तहत एक्शन लेना चाहिए और हमने सबसे ज्यादा एक्शन लिया है। जो भी एक्शन लिया गया है उनके सम्बन्ध में मैंने आपको सूचना दी है कि 31 लोगों के खिलाफ एक्शन लिया है।

यह भी हमने फर्टीलाईजर कण्ट्रोल आदेश निकाला है कि जो व्यापारी अगले महीने की पांच तारीख को हमारे पास रिटर्न पेश करेगा और वह यह बताता है कि उसके पास कितना फर्टीलाईजर आया और कितना सेल हुआ, उसको इस बात के लिए भी पाबन्द किया गया कि उसको आगे मिलने वाला कोटा कब तक मिल जाएगा और उसका किस तरह से उपयोग कर रहा है। यह फर्टीलाईजर कण्ट्रोल आॅर्डर के नीचे आदेश निकाल कर पाबन्द किया कि रिटेलर के पास कितना कोटा आया, कितना उसने उपयोग किया और आगे कितना आने वाला है और उसका उपयोग किस तरह से कर रहा है। यह डिटेल भी उसको देनी होती है कि वह किस-किस काश्तकार को दे रहा है। इसमें एक सबसे बड़ा खतरा यह है कि डीलर और काश्तकार मिल जाते हैं। एक काश्तकार को 20 बेग चाहिए और वह लिख देता है कि मुझे 30 बेग मिल गए और इस तरह से बाकी बेग्स को डीलर को इधर-उधर यूज करने का मौका मिल जाता है। इसलिए हमने उसको इस बात के लिए भी पाबन्द किया कि जिसके नाम अलॉट किया उस काश्तकार का नाम बतावें और जो आगे आने वाला कोटा है उसको वह किन-किन को देने वाला है यह भी बतावें। ओवरहाल जो शार्टफाल रहा है, 16 हजार टन का रहा है और सबको मिला कर 34 हजार टन के आसपास रहता है और जब किसी चीज की कमी हो जाती है तो मार्केट में सप्लाई एण्ड डिमाण्ड की स्थिति पैदा हो जाती है और लोगों को गड़बड़ करने का

(श्री परसराम मदेरणा)

मौका मिल जाता है और जो अनसोशियल एलीमेंट हैं वे ऐसे मौके पर नाजायज फायदा उठाते हैं।

अब मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सेन्ट्रल पूल से जो मुझे मिलना चाहिए था वह फरवरी तक करीब 57 लाख का मिला है और मार्च में मुझे 18 लाख का और सेन्ट्रल से मिल जावेगा। इस प्रकार करीब एक करोड़ 5 लाख का स्टॉक मेरे पास में खरीफ की फसल आने वाली है उसके लिये स्टॉक क्रियेट करने के लिए इस डिमाण्ड को मैं सदन के सामने लाया हूं और मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य इसको पास करें।

श्री फूलचन्द जैन : एक मिनिट।

श्री उपाध्यक्ष : नो क्वेश्चन।

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री, उद्योग) : माननीय उपाध्यक्षजी, उद्योग विभाग की सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड के बाबत माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार रखे हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगी। सबसे पहले मुझे यह निवेदन करना है कि मुख्य मुद्दा जो इस सदन में आया वह यह है कि इस विभाग द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के बाबत में संतोषप्रद कार्यवाही नहीं की गई। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगी कि इस विषय में इस विभाग द्वारा काफी संतोषप्रद कार्य किया गया है और काफी स्टडी प्रोग्रेस इस सम्बन्ध में हो भी रही है। 71-72 में इस काम के लिए 47 लाख रुपया मिला था उसके अगेंस्ट में 72-73 में 70 लाख रुपया मिला। और 73-74 में भी पूरी उम्मीद है कि इतना ही रुपया इस काम के लिए मिलेगा। जहां तक धनराशि के प्रावधान का सवाल है भारत सरकार से जो राशि मिल रही है इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट मिनिस्ट्री से, उसके सम्बन्ध में जहां तक विभाग का सवाल है, मैं निवेदन करूंगी कि 71-72 में जो राशि मिली, उसके तहत में जहां 50 टेक्निशियन्स को एम्प्लायमेन्ट देने की स्थिति थी उसके अन्दर ढ़ाई-सौ, तीन सौ अन्य लोगों को भी एम्प्लायमेन्ट मिला। उसके तहत में 62 के करीब शेड्स कन्स्ट्रक्ट किए गए और करीब-करीब सभी अलॉट कर दिए। इसी तरह से 15 टेक्निशियनों की और दूसरे लोगों की मिली हुई एक को-आपरेटिव सोसायटी रजिस्टर हुई। उसको अपने काम के लिए पांच लाख रुपया सेंक्शन लाने हुआ और वह काम स्टार्ट करने वाली है। 72-73 में जो राशि 70 लाख थी इसके तहत स्कीम तैयार की गई कि ज्यादा से ज्यादा टेक्निशियन, एजूकेटेड अनएम्पलायड को रोजगार देने के लिए। इसके तहत बनने वाले 90 शेड्स करीव-करीब पूरे हो चुके हैं और कुछ पूरे होने की स्टेज पर हैं। इसी तरह से 15 टेक्निशियन अण्डर ट्रेनिंग हैं और 20 को नेक्स्ट सेशन में ट्रेनिंग दिया जाना है। इसके तहत मैं सोचती हूं कि करीब-करीब उसी हिसाब से पांच सौ एजूकेटेड अनएम्प्लायड को इस स्कीम के तहत और इस 70 लाख की स्कीम के तहत एम्पलायमेन्ट मिल सकेगा। इसके साथ साथ जो अनएजूकेटेड हैं अनस्किल्ड हैं उनको भी अलग से काम मिल सकेगा। इन सब तथ्यों से यह साबित है कि तमाम गाइडेंस, ट्रेनिंग, हैल्प, सुविधा जो भी

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

इस सम्बन्ध में दी जा सकती है वह एजूकेटेड अनएम्प्लायड को पूरी तौर पर दी जाती रही है और इसकी प्रगति पूर्णतया संतोषप्रद है।

इसके साथ में जो एक मुख्य मुद्दा उठाया गया वह यह था कि राजस्थान इन्डस्ट्रियल मिनरल डवलपमेन्ट कार्पोरेशन को पूरा वित्त मिलता नहीं है इसलिए वह इण्डस्ट्रियल बेस बनाने में समर्थ नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि राजस्थान औद्योगिक खनिज विकास निगम को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में करीब 4 करोड़ रुपया मिलेगा और इसके अतिरिक्त इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स इंस्टीट्यूशन्स से मिलने वाला रुपया अलग है। इस प्रकार यह सारा मिला कर अपने काम को करने के लिए 12 करोड़ के करीब होगा। इसके अलावा जो कोलोबोरेटेड स्कीम्स टेक-अप करेंगे वह अलग है। इस बात में कोई शक नहीं है कि इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन जो भी काम चलाना चाहे, जो स्कीम टेक-अप करना चाहे, जो भी उद्योगों को बढ़ाना चाहे, उसमें कोई रुकावट फाइनेन्सेज की तरफ से आने वाली नहीं है। काफी फाइनेन्सेज का प्रावधान है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हरियाणा ने 12 अरब के स्ट्रक्चर क्रियेट किये हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : हरियाणा ने जितनी प्रोग्रेस की और जितनी डिमान्ड थी जो टाइम के साथ बढ़ रही है, उसके मुकाबले कितनी पर्याप्त है लेकिन जिस ढंग से हम चल रहे हैं और जितनी हमारी आवश्यकता है, उसके मुताबिक यह भी कम नहीं है।

जयपुर के आसपास लगने वाले मिनि स्टील प्लाण्ट के सम्बन्ध में इतना ही निवेदन कर सकती हूं कि इसको जितना उपयोगी करने की आवश्यकता होगी, वह किया जावेगा।

(मुखबन्द-सूचक-घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : मैं अब अनुपूरक अनुदानों की मांगों को स्वीकृति के लिए रखता हूं।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों का पारण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35– उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 67 लाख 97 हजार रुपये तक की राशि और प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38– श्रम और नियोजन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 124– सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973

(श्री उपाध्यक्ष)

को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को, 1,15,20,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक-क, 9–भू-राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12 लाख 93 हजार रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 26,37,000 रुपये की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 24,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12–बिक्री-कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,18,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 14–स्टाम्प्स के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 29,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 7; मुख्य शीर्षक 15–पंजीयन शुल्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 30,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 8; मुख्य शीर्षक 18–संसद, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान सभा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 18,5,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 30,51,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14,53,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 12; मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,60,31,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 33,62,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,81,07,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 28,39,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,87,88,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए–परिवार नियोजन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 25,50,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 29–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 65,04,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 50,20,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल विकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त

Page No 120

(श्री उपाध्यक्ष)

राज्यपाल महोदय को 1,80,99,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,70,59,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30, मुख्य शीर्षक 65–निवृत्ति वेतन और अन्य निवृत्ति लाभ, 72 निवृत्ति वेतनों का सारांशिकरण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 82,70,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 31, मुख्य शीर्षक 66–प्रादेशिक तथा राजनैतिक, निवृत्ति वेतन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 30,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान को मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 67–भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 86,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 68–लेखन सामग्री तथा मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,11,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 31, मुख्य शीर्षक 70–वन के सम्बन्ध में 1 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,46,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 71–विविध के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को

(श्री उपाध्यक्ष)

2,32,60,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94–जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19,50,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95–कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 35,73,000 रुपये तक की रशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96–औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 98—बहुप्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत।

99. सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक)।

100. सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 22,43,73,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 120—निवृत्ति वेतनों के सारांशिकृत मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के

(श्री उपाध्यक्ष)

निमित्त राज्यपाल महोदय को 12,00,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक था–राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,11,49,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

माननीय वित्त मंत्रीजी !

राजस्थान विनियोग (सं 5)विधेयक, 1973

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 5), विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा दी जाय ।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई ।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित हुआ ।

(विराम)

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया गया ।

(विराम)

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1973 को पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 5), विधेयक 1973 को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1973 को पारित किया गया । सदन की कार्यवाही कल दिनांक 30 मार्च, 1973 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 4–45 बजे शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च, 1973 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई]

Page No 123

परिशिष्ट—1

(तारांकित प्रश्न संख्या 842 की सूची)

जोन नम्बर 1

क्रम संख्या	ग्रामों के नाम	जनसंख्या सन् 1961 की जनगणनानुसार
1.	डिगाई	1322
2.	गुड़ा सोनगरा	96
3.	जैतपुरा	763
4.	जूनी खण्डला	313
5.	खारवा	1081
6.	गुड़ा एंदला	3368
7.	कानेलाव	937
8.	बाला	1045
9.	कुरला	1747
10.	पादरला	217
11.	सेली	123
12.	गिरवर	450
13.	डेडा	1959
14.	हेमावास	143
15.	खमावासिया	277
16.	मांडी खुर्द	699
17.	कटघरा	200
18.	गुरडाई	913
19.	मानपुरा	646
20.	मांडिया	928
21.	पुनायता	388
22.	गिराघर	754
23.	भैवरिया	738
24.	रूपावास	1131
25.	दयालपुरा	955
26.	मूलियावास	188
27.	गुरडाई	200
28.	कुरला	417
29.	धमद्वारी	400
30.	चाटेलाव	625
31.	बूरावास	575

Page No 124

क्रम संख्या	ग्रामों के नाम	जनसंख्या सन् 1961 की जनगणनानुसार
32.	मालवा	241
33.	गिरोलिया	530
34.	उन्दारी	381
35.	सुकरलाई	138
36.	जैतपुरा	266
37.	गरवाड़ा	946
38.	मादीरी	470
	जोन नंबर 1 डिजाइन जनसंख्या	59,700

जोन नं० 2

1.	खेरला	1170
2.	कानावासिया	105
3.	चोटीला	1116
4.	बन्डाई	333
5.	बागड़िया	444
6.	बीमू	1168
7.	मोरिया	
8.	निम्बाड़ा	173
9.	भालिलाव	235
10.	निम्बरी दरा	315
11.	ढाबर कलां	658
12.	ढाबर खुर्द	
13.	दूधिया	638
14.	जोधाजी की ढाणी	200
15.	बुद्धाजी की ढाणी	300
16.	बारों की ढाणी	250
17.	आलस की ढाणी	200
18.	काला पीपलू की ढाणी	200
19.	माडली दर्जिया	374
20.	भाखरीवाला गांव	673
	जोन नम्बर 2 डिजाइन जनसंख्या	20,200

परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न संख्या 844 की सूची)

The All India Services (Medical Attendance) Rules, 1954

14. Saving:–Nothing in these rules shall be deemed to—

(i) entitle a member of the Service to reimbursement of any cost incurred in respect of medical services obtained by him, or to travelling allowance for any journey performed by him otherwise than as expressly provided in these rules; or

(ii) prevent the Government from granting to a member of the service any concession relating to medical treatment or attendance or travelling allowance for any journey performed by him which is not authorised by these rules.

[Government of India, Ministry of Home Affairs, Letter No. 8/62/62-AIS (III), dated 29-8-1962.]

Government of India's decisions

3.1 Clause (ii) does not empower the Government to grant to the members of All India Services general additional concession not covered by the rules. But they can grant in individual, deserving and suitable cases any concession within or outside the frame work of the rules. Accordingly the State Government can under this rule, permit reimbursement of the cost of medical treatment and attendance taken abroad in a suitable and deserving case, even though it is outside the scope of the rules as laid down in rule 1 (2). In such cases, however, the Government of India do not, as a matter of principle, accept any liability, though,

in very special cases, they make payment equivalent to what proper treatment would have cost in India itself.

3.2 The powers under this rule can be exercised by the State Government without any limitations. It is also not necessary for them to consult the Central Government in this regard.

परिशिष्ट–3

समयाभाव के कारण न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

रुपये की गिरती कीमत तथा अनाज के बढ़ते भाव

849. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान सरकार ने रुपये की गिरती हुई कीमत और अनाज, दालें तेल, डालडा घी, मोटा कपड़ा, खांड वगैरह के बढ़ते हुए भावों का कोई सर्वेक्षण कराया है ?

(2) यदि हां, तो 1972 में रुपये की खरीदने की शक्ति 1947 के मुकाबले में अनाज, दालें, तेल, डालडा घी, मोटा कपड़ा, चीनी वगैरह के सम्बन्ध में कितनी की सदी है ?

(3) इस सम्बन्ध में अन्य प्रांतों के आंकड़े क्या हैं तथा अखिल भारतीय औसत क्या है ? क्या यह सही है कि अखिल भारतीय औसत से तथा आम प्रान्तों से राजस्थान में रुपये की खरीद शक्ति कहीं अधिक घटी है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा रुपये की गिरती कीमत का कोई सीधा सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। परन्तु विभिन्न वस्तुओं के थोक व खुदरा भावों की सूचना एकत्रित की जाती है जिसमें अनाज, दालें, तेल, डालडा घी, कपड़ा एवं खांड, वगैरह के भावों की भी सूचना सम्मिलित होती है। थोक व खुदरा भाव सूचकांक भी बनाये जाते हैं। थोक भावों में उतार-चढ़ाव जानने के लिए राज्य में थोक भावों के सूचकांक तैयार किये जाते हैं, जिनका आधार वर्ष 1952-53=100 है। राज्य के 22 केन्द्रों से 59 वस्तुओं के 98 थोक भाव प्रति शुक्रवार को एकत्रित किये जाते हैं तथा सम्पूर्ण राज्य के लिये एक ही थोक भाव सूचकांक तैयार किया जाता है। सूचकांक को 4 प्रमुख वर्गों में दर्शाया जाता है तथा उनके अन्तर्गत मुख्य वस्तुएं निम्नलिखित हैं :—

1. खाद्यान्न वस्तुएं:—अनाज, दालें, घी, दूध, खाद्य तेल, गुड़ व शक्कर, मसाले, नमक आदि।
2. औद्योगिक कच्चा माल:—कपास, ऊन, मूंगफली, सरसों, अभ्रक, जिप्सम, खालें आदि।
3. ईंधन शक्ति एवं उपस्नेहक:—कोयला, घासलेट, पैट्रोल, डीजल तेल, बिजली।

(योजना मन्त्री)

4. निर्मित वस्तुएं:—अलसी का तेल, सूती धागा, कच्चा लोहा, पीतल की चद्दरें, मिलों के कपड़े, हाथ कर्घा व खादी के कपड़े, ऊनी कपड़े, लोहे की छड़ें, बालबीयरिंग, रसायनिक, वारनिश, पेन्ट, साबुन, खाद, साइकिल, जूते माचिस, सीमेन्ट आदि।

उपरोक्त मूल्य सूचकांक अथवा खुदरा भावों के सूचकांक अजमेर व जयपुर केन्द्रों के लिये राज्य में तैयार किये जाते हैं जिनका आधार वर्ष 1960=100 है। अजमेर में प्रत्येक रविवार तथा जयपुर में प्रत्येक शुक्रवार को चार चार बाजारों से नियत दूकानों से भाव एकत्रित किये जाते हैं।

सामान्य सूचकांक को 6 प्रमुख वर्गों में दर्शाया जाता है:—

1. खाद्य पदार्थ—अनाज, दालें, घी, तेल, गुड़, शक्कर, सब्जियां आदि।
2. तम्बाकू, पान, सुपारी तथा मादक पदार्थ।
3. ईंधन एवं प्रकाश—लकड़ी, कोयले, घासलेट आदि।
4. कपड़े—बिस्तर एवं जूते।
5. मकान किराया।
6. विविध—साबुन, ब्लेड, फाउन्टेनपेन आदि

ब्यावर केन्द्र से भी खुदरा भाव एकत्रित किये जाते हैं और ब्यावर केन्द्र का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसका आधार, वर्ष समाप्ति जुलाई, 1952 है, लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा बनाया जाता है।

(2) रुपये की क्रय-शक्ति में कमी के सीधे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(3) अन्य प्रान्तों व अखिल भारत स्तर पर भी रुपये की क्रय-शक्ति के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

ग्राम लालगांव में पुलिस द्वारा किये गये जुल्म की जांच

850. श्री हाजी जान मोहम्मद (पिड़ावा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ में थाना सुनेल के ग्राम लालगांव में पुलिस द्वारा बागरी जाति के साथ अगस्त सन् 1972 में जुल्म किया गया था? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करवाई गई थी? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री हाजी जान मोहम्मद)

(2) क्या यह सही है कि जांच में थानेदार दोषी पाया गया ? यदि हां, तो क्या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पुलिस द्वारा की गई जांच की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है। इस सम्बन्ध में न्यायिक जांच भी की जा रही है जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है।

(2) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बारां कस्बे की नल योजना

851. श्री शिवनारायण (बारां) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि बारां कस्बे की नल योजना का कार्य पिछले 6 वर्षों से भी अधिक समय से चालू है ? यदि हां, तो इतनी लम्बी अवधि तक इस योजना को पूरी न करवाये जाने का क्या कारण है और अब यह कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

उत्तर

योजना की स्वीकृति अक्टूबर, 1968 में की गई थी। प्रतिवर्ष उपलब्ध बजट प्रावधान के अनुसार कार्य किया गया। अब इस योजना का कार्य वित्तीय वर्ष 1973-74 के अन्त तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है।

सहायक पशु शल्य चिकित्सकों का वेतनमान

852. श्री भंवरलाल भवादा (भीलवाड़ा) : क्या कृषि व पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सहायक पशु शल्य चिकित्सकों (यू. ए. एस.) की इस मांग के सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या करने जा रही है कि उनका वेतनमान सहायक मानव शल्य चिकित्सकों (सी. ए. एस.) के बराबर निर्धारित किया जाय ?

उत्तर

मामला मंत्रिमण्डल के विचाराधीन है।

बासनी-खारिया की नल योजना

853. श्री रामसिंह (लूनी) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बासनी-खारिया, पंचायत समिति, भोपालगढ़, तहसील बिलाड़ा में नल योजना कब मंजूर हुई थी एवं इस योजना के अन्तर्गत कितने गांवों को लिया गया था ?

(2) क्या यह सच है कि इस योजना में पीपाड़ रोड तथा खेड़ी खालवा को भी लिया गया था जहां आज तक पानी नहीं पहुँचा है ?

(3) क्या यह सच है कि इस योजना के अन्तर्गत इन गांवों में भी पाइप लाइन बिछा दी गई थी ? अगर हां, तो कब तक इन गांवों में पानी पहुँचा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जुलाई; सन् 1970 में। सूची संलग्न है।

(2) जी हां, सर्दियों के दिनों में जल वितरण किया जा रहा है। गर्मियों में कुओं में पानी की आवक क्षमता कम होने के कारण कमी रहती है।

(3) जी हां, सभी गांवों में पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है, पीपाड़ रोड व खेड़ी खालवा को अन्य योजना पीपाड़ सिटी-पीपाड़ रोड में सम्मिलित किया जा चुका है। इस योजना की तकनीकी जांच होने व क्रियान्वित होने पर इन गांवों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सकेगा।

प्रश्न 1 की सूची

क्र० सं०	गांवों के नाम	जनसंख्या सन् 1961 की जनगणना के अनुसार
1.	खारिया बासनी	779
2.	पालरी सिधा	518
3.	खांगरा	2252
4.	उमेद	600
5.	रतकुड़िया	1925
6.	सरगिया कलां	283
7.	सरगिया खुर्द	199
8.	कागल	725
9.	बुन्दाना	764
10.	मलार	1621
11.	पीपाड रोड	1945
12.	खेड़ी खालवा	1079
		12,390

हथियारों से कातिलाना हमला

854. श्री मनोहरलाल (कामां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम भजेड़ा (राजगढ़-अलवर) के नजदीक बसी जोगियों की ढाणी में पिछले पक्ष में श्री लादिया जोगी पर घातक हथियारों से कातिलाना हमला कर उसके हाथ, पांव, पीठ, सिर और कानों को स्थान-स्थान से काट दिया और वह अभी सिविल हॉस्पिटल, राजगढ़ में भर्ती है ? यदि हां, तो डॉक्टरी मुआयने की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में सरपंच, ग्राम पंचायत भजेड़ा ने पुलिस स्टेशन, राजगढ़ को लिखित शिकायत भी की है ?

(3) क्या यह भी सही है कि यह जघन्य कार्य उक्त ढाणी के निवासियों द्वारा ही किया गया है ? यदि हां, तो कातिलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा उसके परिवार एवं सम्पत्ति को बचाने के लिये क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां। डॉक्टरी मुआयने की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) श्री लादिया जोगी, निवासी कुटी द्वारा अस्पताल, राजगढ़ में दिनांक 16-2-73 को इस घटना के सम्बन्ध में बयान देने पर, थाना राजगढ़ में मुकदमा नं० 14 जेर दफा 147/148/149/324 आई० पी० सी० दर्ज किया जाकर फोरन तफतीश की गई। दौराने तफतीश कुटी गांव के ही चार जोगियान सर्वश्री प्रभातिया, देवीसहाय, भोला और कैलाश को गिरफ्तार किया जाकर दिनांक 1-3-73 को मुकदमे का चालान पेश कर दिया गया है जो जेर तजवीज अदालत है। मुस्तगीस श्री लादिया और उसके परिवार वालों की सुरक्षा हेतु पुलिस पूर्ण सतर्क है।

Lada s/o Amar Nath, 35 years H. M. Village Bas Bhajaru 16-2-1973

1. Laurided wound	½ "×1/6"×skin deep	On the lever side of the left arm middle part	Simple Blunt	(1) A black mole on the side of the	Advised for X-ray Plate of the left are fora-cin-r hand Rt. laroud & hand and left leg & Rt. leg.
2. Swelling for her	4" × 11	On the left inside of the left are middle part arround injury No. (1)	Grievous Blunt	at her about 1" from the anlats beini (2) A black mole On the left side about 1½"for the ankun Spit	
3. Swelling	2"× 2"	On the rehim inside of the left hand	Simple Blunt.		
4. Laurided wound	1½×1/4"× skin deep	On the Left side of the Skin about 4½ from the Right A ear	Simple Blunt		

5. Laurided wound	1½"×1/4" Skin deep	On the underside of the Rt. for arm lower	Simple Blunt.	
6. Swelling	4"× 3"	On the dereal side of the Rt. hand	Simple Blunt.	
7. Laurided wound	3/4" X 3/4 Skin deep	On the lulert side of the Rt. arm lower 1/3" Rad Par F.	Simple Blunt.	
8. Swelling	3"× 3"	On the para side of the Rt. elbow	Simple Blunt.	ALL INJURIES ARE ABOUT 24
9. Haltipil Lacarbo	2"×1/4" Skin deep	3/4" 1/6" Skin deet on the enlem side of the Rt. lig middle part 1" × 1/8" skin depp 1/4" ×1/6" skin depp.	Simple Blunt.	
10. Laurided wound	1"×1/2" Skin deep	On the arm side on the left leg middle part	Simplc Blunt.	
11. Swelling	3"×4".	On the ankur side of the left leg arratound injury No 10	Grievous Blunt.	
12. Laurided wound	1"×1/2" Mrs deep	On the on terara side of the left leg lower 1/3 Rac part	Simple Blunt.	
13. Incised wound	1" × 11/4"	On the tip of the nose	Ground sharp.	
traithes carlebge	earbiltege deep		Date of examination 16-2-73	

Sd/-G. V.
Medical Officer, Rajgarh (16-2-73)

संस्कृत कॉलेज, अलवर

855. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर संस्कृत कॉलेज में पहले शास्त्री कक्षा की पढ़ाई होती थी और अब नहीं होती है ?

(2) क्या अलवर संस्कृत कॉलेज के प्रिन्सिपल ने अलवर कॉलेज में शास्त्री कक्षा खोलने के लिये सरकार को सिफारिश की है ?

(3) क्या संस्कृत कॉलेज के प्रिन्सिपल ने यह भी सिफारिश की है कि शास्त्री कक्षा खोलने में सरकार को कोई नया खर्चा नहीं होगा ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) यह सही है।

(2) जी हां।

(3) प्राचार्य ने कॉलेज शास्त्री स्तर तक क्रमोन्नत करने हेतु आवेदन किया है और यह भी सिफारिश की है कि वर्त्तमान स्टाफ से काम चल जायेगा लेकिन विश्वविद्यालय के नियमानुसार शास्त्रि के लिये व्याख्याताओं के पदों का सृजन करना पड़ता है जिसमें विशेष व्यय होगा। वर्त्तमान स्टाफ से काम नहीं चलेगा। इसके अतिरिक्त अलवर संस्कृत कॉलेज में कक्षा 1 से 11 उपाध्याय प्रथम वर्ष तक केवल 50 छात्र हैं अतः छात्र संख्या की न्यूनता को देखते हुए जनहित में नहीं कहा जा सकता है और न अग्रिम कक्षाओं की संभावना की जा सकती है।

पंचायत समिति, झालरापाटन में लघु-सिंचाई परियोजना का कार्य

856. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालरापाटन पंचायत समिति (जिला झालावाड़) में लघु-सिंचाई परियोजना कार्य कब से शुरू किया गया ? यह योजना कितने वर्ष की है और इसमें 1972-73 में कितना कार्य हो सकेगा ?

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक कितने नये कुओं व कितने ट्यूब वेल बनाने का कार्य चालू हुआ है ? अगर नहीं हुआ तो क्यों ?

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

(3) क्या यह सही है कि एक अर्से से बोरिंग मशीन कुओं को गहरा कराने की मांग की जा रही है परन्तु अभी तक मशीन झालावाड़ में नहीं गई जिससे कार्य में बड़ी बाधा पहुँच रही है ? यदि हां, तो मशीन कब तक पहुँच जावेगी ?

उत्तर

(1) झालरापाटन पंचायत समिति (जिला झालावाड़) में लघु सिंचाई परियोजना का कार्य जुलाई, 1972 में प्रारम्भ किया गया। यह योजना 3 वर्ष की है और इसमें वर्ष 1972-73 में 20 लाख, 35 हजार रुपये के विनियोजन का लक्ष्य है। इसके अन्तर्गत 100 नये कुए बनवाने, 150 कुए गहरे करवाने, 100 कुए में पम्प सेट लगवाने, 10 हजार फीट पक्की नालियां लगवाने और 5 नलकूप लगवाने का लक्ष्य है।

(2) इस योजना के अन्तर्गत 99 नये कुओं का कार्य चालू हो गया है। नलकूप का कार्य इसलिये चालू नहीं किया गया कि फिलहाल बोरिंग मशीन उपलब्ध नहीं है।

(3) जी हां, बोरिंग मशीन की मांग नवम्बर माह में सबसे पहिले की गई थी किन्तु उस समय बैंक की अवधिपार ऋण सीमा ऐसी थी कि बैंक द्वारा कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया जा सकता था और इसी कारण कोई कार्य हाथ में नहीं लिया जा सकता था। जनवरी, 1973 से बैंक को केवल कुओं और पम्प सेट के लिये ऋण देने की स्वीकृति सेन्टर लैंड डवलपमेन्ट बैंक ने अपने फण्ड में से दी है, जिसके अन्तर्गत कार्य चालू कर दिया है। मशीन उपलब्ध होने पर झालरापाटन, पंचायत समिति को उपलब्ध करा दी जावेगी।

राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों के वितरण में विलम्ब

857. श्रीमती भगवती देवी (भिनाय) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि प्रति वर्ष राष्ट्रीयकृत पुस्तकें छात्रों को शिक्षा सत्र के प्रारम्भ हो जाने के 2–2 तथा 3–3 माह बाद तक उपलब्ध नहीं हो पाती हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस बार भी हायर सैकन्डरी स्कूल की कई पुस्तकें जैसे केमेस्ट्री, फिजिक्स आदि-आदि की पुस्तकें सितम्बर माह तक उपलब्ध नहीं थीं ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है ? ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है या कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(शिक्षा मंत्री)

उत्तर

(1) यह पूर्ण रूप से सही नहीं है कि राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को सत्र के प्रारम्भ से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं।

(2) जुलाई, 1972 से प्रारम्भ हुये सत्र में बोर्ड के विज्ञान वर्ग की सभी विषयों की अधिकांश पुस्तकें 11 अगस्त, 1972 तक उपलब्ध हो गई थीं। केवल सैकण्डरी स्कूल परीक्षा की जीव विज्ञान विषय की पुस्तक 8-9-72 को छप कर तैयार हुई। पुस्तकों के प्रकाशन कार्य में की गई देरी के मामलों की जांच के लिये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है जो इस सम्बन्ध में जांच कर रही है।

बीकानेर जिले की योजना

858. **श्री भीमसेन (लूणकरणसर)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि बीकानेर जिला आमतौर पर अकाल से प्रभावित रहता है ? अगर हां, तो क्या सरकार इस जिले की जनता को अकाल से छुटकारा दिलाने हेतु कोई योजनाएं बनाकर क्रियान्वित करने जा रही है ?

उत्तर

राजस्थान नहर परियोजना तथा लिफ्ट सिंचाई योजना का कार्य प्रगति पर है। अकाल प्रभावित क्षेत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत रु० 2 करोड़ का कार्यक्रम चल रहा है। समन्वित योजना जिले के लिये बनाई जा रही है।

बीकानेर जिप्सम लिमिटेड

859. **श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिप्सम लिमिटेड कम्पनी में राज्य सरकार के 50.04 शेयर्स हैं ? यदि हां, तो कब से ?

(2) इस कम्पनी में राज्य सरकार की ओर से कौन-कौन कब-कब से डाइरेक्टर्स हैं ?

(3) मैनेजिंग डायरेक्टर्स कौन हैं और इनको कम्पनी की ओर से क्या-क्या वेतन, भत्ता व अन्य सुविधायें दी जा रही हैं ?

Page No 137

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

(4) इन सुविधाओं के अनुसार अब तक प्रति वर्ष कितना-कितना व्यय हुआ है ?

(5) राज्य सरकार के बहुमत में शेयर होने के उपरान्त भी अपने मैनेजिंग डायरेक्टर के माध्यम से इस कम्पनी का मैनेजमेन्ट अपने हाथ में क्यों नहीं लिया जाता ?

(6) क्या यह सही है कि इस कम्पनी ने झामर कोटड़ा रॉक फास्फेट माइन्स का उत्खनन का, ग्राइन्डिंग एवं ट्रान्सपोर्टेशन का ठेका लिया है ? यदि हां, तो कब से ?

(7) क्या यह सही है कि बी. जी. एल. ने इस ठेके की शर्तों का पालन नहीं किया ? यदि हां, तो किन-किन का और क्यों ?

(8) क्या यह सही है कि ठेके अनुबन्ध के अनुसार यह कम्पनी रॉक फास्फेट के उत्खनन, ग्राइन्डिंग व ट्रान्सपोर्टेशन के लिये सब कान्ट्रेक्ट दे सकती है ? यदि हां, तो अब तक उसने किस प्रक्रिया से कितने व किस-किस को, किस-किस कार्य के लिये प्रति टन किस दर से कान्ट्रेक्ट दिये हैं ? इन प्रत्येक कार्यों के लिये प्रत्येक कान्ट्रेक्टर को अब तक किस-किस वर्ष में कितने-कितने पैसों का भुगतान कर दिया गया है और किस-किस का कितना-कितना भुगतान करना शेष है ?

(9) क्या यह सही है कि इन सब-कान्ट्रेक्टर्स के लिये टेन्डर्स भी इन्वाइट नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(10) क्या यह सही है कि कम्पनी के अनुबन्ध के अनुसार खान का मलबा निर्धारित स्थान पर नहीं डाला है ? यदि हां, तो क्यों ?

(11) क्या बी. जी. एल. ने इस बात का अनुमान लगाया है कि इस मलबे को हटाने में कितना समय लगेगा—इस मलबे को हटाने की कार्यवाही कब व किस प्रकार से की जायेगी ?

(12) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इस कम्पनी को 12 लाख रुपये का ऋण दिया है ? यदि हां, तो कब व किन शर्तों पर ?

(13) क्या यह सही है कि इस ऋण के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था कि 12 लाख रुपये के इस कम्पनी के शेयर्स खरीदे जायें परन्तु बोर्ड में सरकारी प्रतिनिधियों ने सरकार की उपयुक्त स्वीकृति के बिना ही इस राशि को ऋण में परिवर्तित कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं तो शेयर्स खरीदने के निर्णय एवं उस राशि को ऋण में बदलने का डायरेक्टर्स के निर्णय से सम्बन्धित पत्रावलि सदन की मेज पर रखी जाये ?

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

(14) इस कम्पनी पर अन्तिम वर्ष के लेखे-जोखे के अनुसार किस-किस की कितनी-कितनी देनदारी है और कब-कब से है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राज्य सरकार के मैसर्स बीकानेर जिप्सम लिमिटेड में 50.04 प्रतिशत हिस्से थे। ये हिस्से वर्ष 1968–69 से थे।

(3) इस कम्पनी में राज्य सरकार की ओर से सन् 1972 से श्री एम. एस. सदाशिवन, वित्त आयुक्त तथा सन् 1950 से श्री एम. एल. सेठी, निदेशक, खान एवं भू-गर्भ विभाग डाइरेक्टर हैं। तीसरे डाइरेक्टर का स्थान रिक्त है।

(4) मैनेजिंग डाइरेक्टर श्री ए. सी. दत्ता हैं। उन्हें कम्पनी से प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ता व सुविधाओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सन् 1969-70 में रु० 30,000, वर्ष 1970-71 में रु० 43,390 तथा वर्ष 1971-72 में रु० 56,968 व्यय हुए हैं। कम्पनी का मैनेजमेन्ट हाथ में लेने के लिए राज्य सरकार के 51% शेयर होना आवश्यक है।

(6) जी हां।

(7) यह ठेका उत्खनन, क्रशिंग ट्रान्सपोर्टेशन एवं रेल्वे स्टेशन पर लदाने का है, ग्राइन्डिंग की नहीं। इस ठेके का अनुबन्ध-पत्र दिनांक 24-9-69 को निष्पादित हुआ, अंशतः पालन नहीं किया है। जिन मुख्य शर्तों का पालन नहीं हो सका है उनकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(8) अनुबन्ध के अनुसार यह कम्पनी सब-कान्ट्रेक्ट दे सकती है या नहीं यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है। कम्पनी ने अब तक किस प्रक्रिया से कितने व किस-किस को किस कार्य के लिये प्रति टन किस दर से कान्ट्रेक्ट दिये और प्रत्येक कान्ट्रेक्टर को किस-किस वर्ष में कितना-कितना भुगतान किया व किस-किस का कितना भुगतान करना शेष है, यह जानकारी उद्योग विभाग में उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह कम्पनी का आंतरिक मामला है।

(9) सब-कान्ट्रेक्टर्स के लिए टेण्डर्स इन्वाइट करने का कार्य कम्पनी के आंतरिक मामलों से सम्बन्धित है। अतः सूचना उद्योग विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(10) जी हां। अंशतः सही है। कम्पनी ने ठेके की शर्तों के अनुसार खान का मलबा पूर्णतया निर्धारित स्थान पर नहीं डाला है। कुछ अंश तो खान की

(उद्योग मंत्री)

सड़क बनाने के काम में लिया है और कुछ अंश निर्धारित स्थान के अलावा अन्य स्थानों पर डाला है। इसकी मात्रा का सही निर्धारण करने के लिए एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। तत्पश्चात् गलत स्थान पर डाले गये मलवे को अगर पाया गया तो हटाकर सही स्थान पर डलवाने के आदेश कम्पनी को दिये जायेंगे।

(11) इसका प्रश्न अभी नहीं उठता है क्योंकि निर्धारित स्थान पर न डाले गये मलवे की मात्रा कमेटी द्वारा तय की जानी है।

(12) जी नहीं।

(13) जी नहीं। बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर की मीटिंग में 12 लाख रुपये की राशि को जो कि शेयर्स आवंटित करने के लिए दी गई थी ऋण में परिवर्तित करने का कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया था। शेयर्स खरीदने से सम्बन्धित पत्रावली सं. एफ. 2 (6) खनिज/68 सदन के पटल पर रख दी गई है।

(14) कम्पनी के वार्षिक लेखे 71-72 के अनुसार कम्पनी की देनदारी की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

Remuneration payable to the Managing Director of M/s Bikaner Gypsums Limited and other facilities

The Managing Director shall hold his office for the term of five years from 3rd April, 1970 and the remuneration payable to him for his services as such Managing Director shall be 5% (five per cent) of the profits calculated according to the Companies Act, 1956 inclusive of the monetary value of the following perquisites:—

(i) Free use of Company's Car;

(ii) Personal Accident Insurance of an amount the annual premium of which does not exceed Rs. 1,125/- ;

(iii) Free Telephone facility at residence ;

subject to a minimum of Rs. 30,000/- (Rupees thirty thousand only) per annum and the perquisites referred

(उद्योग मंत्री)

to above for the period from 3-4-70 to 2-4-73 in case of absence or inadequacy of profits. He shall be entitled to draw from month to month the minimum remuneration so payable subject to the condition that the Managing Director shall not hereafter be paid any sitting fees for attending the Meeting of the Board of Directors and Committees thereof so long as he draws minimum remuneration.

6. The Managing Director shall be entitled to such expenses for travelling, boarding, lodging, conveyance and other incidental charges as may be decided by the Board of Directors from time to time. The Company shall subject to clause 5 above (a) take out a personal accident insurance at its cost to cover personal accidents to the Managing Director, when he travels either in India or abroad for an amount the annual premium of which does not exceed Rs. 1,125/- , (b) provide the Managing Director the free use of Company's Car.

7. The Managing Director shall also be entitled to the reimbursement of entertainment expenses actually and properly iucurred for the business of the Company and the same will not be treated as an item of his remuneration in terms of Section 198 of the Act. The Board of Directors may put reasonable maximum limit on this expenditure.

8. All telephone bills in the personal name of the Managing Director at his residence (subject to clause 5 above) and the telephone at the office of the Company shall be paid by the Company.

बी० जो० एल० द्वारा जिन मुख्य शर्तों का पालन नहीं हो सका है, उनकी सूची

(क) बीकानेर जिप्सम लिमिटेड द्वारा खनन कार्य पूर्णतया संविदा की शर्तों के अनुसार नहीं हो सका है ।

(उद्योग मंत्री)

(ख) उक्त कम्पनी द्वारा उत्खनन, क्रशिंग तथा परिवहन के लिए पर्याप्त मशीनरी प्राप्त नहीं की जा सकी।

(ग) उक्त कम्पनी द्वारा पर्याप्त मात्रा में मलवा नहीं हटाया गया तथा कुछ मलवा (उचित) निर्धारित स्थान पर नहीं डाला गया।

कम्पनी के वार्षिक लेखे 71-72 के अनुसार कम्पनी की देनदारी की सूची

सीक्योर्ड लोन्स :

1.	टर्म लोन	3,75,000
2.	ओवरड्राफ्ट	19,41,784
3.	उक्त पर ब्याज	14,084

अनसीक्योर्ड लोन्स :

1.	सिक्योरिटी डिपोजिट कान्ट्रेक्टर्स	56,418
2.	एडवान्स फ्रोम कस्टमर्स एण्ड अदर्स	3,93,667
3.	शेयर डिपोजिट	12,18,000
4.	लाइबिलिटी फॉर क्रशिंग प्लान्ट	1,01,640
5.	लाइबिलिटी अन्डर आई. डी. बी. आई. रीडिसकाउन्टिंग स्कीम (गारन्टेड बाई बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड एन्ड काउन्टर गारन्टेड बाई गवर्नमेन्ट ऑफ राजस्थान)	8,86,908

डूंगरपुर जिले में सस्ते अनाज की दुकानें

860. **श्री रामचन्द्र रोत (चौरासी) :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले में सरकारी सस्ते अनाज की दुकानों पर प्रति व्यक्ति डेढ़ किलो मोटा अन्न वितरित किया जा रहा है ? यदि हां, तो यह अन्न प्रति व्यक्ति कितने दिनों के लिए पर्याप्त समझा गया है ?

(2) क्या यह सही है कि आवश्यकता के अनुसार भोजन नहीं मिलने के कारण अकालराहत कार्यों पर जो मजदूर मजदूरी करते हैं वे शारीरिक निर्बलता के कारण चक्कर खा कर गिर जाते हैं ?

(श्री रामचन्द्र रोत)

(3) क्या यह सच है कि उक्त जिले में जो अकालराहत खोले गये हैं, वे अकाल की भीषणता और मजदूर जनसंख्या की तुलना में नगण्य मात्र हैं ? कृपया पूरे जिले में इस समय जो अकालराहत कार्य चल रहे हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखें तथा प्रत्येक चल रहे राहत कार्य पर मजदूरी में लगे हुये लोगों की संख्या क्या है यह पृथक्-पृथक् बतलायें। क्या राज्य सरकार अकाल राहत कार्य अधिक संख्या में खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितने-कितने, कहां-कहां और कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि अकालराहत कार्य जिन-जिन स्थानों पर खोले गये हैं, वहां सस्ते अनाज की दुकानें खोलने की अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं मोटा अनाज व गेहूं 2 किलो से 8 किलो प्रति व्यक्ति की दर से प्रति माह दिया गया है।

(2) अब तक इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी नहीं, इस जिले के लिये 131 राहत कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं उनमें से 103 कार्य विभिन्न अभिकरणों द्वारा प्रारम्भ किये जा चुके हैं। अभिकरणवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। आवश्यकतानुसार राहत कार्य खोले जायेंगे।

(4) जिले की हर पंचायत मुख्यालय पर सस्ते अनाज का वितरण केन्द्र कायम कर दिया गया है। इन वितरण केन्द्रों से ग्राम जनता एवं राहत कार्यों पर कार्य कर रहे श्रमिक सुविधापूर्वक अनाज प्राप्त कर रहे हैं।

जिला डूंगरपुर में चल रहे विभिन्न कार्यों की अभिकरणवार सूची

क्र० सं०	विभाग का नाम	कार्य सं०	मजदूर संख्या
1	2	3	4
1.	निर्माण विभाग	18	15301
2.	सिंचाई विभाग	24	7053
3.	वन विभाग	21	4[illegible]30
4.	भू-संरक्षण	40	13014
	योग....	103	40198

Page No 143

नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा प्लॉटों का आवंटन

861. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : क्या नगर आयोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा नगर विकास न्यास द्वारा अब तक किन-किन स्थानों पर प्लॉट देने की योजना बनाई गई तथा योजना में कितने-कितने प्लॉट हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्लॉट लाटरी सिस्टम से दिये गये ? यदि हां, तो जिन-जिन प्लॉटों की लाटरी निकाली जा चुकी है क्या उन्हें नियमानुसार प्लॉट दे दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? जो प्लॉट नहीं दिये गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इन प्लॉटों में अनुसूचित-जाति एवं जन-जातियों के लिये भी कुछ प्लॉट सुरक्षित रखे गये हैं ? यदि हां, तो कितने और कहां-कहां और कितने अब तक दिये जा चुके हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उदयपुर जिले की पंचायत समितियों में ट्रेन्ड अध्यापकों की कमी

862. श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की पंचायत समितियों में ट्रेण्ड अध्यापकों की कमी है ? यदि हां, तो कितनी ? पंचायत समितिवाइज संख्या अंकित करते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार पंचायत समितियों के ट्रेण्ड अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिये उदयपुर में बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षणशाला खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो पंचायत समितियों के ट्रेण्ड अध्यापकों की कमी को किस प्रकार पूरा किया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समितिवाइज अध्यापकों के रिक्त स्थानों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उदयपुर जिले में वर्त्तमान में 2 पुरुषों के तथा एक महिलाओं का प्रशिक्षण विद्यालय है। इन तीन प्रशिक्षण विद्यालयों में 65 प्रशिक्षणार्थियों के हिसाब से 195 अध्यापक/अध्यापिकायें प्रति वर्ष प्रशिक्षित होते हैं, जिनमें से उदयपुर

(शिक्षा मंत्री)

जिले के 145 स्थान आरक्षित हैं। विभाग का अभी वहां प्रशिक्षण विद्यालय खोलने का विचार नहीं है, क्योंकि वर्तमान प्रशिक्षण व्यवस्था से ही प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी पूरी की जा सकेगी।

पंचायत समितियों में रिक्त स्थानों की सूची

पंचायत समिति	रिक्त स्थान
1. गिर्वा	23
2. बड़गांव	42
3. मावली	31
4. भीण्डर	42
5. धरियावद	8
6. सराड़ा	23
7. सलूम्बर	10
8. खेरवाड़ा	23
9. झाड़ोल	23
10. कोटड़ा	10
11. भीम	21
12. देवगढ़	10
13. आमेट	23
14. कुम्भलगढ़	6
15. राजसमन्द	7
16. रेलमगरा	28
17. खमनोर	28
18. गोगुन्दा	11
कुल	370

राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा जिला सवाई माधोपुर को जी० सी० शीट्स का आवंटन

863. श्री चेतराम (टोडाभीम) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लघु उद्योग निगम, जयपुर ने सवाई माधोपुर जिला को 6 टन जी० सी० शीट्स का आवण्टन किया था ?

(श्री चेतराम)

(2) क्या यह भी सही है कि जिला वितरण समिति ने उपरोक्त निगम की सूचना के आधार पर जिले में इन "शीट्स" का वितरण उपभोक्ताओं को कर दिया परन्तु निगम के सब-डिपो कोटा से यह माल नहीं मिला है और परमिट प्राप्त कर्त्ताओं को माल अभी तक नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि राजस्थान लघु उद्योग निगम, जयपुर ने जिला वितरण समिति से बिना पूछे ही यह माल जिले से बाहर वालों को दे दिया है और जिला उपभोक्ताओं को इससे वंचित रहना पड़ा है ?

(4) क्या सरकार इन अनियमितताओं तथा अनियमित कार्यों में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जिला वितरण समिति ने नियमित माल को दिनांक 11-12-72 की मीटिंग में उपभोक्ताओं में वितरित कर दिया तथा वितरण के पश्चात् केवल दो इकाइयों ने कोटा डिपो से आवंटित माल उठाया। अन्य इकाइयों द्वारा माल न उठाने का कारण विभाग को नहीं बतलाया गया है।

(3) जी नहीं।

(4) यदि किसी प्रकार की अनियमितता सरकार के ध्यान में आएगी तो समुचित कार्यवाही की जावेगी।

शिक्षकों को मकान किराया

864. श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर राज्य में मान्यता प्राप्त प्राइवेट ऐडेड स्कूलों के शिक्षकों को गृह भत्ता या किराया मिला करता था ?

(2) क्या यह भी सही है कि अजमेर के राजस्थान में विलीनीकरण के बाद भी काफी समय तक गृह भत्ता या किराया उन शिक्षकों को मिलता रहा ?

(3) क्या यह सही है कि सारे राजस्थान के राजकीय शिक्षण संस्था के शिक्षकों को गृह भत्ता या किराया दिया जाता है ? यदि हां, तो किन कारणों की वजह से सम्पूर्ण राजस्थान के प्राइवेट ऐडेड स्कूल्स के शिक्षकों को राजकीय शिक्षकों से भिन्न स्तर पर रखकर गृह भत्ता या किराया नहीं दिया जाता ? क्या इन दोनों शिक्षक वर्गों की कार्य-पद्धति में अन्तर है ?

(शिक्षा मंत्री) उत्तर

(1) भूतपूर्व अजमेर राज्य में केवल अजमेर शहर की सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को मकान किराये भत्ते के व्यय पर अनुदान दिया जाता था।

(2) अजमेर राज्य के राजस्थान में विलीनीकरण के पश्चात् भी अजमेर शहर की सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को उनमें कार्यरत शिक्षकों के मकान किराये भत्ते के व्यय पर दिनांक 31-3-67 तक अनुदान दिया गया था। दिनांक 1-4-67 से केवल उन्हीं शिक्षकों के मकान किराये भत्ते के व्यय पर अनुदान दिया जा रहा है जो शिक्षक भूतपूर्व अजमेर राज्य की वेतन शृंखलाओं में अब भी वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

(3) जी नहीं। केवल उन्हीं स्थानों के राजकीय शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को मकान किराया भत्ता दिया जाता है, जिनको कि मकान किराया भत्ता नियम, 1970 के अधीन देय है।

भीलवाड़ा जिले के छात्रों को छात्रवृत्ति

865: श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले के अनुसूचित-जाति एवं जन-जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति तथा अतिरिक्त वृत्ति की राशि दी जा चुकी है ? यदि हां, तो छात्रों की क्या संख्या है और किस माह तक की राशि उन्हें दी जा चुकी है ? यदि छात्रवृत्ति नहीं दी गई तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

यह सही है कि भीलवाड़ा जिले के अनुसूचित जाति एवं जन–जाति के छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा अतिरिक्त छात्रवृत्ति की राशि दी गई है। छात्रों की संख्या, माह जब तक छात्रवृत्ति दी जा चुकी है आदि की सूचना निम्न प्रकार है:—

क्रमांक	किस्म छात्रवृत्ति	कब तक छात्रवृत्ति चुकाई गई	
		छात्र संख्या	माह जब तक चुकाई गई
1.	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति	18	फरवरी, 73
		66	जनवरी, 73
		73	दिसम्बर, 72
	योग....	157	
2.	अतिरिक्त छात्रवृत्ति	18	दिसम्बर, 72
		49	सितम्बर, 72
		6	देना बकाया
	योग....	73	

स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक

866. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 के अन्तर्गत स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कब-कब हुई और उनमें किन-किन प्रधानाध्यापकों का स्क्रीनिंग किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। उक्त कमेटी द्वारा चयनित अध्यापकों का 1 जनवरी, 1970 को अध्यापन अनुभव कितना-कितना था, यह भी बताने का श्रम करें।

(2) क्या यह सही है कि स्क्रीनिंग कमेटी जो 1970 व 1971 में बैठी उनमें भूतपूर्व समाज शिक्षा अधिकारियों को नियम 6 (4) से छूट देते हुए प्रधानाध्यापक पद के लिये स्क्रीनिंग में लिये गये थे लेकिन 1 जनवरी, 1970 तक प्रधानाध्यापक का दो वर्ष से अधिक कार्य कर लेने पर भी कुछ प्रधानाध्यापकों को स्क्रीनिंग में नहीं लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो श्री इन्द्रदेव सक्सेना, प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय परतापुर (बांसवाड़ा) को 1 जनवरी, 1970 तक प्रधानाध्यापक पद पर कार्य करते हुए कितनी अवधि हुई; बताने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 के अन्तर्गत स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जुलाई, 70 एवं जून, 1971 में हुई। जिन-जिन प्रधानाध्यापकों का स्क्रीनिंग किया गया उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। उक्त कमेटी द्वारा चयनित अध्यापकों का 1-1-70 को कम से कम 5 वर्ष का माध्यमिक/उच्च माध्यमिक कक्षाओं का अध्यापन अनुभव अथवा 4 वर्ष तक का प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक तथा 3 वर्ष माध्यमिक/उच्च माध्यमिक कक्षाओं का अनुभव समस्त प्रधानाध्यापकों के लिये था।

(2) जी नहीं। ऐसे समस्त अधिकारी जिन्होंने दिनांक 1-1-70 को कम से कम 6 माह या इससे अधिक प्र० अ० माध्यमिक विद्यालय अथवा इसके समकक्ष पदों पर कार्य किया था को राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 6 (4) के अनुसार स्क्रीनिंग के लिये योग्य माना गया। श्री इन्द्रदेव सक्सेना प्रधानाध्यापक को 1-1-70 तक प्र० अध्यापक पद पर कार्य करते हुए 2 वर्ष, 4 माह हो चुके थे इसलिये कमेटी ने इनको चयनित नहीं किया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

छात्र निधि की राशि

867. श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, परबतसर में छात्र निधि राशि से दिनांक 27-7-72 के बाद सामग्री खरीदने में बहुतसी अनियमितताएं एवं घोटाला हुआ है ?

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

(2) क्या यह सही है कि दिसम्बर, 1972 में विद्यालय निरीक्षक, जिला नागौर ने इस मामले की जांच की और अनियमितताओं की पुष्टि की है ?

(3) क्या यह सही है कि इस जांच में प्रधानाध्यापक, रा० उ० मा० विद्यालय, परबतसर ही एक मात्र दोषी पाये गये हैं ? अगर हां, तो प्रधानाध्यापक के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की गई ?

(4) क्या यह सही है कि इन्हीं प्रधानाध्यापक का दो वर्ष पूर्व जबकि वे मकराना रा० उ० मा० विद्यालय में थे, इसी प्रकार की शिकायत पर स्थानान्तरण किया गया था ?

उत्तर

(1) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, परबतसर के सत्र 1972-73 में छात्र निधि से सामग्री खरीदने में अनियमितता होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसकी जांच की कार्यवाही की जा रही है।

(2) विद्यालय निरीक्षक, नागौर ने प्राथमिक जांच की और रिपोर्ट प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को प्रस्तुत की है। प्राथमिक जांच से सम्बन्धित अभिलेख अपने कब्जे में करने के लिये विद्यालय निरीक्षक का आदेश दिये गये हैं।

(3) यह अभी नहीं कहा जा सकता। आरोप से सम्बन्धित विवरण प्रस्तुत करने हेतु विद्यालय निरीक्षक को आदेश दिये जा चुके हैं। विवरण प्राप्त होने पर ही यथोचित कार्यवाही की जावेगी।

(4) इनका स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मकराना से प्रशासनिक नियंत्रण की दृष्टि से किया गया था।

वकीलों को नियुक्ति

868. श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि अनुसूचित-जाति एवं जन-जाति के गरीब व्यक्तियों को कानूनी सलाह देने के लिए वकील नियुक्त करने का बजट में प्रावधान है ? यदि हां, तो राज्य के कितने जिलों में इस प्रयोजनार्थ वकीलों की नियुक्तियां की गईं तथा इससे कितने व्यक्तियों को लाभ पहुँचा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

यह सही है कि अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों को कानूनी सलाह देने के लिये वकील नियुक्त करने का समाज कल्याण विभाग के बजट में प्रावधान है। वर्ष 1972–73 में 9 जिलों में इस प्रयोजनार्थ वकीलों की नियुक्ति की गई जिससे 76 व्यक्तियों को लाभ पहुँचा।

परिशिष्ट—4

(अता० प्र० सं० 495 की सूची)

दिनांक 1 मार्च, 1973 को जीवित पंजिका पर उपलब्ध कुल आशार्थी

क्र० सं०	नियोजन कार्यालय का नाम	कुल शिक्षित	कुल अशिक्षित	कॉलम 1 में अनुसूचित-जाति की संख्या	कॉलम 2 में अनुसूचित-जाति की संख्या	कॉलम 1 में अनुसूचित जन-जाति की संख्या	कॉलम 2 में अनुसूचित जन-जाति की संख्या	कॉलम 1 में से उन आशार्थियों की संख्या जो 1 मार्च, सन् 1972 के पूर्व से पंजीकृत है	कॉलम 7 में से उन आशार्थियों की संख्या जो 1 मार्च सन् 1971 के पूर्व से पंजीकृत है	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अजमेर	12829	1951	2139	708	68	9	4121	1961	
2.	अलवर	7012	2759	589	629	255	104	2032	1027	
3.	बांसवाड़ा	1009	1058	22	87	148	319	345	117	
4.	बाड़मेर	953	1376	88	336	15	41	489	80	
5.	भरतपुर	7444	1174	588	227	71	4	5167	3749	
6.	भीलवाड़ा	4674	1262	566	379	49	35	771	215	
7.	बीकानेर	8208	1015	742	511	18	—	1775	567	
8.	बूंदी	1202	630	79	147	61	23	211	54	
9.	चित्तौड़गढ़	2563	1238	210	198	31	55	650	246	
10.	चूरू	2065	763	174	66	7	6	138	71	
11.	डूंगरपुर –	1238	642	19	45	217	287	203	82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	जयपुर	18564	7977	946	1641	461	320	4523	2019	
13.	जैसलमेर	759	1774	71	404	33	102	709	37	
14.	जालोर	1108	75	190	20	20	—	215	82	
15.	झालावाड़	1562	865	102	148	70	55	549	401	
16.	झुंझुनूं	4947	6423	591	1295	84	160	861	222	
17.	जोधपुर	4227	8308	269	2077	8	119	1014	303	
18.	कोटा	6645	4541	358	1285	140	223	1096	268	
19.	नागौर	1690	757	45	74	—	—	12	8	
20.	पाली	3408	351	318	106	53	28	718	152	
21.	सवाईमाधोपुर	3896	296	403	104	203	21	1388	631	
22.	सीकर	2677	1849	181	292	43	37	602	308	
23.	सिरोही	1733	130	379	15	64	31	418	174	
24.	श्रीगंगानगर	4582	654	228	118	7	—	517	236	
25.	टौंक	1617	832	151	203	30	10	410	173	
26.	उदयपुर	6207	6615	294	793	218	1948	1824	588	
27.	यू. ई. बी. जयपुर	115	—	5	—	—	—	58	19	
28.	पी. एण्ड. ई. जयपुर	6592	—	194	—	120	—	3963	2699	
	योग....	119526	55345	9941	11908	2499	3937	34788	16489	

परिशिष्ट-5

(अता. प्र. सं. 497 की सूची)

पंचायत समितिवार चल रही शाखा शालाओं की सूची

पंचायत समिति, सुजानगढ़ :

(1) खदाग
(2) खारिया छोटा
(3) ठरड़ा

पंचायत समिति, श्री डूंगरगढ़ :

(1) रानासर ईंसावतान
(2) लिखमीसर दिखणादा
(3) इन्दपालसर वास हिरावतान
(4) सालासर

पंचायत समिति, रतनगढ़ :

(1) मालपुर
(2) छावड़ी मीठी
(3) कन्या पाठशाला, लाछड़सर

पंचायत समिति, तारानगर

इस पंचायत समिति में कोई शाखा शाला नहीं चल रही है।

पंचायत समिति, राजगढ़ :

इस पंचायत समिति में कोई शाखा शाला नहीं चल रही है।

पंचायत समिति, सरदारशहर :

(1) चाडसर
(2) बलाल
(3) नैणासर
(4) भीवसर

Page No 152

(5) पनपालिया

(6) खुण्डिया

(7) गोमटिया

(8) खिलेरिया

(9) अमरासर

(10) ढानी गिड़गिचिया

(11) पातलीसर छोटा

(12) हीराजसर

(13) मांगासर

पंचायत समिति, चूरू :

कोई शाला शाला नहीं चल रही है।

परिशिष्ट–6

(अता. प्र. सं. 500 की सूची)

कार्यालय, विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग, सीकर (राजस्थान)

नियुक्ति का ब्योरा

वर्ष	चपरासी		अध्यापक		कनिष्ट लिपिक		वरिष्ठ लिपिक	
	नियुक्ति	अनुसूचित-जाति	नियुक्ति	अनुसूचित जाति	नियुक्ति	अनुसूचित जाति	नियुक्ति	अनुसूचित जाति
1960	5	—	30	11	1	—	—	—
1961	10	—	45	9	—	—	—	—
1962	4	—	50	5	—	—	—	—
1963	10	1	34	11	—	—	—	—
1964	13	1	71	9	4	—	—	—
1965	2	1	39	7	—	—	—	—
1966	21	3	120	16	7	—	—	—
1967	16	2	53	10	6	1	—	—
1968	12	1	39	6	—	—	—	—
1969	3	1	82	11	—	—	—	—
1970	16	2	51	9	4	—	—	—
1971	36	8	43	12	—	—	—	—
1972	—	—	40	10	—	—	—	—

ह०
विद्यालय निरीक्षक,
सीकर।

कार्यालय, विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग, सीकर (राजस्थान)

सत्र 72–73 में अनुसूचित-जाति व जन-जाति के आशार्थियों की अध्यापक पद पर नियुक्ति की सूची

(1) श्री बृजमोहन मोची पुत्र शिवलाल, मु. पो. फतेहपुर।

(2) श्री मदनलाल निवाण पुत्र चिमनलाल, मु. पो. सीकर।

(3) श्री अमीचन्द मीणा पुत्र मूलाराम, मु. पो. हसामपुर।

(4) श्री विशनदयाल पुत्र मांगूराम मीणा, मु. पो. नांगल नाथूसर।

(5) श्री मेवाराम पुत्र रेखाराम हरिजन, मु. पो. तारसर।

(6) श्री किशनलाल पुत्र सुखलाल हरिजन, मु. पो. सीकर।

(7) श्री जगदीशप्रसाद पुत्र अर्जुनलाल, मु. पो. सिरोही।

(8) श्री गिरधारीलाल पुत्र बिरजूराम, मु. पो. डाबला।

(9) श्री मूलचन्द पुत्र कालुराम, मु. पो० गारिण्डा।

(10) श्री मुकन्दसिंह पुत्र कानाराम, मु. पो. कुड़ली।

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 501 की सूची)

Terms and Conditions for taking over of N. D. S. Instructors in State Services mentiond below:—

(1) The expenditure incurred by the State Government on the pay and allowances of these N. D. S. Instructors for as long as they remain in State Services will be reimbursed in full by the Government of India.

(2) The retirement benifits such as pension, gratuity etc., will be met by the Government of India and the State Government for the periods of services rendered by them in the Government of India and the State Government on as 'service share basis'.

(3) The expenditure incurred by the State Government to handle the workload thrown up by taking over administrative control and absorption of these Instructors in the State Service will be reimbursed in full by Government of India.

(4) The N. D. S. Instructors will be absorbed in the Education Department (General Branch) against the existing sanctioned posts in the appropriate grade subject to their fulfilling the qualification prescribed by the Government of Rajasthan for physical Education Teachers in the Education Department, (General Branch).

(5) Pay of the N. D. S. Instructors drawn by them at the time of absorption will be protected. Their pay shall be fixed in the relevant

State pay scale at the stage equal to their present pay and if there is no such stage at the next below stage, the difference between the pay actually drawn and the pay so fixed will be treated as personal pay to be absorbed in future increments. They will draw D. A. & other compensatory allowance at the rates prevailing in the State.

(6) The seniority of N. D. S. Instructors will be counted in the respective grade with effect from the date of their coming into the State Service and no benefit of the services under the Central Government will be given for this purpose.

(7) On absorption, such instructors will be governed by the relevant State Rules for all purposes and may be required to work anywhere as desired by the Department.

Page No 157

परिशिष्ट–8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 507 की सूची)

1. श्री गोरधनलाल पुत्र गजानन्दजी सिलावट

2. श्री बाबूलालजी यादव

परिशिष्ट—9

(अता. प्र. सं. 509 की सूची)

क्र० सं०	दिनांक	नाम	भूमि पूर्णांक	दर	राशि
1	2	3	4	5	6
1.	3-4-70	श्री मूलचन्द माधोलाल	11	5-00	55-00
2.	7-4-70	श्री रामेश्वरप्रसाद पुत्र मदन मां०	39	2-41	93-69
3.	7-4-70	श्री बजरंगलाल टोड़वाल	15	5-00	75-00
4.	8-4-70	श्री राधेश्याम बंसल	60	2-41	144-60
5.	13-4-70	श्री रामेश्वरलाल हजारी	3	5-00	15-00
6.	17-4-70	श्री छुटन पुत्र भुल्या नजराने के तहत			100-00
7.	18-4-70	श्री रामजीलाल वर्मा	46	2-41	110-86
8.	18-4-70	श्री मंगल पुत्र खूबीराम	106	2-41	225-46
9.	20-4-70	श्री सुल्तान खां पुत्र मन्नू	29	2-41	93-99
10.	21-4-70	श्री टीकमचन्द लाहोरी	104	2-41	250-64
11.	21-4-70	श्री मुरारीलाल रामजीवन	28	,,	67-48
12.	27-4-70	श्री प्रभूसिह पुत्र मूलसिह	114	2-41	274-74
13.	13-5-70	श्री अकबर खां पुत्र भूरे खां	19	2-41	45-79
14.	14-5-70	श्री जगन्नाथ पुत्र भोरोलाल	144	2-41	347-04
15.	25-5-70	श्री हीरालाल प्रहलाद	64	2-41	154-24
16.	8-6-70	श्री गंगाविशन पुत्र जैनारायण	49	2-41	118-09
17.	17-6-70	श्रीमती चैनी वा. कजोड़िया	180	2-41	450-67
18.	,,	श्री कल्लू खा पुत्र गणेशी	128	2-41	308-48
19.	18-6-70	श्री रामसिह पुत्र कमोद	26	5-00	130-00
20.	,,	श्री रामसिह पुत्र कमोद	25	2-41	60-25
21.	19-6-70	श्री अब्दुल हमीद पुत्र हबीब	19	5-00	95-00
22.	22-7-70	श्री माधोप्रसाद पुत्र दुर्गा	25	5-00	125-00
23.	1-8-70	श्री गुलाबचन्द पुत्र म्होरी	261	2-41	629-09
24.	4-8-70	श्री रामजीलाल पुत्र मुन्नालाल	8½	5-00	42-00
25.	,,	श्री चन्द्रमोहन विनोदकुमार	,,	,,	42-00
26.	7-8-70	श्री मीठालाल दौलतराम	17	5-00	85-00
27.	,,	,,	128	2-41	308-48
28.	,,	श्री कैलाशसहाय पुत्र गिरवर	333	,,	802-53
29.	,,	श्री बाबूलाल भगवती पदम	48	2-41	115-68
30.	26-8-70	श्री सोन्या पुत्र चन्दा	14	25-00	350-00

परिशिष्ट–10

(अता. प्र. सं. 510 की सूची)

ग्राम पंचायत खानोसर, रामबाग व जैतपुर को दिये गये धान व चीनी का स्टेटमेन्ट

परमिट नं० व दिनांक	नाम दुकानदार	किस्म	मात्रा	माह	परमिट लेने वाले का नाम
1	2	3	4	5	6
खानोसर :					
1/2-9-72	सरदाराराम	कणक	50 क्वि०	सितम्बर, 72	गोपालचन्द
6/14-9-72	सरदाराराम	कणक	50 क्वि०	सितम्बर, 72	सरदाराराम
41/20-10-72	,,	कणक	50 क्वि०	अक्टूबर, 72	नथमल
31/10-11-72	,,	बाजरा	74 क्वि०	नवम्बर, 72	जीतमल
40/24-10-72	,,	चीनी	8-90 क्वि०	नवम्बर, 72	जीतमल
जैतपुर :					
7/15-9-72	नथमल मूंदड़ा	कणक	50 क्वि०	सितम्बर, 72	नथमल मूंदड़ा
22/25-9-72	,,	,,	100 क्वि०	सितम्बर, 72	,,
40/20-10-72	,,	,,	50 क्वि०	अक्टूबर, 72	,,
32/10-11-72	,,	बाजरा	70 क्वि०	नवम्बर, 72	गोपालचन्द
67/22-12-72	,,	बाजरा	34 क्वि०	दिसम्बर, 72	नथमल
41/24-10-72	,,	चीनी	6-10 क्वि०	अक्टूबर, 72	जीतमल
रामबाग :					
21/25-9-72	बीरबलराम	कणक	50 क्वि०	सितम्बर, 72	जीतमल
5/24-10-72	,,	बाजरा	50 क्वि०	अक्टूबर, 72	जीतमल
33/10-11-72	,,	बाजरा	56 क्वि०	नवम्बर, 72	गोपालचन्द

———

परिशिष्ट—11

(प्रता. प्र. सं. 511 की सूची)

अकाल सहायता कार्य प्रारंभ किये, पं० स० सज्जनगढ़

वन कार्य :

1. गणेशपुरा खुन्दपो
2. पन्डवाल
3. भुरा कुवा इटावा (भगला)
4. भुरा कुवा इटाल (रोड कुशलगढ़)

भू-संरक्षण कार्य :

निल

सार्वजनिक निर्माण विभाग :

1. डूगरा-गुन्दों सड़क
2. डूगरा-जालोमपुरा सड़क
3. भीलकुआ–कुशलगढ़ सड़क
4. बांसवाड़ा–दाहोद सड़क

सिंचाई कार्य :

1. छोटी टांडो तालाब
2. अंदेश्वर तालाब
3. सज्जनगढ़ तालाब
4. भगरवा तालाब
5. मस्का तालाब

अकाल सहायता कार्य प्रारंभ किये, प० स० बागीदोरा

वन-कार्य :

1. नाल ढबेरो
2. अनाला
3. रोड बागीदोरा से शेरगढ़
4. कुवा खुदाई बागीदोरा नर्सरी
5. लकाइजा बुडो
6. बागीदोरा नर्सरो

भू-संरक्षण:

1. राखो

सार्वजनिक निर्माण विभाग:

1. मुनाडूगर भूखिया सड़क
2. बागीदोरा थापड़ा सड़क कि० मी० से. 9
3. चांदरवाड़ा थापड़ा सड़क
4. बागीदोरा से शेरगढ़ कि० 6 से 22

सिंचाई कार्य:

1. मोटो टिम्बो तालाब
2. बागीदोरा तालाब
3. नौगामा तालाब
4. चौबीसों का नाका

अकाल सहायता कार्य प्रारंभ किये गये, पंचायत समिति कुशलगढ़ में

(उत्तर प्रश्न संख्या)

वन कार्य:

क. सं.	नाम कार्य	
1.	सूरजकुन्ड	
2.	रोड कुशलगढ़ से भोमपुर	
3.	कुवा खुदाई नसंरो कुशलगढ़	
4.	खुजरा वाला चूना	
5.	खन्टा कुन्डोया	ए
6.	,,	बी
7.	,,	सी
8.	बोरबड बस्सी	
9.	मिर्च घाटी कुन्डिया	
10.	एल्दुपाडा	
11.	कोठारीया	
12.	डगरा नसंरो	
13.	हरेन्द्रगढ़	ए
14.	,,	बी
15.	कारमो	

भू-संरक्षण:

1. बिहारीपुरा
2. नागदा खुर्द
3. नाथपुरा
4. छापरी
5. मून्डडी
6. घरतारा

सार्वजनिक निर्माण विभाग:

1. कुशलगढ़-बाजना सड़क
2. गामडा से कुशलगढ़ सड़क
3. भीलकुवा से कुशलगढ़ सड़क

सिंचाई कार्य:

1. मोखली तालाब
2. अखेपुर तालाब
3. बड़ी सरवा फीडर

सूची 'ख'

सूची नाम कार्य मय रकम, पंचायत समिति, कुशलगढ़, बागीडोरा व सज्जनगढ़

(उत्तर प्रश्न संख्या 2)

सड़क कार्य	अनुमानित रकम
1. मुनाडूपुरा-भूखिया सड़क	900000
2. बागीडोरा-थामड़ा सड़क 0 से 9 कि० मी०	170000
3. चांदरवाड़ा से थापड़ा सड़क	—
4. बागीडोरा से शेरगढ़ कि 6 से 22	600000
5. डूगरा-गुंदी सड़क	200000
6. डूंगरा जालीमपुरा सड़क	200000
7. भीलकुवा-कुशलगढ़ सड़क	350000
8. बांसवाड़ा–दोहद सड़क	120000
9. कुशलगढ़-बाजना सड़क	670000
10. गामड़ा से कुशलगढ़ सड़क	—

भू–संरक्षण कार्य :

1.	बिहारीपुरा	15000
2.	नासदा खुर्द	16800
3.	नाथपुरा	18600
4.	छापरी	24300
5.	मूंदड़ी	17850
6.	घण्टंवरा	24600
7.	राखां	13500

वन-कार्य :

1.	सूरजकुंड	33250
2.	कुशलगढ़ से भीमपुरा	5000
3.	कुआ खुदाई नर्सरी कुशलगढ़	7000
4.	नाल ठवेरी	30000
5.	अभास	29600
6.	रोड बागीडोरा से शेरगढ़	25000
7.	कुआ खुदाई बागीडोरा नर्सरी	7000
8.	गणेशपुरा खुदनी	20000
9.	मंडवाल	20000
10.	भूरा कुवा इटाला (मगला)	20000
11.	खजूरवाला चूना	20000
12.	भूरा कुवा रोड, कुशलगढ़	20000
13.	कुन्टा कुन्डीया ए.	20000
14.	,, बी.	20000
15.	,, सी.	20000
16.	चारवड़ बस्सी	20000
17.	मिर्चघाटी कुण्डिया	20000
18.	हुरडूपाड़ा	20000
19.	कोठारिया	20000
20.	लंकाई जामूड़ी	20000
21.	बागीडोरा नर्सरी	5000
22.	डूंगरा नर्सरी	5000
23.	इन्द्रगढ़ ए.	20000
24.	,, बी.	20000
25.	कारमी	40000

सिचाई के कार्य :

1.	बड़ी सरवा फीडर	97000
2.	मोटी टिम्बी	595400
3.	मगरदा	86465
4.	भीकली	99950
5.	छोटी टांडी	662000
6.	मक्का कैनाल	50000

सूची 'ग'

पंचायत समिति कुम्भलगढ़, सज्जनगढ़ व बागीडोरा से प्रस्ताव आये
(प्रश्न सं० 3 का उत्तर)

पंचायत समिति, कुशलगढ़ (पी० डब्लू० डी०):

1. कुशलगढ़ से कलिजरा वाया भर्देश्वर रोड
2. कुशलगढ़ से भोयन तक सड़क
3. कुशलगढ़ से उदयगढ़ रोड

सिचाई कार्य :

1. कलिजरा तालाब
2. खजूरा तालाब
3. सारण तालाब
4. झकरिया तालाब (कलिजरा)
5. घरतारा तालाब (मूंदड़ी)
6. सरेडी तालाब (मूंदडी)
7. उगमनापड़ा (पाटन)
8. खानापड़ा तालाब (मोहनपुरा)

पं० स०, सज्जनगढ़ :

1. सज्जनगढ़ से तांबेसरा रोड
2. कसारवाड़ी तालाब
3. रूपजी पाड़ा तालाब
4. रोहनिया तालाब
5. बड़ा डूंगरा तालाब
6. चनावली तालाब

पं० स०; बागीदोरा रोड कार्य :

1. छिंच से नोगामा वाया पिंडारामा सड़क
2. बड़ोदिया से घोटिया-आवा सड़क
3. भेर से गागड़ तलाई सड़क
4. शेरगढ़ से हेजामाल वाया गुलियागढ़
5. वडोरिया से बागीदोरा वाया चोकला

तालाब कार्य :

1. पोलापन (सलोपाट)
2. रतन तालाब
3. कुलडा तालाब
4. बागदरी तालाब
5. लाम्बा तालाब

परिशिष्ट—12

(अता. प्र. सं. 512 की सूची)

सूची 'क'

चित्तौड़गढ़ जिले में सन् 1968 में अकालराहत कार्यों के अन्तर्गत शुरू किये गये सिंचाई कार्यों की सूची

क्र. सं.	नाम कार्य	क्र. सं.	नाम कार्य
1	2	1	2
1.	पन्डावा तालाब	28.	करमदोखेडा तालाब
2.	जोलर तालाब	29.	महूडीवाला तालाब
3.	बाथा मनिया	30.	बागामड़ तालाब
4.	अम्बामाता तालाब	31.	ईगलाड तालाब
5.	पाटेलिया तालाब	32.	सरकोट तालाब
6.	नाहरसिह माता तालाब	33.	जातला तालाब
7.	गामता तालाब	34.	सगथली तालाब
8.	तेजर तालाब	35.	दीपपुरा तालाब
9.	बरडिया तालाब	36.	सगथली थाना तालाब
10.	बरखेड़ी तालाब	37.	धमोतर तालाब
11.	शिवना तालाब	38.	धरमू तालाब
12.	सालमगढ़ तालाब	39.	जोगनियामाता तालाब
13.	भानपुरा तालाब	40.	दीपपुरा तालाब
14.	पानमोड़ी तालाब	41.	मंडेसरा तालाब
15.	छोटी बमोरी तालाब	42.	उमरचा तालाब
16.	कुलमीपुरा तालाब	43.	मानसरोवर तालाब
17.	वारावरदा एनिकट	44.	रेनखेड़ा तालाब
18.	मदुरा एनिकट	45.	जावदा तालाब
19.	सतखजिया तालाब	46.	गेंगहट नेग्नूं
20.	अमरथांग तालाब	47.	गेंगहट पारसोली
21.	अचलपुरा तालाब	48.	नन्दवाई तालाब
22.	दलोट तालाब	49.	भिचोर तालाब
23.	निनोर तालाब	50.	धामन्चा तालाब
24.	धन तालाब	51.	मोहरा तालाब
25.	बड़ी लाक तालाब	52.	बड़ोदिया तालाब
26.	खेरोट तालाब	53.	कुटिया तालाब
27.	अचलावदा तालाब	54.	जालरा एनिकट

1	2	1	2
55.	धनघड़ा एनिकट	90.	उसरोल तालाब
56.	मकानगंज तालाब	91.	जाशमा तालाब
57	गोपालपुरा तालाब	92	निलोद तालाब
58.	एकलिंगपुरा तालाब	93.	हथियाना तालाब
59.	मोहना तालाब	94.	कचोलिया तालाब
60.	लाड़पुरा तालाब	95.	हिन्गोरिया तालाब
61.	मांडला तालाब	96.	धमाना तालाब व नहर
62.	धोबीगट्टा तालाब	97.	सुरपुर एनिकट
63.	गडरिया गहा तालाब	98.	अरनिया कैनाल
64.	झरझनी तालाब	99.	भोपालसागर नहर
65.	डापटा तालाब	100.	गरजाला तालाब
66.	खेरमालिया तालाब	101.	सांवता तालाब
67.	धोलापानी तालाब	102.	जावा तालाब
68.	केशुन्दा तालाब	103.	फलासिया तालाब
69.	ईंटों का तालाब	104.	देवदों का खेड़ा
70.	छान कलां तालाब	105.	बबराना तालाब
71.	बम्बोरा तालाब	106.	पटोलिया तालाब
72.	रामखेड़ा तालाब	107.	मनोहरखेड़ी तालाब
73.	रूदड़ी तालाब	108.	किशनखेड़ी तालाब
74.	डोवनो तालाब	109.	देवली तालाब
75.	गुलाबपुरा तालाब	110.	अरनोद तालाब
76.	तरकिया तालाब	111.	भाटोली बागरियान
77.	हिगोरिया तालाब	112.	नेगड़िया तालाब
78.	कल्याणपुरा तालाब	113.	चिकारड़ा तालाब
79.	धमाना कपासन तालाब	114.	लोठियाना तालाब
80.	बड़ा बनाकिया तालाब	115.	डूंगला तालाब
81.	भूपालसागर फीडर पार्ट–7	116.	नगावली तालाब
82.	बड़गांव नहर	117.	मामादेव तालाब
83.	हिंगवानिया एनिकट	118.	खेताखेड़ा तालाब
84.	मंगाना तालाब	119.	जवाहर तालाब (धोला भाटा)
85.	अरनिया तालाब	120.	पालोद तालाब
86.	सरोपा तालाब	121.	संगेसरा तालाब
87.	कपासन तालाब	122.	मंगलवाड़ तालाब
88.	मेवदा तालब	123.	बड़वाई तालाब
89.	पारो तालाब	124.	सुरजाखेड़ा तालाब

1	2	1	2
125.	भालोटा की खेड़ी तालाब	159.	मोरसागर तालाब
126.	गछेरापुरा तालाब	160.	गंगारिया तालाब
127.	भूतोली तालाब	161.	लुहारिया तालाब
128.	मातृकुन्डियां तालाब	162.	रेवलिया तालाब
129.	सोमी तालाब	163.	कन्नौज तालाब
130.	डिन्डोली फीडर	164.	सोहनखेड़ा तालाब
131.	आरनी तालाब	165.	भदेसर तालाब
132.	रेवाड़ा तालाब	166.	जोडौली तालाब
133.	लाम्बिया तालाब	167.	खेड़िया तालाब
134.	निम्बाहेड़ा एनिकट	168.	बांसावरा तालाब
135.	लसाड़िया खुर्द	169	कासिया कलां
136.	लसाड़िया कलां	170.	जोतावास तालाब
137.	एग्रिकल्चर फार्म	171.	मोखमपुरा तालाब
138.	नेवरिया तालाब	172.	फूटिया की माल
139.	ऊन्डिया तालाब	173.	पालवा तालाब
140.	बसेड़ा तालाब	174.	ओराई तालाब
141.	मनोहरखेड़ी तालाब	175.	जवासिया तालाब
142.	मेलाना तालाब	176.	लालास तालाब
143.	कोचवा तालाब	177.	रपालिया तालाब
144.	कनेरा तालाब	178.	आपोलिया तालाब
145.	अरनियामाली का ब्रिज	179.	नीलिया महादेव
146.	बरखेड़ी तालाब	180.	कंवालिया तालाब
147.	घोसुन्डा लिफ्ट स्कीम	181.	मंजवा तालाब
148.	सावा तालाब	182.	दीपो का तालाब
149.	नगरी लेफ्ट कैनाल	183.	नलवाई एनिकट
150.	चित्तौड़गढ़ लिफ्ट स्कीम	184.	झरना एनिकट
151.	लेफ्ट कैनाल बनाकिया	185.	नगरपालिका तालाब
152	पठोली एनीकट	186.	रतीचन्दजी का खेड़ा
153.	आमोलिया तालाब	187.	कटाई महादेव तालाब
154.	नालदा एनिकट	188.	बानसी तालाब
155.	मडफिया तालाब	189.	ऊंचा तालाब
156.	मन्डपिया तालाब	190.	आकोदड़ा लिफ्ट स्कीम
157.	बानसेन तालाब	191.	चौगावड़ी तालाब
158.	नपलिया तालाब	192.	मुरलिया तालाब

Page No 169

1	2	1	2
193.	एप्रोच रोड टू गादोला तालाब	197.	कुल्थाना तालाब
194.	लक्ष्मीपुरा तालाब	198.	कांटी तालाब
195.	ईंटाली तालाब	199.	छीपाखेड़ा तालाब
196.	प्रतापपुरा तालाब	200.	एप्रोच रोड टू जाखम डेम

सूची 'ख'

अधूरे अकालराहत कार्य, जिला चित्तौड़गढ़ (सिचाई अभिकरण)

क्र. सं०	नाम तहसील	कार्य का नाम
1.	बेगूं	मन्डेसरा तालाब
2.	,,	दीपपुरा तालाब
3.	,,	जावदा तालाब
4.	,,	घामन्दा तालाब
5.	छोटी सादड़ी	खेरमालिया तालाब
6.	,,	ईश्रो का तालाब
7.	कपासन	दामाखेड़ा तालाब फीडर
8.	,,	कचोलिया तालाब
9.	डूंगला	संगेसरा तालाब
10.	,,	पालोद तालाब
11.	,,	नेगड़िया तालाब
12.	,,	मामादेव तालाब
13.	राशमी	मुरोली तालाब
14.	निम्बाहेड़ा	मनोहरखेड़ी तालाब
15.	,,	मेलाना तालाब
16.	,,	कोचवा तालाब
17.	चित्तौड़गढ़	बरखेड़ी तालाब
18.	,,	सावा टैंक व फीडर
19.	,,	घोसून्डा लिफ्ट स्कीम
20.	भदेसर	मन्डपिया तालाब
21.	,,	नवानिया तालाब
22.	,,	अमोरसागर तालाब
23.	,,	लुहारिया तालाब
24.	,,	जाडोली तालाब
25.	,,	कन्नोज तालाब
26.	,,	बानसेन तालाब
27.	गंगरार	नीलियादेह तालाब
28.	बड़ी सादड़ी	दीपों का तालाब
29.	,,	झरना एनिकट
30.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़ लिफ्ट स्कीम
31.	बड़ी सादड़ी	कटाई महादेव
32.	,,	रतीचन्दजो का खेड़ा

परिशिष्ट—13

(अता. प्र. सं. 517 की सूची)

क्र० सं०	थाना	सन्	तादाद रिपोर्ट मुका	अदम वकू०	157 मी जाप्ता	अदम पता	अदम सबूत	व० बू०	आं०	माल मशरूका	माल बरा०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	कोतवाली बूंदी	71	64	12	1	37	2	—	12	5056-25	4198-00
		72	70	10	—	46	—	1	21	44519-75	32664-75
		73	9	2	—	1	—	5	1	3387-00	513-00
2.	तालेड़ा	71	19	3	—	11	—	—	5	3627-00	875-00
		72	14	3	1	1	—	—	9	5077-00	2492-00
		73	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	पाटन	71	26	9	—	9	—	—	8	5078-00	4315-00
		72	17	10	—	4	—	—	3	2310-00	2100-00
		75	4	—	—	—	—	3	1	3206-00	5000-00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	लाखेरा	71	17	2	1	9	—	—	5	5991-00	4746-00
		72	41	2	—	2	—	—	10	7335-00	5955-00
		73	3	—	—	2	—	—	—	450-00	23[illegible]-00
5.	गेन्डोली	71	11	4	—	2	—	—	5	6105-00	6070-00
		72	10	4	—	1	—	1	4	4755-00	4755-00
		73	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	के० एस० डेम	71	11	1	—	7	—	—	3	6620-00	5335-00
		72	11	3	—	3	1	—	4	3003-00	2699-00
		73	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	नैनवा	71	7	1	—	4	—	9	3	6525-00	2070-00
		72	5	1	—	1	—	—	3	1698-00	1566-00
		73	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	देई	71	17	9	—	4	—	—	4	3805-00	3295-00
		72	4	2	—	1	—	—	1	900-00	390-00
		73	1	—	—	—	—	1	—	70-00	70-00

9. दबला	71	6	1	—	5	—	—	—	3135-00	2220-00
	72	11	2	—	3	—	9	5	1909-00	345-00
	73	4	—	—	2	—	1	1	770-00	290-00
10. हिन्डोली	71	16	4	—	8	—	—	4	7930-00	4145-00
	72	15	3	—	7	3	6	2	3633-00	1275-00
	73	4	—	—	—	1	—	—	—	—
11. सिन्दा	71	2	1	—	1	1	—	2	3533-00	2500-00
	72	1	1	—	1	—	1	2	2729-00	2661-00
	73	2	—	—	—	—	2	—	121-00	121-00
योग	71	202	48	2	97	4	1	51	62405-25	39769-00
	72	164	41	1	70	4	4	64	78718-75	56824-71
	73	27	5	—	5	—	14	3	8198-00	4424-00

क्र० सं०	थाना	सन्	चोरी	रोबरी	कत्ल	डकैती	माल चोरी गया	माल बरामद हुआ	रिमार्क्स
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	कोतवाली बूंदी	1971	55	3	8	9	19764–29	13076–86	
		1972	69	5	3	—	83553–70	54285–75	
		1973	9	2		—	9063–00	613–00	
2.	तालेड़ा	1971	19	1	3	—	10757–00	1043–00	
		1972	14	2	4	—	6064–29	4213–00	
		1973	—	—	—	—	—	—	
3.	पाटन	1971	24	1	1	—	10322–00	4735–00	
		1972	17	2	1	—	12687–00	6861–00	
		1973	4	—	—	—	5860–00	3200–00	
4.	लाखेरी	1971	19	1	1	—	8907–50	4633–00	
		1972	14	2	—	—	9662–00	7055–00	
		1973	4	—	1	—	6090–00	2538–00	
5.	गेन्डोली	1971	11	—	1	—	10616–50	7255–00	
		1972	10	—	1	—	9843–00	670–00	
		1973	—	9	—	—	550–00	—	
6.	जै० एन० डेम	1971	11	2	1	—	9389–75	5397–75	
		1972	10	2	1	—	9433–00	4152–00	

Page No 175

		1973	—	—	—	—	—	—
7.	नैनवा	1971	9	1	—	—	1133-30	3296-75
		1972	5	2	—	1	4663-00	3218-00
		1973	—	1	—	—	—	—
8.	देई	1971	17	—	1	—	4691-30	2510-00
		1972	4	—	2	—	927-00	600-00
		1973	1	—	—	—	530-00	60-00
9.	दबलाना	1971	16	2	3	—	3597-53	2220-00
		1972	11	3	—	—	8756-00	5632-00
		1973	1	—	—	—	3850-00	1530-00
10.	हिन्डोली	1971	15	4	—	—	26948-60	12226-60
		1972	15	2	1	—	6658-00	4967-00
		1973	4	—	—	—	408-00	—
11.	बिन्दा	1971	6	2	—	—	4961-00	160-00
		1972	5	4	—	—	4054-00	2661-00
		1973	2	—	—	—	121-00	121-00
	योग....	1971	202	17	11	—	121081-39	56467-96
		1972	184	20	13	1	151326-99	95014-75
		1973	27	4	1	—	25894-00	8112-00

परिशिष्ट-14

(अता. प्र. सं. 519 की सूची)

बीकानेर जिप्सम लिमिटेड के वार्षिक लेखों के अनुसार फिक्स्ड एसेट्स की कीमत व उनकी रिटन डाउन वेल्यू

		फिक्स्ड एसेट्स की कुल कीमत			रिटन डाउन वेल्यू		
क्र. सं.	वर्ष	जिप्सम डिविजन	रॉक फास्फेट डिविजन	योग	जिप्सम डिविजन	रॉक फास्फेट डिविजन	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1969–70 (31–3–70 को)	44,37,016	—	44,37,016	12,88,272	—	12,88,272
2.	1970–71 (31–3–71 को)	32,92,876	18,30,000	51,30,000	7,70,883	11,07,183	18,78,066
3.	1971–72 (31–3–72 को)	30.02,312	33,89,385	63,91,697	6,58,457	20,42,826	27,01,283

शुद्धि-पत्र

(बृहस्पतिवार, दिनांक 29 मार्च, 1973)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
3	नीचे से 5	ऊपा	उषा
5	नीचे से 4	रहा है	रहा
17	नीचे से 1	आ लांट	देखकर आम तौर पर अलॉट
21	नीचे से 1	अटेन्डेन्ट्स	अटेन्डेन्स
23	नीचे से 6	पर है	पर ?
25	ऊपर से 15	महिन्द्रसिंह	मोहिन्द्रसिंह
26	नीचे से 19	requjred	required
32	ऊपर से 10	प्रद्युम्ननसिंह	प्रद्युम्नसिंह
61	नीचे से 16	नर्धारण	निर्धारण
74	ऊपर से 2	यन	चयन
74	नीचे से 7	परी ाओं	परीक्षाओं
80	ऊपर से 6	8,86,906	8,86,908
90	नीचे से 1	सरा	दूसरा
93	ऊपर से 15	को	......
94	ऊपर से 7	स्था ान	स्थगन
129	नीचे से 15	इन्डेन्ट	इन्टेन्ट
172	ऊपर से 14	रिकमण्डरी	रिकमण्डेटरी
174	ऊपर से 8	विभाग	....
197	नीचे से 11	मोहम्मद	श्री मोहम्मद
203	नीचे से 11	बिरलाओं	बिड़लाओं
217	ऊपर से 6	मालपुरे	मालपुरा
219	ऊपर से 6	ब्यूटल	ब्रूटल
219	ऊपर से 7	का	का है
238	नीचे से 4	विकास	निकास
256	नीचे से 1	शास्त्रि	शास्त्री